राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २४ वां दिवस [संख्या १९

शुक्रवार, दिनांक २२ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म.पू. ११–७ बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, चिकित्सा, योजना, नियुक्ति, राजस्व, पंचायत, सिंचाई, खनिज, आयुर्वेद, श्रम, सहकारी, वन, स्वायत्त शासन एवं वित्त–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मानिकचन्द सुराणा।

हरिजनों के कार्य की पद्धति में सुधार

३६३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हरिजनों के कार्य करने की पद्धति में सुधार हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी रकम रखी गई है ? सन् ६१-६२ व ६२-६३ में इस कार्य हेतु कितनी रकम खर्च की गई ?

(२) उक्त रकम कितनी कितनी और किन किन नगरपालिकाओं को कब कब दी गई ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जो इस बात की जांच करे कि नगरपालिकाओं को जिस कार्य व मद में रकम दी गई है वह उस मद में खर्च हुई भी है या नहीं ? यदि हां, तो जिन नगरपालिकाओं में इस प्रकार की जांच की जा चुकी है, उनके नाम क्या हैं ?

(४) राज्य सरकार हरिजनों के लिये ली गई रकम संबंधित कार्य में न लगाने वाली नगरपालिकाओं के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) हरिजनों के कार्य की पद्धति में सुधार हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ९.५० लाख रुपये रखे गये हैं। सन् १९६१-६२ में कुल १,५८,००० रुपये स्वीकृत किये गये थे। १९६२-६३ में इस कार्य के लिये २ लाख स्वीकृत हुए हैं।

(२) १९६१-६२ में जो रकम विभिन्न म्युनिसिपेलिटीज को दी गई, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सन् १९६२-६३ में १,८५,००० डाइरेक्टर लोकल बॉडीज को दिए गए हैं जो बाल बैरोज व दूसरी इक्वीपमेंट खरीद कर म्युनिसिपल बोर्ड को देने की व्यवस्था करेंगे तथा उनकी

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
लागत की रकम उनको ग्रान्ट-इन-एड की रकम के रूप में दिला दी जायगी। बाकी १५,००० रु० जिन नगरपालिकाओं को दिए गए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) यह निश्चित करने के लिये कि नगरपालिका को जिस कार्य के लिये व मद में रकम दी गई है वह उसी मद में खर्च हुई है या नहीं संबंधित नगरपालिका से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाता है। अभी तक अजमेर नगरपालिका का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

(४) इस संबंध में जिन नगरपालिकाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उनको बराबर स्मरण कराया जा रहा है तथा स्थानीय अधिकारियों को नगरपालिका अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भिजवाने हेतु विभाग प्रयत्नशील है। स्वायत्त शासन अधिकारियों को भी इस संबंध में लिखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह १,८५,००० रुपये डाइरेक्टर आफ लोकल बॉडीज को किस वर्ष में दिये, व किस तारीख को दिये गये और उनसे बौल बेरीज और दूसरा सामान खरीदने के लिये उपयोग किया क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह डाइरेक्टर आफ लोकल बॉडीज से पता लगा कर बता सकूंगी। जो धनराशि दी है, वह निवेदन कर दी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : म्यूनिसिपेलिटीज को जो रुपया दिया गया १९६१-६२ में, जिसकी सूची पेश की है–१ लाख ५८ हजार की, उसमें से ९७,००० रुपये जयपुर म्युनिसिपेलिटी को दिये गये, उसमें क्या आपने जानने की कोशिश की कि यह रुपया आज किसी बैंक में इस अलग हैड में पडा है या नहीं या उस रुपये को खर्च किया जा चुका है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो कदम इस दिशा में उठाये गये हैं वह मैंने निवेदन कर दिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कदम रिमाइन्डर देने का है म्युनिसिपेलिटी को। मेरा प्रश्न यह है कि हरिजनों के कार्य करने की पद्धति में सुधार के लिये सरकार ने रुपया एलोकेट किया और इस कार्य के लिए दिया तो क्या सरकार ने इस बात को देखा कि यह रुपया म्युनिसिपेलिटी के इस हैड में सेफ पडा है या खर्च कर दिया गया है ? अगर खर्च नहीं किया गया है तो क्या इस हैड में सेफ पडा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो कुछ किया गया है, वह आपकी सेवा में निवेदन कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस मद में पैसा खर्च करना चाहिये था, उसमें किया गया है या नहीं ? प्रश्न स्पष्ट है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसलिये तो ये प्रमाण-पत्र मांगे गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रकम ६१-६२ में दी गई। दो साल होने को आये हैं इस रकम को हरिजनों के कार्य पद्धति

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
में सुधार करने हेतु स्वीकृत की गई थी उसका उपयोग उसी कार्य के लिये हुआ या नहीं ? आपने जो लिस्ट दी है उसमें विभिन्न नगरपालिकाओं को हरिजनों के कार्य पद्धति में सुधार करने हेतु स्वीकृत धनराशि दी गई, उसमें अजमेर को सन् ६१-६२ में, ८,५०० रुपये दिये गये । दो वर्ष होने को आये है अभी तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट के लिये रिमाइन्डर ही दिये जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी तक किसी ने उसका जवाब भी दिया है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : मैंने इस संबंध में जानकारी ली है । एल. एस. जी. ने आर्डर प्लेस कर दिये है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तारीख कौनसी है ?

श्री भीखाभाई : तारीख मुझे मालूम नहीं है । प्रमाण-पत्र, जिन जिन को ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, उनसे मांगते हैं वह इसीलिये मांगते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : पैसा जिस काम के लिये दिया गया उस कार्य में खर्च नहीं किया गया तो उसका क्या कारण है ? पैसा इसलिये दिया जाता है कि वह उस मद में खर्च किया जावे । सरकार निश्चित रूप से कैसे कह सकती है कि वह पैसा उसी मद में खर्च किया गया? सरकार ने वह रुपया मान लें किसी भवन निर्माण के लिये दिया और हरिजनों के लिये दिया और उस पैसे से आपने पार्क बना लिया तो यह कैसे हो सकता है ?

(विराम)

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री से आश्वासन दिलाया जाना चाहिये कि जल्दी से जल्दी जांच करेंगे और अगर रुपया ठीक तरह से खर्च नहीं हुआ है तो उनसे वसूल करेंगे ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य के विचारों से मैं एग्री करता हूं । किसी दूसरे मद में अगर वह रकम खर्च की गई होगी तो वह रुपया उनसे वसूल करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति को राज्य सेवाओं में संरक्षण

३६४. **श्री हरिकिशन** (राजगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जब से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं में संरक्षण दिया गया है तब से इन जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती (नियुक्ति) करने के लिए राज्य सरकार ने क्या तरीका व व्यवस्था अपनाई है और वह व्यवस्था सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए कहां तक सफल रही है ?

(२) क्या एक साल में सुरक्षित स्थानों की पूर्ति न होने पर दूसरी साल राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की पूर्ति के लिए वे स्थान रिक्त रखती है ? यदि ऐसी व्यवस्था रखी गई है तो विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कहां

Page No 4

(श्री हरिकिशन)
तक इसका अनुपालन किया गया है और यदि नहीं रखी गई है तो उसका क्या कारण है

(३) क्या राजस्थान सरकार ने शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के बारे में अब तक राजस्थान प्रान्त भर से आंकड़े इकट्ठे किये हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया है तथा भविष्य में इस ओर राजस्थान सरकार की क्या नीति रहेगी?

(४) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जन-जातियों व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के बारे में आदेश क्रमशः १२-२-१९५८ व नं० एफ २५(४२) जी.ए. (ए)।५१ दि. सितम्बर १९६१ जारी हुए, उनकी तामील विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कहां तक की गई है? उसकी प्रगति की रिपोर्ट देने की कृपा करें और यदि उपरोक्त राज्य सरकार के आदेश की तामील विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं की गई है तो उनकी इस लापरवाही के निस्बत राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

(५) अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये राजस्थान सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी उसने राजस्थान सरकार को कब रिपोर्ट पेश की है, और उसकी सिफारिश पर राजस्थान सरकार क्या और कब निर्णय लेने जा रही है?

(६) जब राजस्थान में अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जातियों के सुरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है तो माह मई. १९६२ से इन जातियों के उम्मीदवारों को राज्य सेवा में कमी के कोटा को पूर्ति करने की अपेक्षा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाना कहां तक उचित है?

(७) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये आदेश क्रमांक एफ. १ (१३)।१।एफ. (जी.ए.)। ६१ दि. ३ अगस्त, १९६२ के अनुसार स्पेशियल रिक्रूटमेन्ट बोर्ड का गठन किया है तो उसमें कौन कौन सदस्य रखे गये हैं और क्या अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के गैर सरकारी सदस्य भी रखे गये हैं?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नही हुआ है। इसके लिये १५ दिन का समय दिया जावे।

श्री हरिकिशन : अध्यक्ष महोदय, १५ दिन में एसेम्बली का अधिवेशन समाप्त हो जाएगा और यह प्रश्न नहीं आ सकेगा। यह इम्पोरटेन्ट प्रश्न है।यह देख लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दिलाने के बाद ही एसेम्बली एड्जोर्न करेंगे। यह बहुत जरूरी प्रश्न है। नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३६५

श्री रामानन्द अगवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल पूर्ति सम्बन्धी समस्याओं पर समिति का प्रतिवेदन

३६६. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Will the Minister for Planning be pleased to reply:—

(1) Is it true that the Government had appointed a Committee with Shri Harish Chandra Mathur as Chairman to report on the problem of supplying water to the d sert and semi-desert areas of Rajasthan ?

(2) If so, did the Committee study the problem in details, and if so, what are the recommendations of the Committee ?

(3) What is the scheme of the Government for supplying water in rural areas under, Third Five Years Plan ?

(4) Within how many years the Rajasthan Canal and Pong Dam scheme would be completed and how many acres of land will be benefitted by the scheme ?

उप-मंत्री, योजना (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) Yes.

(2) Yes. The main recommendations of the Committee are given in Annexure I.

(3) In the Third Plan, a sum of Rs. 200 lakhs has been provided for rural water supply schemes. The break-up of this outlay is a follows :—

	Item	Amount (In lakh rupees)
(a)	Construction of new wells, repairs to old wells and converting step-wells into sanitary-wells etc. ..	100
(b)	For completing 42 pipe water supply schemes carried over from Second Plan to the Third Pain ..	30
(c)	For taking up new pipe water supply schemes where conditions justify	25
(d)	Purchase of tools and plants	5
(e)	Recruitment of staff and training	20
(f)	Investigation of sweet water sources	20
	TOTAL ..	200

In order to provide an adequate source of drinking water to all villages and at least two sources of drinking water to villages with the population of 400 or more, it has been estimated that the total funds required in addition to the State Plan provision for this purpose, will be as follows :—

(i) Estimated amount for construction of wells/ tanks in the villages having no wells/ tanks for drinking water .. .. 361.59 lacs.

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(*ii*)	Estimated amount required for construction of wells/tanks in village having a population of 400 or more but in which only one well exists for drinking water	232.45 lacs
(*iii*)	Estimated amount required for completion of the works of wells/tanks lying incomplete ..	219.78 lacs
		Rs.813.82 lacs

The State Government has requested the Government of India to allot adequate funds for the purpose over and above the State Plan ceiling and the matter is still under consideration.

58 pipe water supply schemes are under construction and are expected to be completed during the Third Five Year Plan. Details of these works are given in annexure II.

(4) The Rajasthan Canal is expected to be completed by the end of 1977 and Pong Dam in 1969-70 subject to availability of necessary funds and foreign exchange. On full development, the Rajasthan Canal is expected to irrigate about 40,00,000 acres of culturable land.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एलाट नहीं करने का क्या कारण है? २० लाख कम करने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 200 lakhs have been provided by the State Government and still 12 crores have been asked from the Government of India. I thnink this is quite sufficient.

श्री रघुनाथ विश्नोई : कमेटी की सफारिश के अनुसार एलाट किया है वह insufficient है। सरकार ने इसके लिये जो घोषणा की है उस रूप में सरकार का ध्यान इस ओर दिया जावे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि जैसी स्टेट की वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार यह किया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को भी एडीक्वेट फन्ड एलाट करने के लिये लिखा गया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान नहर से पानी लोगों को पीने के लिये भी दिया जावेगा ? इसके लिये कोई योजना बनाई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : योजना विचाराधीन है। कहां कितना रहेगा यह नहीं कहा जा सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या कांग्रेस के घोषणा-पत्र में यह था कि राजस्थान के प्रत्येक गांव को, जिसकी आबादी १० हजार है, पानी का प्रबन्ध कर दिया जाएगा ? आपने यह पढा या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष, यह घोषणा नहीं हो तो भी हमारे यहां इसका प्रयत्न किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): घोषणा कल्पना मात्र ही रह जाती है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

विभागीय नियम

३६७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) किस किस विभाग में विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नति आदि के लिये विभागीय नियम बनाये हुए हैं और यह कब कब से लागू हैं तथा यह किस किस राज-पत्र में कब कब साया हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) किस किस विभाग ने ऐसे नियम नहीं बनाये हैं तथा इन नियमों के अभाव में किन नियमों के अन्तर्गत विभागीय नियुक्तियां अथवा पदोन्नति के कार्य होते हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) जिन जिन विभागों में विभागीय नियुक्तियों-पदोन्नति आदि के लिये विभागीय नियम बनाये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह नियम जब से राजस्थान राज-पत्रिका में प्रकाशित हुये हैं, तब ही से लागू हो गये हैं। राज-पत्रिकाओं की संख्या व तारीख जिनमें यह प्रकाशित हुए हैं, नियमों के सामने लिखे हुये हैं।

(ख) जिन विभागों में ऐसे नियम नहीं बनाये गये हैं उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है। नियमों के अभाव में विभागीय नियुक्तियां अथवा पदोन्नति सबोर्डिनेट सर्विसेज के लिये जर्नल सबोर्डिनेट सर्विस नियम के अनुसार व अन्य के लिये जन सेवा आयोग के द्वारा जहां आवश्यक हो अथवा सक्षम अधिकारी (Competent, authority) द्वारा की जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : यह कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह हर डिपार्टमेंट के लिये है।

श्री भैरोंसिंह : सबोर्डिनेट सर्विसेज में कोई कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि नियमों के अभाव में विभागीय नियुक्तियां अथवा पदोन्नति सबोर्डिनेट सर्विसेज के लिये जनरल सबोर्डिनेट सर्विस नियम के अनुसार व अन्य के लिये जन सेवा आयोग के द्वारा जहां आवश्यक हो अथवा सक्षम अधिकारी (Competent authority) के द्वारा की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : जन सेवा आयोग और सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स तो है लेकिन यह सक्षम अधिकारी कौनसे रूल्स में है ? ये कौनसे रूल्स से कवर होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जहां रूल्स नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार के रूल्स हैं कि वह नियुक्ति कर सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स नहीं हैं लेकिन नोटिफिकेशन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आर्डर की तरह से है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह आर्डर की तरह का प्रश्न नहीं है। यह जनरल पालिसी है।

श्री भैरोंसिंह : किन किन लोगों की नियुक्ति की जा सकती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनको अधिकार दिये गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या हमारी केबिनेट ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है कि ५० प्रतिशत पदोन्नति विभागीय प्रमोशन्स से हो और ५० पर्सेन्ट बाहर से ? क्या सभी विभागों ने इसको लागू नहीं किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि सबोर्डिनेट सर्विसेज में ५० पर्सेन्ट के अनुपात से प्रमोशन होना चाहिये और ५० पर्सेन्ट डाइरेक्ट रीक्रूटमेंट। इस तरह का प्रस्ताव केबिनेट ने पास किया है और जो प्रस्ताव की भावना है उसको सारे रूल्स में इम्पलीमेन्ट कर दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस तरह की बात से तहसीलदार सर्विसेज का सम्बन्ध नहीं है। पर इसके नियम अभी नहीं बने हैं। नियम बन रहे हैं और नियम बनने के बाद में कार्यान्वित किये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह: नियम बनने में देरी हुई है, इस देरी के कारण अगर कोई प्रभावित हुए हैं, उनके लिये क्या राजस्थान सरकार आश्वासन दे सकती है कि नियम बनने पर उनको उनका हक दिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: देरी से बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, निर्णय हाल ही में हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: निर्णय हुए दो साल हो गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह किसी और निर्णय की बात कह रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके उप-मंत्री बनने से पहले निर्णय हो गया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे यह विचार हैं कि सरकार की जो कुछ पालिसी है उसके सम्बन्ध में रूल्स बनाने चाहिये। उस पॉलिसी को नोटिफिकेशन द्वारा कार्य रूप में परिणित करते हैं तो आपकी पालिसी और प्रशासन में कमी है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और करना है, माननीय अध्यक्ष, जो ड्राफ्ट्स एप्रूव नहीं हुए वे कब तक एप्रूव हो जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगभग ६ महीने में ।

श्री भैरोंसिंह: ये रूल्स कब से विचाराधीन हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कौनसे ? बहुत से रूल्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, बार बार पी.एस.सी. की रिपोर्ट में आता है कि सरकार भेजती नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा न कि २३ रूल्स हैं जो विचाराधीन हैं जिन पर निर्णय ले लिया जायगा, शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ३६८। श्री मथुरेश बिहारी।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह।

खानपुर ग्राम चरागाह

३६९. **श्री रघुवीरसिंह** (बाडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या खानपुर ग्राम तहसील बाडी में मवेशियों के लिये चरागाह की भूमि उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या इस गांव के लिये चरागाह की भूमि एलांट की जाने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां। तहसील बाडी में खानपुर नाम के दो गांव हैं–खानपुर मीना एवं खानपुर गूजर। उपरोक्त गांवों में चरागाह की भूमि निर्धारित कर दी गई है और उनका कब्जा भी पंचायत को ३०-१-६३ को दिया जा चुका है।

श्री रघुवीरसिंह : खानपुर मीना को क्या चरागाह एलाट कर दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, दोनों गांवों के लिये निवेदन किया है, ३०-१-६३ को कब्जा दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ३७०।

श्री भगराज।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

सूरतगढ फॉर्म के कारण बेदखल किसान

३७१. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) ऐसे कितने लोकल मौरूसी तथा भूमिहीन (सरकारी भूमि काश्त करने वाले) तथा रिफ्यूजी एलाटी किसान हैं जिन्हें सूरतगढ फार्म के कारण बेदखल होने के कई साल बाद जमीन एलाट हुई ?

(२) क्या ऐसे कृषकों से एक मुश्त कई सालों की किश्तें वसूल की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह न्यायोचित है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) ऐसे कृषकों की एक सूची जिन्हें सेन्ट्रल मेकेनाईज्ड फार्म (भाखरा परियोजना क्षेत्र) स्थापित होने के फलस्वरूप बेदखल किया गया था सदन की मेज पर रख दी गई है। लोकल मौरूसी तथा पुख्ता एलाटीज को भूमि उसी वर्ष में दे दी गई थी। रिफ्यूजी एलाटीज का रकबा महकमा कस्टोडियन को सन् १९५६ में ही इकजाई तौर से दे दिया गया था। जिसके वितरण का सम्बन्ध उस विभाग से है।

(२) मौरूसीदार या माफीदार कृषकों से कोई भी किश्त नियमानुसार नहीं ली जाती। पुख्ता एलाटीज ७१४ हैं उनकी भूमि फार्म के लिये सन् १९५६ में अवाप्त की गई थी और कब्जा दीगर भूमि पर उसी वर्ष में दे दिया गया था। किश्तें १९५७–५८ से वसूल करना शुरू हुई हैं। रिफ्यूजी एलाटीज का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट

सोजत तहसील में काश्त की भूमि में खानें

३७२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सोजत तहसील में काश्त की भूमि में माइनिंग लीज होल्डर्स ने खानें खोदनी शुरू कर दी हैं ? यदि हां, तो कब से व कितनी भूमि में ?

(२) क्या उस काश्त की भूमि में जिसमें खान खोदनी शुरू कर दी है उसका लगान खातेदार से लिया जा रहा है व माइनिंग ओनर से उसका रेन्ट वसूल नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या लीज होल्डर्स इस तरह से खातेदारी भूमि पर बगैर खातेदार की रजामन्दी के प्रवेश कर सकते हैं और खनिज का कार्य शुरू कर सकते हैं ?

(४) क्या सरकार लीज होल्डर्स को एसे आदेश देगी कि किसी की खातेदारी भूमि में बगैर उसकी रजामन्दी के खनिज का काम न करें ?

(५) क्या खनिज विभाग के अधिकारियों ने इन्सपेक्शन के वक्त इस तरह के मसलों को नोट किया व लीज होल्डर्स को हिदायतें दीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) क्या इस तरह की शिकायत भी खनिज अधिकारियों को की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) माइनिंग विभाग से जो लीज खानें खोदने के लिये दी जाती हैं वह केवल उस भूमि के लिये ही दी जाती हैं जिसमें खेती नहीं होती और किसी के कब्जे काश्त में नहीं होती है । किसी भी खातेदार काश्तकार की शिकायत इस असर की पेश नहीं हुई है कि उसके खातेदारी की काबिल काश्त भूमि पर माइनिंग विभाग द्वारा लीज दी गई है । न किसी पटवारी की रिपोर्ट ही पेश हुई है कि उसके हल्के में किसी काबिल काश्त भूमि में माईनिंग विभाग द्वारा लीज दी गई हो ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी नहीं । राजस्थान लेन्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा ८९(४) व ८९ (५) तथा माइनिंग लीज (एम. एन. सी. आर. १९५९) एग्रीमेन्ट की शर्त ३ (बी) के अनुसार मुआवजा अथवा नोटिस देकर कार्य कर सकता है ।

(४) राजस्थान लेन्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा ८९(४) व ८९(५) तथा माइनिंग लीज एग्रीमेन्ट की शर्त नं० ३(बी) इस मामले में स्पष्ट हैं ।

(५) इस मामले में नियम स्पष्ट है अतः इन्सपेक्शन के दौरान ऐसी हिदायतों की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, जब तक कि किसी खातेदार की तरफ से कोई उज्र पेश न हो ।

(६) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत का इस कार्यालय में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता । कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न नं० २ के उत्तर में यह बताया कि माईनिंग विभाग की ओर से किसी खातेदार की जमीन को

(श्री तेजाराम गहलोत)
लीज में नहीं दिया गया है और यह भी बताया कि इस तरह की शिकायत या उजरदारी किसी काश्तकार की ओर से नहीं की गई। तो यह जानकारी किसी काश्तकार के शिकायत न करने के आधार पर ही दे रहे हैं या अपने विभाग की ओर से माईनिंग लीजेज दी गई हैं उनके आधार पर ? और यह बतावें कि यह जवाब सच है कि नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाब तो जहां तक संभव होता है सच ही दिया जाता है और मैं इसे सच मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : सच तो हमेशा दिया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक उदाहरण बतायें कि जो कहा है उसके विपरीत है तो जांच करवा सकता हूं और नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री तेजाराम गहलोत : सोजत में लाइम की लीजेज दी गई हैं केशवसिंह शिवजी सिंह माईनिंग लीज होल्डर को, उन्होंने खातेदार की जमीन में बगैर कलेक्टर की पर्मीशन के माईनिंग लीज रूल्स की अवहेलना करके खान खोदी है और काश्तकार से लगान लिया जा रहा है। माईनिंग डिपार्टमेन्ट में शिकायत की गई है, मैं इस चीज को चैलेंज के साथ साबित करने को तैयार हूं। क्या आप लीज होल्डर के खिलाफ इस कानून की क्लाज १७ सब-सेक्शन २२ के अनुसार कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाम बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : नाम अभी बताया न।

श्री तेजाराम गहलोत : केशवसिंह शिवजीसिंह लाइम लीज होल्डर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस खातेदार का नाम।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उस खातेदार का नाम माधोसिंह राठोड, तहसील सोजत में मौजा मंडला है, उसका एफेडेविट तस्दीक किया हुआ है। मैं टेबल आफ दी हाउस पर रख देता हूं और मन्त्री महोदय टेलीफोन से कलेक्टर को आदेश दें कि उसका लीज केन्सिल किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I shall have this case enquired into.

अध्यक्ष महोदय, अगर लीज होल्डर, लीज की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लीज को केन्सिल कराने के तरीके हैं, उसके खिलाफ शिकायत कर के, केस कर के कार्यवाही की जा सकती है। बिना पूरी जांच के इस तरह टेलीफोन से तो लीज केन्सिल करार नहीं दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस लीज होल्डर के खिलाफ यह बात सदन में रखी गई कि लीज एग्जीक्यूट होने से पहले काम शुरू कर दिया, इस ही के सम्बन्ध में यह बात है कि दूसरे लीज होल्डर का आर्डर गवर्नमेंट ने स्टे कर दिया, खुद गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो इस लीज होल्डर को दिया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह तीसरी शिकायत आई है कि उसने अपने लीज एरिया के अन्दर एक खातेदार की जमीन में खान खोद ली तो सरकार को ऐसी हालत में फौरन आश्वासन देना चाहिये कि टेलीफोन करके उसके लीज को केन्सिल किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेलीफोन का प्रश्न पैदा नहीं होता, अगर किसी इन्डिविज्युअल ने इन्फ्रिन्जमेंट किया है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह नियमानुसार कार्यवाही कराये। आपने असेम्बली में यह प्रश्न रखा है तो मैं आश्वासन देता हूं कि आवश्यक जांच कराई जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: जांच कराई जायगी । यदि लीज होल्डर अपने लीज एरिया के बाहर खुदाई कर रहा है तो क्या यह रूल्स के खिलाफ नहीं है और इस अपराध में उसकी लीज केन्सिल नहीं की जा सकती? जब तक ख़ातेदार को कम्पेन्सेशन नहीं दे दें, जब तक नियमानुसार एक्वायर नहीं कराये, या कम्पेन्सेशन डिटरमिन करके कलेक्टर की आज्ञा न ले ले तब तक वह वहां काम नहीं कर सकता ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपने उदाहरण रखा है उसके लिये निवेदन किया कि जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद आवश्यक कार्यवाही कराऊंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यदि तथ्य सही पाये गये तो क्या उसका लीज केन्सिल करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर मैं यहां कोई बात नहीं कह सकता ।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना): आपने अपने विभाग की ओर से तो कह दिया कि ऐसी बात नहीं है । अब एफेडेविट रखा तो हाइपोथेसिस कह कर इग्नोर कर देना चाहते हैं । इतना नहीं कहना चाहते कि कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पूरी जांच करवाई जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: जांच ही नहीं, पूरी कार्यवाही का आश्वासन दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तो क्या अभी लीज केन्सिल कर दूं ? जांच के सिवाय और क्या आश्वासन दे सकता हूं कि जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वर्क स्टे करवा सकते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वर्क स्टे कराने की बात क्यों कर रहे हैं। मैं जब कह रहा हूं कि जांच करवा कर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी तो नियमों में जो बात है वही होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : फैक्ट्स सही है तो लीज केन्सिल करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं नहीं कह सकता कि किस तरह की लीज है और क्या स्थिति वारन्ट करती है, वह सब देखने के पश्चात् ही तो किया जायगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस ठेकेदार के प्रति विशेष अनुराग का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे नहीं मालूम कि आपके कोप का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

इकांनोमी कट से प्रभावित अधिकारी

३७३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

इकांनोमी कट के कारण कितने ऑफिसर्स, डिप्टी डाइरेक्टर्स, इन्स्पेक्टर्स, डिप्टी इन्स्पेक्टर्स, कांसिलर्स ऑफ स्टेट ब्यूरो के पद कमी में लाये गये तथा उपरोक्त पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को किन किन पदों पर एबजोर्व किया गया अथवा किये जाने की तजबीज है ? जिन पदों-पर उन्हें एबजोर्व किया जा रहा है क्या वे पद नये क्रियेट किये गये हैं अथवा काफी अर्से से खाली पडे हुए थे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद (लड्ढा) : इकांनोमी कट के कारण ३१५ ऑफिसर्स के पद कमी में लाये गये ।

डिप्टी डाइरेक्टर्स कोई नहीं ।

इन्सपेक्टर—७५

डिप्टी इन्सपेक्टर्स—कोई नहीं ।

कांसिलर्स ओफ स्टेट ब्यूरो—१

इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले एब्जोर्प्शन कमेटी को भेजे गये । इन सभी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कमेटी ने जहां तक संभव हो सका है, समान ग्रेड में एबजोर्व किया है । सूची संलग्न है ।

सरप्लस गजेटेड अधिकारियों में से केवल एक के अलावा सब को पहले से ही रिक्त स्थानों पर एबजोर्व किया गया है । प्रोजेक्ट अधिकारी, दूध वितरण का पद केवल नया मंजूर हुआ है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भीमसेन: आपने अभी फरमाया कि डिप्टी डाइरेक्टर्स का कोई पद कम नहीं किया गया है । मेरी यह सूचना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तीन डिप्टी डाइरेक्टर्स के पद को कम किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप जो सूचना दे रहे हैं जानकारी की जावेगी ?

श्री भीमसेन: आपने बताया कि दुग्ध वितरण के अलावा नयी नियुक्ति नहीं की है लेकिन मेरी सूचना है कि अभी मिड डे-मिल्स के मायने में डिप्टी डाइरेक्टर की नयी पोस्ट क्रियेट की ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): डाइरेक्टर ऑफ इकांनोमिक्स एन्ड सर्वे में कितने इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों के पदों को एबोलिश कर दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो मैंने सूचना दी है वह है लेकिन हर विभाग के कितने २ आदमी हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सूची में होगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: टोटल नम्बर बता दिया ।

श्री भीमसेन: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिड-डे-मिल्स के लिए अभी डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति की गई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): नयी पोस्ट की गई नया विषय था ।

श्री भीमसेन: आप एक नहीं दो कीजिए। उत्तर में दिया 'कि नहीं की गई' इसलिए पूछा गया ।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन ।

औषधालय को दी गई औषधियां

३७४. **श्री रामकिशन** (वैर)[श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया]: क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भरतपुर को वर्ष ६२-६३ में 'किस्तूरी' तथा 'मिर्गमदारी-बट्टी' कितनी दी गई हैं और इस वर्ष में उक्त औषधालय में निमोनिया के कितने केस दर्ज हुए हैं ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भरतपुर को ६२-६३ में 'किस्तूरी भैरव' तो सप्लाई नहीं किया गया परन्तु 'मिर्गमदारी बट्टी' १०० ग्राम दिनांक १२-७-६२ को सप्लाई किया गया है चूंकि मिर्गमदारी बट्टी में किस्तूर भैरव के जो जो घटक हैं वे सभी घटक उसमें शामिल हैं और एक दो विशेष घटक हैं। अतः किस्तूरी भैरव के स्थान पर मिर्गमदारी बट्टी का ही प्रयोग भरतपुर औषधालय में किया जाता है । भरतपुर औषधालय में उस वर्ष निमोनिया के रोगियों को औसत प्रति मास ११७ दर्ज हुई है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके घटक पूरे किस किस अनुपात से बनाये जाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं वैद्य नहीं हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या घटक भटक गया है ?

श्री अध्यक्ष: श्री मोतीलाल चौधरी ।

लेबर यूनियन्स

३७५. **श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सरकार से मान्यता प्राप्त कितने श्रमिक संघ (Labour Unions) हैं ?

(२) श्रमिक संघों में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है ?

(३) विभिन्न श्रमिक संघों के अध्यक्ष व सचिव कौन कौन हैं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) २९१ ।

(२) ५३,६५४ ।

(३) इन श्रमिक संघों के अध्यक्ष व सचिव की सूची मेरे पास है । माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न एक का उत्तर वापिस दीजिये ।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री बालूराम चौधरी ।

(अनुपस्थित)

Page No 15

श्री श्योपतसिंह ।

गंगानगर लैंड मार्टगेज बैंक में दर्ख्वास्तें

३७७. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर लैण्ड मार्टगेज बैंक में सन् १९६०-६१ व १९६१-६२ में कर्ज के लिये कितनी दर्ख्वास्तें आई व कितने लोगों को कर्ज दिया गया व कितना ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह): (१) गंगानगर लैन्ड मार्टगेज बैंक में सन् १९६०-६१ में ३४ व सन् ६१-६२ में ३५— इस प्रकार दोनों वर्षों में कर्ज के लिये कुल ६९ दर्ख्वास्तें आई थीं ।

केवल ४ व्यक्तियों को ऋण दिया गया । यह ऋण १९६२-६३ में दिया गया ।

२६,५००) रु० ऋण दिया गया ।

श्री श्योपतसिंह : इतने आदमियों की दर्ख्वास्तें आयीं और उनमें से चार आदमियों को ही कर्जा दिया गया और बाकी को नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : प्रत्येक आदमी को सब-रजिस्ट्रार के मार्फत आना चाहिये था, नहीं आये और दूसरे दस्तावेजात कम्पलीट होने चाहिए थे वे नहीं हुए होंगे ।

श्री श्योपतसिंह : आपके पास कितने रुपयों का प्रावधान किसान के लिए रखा था और उसमें से कितने रुपये दिये गये ? कितने रुपये बच गये ?

श्री भीमसिंह : २६,५००) रु० रखे हुए थे ।

श्री श्योपतसिंह : कितने का प्रावधान था ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न प्राविजन का नहीं है । इसके रूल्स में इतने काम्प्लीकेशन्स हैं कि एप्लीकेशन आगे नहीं बढ पाती । उनको सिम्प्लीफाई करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये दो वर्ष में कमियां आती हैं उनको पूरा नहीं करवा सके ?

श्री भीमसिंह : बोर्ड आफ रेवेन्यू का निजी रजिस्ट्रार होता है, इसलिये उनको लिखा गया कि रजिस्ट्रार को हिदायत कर दे कि कागजात को जल्दी निकालें। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा रजिस्ट्रार को लिख दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना इनको निकाला जाय।

श्री श्योपत सिंह : क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि जो नियम बनाये गये हैं वे इतने सख्त हैं कि कोई कर्ज नहीं ले सकता। कोई नियम बनाये वे सिम्पल हों ताकि आसानी से किसान कर्ज ले सके। नियम सरल बनाये जांय।

श्री भीमसिंह : दुबारा देख लिया जायगा। कोई सहूलियत कर सकेंगे तो करेंगे।

श्री श्योपत सिंह : यह पॉलिसी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि कोई सहूलियत दी जा सकती है तो दी जावेगी।

श्री अब्दुल जब्बार ।

विजयपुर रेंज के जंगलात का सर्वे

३७८. **श्री अब्दुल जब्बार** : (निम्बाहेड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चित्तौड जिले के विजयपुर रेंज के जंगलात का सर्वे किया गया है ?

(२) जंगल विजयपुर में दो वर्ष पहले चन्दन के कुल कितने पेड थे और अब कितने हैं ?

(३) क्या चन्दन के पेडों को चोरी से काटने की रिपोर्ट जनता द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई है ? यदि हां, तो कितने पेड चोरी से काटने की रिपोर्ट हैं, और जांच पर कितने पेड कटे हुए पाये गये ? दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, वन (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) सर्वे के साथ नम्बर शुमारी नहीं की गई थी इसलिये नम्बरों का पता नहीं है।

(३) जी हां। कोई संख्या-विशेष नहीं बताई गई थी। ५३ पेड कटे पाये गये। दोषी का कोई पता नहीं चला।

श्री अब्दुल जब्बार : तो अब जो इन्क्वायरी चल रही है चित्तौड रेन्ज में उसके लैटर मेरे पास आये हैं, उसको गलत मानें या आपके स्टेटमेन्ट को ? पेड चोरी हुए हैं या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सेक्शन ३७९ पीनल कोड में इन्वेस्टीगेशन हुआ है। कल्प्रिट का पता नहीं लगा। फाइनल रिपोर्ट दे दी गई।

श्री अब्दुल जब्बार : किसकी नेग्लीजेन्स से कटे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नेग्लीजेन्स का पता नहीं चला। पेड छोटे थे, कोई काट कर ले गया।

श्री अब्दुल जब्बार : फोरेस्टर कार्य के के लिये मुकर्रर किये जाते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसके दो, तीन ब्लॉक अधिकार में होते हैं, लम्बे चौडे जंगल हैं और बडे बडे दरख्त हैं। छोटे छोटे पेड कौन किस समय काट कर ले जाय, इसकी विजीलेन्सी बड़ी मुश्किल है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : चन्दन के पेड काटे जाते हैं इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : कब से डिक्लेयर किया है आपने कि चन्दन के पेड को कोई नहीं काट सकता है और उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : डिक्लेरेशन का सवाल नहीं है। नये नये पौधे होते हैं उनकी रक्षा करना सरकार आवश्यक समझती है और यह प्रोटेक्शन ले रखा है।

श्री विजयसिंह झाला : कितने अर्से से ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह हमारी व्यवस्था का प्रश्न है। डिक्लेरेशन नहीं है। व्यवस्था को लागू करने की सोच रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या बिना लाइसेन्स चन्दन का विजनेस नहीं किया जा सकता है? पहले से प्रोटैक्टेड थे या अब किये जा रहे हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हमारे दरख्त हैं। व्यापार का सवाल नहीं उठता। हम डवलप करना चाहते हैं इसलिये प्रोटेक्शन उनका करना चाहते हैं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री अब्दुल जब्बार : फोरेस्ट पर सुपरविजन किसका है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि चन्दन के पेड जो विजयनगर रेन्ज में हैं उनकी कभी गिनती वन-विभाग द्वारा हुई है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो आप किस प्रकार से संरक्षण बढा रहे हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब हम सतर्क हुए हैं। पहले बहुत स्केर्टड थे इसलिये अन्दाज नहीं लगा सकते थे। अब सतर्क होकर के प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं?

प्राईमरी हेल्थ सेन्टर-मालाखेडा पंचायत

३७९. **कुमारी उमा माथुर** (राजगढ): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि करीब डेढ-दो साल से मालाखेडा पंचायत ने प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के भवन के लिये राज्य सरकार के पास १०,०००) रु० जमा करा रखे हैं?

(२) क्या यह सही है कि जनवरी अथवा फरवरी, सन् १९६२ में अलवर पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा इस भवन निर्माण के लिये टेन्डर आदि भी मन्जूर कर लिये गये थे?

(३) क्या यह सही है कि इस भवन के अभाव में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर किराये के टूटे-फूटे भवन में चल रहा है और उसका किराया पंचायत को देना पडता है?

(४) यदि हां, तो यह भवन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है और इसके कारण मालाखेडा पंचायत को जो हानि हो रही है उसे राज्य सरकार किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। १०,०००) रु. राज्य सरकार के पास जमा नहीं करा रखे हैं; बल्कि पंचायत समिति के परसनल डिपोजिट एकाउन्ट में ३१-३-६१ को जमा हुए हैं।

(२) जी नहीं। मई, १९६२ में टेन्डर मन्जूर हुए थे।

(३) जी हां।

(४) बजट में कटौती व नये निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप उक्त भवन नहीं बनाया गया।

किराया जो पंचायत दे रही है उस नुकसान को पूरा करना राज्य सरकार के लिये आवश्यक नहीं है।

कुमारी उमा माथुर: यह कब तक बनाया जायगा?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : नये भवन निर्माण करने का सरकार जब निर्णय करेगी तब बनाया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत नागौर जिले में धनराशी

३८०. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत नागौर जिले में सन् १९६१–६२ में कुल कितनी धनराशि दी गई व किन किन गांवों में कितनी कितनी धनराशि दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री, विकास (श्रीमती कमला वेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगले टर्न पर दे सकूंगी।

मावली तहसील में बांध के अधूरे कार्य की पूर्ति

३८१. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) [श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मावली तहसील में नाहर मगरा के पास नांदवेल के पास एक छोटा सा बांध का कार्य अधूरा पडा है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) इस बांध पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नही है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) इसकी जानकारी प्रारम्भिक जांच के बाद दी जा सकेगी।

श्री भैरोंसिह : क्या आपको किसी बांध के होने की जानकारी नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कलैक्टर से कागजात आये हैं उसके अनुसार जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आपके विभाग को यह जानकारी है या नहीं कि वहां पर कोई बांध है या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी: विभाग को जानकारी नहीं है, कलैक्टर को लिखा गया है।

श्री भैरोंसिह : सरकार बांध बनाती है और माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं कि बांध है या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : अफसोस है कि माननीय सदस्य समझे नहीं।

श्री भैरोंसिह : सरकार जिस कार्य पर पैसा खर्च कर रही है, प्लान्स एक्जीक्यूट कर रही है लेकिन मिनिस्टर महोदय को पता नहीं कि बांध वहां है या नहीं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : यह नहीं कहा। हमने बनाया नहीं; यह कहा है।

श्री भैरोंसिह : आप इनको समझा दीजिये ताकि वे ठीक प्रकार से जवाब दें ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने जानकारी दी है वह सही है।

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार यह बता सकती है कि वहां बांध है या नहीं ? बांध है तो वह विभाग की जानकारी के बिना कैसे बना ?

श्री दिनेशराय डांगी : कलैक्टर से जानकारी प्राप्त करके बताया जा सकता है।

श्री भैरोंसिह : आपको पता कैसे नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आपको साफ कहना चाहिए कि इरिगेशन विभाग का तालाब नहीं।

Page No 19

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग को इसकी जानकारी नहीं। ईरिगेशन विभाग का तालाब नहीं। ईरिगेशन विभाग को जानकारी नहीं। ऐसा लगता है पंचायत का तालाब हो सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तालाब हो सकता है, पंचायत समिति का तालाब हो सकता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करने के लिये ही तो प्रश्न पूछा गया है। आप देख लेते, बांध है या नहीं, आपके चार्ज में है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूचना विभाग को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर गलत है। आपके चार्ज में बांध नहीं है तो आप यह कह सकते हैं हमारे चार्ज में नहीं है, रेवेन्यू विभाग के चार्ज में है या अन्य जिस विभाग के चार्ज में हो–वैसा कहना चाहिए।

श्री भीखाभाई : हमारे विभाग का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी उत्तर ठीक नहीं। ऐसी चीज है या नहीं, यह भी तो आपके विभाग को जानकारी नहीं है। We wanted information.

श्री भीखाभाई : It is not........

श्री अध्यक्ष : Don't try to white wash the department's activities. They should have gone to the spot and enquire आप महरबानी करके ऐसा उत्तर दीजिये कि आपके चार्ज में है या पंचायत समिति के चार्ज में; यह आपको बताना चाहिए।

(विराम)

नेक्स्ट।

रायपुर बांध, तहसील नीम-का-थाना

३८२. **श्री छोटूराम** (नीम-का-थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रायपुर बांध तहसील नीम-का-थाना जिला सीकर में जो कार्य चल रहा है, उसको चलते हुए करीब दो साल हो गये हैं ? इसे पूरा होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

(२) क्या यह सत्य है कि जो समय दिया गया था वह पूरा हो गया और काम पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि एक ठेकेदार द्वारा बांध का काम करते हुए भी उसके काम को रोक कर टेण्डर मंगवाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी नहीं ? यह कार्य ४-१-६२ में आरम्भ किया गया था। इसकी सन् १९६४ की बरसात के पूर्व पूरा होने की आशा है।

(२) जी नहीं। कार्य प्रगति पर है।

(३) मौजदा ठेकेदार की प्रगति असंतोषजनक होने के कारण टेण्डर मंगवाये गये थे। उसके काम को अभी तक रोका नहीं गया है।

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष : श्री जगनसिंह।

(अनुपस्थित)

ग्राम मवासा, तहसील लाडपुरा का नाला

३८४. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मवासा,

(कुंवर श्री महेन्द्र सिंह)

तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के मवासा केथून के रास्ते पर एक नाला पड़ता है, जिसमें नहर का पानी आने से नाला करीब ३ फीट गहरा मुतवातिर बहता रहता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नाले के बहते रहने से रास्ता करीब करीब बन्द हो गया है, यदि हां, तो फिर क्यों नहीं इसे पक्का बनाया जाता ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । नाले में थोड़ा पानी होने के कारण इसको पार करने में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है । पक्का बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह: यह थोड़े पानी से क्या मतलब है ?

श्री दिनेशराय डांगी : बरसाती पानी से दिक्कत होती है ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : मैंने निवेदन किया सिपेज का पानी उसमें डाला जाता है जो तीन फीट गहरा करीब बहता है । क्या आपके कहने से गहरा नहीं बहता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसा है कि कुछ तो बरसाती पानी होता है और कुछ सिपेज का पानी उसमें आ जाता है इससे करीब ३ फीट हो जाता है । पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को लिखा था उन्होंने नहीं बनाया ईरिगेशन डिपार्टमेंट बनाले इस नाले को; यह कहा गया ।

श्री **अध्यक्ष** : बहुत धन्यवाद ।

रतनगढ़ के अस्पताल

: ३८५. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में चूरू जिले का हैल्थ एण्ड मेडीकल का जिला स्तरीय कार्यालय है तथा मरदाना तथा जनाना अस्पताल "प्रथम श्रेणी" के बने हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि रतनगढ़ मरदाना अस्पताल में १० डाक्टरों की पोस्ट्स स्वीकृत है जिनमें से इस समय केवल २ डाक्टर मौजूद हैं ? यदि हां, तो ८ स्वीकृत पोस्ट खाली रहने का क्या कारण है और इसकी पूर्ति कब तक की जावेगी ?

(३) क्या रतनगढ़ में इस वक्त कोई फिजिसियन डाक्टर है ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

(४) क्या रतनगढ़ के बृहत अस्पताल में सिर्फ एक लेडी डाक्टर है और वह भी अस्वस्थ रहने के कारण शहर में रोगियों को देखने नहीं जा सकती और जिससे जन-साधारण को बहुत बड़ी तकलीफ है ? क्या राज्य सरकार एक लेडी डाक्टर और भिजवाने की व्यवस्था करेगी ?

(५) उक्त दोनों अस्पतालों में प्रथम श्रेणी के कम्पाउण्डरों की कितनी पोस्ट स्वीकृत हैं तथा उक्त दोनों अस्पतालों में कितनी सीट हैं और कितनी सीटों पर एक प्रथम श्रेणी का कम्पाउण्डर रहना चाहिए ?

(६) क्या यह सच है कि रतनगढ़ में जनाना तथा मरदाना दोनों अस्पतालों के कॉटेज वार्ड सेठों ने इस शर्त पर बनाये थे कि उक्त काटेज वार्डों से प्राप्त आय उक्त अस्पतालों के असहाय मरीजों की दवाईयों में लगती रहेगी ?

(७) क्या उक्त शर्त का कोई लिखित शर्तनामा हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसकी

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
पाबन्दी होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, परन्तु मरदाना एवं जनाना हॉस्पीटल, रतनगढ़ दोनों ही प्रथम श्रेणी के अस्पताल नहीं हैं ।

(२) जी नहीं । मरदाना अस्पताल रतनगढ़ में ४ डाक्टर के पद स्वीकृत हैं जिनमें एक डाक्टर का स्थान रिक्त हैं ।

(३) जी हां । मरदाना अस्पताल, रतनगढ़ में डॉ. एम० पी० मनचन्दा सी. ए. एस., (एम. डी.) कार्य कर रहे हैं ।

(४) इस प्रकार की कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है । डॉ० (मिस) के० पी० पन्निकर दिनांक २१-२-५८ से कार्य कर रही हैं । एक लेडी डॉक्टर का रिक्त स्थान हैं । लेडी डॉक्टर उपलब्ध होते ही रिक्त स्थान की पूर्ती की जा सकेगी ।

(५) उक्त दोनों अस्पतालों में प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डरों का कोई प्रावधान नहीं हैं ।

रतनगढ में जनाना व मरदाना दोनों अस्पतालों में कॉटेज वार्ड हैं । एस० एम० जालान हॉस्पीटल में कॉटेज वार्ड सेठ सूरजमल नागरमल जालान ने बीकानेर स्टेट के समय बनवाये थे । बीकानेर स्टेट गवर्नमेन्ट की स्वीकृति के अनुसार इन कॉटेज वार्ड से प्राप्त हुई आय कॉटेज वार्ड के इम्प्रूवमेन्ट में व रतनगढ अस्पताल की जनरल चेरिटी के लिये काम में ली जा सकेगी ।

सेठ रामविलास भुवालका महिला चिकित्सालय में कॉटेज वार्ड सेठ रामविलास भुवालका के द्वारा बनाया गया हैं और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दान-पत्र के अनुसार इस कॉटेज वार्ड से प्राप्त आय को निम्नलिखित कार्यों के लिये खर्च किया जा सकेगा (१) कॉटेज वार्ड की मरम्मत व मेन्टीनेन्स के लिये, (२) कॉटेज वार्ड को चालू रखने के लिये पानी व बिजली के खर्च के लिये, तथा (३) अस्पतालों के इनडोर बीमारों को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये ।

(७) राज्य सरकार के दान-स्वीकृति-पत्र में उल्लेख कार्यों के लिये कॉटेज वार्ड किराये की आय उपरोक्त प्रश्न (६) के उत्तर में दिये गए कार्यों में खर्च की जाती हैं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : प्रश्न (४) के उत्तर में बताया हैं कि वहां दो पद हैं । मैंने पूछा हैं डॉक्टरनी शहर में जाती नहीं । सीरियस केस भी हों तो नहीं जाती, तो और किसी डॉक्टरनी को भेजने का सरकार प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं आपका आशय समझी नहीं ।

एक माननीय सदस्य : मारवाड़ी में कहिये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : डॉक्टरनी बठे हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! इनका कहना हैं कि वहां जो डॉक्टरनी हैं वह शहर में नहीं जाती है, इसलिये वहां के लोगों को सुविधा नही मिल पाती इस बारे में व्यवस्था की जाय ।

श्री मती प्रभा मिश्रा : इस बारे में व्यवस्था की जायगी ।

Page No 22

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): पिछले वर्ष में वार्ड्स से कितनी आय हुई, आप बता सकते हैं ? वार्ड्स की आय वहां उपयोग में नहीं आती, इसकी भी आप जांच करलें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजगढ, जिला चूरू के बाजार में साप्ताहिक छुट्टी

३८६. **श्री रावतराम** (सादूलपुर-सु): क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में कितनी जन संख्या वाले कस्बों में बाजार की साप्ताहिक छुट्टी रखना सरकार ने स्वीकृत किया है और ऐसे कितने कस्बे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने अब १५ हजार तक की जन संख्या वाले कस्बों में भी बाजार की साप्ताहिक छुट्टी रखना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो ऐसे कस्बों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) राजगढ जिला चूरू के कस्बे की कितनी जन संख्या है और वहां क्या सरकार साप्ताहिक छुट्टी रखना स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : २५,००० और इससे ज्यादा जनसंख्या वाले कस्बों में । सूची संलग्न है ।

(२) जी हां, अन्य ३८ कस्बों में जिनकी जनसंख्या १०,००० से ऊपर है । साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान लागू करने का सरकार का विचार है । इनकी सूची संलग्न है ।

(३) राजगढ, जिला चूरू की जनसंख्या १८,१३६ है । जी हां, जल्दी ही लागू करने का का विचार है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री रावतराम : जल्दी कब तक करने का विचार है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बहुत जल्दी ।

प्रतिकर (कम्पेन्सेशन) की दरें

३८७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(1) Is it a fact that the rate of compensation paid to cultivators is different under different projects for the same type and class of lands.

(2) What rates are being paid as compensation for lands acquired by the Government under the Chambal, the Kali Sind, the Parwan, the Alniya and the Ujjar (Bhim Sagar) Projects of Kota Division respectively ?

(3) Is it a fact that cultivators have not received any compensation for their lands acquired under various canal systems years ago, specially the Bhim Sagar and the Kali Sind Projects ?

(4) How long will it take to finalise all claims for compensation.

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन अंग्रेजी में आया है, पर जवाब हिन्दी में दूंगा, यह तो सरकार की नीति है न ?

(१) भूमि का मुआवजा जैसा कि लैण्ड एक्वीजीशन ऑफीसर या जिलाधीश द्वारा आता है उसी के अनुसार दिया जाता है।

(२) चम्बल प्रोजेक्ट में ८० गुना लगान का व १० प्रतिशत अधिक दिया जा रहा है। काली सिंध ६०)-१४०) रुपया प्रति बीघा।

परवान ६०)-१४०) रुपया प्रति बीघा।

आलनिया ६०)-२००) रुपया प्रति बीघा। भीम बादर का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है।

(३) जैसे जैसे अवार्ड आते जाते हैं उनका चुकारा किया जाता है। भीम डागर के एवार्ड जिलाधीश से नहीं आये हैं। आते ही चुकारा कर दिया जावेगा।

काली सिंध के चुकारे की कार्यवाही की जा रही है जो शीघ्र ही चुका दिया जायगा। आलनिया का चुकारा किया जा रहा है।

(४) अवार्ड के आने पर चुकारे की शीघ्र कार्यवाही की जाती है। जैसे ही अवार्ड आवेंगे वैसे ही चुकारा कर दिया जावेगा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब तक चुका दिया जावेगा क्योंकि यह अवार्ड पर निर्भर है।

श्री **जुझारसिंह** : यह अवार्ड में धन राशि का जस्टिफिकेशन कौन करता है ? कलक्टर या एक्वीजीशन ऑफीसर ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : This is altogether a different question.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अवार्ड का क्या प्रोसीजर है ?

श्री भीखाभाई : According to Land Acquisition Act.

श्री जुझारसिंह : काली सिन्ध में प्रति बीघा का जो कम्पेन्सेशन दिया है यह सही नहीं है ?

श्री भीखाभाई : जो उत्तर में दिया है वह सत्य है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : खानपुर तहसील में क्यों नहीं दिया गया ? इधर आया उधर चुका दिया। इस तरह का पहले जो जवाब दिया था गलत दिया था, अभी तक नहीं दिया जा रहा है।

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न अलग से पूछ लिया जावे तो अच्छा है।

श्री जुझारसिंह : आपने बताया ६० से १४० तक दिया जाता है वहां १५) २०) खानपुर में मुआवजा का दिया गया है, ६०) १४०) का मुआवजा नहीं दिया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्या मन्त्री महोदय यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि किन किन की जमीन डूबती है इसकी जानकारी प्राप्त करके उनको जितना कहा जाता है उतना ही मुआवजा देने की व्यवस्था करें ?

श्री भीखाभाई : जी हां। यह कर्त्तव्य है कि सरकार यह देखे कि किस किस की जमीन डूब में आती है और इसके लिये तहसीलदार, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एग्रीकल्चर इन्जीनियर

(श्री भीखा भाई)
और क्लेक्टर आदि मौके पर जाकर सब देख कर नियमानुसार अवार्ड तैयार करते हैं। इसके नियम बने हुए हैं और यह लैंड एक्वीजीशन के अफसर के कहने के अनुसार अवार्ड बनाते हैं, रकम दी जाती है और वह मुआवजे की रकम क्लेक्टर के पास भेजी जाती है। वह उनको मिलती है। अगर नहीं मिलती है किसी को तो स्पेसिफिक इन्स्टान्स लाई जाने पर जांच कराई जा सकती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लैंड लॉर्ड को उचित समय में मुआवजा मिल जाय, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसों तक नहीं मिलती और कोई उचित ढंग से सन्तोषजनक व्यवस्था सरकार करने की, मैं समझता हूं, कि चेष्टा ही नहीं करती। यदि ऐसी व्यवस्था है तो फिर क्या कारण है इसका कि लोगों को पूरा मुआवजा समय पर नहीं मिलता और वह भी पूरा नहीं मिलता।

श्री भीखा भाई : देरी में सरकार का कसूर नहीं रहता है। कुछ जमीन वाले ही यह चाहते हैं कि उनको पैसा नहीं मिले, जमीन मिले और इसलिये खुद सरकार के रास्ते में जल्दी करने में अड़चन डालते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कालीसिंध की जमीनें पिछले दस साल पहले एक्वायर की गई है, क्या यह समय काफी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डामटी के पास बान्ध

३८८. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या मांडलगढ क्षेत्र में डामटी के पास बान्ध बनाने का सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो इस योजना में कितनी रकम व्यय होगी और इसके निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी हां, योजना की लागत व निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के विषय में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; क्योंकि योजना का तखमीना अभी तैयार नहीं हुआ है।

श्री गणपतिलाल वर्मा : कब तक हो जावेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : बहुत जल्दी हो जायगा।

प्रश्न संख्या ३८९

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

ग्राम ठठोरा तहसील हिन्डौन में डिस्पेन्सरी

३९०. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम ठठोरा, तहसील हिण्डौन में डिस्पेन्सरी को खुले हुए कितना समय हो चुका है व उसमें कितने कर्मचारी कार्य करते हैं तथा उनका मासिक वेतन कितना है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां पर मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं

Page No 25

(श्री श्रवणलाल)
है ? यदि हां, तो क्यों और अब वहां कब तक दवाइयां पहुंचाई जावेंगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) ग्राम ठठोरा तहसील हिण्डौन में डिस्पेन्सरी नहीं है। वहां पर सब सेन्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जो माह नवम्बर, १९६० से स्थापित किया गया है उसमें निम्न-लिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनका वेतन भी अंकित है:—

क्रम संख्या	पद	वेतन	भत्ता
१.	मिडवाइफ १	५३)	३०)
२.	आँग्जीलियरी हैल्थ वर्कर्स १	८५)	३५)
३.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी १	२५)	३०)

(२) मरीजों के लिए सब सेन्टर के आधार पर दवाइयों की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा चुकी है और आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डौन से करवा दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दवाइयों की व्यवस्था कर्मचारियों की नियुक्ति के कितने दिन बाद की गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सेन्टर के खुलने के साथ ही व्यवस्था होती है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो इसमें बताइये, इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसी बातें नहीं हुई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अगर ऐसी बात नहीं हुई इसमें तो जानकारी कर ली जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : अपॉइन्टमेंट तो पहले कर लिया और कई दिनों बाद दवाइयां आई वे दवाइयों की इन्तजार में वहीं बैठे रहे।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अब तो दोनों ही चीजें वहां हैं।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अब वहां मरीज नहीं हैं।

बस्ती सीतारामपुरा में भूमि अवाप्ति और प्लाट्स का आवन्टन

३९१. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बस्ती सीतारामपुरा में भूमि अवाप्ति के संबंध में कितने ही परिवारों की भूमि अवाप्त की गई है और किसे कितना कितना मुआवजा देना सरकार ने निश्चित किया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार ने जिन परिवारों से भूमि अवाप्त की है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए प्लाट अलाट करने का निश्चय किया है और यदि ऐसा है, तो किन किन व्यक्तियों को अब तक प्लाट अलाट किये गये हैं ? कृपया विवरण सदन के समक्ष रखें।

(३) क्या विस्थापित परिवारों में से एक परिवार को एक ही प्लाट दिया गया है या एक परिवार ने एक से भी अधिक प्लाट अपने नाम, अलाट कराये हैं।

(४) क्या प्लाट के अलाटमेंट के समय इस विषय का ध्यान रखा गया है कि

Page No 26

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज है उसे वही प्लाट अलॉट किये जावे ।

(५) क्या भूमि अवाप्त अधिकारी (लैन्ड एक्वीजीशन आफीसर) ने इस योजना में विस्थापित परिवारों को प्लाट अलाट किये जाने की सिफारिश की है और क्या राज्य सरकार इस सिफारिश के अनुसार ही कार्य कर रही है ?

(६) उक्त विस्थापित परिवारों में से किन किन व्यक्तियों को अब तक प्लाट अलाट नहीं किये गये हैं और क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) बस्ती सीतारामपुरा में १७४ परिवारों की भूमि अवाप्त की गई है। मुआवजे की सूची संलग्न है ।

(२) जिन विस्थापित परिवारों की भूमि अवाप्त की है उन्हें आवन्टन (अलाटमेंट) में प्राथमिकता दी गई है । इसमें से जिन व्यक्तियों को प्लाट दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(३) विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक ही भूखंड दिया गया है ।

(४) इस संबंध में यथासंभव प्रयत्न किया गया है ।

(५) जी हां और उसी सिफारिश के आधार पर ही विस्थापित परिवारों को आवंटन किये हैं ।

(६) विस्थापित ४२ व्यक्तियों जिनकी सूची संलग्न है अब तक प्लाट नहीं दिये गये हैं । इसका कारण यह है कि ३२ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए । शेष १० व्यक्तियों का मामला विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह जो अलाटमेन्ट का कानून आप बताते हैं यह फिजिकल अलाटमेन्ट है या जैसा रिकमन्ड किया है उसकी सूचना दी है ?

श्री दौलतराम सारण: जो अलाटमेण्ट हुआ है, वह है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप स्पष्ट करिये। अलाटमेन्ट के आर्डरस रिकमन्ड करके राज्य-सरकार के पास भेज दिये एक्वीजीशन आफिसर ने ताकि एक्चुअल फिजिकल अलाटमेन्ट हो जाय । अब इन दोनों में से कौनसी सूचना दी है, रिकमन्डेशन की मन्जूरी की, या एक्चुअल फिजिकल अलाटमेन्ट की ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार तो अलाटमेन्ट हो गया है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : तो इसे फिजिकल अलाटमेन्ट मानूं मैं ? आप कह दीजिये ।

श्री अध्यक्ष :फिजिकल अलाटमेन्ट से आपका मतलब कब्जे से है और मंत्री महोदय ने कहा है कि सेंक्शन हो चुका है इन-इन को ये ये प्लाट देने की ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्वीजीशन ऑफीसर ने जिस समय एक्वीजिशन किया उस समय यह भी कहा कि यह आल्टरनेट फलां जमीन है वह दी जा रही है और वैसी ही रिक-

Page No 27

(दुर्गालाल बाढ़दार)
मन्डेशन करके भेजी। इसके बाद में वाकई फिजिकल पजेशन न भी मिला हो पर यह अन्डरस्टेन्डिग थी कि फलां जमीन एक्सचेन्ज में मिल जावेगी फलां को। तो अब डिमार्केशन उस जमीन का होने के बाद में वह एक्चुअली उसके नाम अलाट हो गई फाइनली या मुआवजे में से कीमत रखली ऐसा हुआ है या रिकमन्डेशन मात्र है। यह था मेरा प्रश्न ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना से तो अलाटमेन्ट हो गया है।

(१२.०० मध्याह्न)

नगरपालिका नीम-का-थाना को आबादी भूमि का कब्जा

३६२. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका नीम का थाना को आबादी के लिए भूमि का कब्जा क्यों नहीं मिला है ?

(२) क्या यह मामला पांच वर्षों से विचाराधीन है ?

(३) क्या इस संबंध में सब आवश्यक कार्यवाही हो चुकी है ?

(४) यदि हां, तो भूमि नगरपालिका मिलने में क्या कठिनाई है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) प्रश्न विचाराधीन है।

(२) चार वर्ष से विचाराधीन है।

(३) अवार्ड की कार्यवाही बाकी है।

(४) अवार्ड संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर भूमि प्राप्त हो जावेगी।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : करीब ५ साल हो गये जमीन नहीं मिल रही है। उनके पास जमीन नहीं होने से काफी परेशानी है। यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री दौलतराम सारण : जल्दी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

कार्यालय के लिये भवन–गंगापुर

३६३. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर में असिस्टेन्ट कमिश्नर, सेल्स टैक्स व आबकारी विभाग के कार्यालय के लिए मकान अपर्याप्त हैं ?

(२) क्या गंगापुर कार्यालय से वार्षिक आय करीब ४५.५० लाख रुपया की है ? यदि हां, तो कार्यालय के लिए मकान न बनने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) :
(१) जी हां।
(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समय समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : थोड़े से ही प्रश्न रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

होम्योपेथी स्वास्थ्य विज्ञान की मान्यता

३६५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार होम्योपेथी स्वास्थ्य विज्ञान को मान्यता देने का इरादा

Page No 28

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या सरकार होम्योपैथी विज्ञान के आधार पर उपचार करने वाले लोगों को मेडीकल प्रेक्टिशनर्स में रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टिश्नर की हैसियत प्रदान करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) :(१) जी हां, सरकार अब भी होम्योपैथी डिस्पेन्सरीज चला रही है ।

(२) होम्योपैथिक अधिनियम विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :३९४ के बाद में ३९५ और ३९६ नहीं हुये ।

श्री अध्यक्ष : वापिस ले लेंगे उनको ।

श्री हरिदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज ।

न्याय पंचायत के सदस्यों को किराया तथा भत्ता

३७०. **श्री भगराज चौधरी** (रानी-खेड़ा) [श्री जुझारसिंह (चेटट) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि न्याय पंचायत के सदस्यों को न्याय पंचायत की बैठक में जाने के लिए किराया तथा भत्ता नहीं मिलता है जब कि पंचायत समिति के सदस्यों को मिलता है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि भत्ता व किराया नहीं मिलने की वजह से न्याय पंचायत के सदस्य अधिकांशतः बैठकों में उपस्थित नहीं होते ?

(३) क्या यह सही है कि न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है जिससे वे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार भविष्य में इस स्थिति को किस प्रकार सुलझाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) कहीं कहीं इस कारण से उपस्थिति कम रहती है ।

(३) सभी न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है पर कुछ-एक ऐसी अवस्था में अवश्य हैं ।

(४) न्याय पंचायत के सदस्यों को भी बैठक में भाग लेने के लिये उपस्थित होने का भत्ता दिया जाने व न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोर्ट फीस, तलबाना,

(श्री भवानी शंकर नन्दवाना)
जुर्माना आदि की आय न्याय पंचायतों द्वारा ही ली जाने के सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री जुझारसिंह : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब तक निर्णय न हो जाये।

श्री जुझारसिंह : न्याय पंचायतों से तो ग्राम पंचायतों की स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तो, फिर अलग से जुर्माना, फीस तलबाना आदि के इन्हीं को अधिकार दे दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम।

(अनुपस्थित)

श्री जाधसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

संवत् २०१२ के बजाय संवत् २०१३ के आधार पर खातेदारी

३९४. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जागीर पुनर्ग्रहण होने पर जागीर के गांवों में गश्त गरदावरी सरकार द्वारा संवत् २०१३ से शुरू की गई थी ? क्या यह भी सच है कि खातेदारी हक प्राप्त करने के लिये काश्तकार का कब्जा संवत् २०१२ से होना जरूरी है ?

(२) क्या यह सच है कि ऐसा होने से काश्तकारों का अपना वास्तविक कब्जा साबित करने के लिए गिरदावरी संवत् २०१२ की उपलब्ध नहीं होती है और ऐसा न होने से खातेदारी हक से वे महरूम रह जाते हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों के हित के लिए संवत् २०१२ के बजाय संवत् २०१३ के कब्जे के आधार पर खातेदारी देने के बारे में कानून में संशोधन करने का विचार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो सरकार इस कठिनाई को दूर करने के बारे में क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं, जागीर के करीब-करीब सब गांवों में गश्त गिरदावरी सम्वत् २०१३ के पूर्व भी होती थी। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा १५(१) के अनुसार प्रत्येक काश्तकार को, जो कि शिकमी (Sub-tenant) या खुदकाश्त आसामी (tenant of Khudkast) न हो, जिसका कब्जा १५-१०-१९५५ को था, खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। उक्त तारीख सम्वत् २०१२ में आती है।

(२) भाग (१) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) जी नहीं, अगर किसी जगह सम्वत् २०१२ का गिरदावरी रेकार्ड उपलब्ध

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं होता है तो काश्तकार को उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य मौखिक अथवा लिखित प्रमाण के आधार पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाते हैं। अतः इस संबंध में कठिनाई का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई :आपने बताया कि बहुत सी जगह हैं परन्तु जोधपुर डिवीजन में था। २०१३ के गिरदावरी रेकार्ड चले हुए हैं। आपने बताया है कि ज्यादातर राजस्थान में २०१३ के पूर्व भी होती थी जहां सैटलमेन्ट होकर असेसमेन्ट चालू हुआ था वहां सुविधा उपलब्ध नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जोधपुर, पाली और जालोर में सांचोर तहसील और जयपुर में ३ गांव सिकराय तहसील के २०१२ की गिरदावरी अवेलेबल नहीं है बाकी राजस्थान में सब जगह अवेलेबल है। जोधपुर के अन्दर गिरदावरी के अवेलेबल नहीं होते हुए भी खातेदारी के अधिकार दिये हैं इसी प्रकार सब जगह दिये जा रहे हैं। इस संबंध में ऐसे आदेश भी दिये जा चुके हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :क्या यह सच है आपने बताया कि १५-१०-५५ को जिसका कब्जा था उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। लेकिन इसके बाद जब तक जागीर रिज्यूम नहीं होती है तब तक जागीरदारों को पूरे अधिकार थे कि काश्तकारों को खातेदारी काबिज करा सकते थे और आज ऐसे काश्तकार खातेदार हैं और सरकार को उन्हें मानना चाहिए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह झाला।

नभागा बांध और मुआवजे का भुगतान

३९५. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा तहसील में बनास नदी के नभागा बांध में जिन जिन व्यक्तियों की जमीन व कुए आ गये हैं उनको अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को अब मुआवजा देना शेष है तथा वह कब तक दे दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) :(१) कुए और मकानों के पूरे मुआवजे चुकाये जा चुके हैं थोडी सी जमीन का बाकी है।

(२) केवल १५ व्यक्तियों को भूमि का मुआवजा देना बाकी है जो एवार्ड आते ही चुका दिया जायेगा।

श्री विजयसिंह झाला :१५ व्यक्तियों का जो बाकी है वह अब तक क्यों बाकी रहा जब कि उसको ७-८ साल हो गये बांध को बांधते ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं १५ आदमियों में से १ का सेशन्स कोर्ट में केस चल रहा है और १४ आदमी ऐसे हैं कि जो किसी विशेष भूमि की मांग करना चाहते हैं और वह मिलने वाली है नहीं इसलिये उनको 'इन कश' पैसा देने के लिए लिख दिया गया है २१-८-६१ को।

श्री विजयसिंह झाला : जिनकी जमीन तो डूब में आ गयी लेकिन कुआ रह गया। इस प्रकार के व्यक्तियों को कुओं का मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा कि जमीन और कुए का मुआवजा भी इसी में दे दिया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : अवार्ड में नहीं बना। केवल जमीन का बना है कुए को इसलिए छोड़ दिया गया है कि वह डूब में नहीं आता। जब जमीन ही डूब में आ गयी है तो कुए का मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए ?

श्री दिनेशराय डांगी : अगर आपके पास इस तरह की जानकारी हो तो आप लिखकर दें।

श्री अध्यक्ष :जानकारी तो दे रहे हैं। बाकी जानकारी और कर लें जिनकी जमीन डूब में आ गयी और कुए भी ले लिये हैं तो उसकी कार्यवाही कर लें।

श्री हीराभाई।

तहसील कुशलगढ के क्षेत्र में बांध

३९६. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला बांसवाडा के तहसील कुशलगढ के एरिये में अणाम नदी के एनी कट बांध, बान्ध कर सिंचाई करने की सरकार की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो उक्त योजना भारत सरकार की ओर से है या राज्य सरकार की ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त एनी कट बांधों का सर्वे भी हो गया है ? अगर हां, तो कब तक कार्य शुरू कर दिया जायेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई, (श्री दिनेशराय डांगी) :(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीराभाई :वहां खड्डे खुद रहे थे। क्या बात है। चीन के हमले के लिए थे ?

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य उछलकर पूछ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि आपने सिंचाई की योजना के लिए कहा है। सिंचाई की योजना अभी तक सरकार ने वैसे नहीं बनायी ?

श्री अध्यक्ष :तो फिर कैसी योजना है ?

श्री दिनेशराय डांगी :वह विद्युत् की योजना है जिसके लिए आपने प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी बता दें अगर आपको मालूम हो तो।

श्री मुरलीधर व्यास।

गाडोलिया लोहार व हरिजनों को मकान बनाने के लिये सहायता–जिला बीकानेर

३९७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले से मकान बनाने के लिए गाडोलिया लोहार व हरिजनों ने जो सहायता मांगी है उसमें से इस वर्ष अब तक कितनी सहायता दी गई ? यदि नहीं दी गई तो क्यों ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : बीकानेर जिले से गाडिया लोहार व हरिजनों के मकान बनाने के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उसकी सूची

(श्री मुरलीधर व्यास)

सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से गंगाशहर के २४ हरिजन परिवारों को ७५० रुपये प्रति परिवार सहायता देने की स्वीकृति दे दी गई है। शेष प्रार्थना-पत्र अधूरे होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : जो सूची में बताया गया कि उनके प्रार्थना-पत्र पूर्ण नहीं होने से उनको नहीं मिली तो प्रार्थना-पत्र कब लौटाये गये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस समय मैं यह नहीं कह सकती लेकिन वापिस दिये गये उसकी डेट है मेरे पास। जहां तक गाडिया लोहारों का प्रश्न है दो बार १७-८-६२ को और १९-८-६२ को लिखा गया। उसके बाद अधिकारी ने स्वयं ने बीकानेर में उस स्थान पर जाकर कलेक्ट करवाकर प्रस्तुत किये वह इस प्रकार हैं :—

१९-९-६२ को जिस अधिकारी को भेजा गया उसने गाडिया लोहारों की बस्ती में जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित किया उन एतराजों की पूर्तिहेतु। कुछ लोग बीकानेर से बाहर गये हुए थे और कुछ लोगों ने कहा कि फार्म्स हमने तो भर दिये हैं लेकिन ये फार्म्स हमने मुरलीधरजी की मारफत दिये हैं उनके आने पर पूर्ति की जायगी। फिर कुछ दिन बाद उनसे और सम्पर्क स्थापित किया गया तो पता चला कि वे अब तक पेन्डिंग पडे हैं, पूर्ति होने पर संचालक को भेजेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : गाडिया लोहारों को फार्म्स भरने नहीं आते। एक दफा मने खद ने भर कर दिया। फिर लिखा कि म्युनिसिपल चेयरमेन के हस्ताक्षर होने चाहिए। वहां पर म्युनिसिपल चेयरमेन है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर गोयल साहब के साइन उस पर मौजूद थे और सिटी मजिस्ट्रेट से तसदीक करवादी थी वह भी मौजूद है। हर प्रकार से कार्यवाही पूरी करने के बाद भी वापिस लौटा दिया। अभी फिर दिया था तो वापिस लौटा दिया। अगर आप इस को छोटी सी बात समझते हैं तो इधर उधर लौटाते रहेंगे तो किस प्रकार राहत देंगे।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसीलिये तो स्थान पर जाकर पूर्ति करवाने की कोशिश करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कोशिश की तो फिर फार्म्स आपके पास क्यों नहीं आये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वे उपलब्ध नहीं हो सके क्योंकि माननीय सदस्य के पास थे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने कलेक्टर से कहा कि इस प्रकार ये नहीं करते तो आप देख लीजिये और अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के पास आप भेज दीजिये। कल उनकी मीटिंग हुई होगी, इस बारे में क्या हुआ क्या नहीं इसका मुझे पता नहीं लेकिन बिना किसी कारण भेज दिया इसकी जांच कराई जाय कि इधर उधर बिना कारण क्यों भेजते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। क्या सरकार विचार करेगी, फार्म्स आयेंगे तब तक ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : निश्चित ही।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का नियम है कि उनको सीधा लाया जाय ... ...

श्री अध्यक्ष : हमदर्दी भी लाई जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जहां हरिजनों की संख्या ज्यादा है उनकी संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जाय सहायता देने के लिये। लेकिन होता क्या है कि जहां संख्या ज्यादा होती है वहां पूरी सहायता नहीं दी जाती और जहां कम संख्या है वहां दी जाती है इसलिये हरिजनों की आबादी के आधार पर सहायता दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर बहस।

(१२.१५ म.प.)

सीमा की परिस्थितियों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त अधिवेशन बुलाने विषयक।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना जो मैंने भेजी थी उसके बारे में आपका निर्णय कल मुझे प्राप्त हुआ और उसमें आपने यह आब्जेक्शन किया है कि इस पर बहस होना लोक हित के विरुद्ध है। मैं नम्रता से यह मालूम करना चाहूंगा कि यह राय आपकी है या यह राय वही है जो सरकार ने आपको दी है और सरकार की राय को आपने जाहिर किया। क्योंकि यह मालूम करना आवश्यक है इसलिये मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जो राय जाहिर की है कि यह लोक हित के विरुद्ध है, यह सरकार की राय है, या आपकी राय है ?

श्री अध्यक्ष : यह न तो व्यवस्था का प्रश्न है और न पॉइन्ट आफ आर्डर का। आपको जो सूचना दी है वह इसलिये दी थी कि सदन में जिसके लिये आपने प्रस्ताव रखा उस बारे में उचित नहीं समझा कि सरकार यह जानकारी दे। उन्होंने जो परिस्थिति मुझे बताई, उनके जो विचार थे मैंने उन पर सहमति प्रकट की।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन तथ्यों के बारे में प्रस्ताव है उन तथ्यों के बारे में अखबारों में प्रकाशित हो चुका है; इसलिये इन खबरों को लोक हित के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। यदि लोक हित के विरुद्ध थी या है तो अखबारों में छपने से रोकना चाहिए था। अब यदि वह खबर अखबारों में छप गई और आपको भेजी जा चुकी थी तो इसको रिजेक्ट करने के साथ आप मंत्री महोदय को आदेश दे सकते हैं कि वे स्टेटमेन्ट सदन में दें, प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : कल दिन भर बहस हुई थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी चर्चा नहीं हुई। जब आपने फर्मा दिया कि लोक हित के विरुद्ध है इसलिये हमने अवोइड किया। या तो गवर्नमेन्ट सीक्रेट सेशन बुलावे और ऐसे कौनसे प्रश्न हैं जो लोक हित के विरुद्ध हैं उनके बारे सदन को बतायें या सदन को नहीं बताना चाहें तो पार्टीज के जो रिप्रेजेन्टेटिव हैं उनको कान्फिडेन्स में लें और उनको बतावें। बोर्डर पर डकैतियां होती हैं, अपहरण की घटनाएं नित्य होती हैं उनके बारे में क्या करना चाहिये, सरकार की नीति स्पष्ट है या नहीं, हम क्या सुझाव दे सकते हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको सरकार कान्फिडेन्स में ले, इस बारे में सरकार

(मानिकचन्द सुराणा)
का दृष्टिकोण क्या है, यह बतावें। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में फरमावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने बात कही कि सीक्रेट सेशन इस सदन का बुलाया जाय। इस संबंध में मेरे पास पहले भी माननीय सदस्यों ने आवेदन भेजा था और कहा था। लेकिन माननीय सदन के नेता और गृह मंत्री जी से बातचीत करने के बाद यह निश्चय हुआ कि इस तरह का अधिवेशन बुलाना इस समय उचित प्रतीत नहीं होता, न आवश्यक। इस संबंध में सरकारी पक्ष की ओर से माननीय सदस्य जो विभिन्न पार्टीज के प्रमुख सदस्य हैं यदि उनको ब्रीफिंग जैसा दिया जा सके, ऐसे तथ्य बता सकें, जो सामान्य तौर से सदन के सामने नहीं रख सकते उसके लिये सरकार सहमत है। जो माननीय सदस्य चाहते हैं, यदि आपकी अभिलाषा है और जानना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर से बुलाकर बता दिया जाय तो सरकार तैयार है। मैं स्वयं मुख्तलिफ विवादों के बारे में एक आयोजन करने का विचार करता हूं उसके लिये आपको सूचित करेंगे।

(१२.१६ म. प.)

मांग संख्या ३४, २३ व २४ वन श्रम और नियोजन व सामाजिक तथा विकासीय संगठन

श्री भीखाभाई (वन एवं श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८४,७२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,५०,००० रु० की राशि प्रदान की जावे।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३२,६१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

(उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये) :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

१. Demand No. XXXIV, Major Head 70—Forest be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to preserve and promote forests and to husband its income).

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) :
मांग संख्या ३४

१. Demand No. XXXIV, Major Head 70—Forest be reduced by rupee one (to discuss of the illegal occupation of the Lands of Poor villagers of Merwara by the Forest Department).

२. Demand No. XXXIV, Major Head 70—Forest be reduced by rupee one (to discuss the grievances of the rural population living near Government Forest areas).

Page No 35

(श्री कुमारानन्द)

मांग संख्या ३४

३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन सम्पदा का उचित उपयोग करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २३

४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (ब्यावर में कपडा मिलों के मजदूरों को बढे हुए मंहगाई सूचक अंक के अनुसार मंहगाई भत्ता न देने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (सादूल टैक्सटाईल लेबर यूनियन श्री गंगानगर के जनरल सैक्रेट्री को मिल मजदूरों की कालोनी में न आने देने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (औद्योगिक विवादों को औद्योगिक न्यायालय को सुपुर्द (Refer) करने में अनुचित विलम्ब करने पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम अदालतों की संख्या बढाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

८. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss the need of abolition of the office of the Assistant Regional Labour Commissioners).

९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा अन्य यूनियनों के साथ सौतेला व्यवहार और इन्टक को पक्षपात करके बढावा देने पर बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १०० रु० की कटौती की जाय (पाली म श्री उम्मेद टैक्सटाइल मिल के मजदूरों को बोनस दिलाने में सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति पर बहस करने हेतु)।

११. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जज लम्बे अरसे तक नियुक्त न करने पर बहस करने हेतु)।

१२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों को लागू कराने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

१३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम कानूनों के तहत बने राजस्थान नियमों का प्रकाशन न करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की

Page No 36

(श्री कुमारानन्द)
कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

१५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम कानूनों को लागू करने में सरकार की असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

१६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (subsidized Industrial Housing Scheme के तहत मजदूरों के लिए बने मकानों के किराये में कमी करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

१७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (Subsidized Industrial Housing Scheme के तहत मजदूरों के लिए मकान बनाने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

१८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यूनतम वेतन निर्धारित करने में राज्य सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति पर बहस करने हेतु)।

१९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में त्रिदलीय समितियों के प्रति उपेक्षा पर बहस करने हेतु)।

२०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन करने में अनुचित विलम्ब पर बहस करने हेतु)।

२१. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss on the miserable plight of the Textile workers in Rajasthan).

२२. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss on the quarters for Labour in Industrial area in Rajasthan).

२३. Demand No. XXIII, Major Head 3.—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss on the behaviour of certain officials towards labourer).

२४. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupees one(to discuss the failure of the Government to appoint a special High Court Judge on the Bonus issue of Pali mill.

२५. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one(to discuss the failure of the Government to appoint Judge in the Industrial Tribnal)

२६. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one) to discuss about the failure of the Government to solve the Labour problems in Rajasthan).

Page No 37

(श्री कुमारनन्द)

२७. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss about the unemployment in Labour and their deplorable condition).

२८. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss adult education of labour).

२९. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one(to discuss on retrenchments of workers and closing of night shift in mills by the Employers after Tripartite agreements.)

३०. Demand No.XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss on Labour Welfare Centres in Rajasthan).

३१. Demand No.XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss on medical facilities provided to Labourers).

३२. Demand No. XXIII, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss on Industrial Court for Labourers).

१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

मांग संख्या ३४

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (जिसमें वन श्रमिक सहकारी के नाम पर सरकारी रक़म का दुरुपयोग करने पर विचार करने हेतु) ।

२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग के अधिकारियों की बपरवाही, गैर जिम्मेदारी व भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु) :

३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (वनकरण योजना के लागू होजाने से जनता की कठिनाइयों पर विचार करने हेतु) ।

मांग संख्या २४

४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १००) रु० की कटौती की जाय (अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

५. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १००) रु० की कटौती की जाय (गाड़िया लुहार बस्ती छात्रावास के नाम पर रक़म का दुरुपयोग करने पर बहस करने हेतु) ।

६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (समाज कल्याण विभाग में अनियमितता रोकने पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (समाज कल्याण में संतोषप्रद प्रगति न होने के कारण पर बहस करने हेतु) ।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मांग संख्या २३

८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर तथा लाखेरी में किये गये (Wage Board) के फैसलों पर अमल न किये जाने की स्थिति पर बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (Labour Laws को लागू करने में सरकारी कोताई पर बहस करने हेतु) ।

१०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (Labour Tribunal में हजारों केसेज Pending होने के बावजूद (Tribunal) जज नियुक्त करने में देरी पर बहस करने हेतु) ।

११. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (त्रिदलीय सम्मेलन तथा उसके फैसलों के सम्बन्ध में सरकार के गलत रुख पर बहस करने हेतु) ।

१२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००)रु० की कटौती की जाय (मजदूरों के हितों के श्रम विभाग की उपेक्षा पर बहस करने हेतु) ।

१३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और विनियोजन में१००) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों की दयनीय स्थिति, मकानों का अभाव, चिकित्सा व अन्य अभाव अभियोगों पर बहस करने हेतु) ।

१४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००)रु० की कटौती की जाय (गृह निर्माण समिति की उपेक्षा करके उनको प्रोत्साहन नहीं देने पर बहस करने हेतु) ।

१५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात करने पर श्रम विभाग के ध्यान न देने पर बहस करने हेतु) ।

१६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (सीमेंट वर्क्स लाखेरी के पेकिंग विभाग व कोल विभाग में मजदूरों की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

१७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय श्रमिकों की भलाई के लिये कार्यों में संतोषप्रद प्रगति न होने के कारण पर बहस करने हेतु) ।

१. श्री जुझारसिंह: (चेचट)

मांग संख्या ३४

Demand No. XXXIV, Major head 70-Forest be reduced by rupee one (to discuss administrative inefficiency of the Department).

Demand No. XXXIV, Major head 70-Forest be reduced by rupee one (to discuss the policy of afforestation and preservation of forests etc).

Demand No. XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by rupee

(श्री जुझारसिंह)
one (to discuss that the Forest Settlement Department should be independent of the Forest Administration).

Demand No. XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by rupee one (to discuss inconvenience of obtaining Forest produce for cultivators).

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) :

मांग संख्या ३४

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में एक रुपये की कटौती की जाय (राज्य में Game Sanctuaries की उचित व्यवस्था न होने पर बहस करने के लिये)।

२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में एक रुपये की कटौती की जाय (देवगढ़, भीम क्षेत्र में ऊंटों के चरने के लिये जंगल न खोले जाने से व्याप्त कष्ट पर बहस करने के लिये)।

श्री सांवलिया राम (रूपवास-सु) :

मांग संख्या २४

१. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (समाज कल्याण विभाग पिछड़ी जातियों को संरक्षण देने में असमर्थ रहा है पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २३

२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम विभाग, मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहा है उस पर बहस करने हेतु)।

श्री छत्रसिंह (ग्रहोर) :

मांग संख्या ३४

१. Demand No. XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by rupee one (to discuss the disparity in grazing-rates in different districts particularly in Jalore and Pali).

श्री हीरा भाई : (कुशलगढ):

मांग संख्या ३४

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में एक रुपये की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा किसानों के साथ होने वाले अन्याय को दूर करने के लिये विवाद हेतु)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

मांग संख्या २३

१. Demand No. 23, Major Head 38-Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss the Labour Welfare system of the Government).

2. Demand No. 23, Major Head 38—Labour and Employment be reduced by rupees 100/- (to discuss the worsening working conditions of the labour in the Sadul Tex-tile mill Ltd. Ganganagar and Sugar Mill Ganganagar).

3. Demand No. 23, Major Head 38-Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government in introducing democratic principle into the Industrial Concerns and Units in the State).

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद):

मांग संख्या ३४

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा ग्रामों की सीमा पर वन है उनकी व्यवस्था में धांधली तथा कटान वगैरा के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २४

२. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (समाज कल्याण में फिजूलखर्ची कम करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २३

३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम विभाग की निष्क्रियता पर बहस करने हेतु)।

श्री चौसर सिंह वाबेल (बेंगू):

मांग संख्या ३४

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय (काश्तकारों को फ्री ग्रासीयाय नियमानुसार नहीं दी जाने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय (काश्तकारों को गांव २ में चीठीयें (पास) देने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों के गांवों से मिली हुई जंगल की सीमा को दूर हटाने के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (चरनोट की भूमि में प्लान्टेशन न लगाने के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलों की निगरानी अच्छी तरह न होने से नुकसान होता है इस सम्बन्ध म बहस करने के लिये)।

६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को घास लकडी की चीठीये समय पर नहीं मिलने से काफी असन्तोष है इस पर बहस करने के लिये)।

७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (घास, लकडी हेल धवाली वगैरा की चीठीयों में मियाद कम दी जाती है इस बारे में बहस करने के लिये)।

८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (हरिजनों को बांस होते हुये चीठीये नहीं दी जाने के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर):

मांग संख्या ३४

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (कान्ट्रेक्ट सिस्टम समाप्त किये जाने पर बहस करने हेतु)।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मांग संख्या २३

(२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा मजदूरों के मामले निपटाने में अति विलम्ब पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रमिकों के विवादों (Industrial Dispute) को जल्दी तय न किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री ज्वाला प्रसाद (नसीराबाद) :

मांग संख्या ३४

(१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विकास पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन के ठेकों में बरती गई अनियमितताओं पर बहस करने के लिये)।

(३) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को लकडी का अभाव इस पर बहस करने के लिये)।

(४) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)।

मांग संख्या २३

(५) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रमजीवी पत्रकार कानून लागू नहीं किये जाने तथा उदासीनता बरतने पर बहस करने हेतु)।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेडा) :

मांग संख्या २४

(१) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (हरिजनों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली राशि पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (विधवाओं निराश्रित महिलाओं को काम दिलाने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय। (हरिजन दिवस मनाने की रीति पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (पिछडी जातियों के विकास कार्यों पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति बनेडा के बडी लाम्बियां ग्राम में बस्ती बनाने पर बहस करने हेतु)।

(७) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता पर बहस करने हेतु)।

(८) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य की हर विभाग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने पर बहस करने हेतु)।

(९) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (जिलों में वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशन पर बहस करने हेतु)।

(१०) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विभागीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (सामग्री की खरीद के तरीकों पर बहस करने हेतु)।

(११) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (प्राचीन लेखों व सामग्री की सुरक्षा पर व उन्हें इकट्ठा करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २३

(१२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (भीलवाडे की टक्सटाईल मिल के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों पर बहस करने हेतु)।

(१३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों के मामलों के फैसले में होने वाली देरी पर बहस करने हेतु)।

(१४) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों की संस्थाओं को मान्यता देने की नीति पर बहस करने हेतु)।

(१५) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों को उद्योग में साझेदार बनाने पर बहस करने हेतु)।

(१६) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों को रहने, खेलने, मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा सम्बन्धी सुविधा देने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३४

(१७) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा दिए जाने वाले ठेकों के तरीकों पर बहस करने हेतु)।

(१८) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों से १ मील दूरी पर रिजर्व जंगल रखने पर बहस करने हेतु)।

(१९) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जागीरदारों द्वारा सुरक्षित रखी गई जमीनों में जंगल लगाने पर बहस करने हेतु)।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(२०) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा डबल जुर्माना वसूल करने पर बहस करने हेतु) ।

(२१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १००) रु० की कटौती की जाय (रेंज कोटडा के लायन जंगल की सन् ६१-६२ में दिये गये बांस के ठेके पर बहस करने के लिये) ।

(२२) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेडा तहसील के रायसिंहपुरा गांव के पास बनाये गये स्थायी जंगल पर बहस करने के लिये) ।

(२३) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में एक रुपये की कटौती की जाय (जंगलों के कूपों के ठेके देने की प्रथा पर बहस करने के लिये) ।

(२४) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में एक रुपये की कटौती की जाय (सूखी हुई जलाने की लकडी को इकट्ठा कर सिर पर लाने के लिये रोक पर बहस करने के लिये) ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) :

मांग संख्या २४

(१) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में १) रु० की कटौती की जाय (अनुसूचित क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग की शून्यता तथा फिजूल खर्ची पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३४

(२) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में एक रुपये की कटौती की जाय (जिला चित्तौडगढ की तमाम रेंजों में डिमार्केशन लाइन्स से परेशानी पर बहस करने के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

मांग संख्या ३४

(१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में एक रुपये की कटौती की जाय (बांसवाडा जिला में जंगलों की सुरक्षा एवं चीप बोर्ड फैक्ट्री लगाने के लिये सेहरिया कम्पनी को तीस वर्ष का जो ठेका दिया गया है उस पर बहस करने के लिये) ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां सु.) :

मांग संख्या ३४

(१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में सौ रुपये की कटौती की जाय (जलाऊ लकडी लाने के संबंध में विचार करने हेतु) ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) :

मांग संख्या २३

(१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों का पालन न कराने तथा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

(श्री मुकुट विहारीलाल गोयल)

मांग संख्या ३४

(२) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (तहसील बयाना एवं तहसील वसेडी की डांग में जंगलों में मवेशी चराने पर लगी पाबन्दी तथा डांग के निवासियों पर लगी दीगर पावन्दियों से पैदा होने वाली कठिनाईयों पर विवाद हेतु)।

(३) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (कस्बा वसेडा, शहर भरतपुर जिला भरतपुर में जलाने के लिये लकडी नहीं मिलने तथा ठेकेदारों द्वारा लकडी बाहर भेज देने पर विवाद हेतु)।

(४) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के केवलादेव के जंगल मे स्थित बर्ड सैन्चुरी में राज्य परिवार को शिकार की इजाजत देने पर विवाद हेतु)।

(५) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर के संरक्षित गेम सैन्चुरी में भूतपूर्व नरेशों के परिवार वालों को शिकार की इजाजत देने व उनके द्वारा उस अधिकार के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन के संबंध में मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं। वन के संबंध में प्रशासन, मैं समझता हूं, नीति के रूप से दूषित है। यह औद्योगिक और व्यावसायिक विभाग है। इसमें लाभवर्ण्य है। यदि लाभ की ओर देखा जाय और हानि को संतुलित रूप से देखा जाय तो लाभदायक है। लेकिन हानि कई गुणा लाभ से अधिक है। करोडों रुपयों की लागत का वन चोरों और ठेकेदारों के द्वारा ह्रास होने पर भी आंकडों की यह स्थिति है :

सन् १९५१-५२ में आय ४२ लाख ३७ हजार, खर्च ३३ लाख २३ हजार और लाभ ९ लाख। सन् १९६०-६१ में आय ७६ लाख ८१ हजार और खर्च ८१ लाख १८ हजार, हानि ५ लाख। सन् १९६१-६२ में आय ८१ लाख ५६ हजार, खर्च ४८ लाख ९२ हजार और करीब पौने तीन लाख का लाभ है। सन् १९६२-६३ में ८५ लाख की आय और ८५ लाख ६३ हजार खर्च और ६५ हजार की हानि। और १९६३-६४ में आय ९० लाख पर कूंती गई है तथा व्यय ८४ लाख ७३ हजार पर कूंता गया है। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति के अन्दर नान टैक्स आय के विभागों को प्रोत्साहन दिया जाय, उनसे आमदनी प्राप्त की जाय, इसकी परम आवश्यकता है। वन विभाग में लाखों रुपया खर्च किया जाता है वन विकास के लिए। चौदह वर्ष के बाद हम उस सुनहरी दिन की कब तक यह मांग करके और बैठे रहें इस आशा की ओर कि वह सुनहरी दिन आये और वन की आय संतोषजनक हमारी सरकार को प्राप्त हो सके। फिजूल खर्ची के अलावा मैं यह अनुभव करता हूं कि वन का विकास नहीं परन्तु स्पष्टतया विनाश नजर आता है। इसका मूल कारण जहां तक कि मैंने देखा है, मैं समझता हूं कि सरकार की योजनायें अधितकर कागजों पर ही

Page No.45

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रह जाती हैं । न तो कोई फील्ड वर्क है न प्रेक्टीकल वर्क है । कर्मचारीगण खास करके डी. एफ. ओ. और रेंजर्स जीपों में अधिकांश घूमते हैं, जंगल के अन्दरूनी मार्गों में, नालों में, पहाडों पर वे बहुत कम घूमते हैं । सम्भवतः आज का शासन ब्रिटिश स्टेन्डर्ड को अच्छा नहीं समझता लेकिन ब्रिटिश शासन अनुभव के ऊपर स्थित था । और उस समय यह आमतौर से कहा जाता था कि वन विभाग के कर्मचारी खास कर डी. एफ. ओ. रेंजर्स को महीने में कम से कम दस बारह दिन दौरा करना चाहिए और जब वे भ्रमण करें तब प्रत्येक रोज सात आठ मील प्रातः और सात आठ मील शाम को पैदल घूमें । जब तक, अध्यक्ष महोदय, वह बात ठीक रूप से नहीं हो जाती तब तक यह प्रकृति का उद्यान हैं, उसका कोई भी ठीक रूप से सरकार अनुमान नहीं कर सकती कि कितने पेड कितने बीघे, कितने कूप में किस तरह से हैं ।

अभी प्रश्न के उत्तर में माननीय उप-मंत्री जीतने कहा कि चन्दन के पेड विजयनगर रेंज में कितने हैं—इसका पता नहीं है ? मेरे ख्याल से अगर वन विभाग के इतने कर्मचारियों के होते हुए भी बहुमूल्य पेड अमुक स्थान पर कितने हैं, इसका पता नहीं, अगर वे जानते नहीं तो उनकी रक्षा की योजना बनाना और लाखों रुपये खर्च करना मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल के बाहर है । इस संबंध में यह व्यवस्था होनी चाहिये और आज कल जो जीपों में बैठ कर घूमने की प्रवृत्ति कायम हो गई है उसकी जगह थोडी बहुत कर्मचारी-मैं कर्मचारियों की आलोचना तो नहीं करना चाहता लेकिन कर्मचारियों का ध्यान इस ओर अवश्य दिलाना चाहूंगा-महनत करें, वे पैदल फिरें । हमारा जब तक ऐसा दिमाग नहीं बनता है तब तक कोई असली स्थिति हमको प्राप्त नहीं हो सकती, न सरकार को जानकारी मिल सकती है ।

प्रशासनिक व्यवस्था, जो वनों के संबंध में है, वह अधिकांश रूप से, जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, यू. पी. के ढांचे के ऊपर हमारे यहां पर स्थापित की है । यू. पी. के फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडल मान कर हमारे यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था की है । मैं समझता हूं कि यह नीति सिद्धान्ततः दूषित है । यू. पी. के अधिकांश जंगल हिमालय की तराई में स्थित हैं । वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की आब हवा, वहां का एवरेज रेन-फॉल, राजस्थान से कतई भिन्न है और पेडों की किस्म जंगलों के अन्दर उगानी हैं, वे भी भिन्न हैं । मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, आब हवा बहुत मिलती जुलती है और मध्य प्रदेश के माडल पर हमारे राजस्थान का जंगल का शासन निर्भर मूलतया होना चाहिए । इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा । हमारे यहां जो कीमती जंगल हैं, खास तौर पर झालावाड, कोटा, चित्तौड, बांसवाडा-इन चार जिलों के जंगल हैं वे विन्ध्याचल की शाखों के अन्दर और आस पास स्थित हैं । उन जंगलों का सब हिमालयन टैरीन के जंगलों से कोई संबंध नहीं है और बहुत निकटतम संबंध मध्य प्रदेश के जंगलों से है । इसलिए हमारे जंगलों की व्यवस्था मध्य प्रदेश के माडल पर होनी चाहिए ।

और उसके साथ साथ हमको फारेस्ट विलेजेज की व्यवस्था करनी चाहिये । मेरा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

फारेस्ट विलेजेज से मतलब यह है कि फारेस्ट विलेजेज को जो करार दिये जायं, वे वन विभाग के अन्तर्गत रहें, उनका शासन वन विभाग के अन्तर्गत रहे। और उन ग्रामों, जो फारेस्ट विलेजेज करार दिये जायं, में एक रियायत लगान के संबंध में चराई के संबंध में और अमुक राहत जंगलों के संबंध में दी जाय। जब तक आप जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मैं तीस वर्ष के अनुभव से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के जंगलों से यहां के जंगलों का भेद नहीं है। अगर वहां की योजना को यहां पर उचित रूपेण कार्यान्वित करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त करेंगे और जन सहयोग के द्वारा हमारे वनों का सुचारु रूप से रक्षण सम्भवतः कर सकेंगे। और नहीं तो आप लाखों रुपया खर्च करें, आप गाड्र्स को ट्रेन्ड करें, आप बांसवाडा, झालावाड आदि में गाड्र्स की ट्रेनिंग के स्कूल रखें, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आपकी यह गार्ड्स की आर्मी कुछ नहीं कर सकती और दिन पर दिन जंगल कम हो रहे हैं, जंगल के शत्रुओं की तादाद बढ रही है और सरकार के लिए यह निरंतर विचार का प्रश्न रहेगा कि जंगलों को किस तरह से सुचारु रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा जो उत्तर से दक्षिण तक हमारी अरावली रेंज है, उस अरावली रेंज के ऊपर जंगलों की उचित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। यदि अरावली रेंज की परली पार यानि पूर्वी हिस्से में धीरे धीरे जमीन ने रेगिस्तान में प्रवेश किया तो मेरे ख्याल से राजस्थान के जन साधारण को बहुत हानि हो सकती है। तो यह जो अरावली रेंज हमारा वफर है और सदियों, सैकडों वर्षों से पश्चिमी रेगिस्तान के साथ युद्ध करता आ रहा है, इस अरावली रेंज के वन हैं, उनको हम सुरक्षित रखने की कोशिश करें, प्रयास करें तो मेरे ख्याल से दूरदर्शिता के रूप से राजस्थान के लिए हितकर होगा।

कोन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी व्यवस्था, मैं समझता हूं कि लाभदायक नहीं है, परन्तु इसके साथ साथ में यह भी अनुभव करता हूं कि उसको सर्वथा हमें बन्द नहीं करना चाहिये। हम यह चाहें कि सभी विभागीय कार्य हों। ठेके आदि के कार्य भी विभागों के द्वारा हों, तो अव्वल तो कर्मचारी इतने नहीं हैं और हम उनको सुचारु रूप से; विकसित रूप से कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसके जरिये सरकार को लाभ हो और भ्रष्टाचार में फर्क हो।

ठेकेदारी प्रथा को आज की स्थिति को देखते हुए रहना होगा। परन्तु मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण के संबंध में बहस हुई उसके दौरान में, मैंने यह निवेदन किया था कि ठेके बहुत लम्बे अर्से के लिये नहीं देने चाहिये। पुनरवा आदि में बहुत घोटाले हो रहे हैं। इसमें ठेका दिया गया है उस संबंध में भी कई लोगों के भ्रमातक विचार हैं। मुख्य मंत्री के संबंध में भी आक्षेप किये जाते हैं। ठेकेदार ने अनधिकृत रूप से जंगल काट डाले और लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया आदि आदि की बात जो सुनने में आती हैं, मेरे खयाल से तथ्यहीन नहीं हैं। इस संबंध में सरकार को निश्चित रूप से मनतव्य करना चाहिये और जहां तक भ्रमातक प्रचार है उसको उचित रूप से रोकें। यदि सरकार की गल्ती हो तो सरकार को चाहिये कि अपने मिथ्या अभिमान Infallibility में, जिद् के रूप में यह नहीं कहा करें कि जो कुछ सरकार करती है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वह ठीक है। मैं समझता हूं, कि कमियों को, और दोषों को, स्वीकार करना एक साहस का काम है और एक ठीक रास्ते पर हमारी योजना को लाने के लिये सफल सिद्ध होंगे अगर आप अपनी कमियों को अनुभव करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बांसवाडा में एक चिक बोर्ड फैक्टरी का ठेका दिया जिसकी म्याद तीस वर्ष की है। यदि चिक बोर्ड फेक्टरी को प्रोटैक्शन देना सरकार चाहती है तो पांच वर्ष का या ७ वर्ष का ठेका देती और उस म्याद के समाप्त होने पर सम्भवतः आप तीन साल की म्याद बढा देते। १० वर्षों का प्रोटैक्शन, मैं समझता हूं अगर आप देते तो सोचते कि यह ठेका है। लेकिन यह आपने उसको ३० वर्षों के लिये मोनोपोली दे दी जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली चीज है संभवतः इस लीज को रिवाइज करना चाहिये सरकार हमेशा यह कहा करती है कि जब लीज एक दफे बन गया तो रिवाइज नहीं हो सकता। मैं यह कहूंगा कि एक दफे लीज दे दिया गया, क्या उस पर पुनः विचार नहीं हो सकता? अगर कोई गलती हो तो गल्तियों पर भी आप पुनः विचार नहीं करें, तो यह आपकी हठधर्मी है परन्तु साधारणतः मैं समझता हूं कि इसमें भी काफी घोटाले हैं काफी भ्रष्टाचार हुआ है।

मैं यह भी सदन के सामने प्रगट करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो बाटोल से आये हैं उनका भी इस लम्बे लीज में हाथ ह संभवतः हमने कोई अतिशयोक्ति की हो वह आज एक ऊंचे पद पर है और आज वे राजस्थान प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। उनका एक बंगला डूंगरपुर में है, एक बंगला जयपुर में है, उन्होंने जमीन भी ली है। डूंगरपुर में ..

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, वन): Point of order, Sir. मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि आपका I do not think, we can cast a reflectioon on hon. member, who is not present here....

कि उसका जैसा मैंने अर्ज किया स्पीकर महोदय को पहले नोटिस दिया जावे। ताकि ऑनरेबिल मेम्बर अपने आपको डिफेन्ड कर सके रूल २७४ के मुताबिक अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें, जो डिफेमेट्री नेचर के है। they may not be allowed.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यदि कोई माननीय सदस्य कोई बातें माननीय किसी सदस्य के लिये रखें जो कांग्रेस के उच्च पद पर है, और उसको सदन में रखने से यह कह कर रोकें कि ये डिफेमेट्री नेचर की है, रूल्स के अन्तर्गत नहीं रखी जा सकती है, तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की बातें सदन के सामने रखने से कानून से उनको नहीं रोका जावे। जो बात आ रही है, साफ साफ हमारे सामने आने दी जानी चाहिये। अगर सरकारी पक्ष कोई जवाब देना चाहे तो वे कर सकते हैं। क्योंकि सदन की और सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल्स के अन्तर्गत उठाया गया था। आप रूल्स को नहीं मानते हैं तो आप जानें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने : सुना था इसलिए कहा है। कई बातें अनुपस्थिति

Page No 48

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
में होती हैं और हुई भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ और जो बात सुनी उसको सदन के समक्ष रखी तो कसूर नहीं है। खास कर मेरे लिये भी मेरी अनुपस्थिति में तरह तरह की भ्रमात्मक बातें फैलाई गईं। मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाये कि साग का पत्ता तुलवा कर मैंने ८ मील तक एक आदिवासी को मोटर के आगे दौडाया। मैं यह नहीं चाहता कि यह बातें कह कर सदन का समय लूं परन्तु मेरी सफाई के लिये दो शब्द कहने पडे तो मैं दुःख के साथ आपको कहूंगा। अगर इस सदन में कोई अस्वस्थ परम्परा में देखता हूं तो मेरी यह चेष्टा होगी कि अस्वस्थ परम्परा को दूर करने का प्रयत्न करूं। आज १५, १५ वर्षों पहले की बातों पर वास्तविक रूप से जो सत्यता से परे हैं वे यहां पर प्रकट नहीं की जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have raised point of order, Sir. I do deserve a ruling over it.

श्री अध्यक्ष: रूलिंग की आवश्यकता नहीं है।

महरावल श्री लक्ष्मणसिह: चिक बोर्ड फैक्ट्री ठेके पर दी गई उसमें भी मुझे लगता है कि गोलमाल है। और वहां बस सर्विस डूंगरपुर में है, मैं मानता हूं उसमें भी बहुत बडा हिस्सा है। इस तरह से अनियमितताएं की बातें उठती हैं तो एक बडे व्यक्ति के लिये जो कांग्रेस में एक ऊंचा स्थान रखते हैं अशोभनीय है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने करोडों रुपयों का जंगल इम्प्रेस्ट किया, उनको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। मेरे पहले से डूंगरपुर जिले में करीब करीब एक करोड की आमदनी का सेक्सेशर गवर्नमेंट को जंगल प्राप्त हुआ होगा। मेरा यह अन्दाज है कि १४ वर्षों में ये जंगल ६५ पर्सेन्ट या ७० पर्सेन्ट तक ह्रास हो चुके हैं और अगर समय के साथ इस सम्बन्ध में सरकार कदम नहीं उठावेगी तो उन जंगलों को बरबाद कर दिये जावेंगे और जिन जंगलों की पैदावार के द्वारा हजारों लोगों के पेट पलते थे, लाखों मवेशी पलते थे उनको बहुत हानि होने की संभावना है। चाहे आप प्लान्टेशन के द्वारा इसके लिये लाखों रुपये खर्च करें, मेरे ख्याल से यह सब फिजूल होगा। मेरे संबंध में अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि सन् १९५७ में जब इलेक्शन लड रहे थे तब यह घटना हुई। इलेक्शन में प्रचार हो तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। मेरे संबंध में कहा गया कि कोई जंगल में से जा रहा था। रास्ते में आदिवासी मिला। मैंने उसको एक साग का पत्ता देख कर कहा कि यह पत्ता कहां से तोडा है, तुम कसूरवार हो। मेरी मोटर के आगे दौडो और उस आदिवासी को ७।८ मील तक दौडाया। ७।८ मील की दूरी पर मोटर रोक कर उसके पास उलूका था। घडा घी का था जो वो ले जा रहा था। मैंने कहा कि इसको सागवान की जड में डाल दो।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस दिन यह हुआ, कौनसी जगह हुआ, किस आदमी, आदिवासी को मैंने मेरी मोटर के आगे दौडाया और यह मशहूर कहानी जो उदयपुर में प्रचलित की गई, उसका कोई तथ्य भी मिले तो अपने आपको कसूरवार भी समझूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जीवन पर्यन्त आदिवासियों के पीछे मोटर नहीं दौड़ाई, मेरे जंगलों के द्वारा जो कुछ हो सका अपनी ओर से और मेरी सरकार की ओर से, उनकी टूटी-फूटी सेवाएं की होंगी। इसके उपरान्त यह भ्रमात्मक प्रचार किया जाता है तो बिना तथ्य के इस भ्रमात्मक प्रचार को जारी रखना मेरी बडी भारी कमजोरी होगी। इसलिए स्पष्टीकरण के रूप में इतना निवेदन किया। वो अप्रासंगिक है, इस संबंध में भी अध्यक्ष महोदय से और सदन से क्षमा याचना करूंगा।

ऊंट और भेडों के चराने के सम्बन्ध में भी उदयपुर डिविजन में बडी भारी समस्या पैदा हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई एक्सपर्ट्स का कमीशन मुकर्रर किया जाय, भेड और ऊंट पालने वाले रेबारी आदियों से पूछताछ की जाय और एक एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करके इनकी चराई के संबंध में उचित व्यवस्था की जाय, यह मैं अनुभव करता हूं और यह परमावश्यक है। जब सरकार उनसे चराई का टैक्स लेती है, हर साल वह टैक्स बढा रही है। उस टैक्स के ऐवज में यदि ढंग से चराई की व्यवस्था नहीं की जाती तो यह सरकार की कमी से भरी हुई नीति है।

वृक्षारोपण जो सरकार केनाल और सडकों के ऊपर कर रही है, यह मैं समझता हूं सारे वन विभाग की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में, एक ही कदम मुझे लगा जो ठीक है। इन वृक्षों की सुरक्षा करना भी सरकार का प्रथम कर्त्तव्य होगा, नहीं तो मुझे आशंका है कि इस सम्बन्ध में इन वृक्षों की रक्षा नहीं की गई तो वे भी चोरी से कट सकते हैं, जैसे चन्दन और साग जगह जगह कट रहे हैं, बांसवाडा के पीपलखेडा के जंगल के हजारों रुपयों के बहुमूल्य सागवान मध्य-प्रदेश की हाटों में, जावरा और नवाबगंज तक जाते हैं और खुले आम वहां बिकते हैं, और दूसरी ओर यदि आदिवासी अपने घर बनाने के लिये, रहट बनाने के सम्बन्ध में लकडी चाहते हैं तो उनको लकडी नहीं दी जाती। सदियों से उनका हक था, उसकी जगह ठेकेदार आकर कोयले बना कर इलेक्ट्रिक पेन्ट्स करके उदयपुर और अहमदाबाद भेजते हैं और आदिवासी जिनका सर्वप्रथम हक है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो यह न तो सोसियलिस्टिक पैटर्न-ऑफ-सोसाइटी है और न कोई न्याय है। कभी भूतपूर्व नरेशों के शासन में इस तरह अन्धाधुन्ध ठेके नहीं दिये गये। यदि वे भी भ्रष्टाचार करना चाहते तो लाखों रुपया बना सकते थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था।

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री): मैं विरोधी दल के माननीय नेता से यह जानना चाहूंगा कि पीपलकोट जंगल के बारे में किसे ठेका दिया गया है?

महारवल श्री लक्ष्मणसिंह: ठेका दिया गया होगा, ठेका नहीं दिया तो चोरी के द्वारा जाती है, यदि चोरी के द्वारा जाती है तो चोरी की भी रोकथाम करना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है। जैसा मन्त्री महोदय को निवेदन किया नवाबगंज और जावरा की हाटों में जाती है, चोरी से जाती है, दिन में जाती है, सडकों के द्वारा गाडियों में जाती है और सिर पर जाती है, और दिन दहाडे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
जाती है, लोग देखते हैं और इसकी कोई रोकथाम नहीं हो सकती। आदिवासी को एक वल्ली की जरूरत होती है तो उसको सबसे पहले गार्ड की फिर फोरेस्टर की पेट पूजा करनी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़े, कोई पूछने वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सब अन्धाधुन्ध है। मन्त्री महोदय को चाहिये कि इस सम्बन्ध में वे विचार करके कुछ न कुछ व्यवस्था करें।

हद्द-बंदी के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हद्दबंदी की व्यवस्था है, वह भी बिलकुल मनमानी एवं आरबीट्रेरी है। कहीं किसी के खेत से लगी हुई है और कहीं किसी के घर से दो फुट के फासले पर हद्दबन्दी की गई है, यह क्या हद्दबन्दी है ? वहां गांवाई के लिये, विस्तार के लिये, थोडा बहुत तो रकबा छोडना चाहिये, मनमाने रूप से, यह करके, सरकार अपने पांवों पर कुल्हाडी मार रही है। मैं चाहता तो विरोधी पक्ष की तरफ से तरह तरह के भ्रामक प्रचार करा कर लाभ उठाता, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। पंचायत समिति के तरीके से व्यवस्था हो, उनको साथ रखना चाहिये। तो मैं सरकार से कहूंगा कि उनके बहरे कान हैं उनको खटखटा कर मेरी पुकार को सुनें, नहीं सुनें तो उनकी इच्छा।

फोरेस्ट्स रोड्स के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, देखा गया है कि हजारों रुपयों का अपव्यय हो रहा है, जहां ये रोड्स नहीं होनी चाहिये वहां पर भी बनाई जा रही हैं। फोरेस्ट्स रोड्स बनायें तो लकडी निकालने के लिये बनायें। जहां लकडी नहीं, जहां हल्की लकडी है। वहां बडे बडे वृक्ष आ सकें, भारी भारी लकडियां आ सकें। इस तरह की चौडी रोड्स बनाना अपव्यय है। तो कोई योजनाबद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है, अन्धाधुन्ध कार्यवाही हो रही है। कर्मचारी गए कहते हैं उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय, सिवाय हां कहने के ना कहना तो शायद ही जानते हैं।

वन्य पशुओं के संरक्षण के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि सेंच्यूरीज की उचित व्यवस्था करेंगे तो ठीक होगा। चोरी छुपे जानवर मारने के लिये उचित रूप से रोक होनी चाहिये और कारगर संरक्षण होना चाहिये। सरकार के द्वारा यह घोषणा करना कि सारे राजस्थान में हरिण नहीं मारे जायं, यह मेरे खयाल से कल्पना मात्र, यदि अच्छी चीज भी हो तो कल्पनामात्र है। आपके पास कहां है इतना अमला कि सारे राजस्थान में हरिणों को बचा सकेगा। और सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, मृगया का राजस्थान में बडा महत्व रहा है, मृग मारना ही बन्द कर दिया जाय तो इसमें चोरों को तो कोई नुकसान नहीं, स्पोर्टसमैन के दिलों में ठेस पहुंचेगी और मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुझे इसमें स्वार्थ नहीं कि मुझे राजस्थान के हिरन मारने हों ...... ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रार्यासहनगर): ओन-ए-पोइन्ट-ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, राजस्थान में कई कौमें हैं, रिलिजियस रूप से, उनकी भावना को ठेस पहुंचती है हरिन मारने से, जैसे बिश्नोई हैं, उनको हरिन मारने से ठेस पहुंचती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: माननीय सदस्य ने कहा है उसका सर्वथा समर्थन करता हूं। जहां बिश्नोइयों की बस्तियां हैं, वहां

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हरिनों का संरक्षण आवश्यक हैं । वहां सैन्चुरीज हो जायगी तो हरिणों का रक्षण होगा वहा जनता द्वारा संरक्षण पाकर और सरकार के सहयोग से मेरे खयाल में लाभ-दायक और सोने में सुगन्ध के समान होगा। यदि ऐसे स्थानों में हरिणों का संरक्षण किया जाय तो सर्वथा उचित होगा और नहीं तो सरकार सब ही चीजों को मारना बन्द करके X X X X सीखे और मछलियां मारना सीखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : X X तो संसार मारता ही हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शब्द बडा कमाल का यूज किया आपने। मछलियां आगे यूज किया बाकी शब्द बडा कमाल का था ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं बुरी भावना से अर्ज नहीं करता उप-मंत्री महोदय को। यदि आंकडे देखें तो X X X को और भी सिद्ध करेंगे कि आपका वन विमाग किस प्रकार X X X X।

पंचवर्षीय योजनाओं में इसके लिए आपने ४, ७ लाख खर्च किया। ब्रेक अप भी कह सकता हूं:—

प्रथम पंचवर्षीय योजना २६ लाख रुपया

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १, ६६लाख रुपया

तृतीय पंचवर्षीय योजना २,८०लाख रुपया

और इसके मुकाबले में दस लाख तक की आमदनी नहीं होगी। यह तो gross misrule and maladministration, This is scandalous और यह मैं ठीक नहीं कहता तो मुझे परम हर्ष होगा कि मुझे यह बताया जाय कि मंत्री महोदय के और सदन के सामने आंकडे रखे हैं वे गलत हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना ही मात्र कहूंगा, ठेकेदार और भ्रष्ट कांग्रेसजनों के द्वारा यह आपा धापी है इसको बन्द करना चाहिये। और कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके द्वारा ये जो ग्रेट नेशनल असेस्ट्स हैं, यह हमारी धरोहर है इसको सुचारू रूप से बर्बादी से रोक सकें। सरकार कुछ भी कल्पनाएं करे वे सब कागजी कल्पनाएं हैं। अगर २०,००० एकड भी जंगल प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आपकी पॉलिसी सिद्ध हो सकती है। अगर आप चाहेंगे कि यह भी करें और वह भी करें मेरी समझ में आप कुछ न कर सकेंगे। कहा गया है "एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाय," ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय····· On point a of order, Sir,

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस सदन में नहीं था, मेरे लिये आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वे बेबुनियादी हैं और बदनीयती से कही गयी हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : XXX तो आपकी है सागडा तोडने के और कितने ही आक्षेप लगाये हैं। अगर आपकी XXX....

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय·····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका विरोध कर रहा हूं, बराबर करता रहूंगा। आपसे·····

Xअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, आपका विरोध मैंने किया है और निरन्तर करता रहूंगा। मेरे नागरिक अधिकार हैं। मैंने 'राजाशाही का मुकाबला किया और सामंतशाही का भी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं भी आपका विरोध निरन्तर करता रहूंगा। मैं हिन्दू संस्कृति में विश्वास रखने वाला हूं। यह शरीर गिर भी गया, आत्मा तो अजर-अमर है, पुनर्जन्म में भी करूंगा और आपकी अनियमितताओं और मनमानी का विरोध अवश्य करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी: जिस X X X से आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विधान सभा के नियम, उपनियम का उल्लंघन करके यहां पर मेरे ऊपर चार्जेज लगाये उनके बारे में मुझे सख्त एतराज है। आपके जवाब में आपने कहने को जैसा कहा, अध्यक्ष महोदय, आपसे अधिक और कौन शख्स कर सकता है। इस सदन में मैंने आज तक, इस पर नहीं और कभी भी नहीं किसी सदस्य के बारे में चार्जेज नहीं लगाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मुझे यह अनुभव होता है कि माननीय सदस्य के द्वारा अन्य सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया, पम्पिंग किया गया.......

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी: यह X X है, सर्वथा X X है......

(शोरगुल एवं व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: यह अन-पार्लियामेण्टरी है X X है तो सिद्ध करें तो मैं मानने के लिये तैयार हूं। और यदि X X आपका हस्तक्षेप..

(विराम)

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of Order, Sir, यह XX शब्दका प्रयोग दोनों तरफ से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह पहले से ही चल रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: जहां मैंने X X शब्द का प्रयोग किया मैं वापिस लेने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य घाटोल से आये हैं, उन्होंने सर्वप्रथम X X का प्रयोग किया इसलिये उत्तर में कहा कि यह X X है।

श्री हरिदेव जोशी: मुझे कहने में अफसोस नहीं है कि यह चीज एकदम गलत है सदन में आज नहीं हूं। यहां ११-१२ वर्ष से हूं और आज तक सदन के कई माननीय सदस्य नये चुने हुए हैं वे पहले असेम्बली में भी चुन कर आये हैं वे इस बात के साक्षी हैं कि मैंने हरेक माननीय सदस्य से अच्छा व्यवहार किया है और कभी किसी के खिलाफ आक्षेप या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया..........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): यह क्या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा खूनी, अत्याचारी, रावण और राक्षस क्या क्या नहीं कहा गया है ? मैंने कई अपशब्द माननीय सदस्य के लिये कहा।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order please !

XX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री हरिदेव जोशी: माननीय अध्यक्ष, मैं हाउस का प्रोटेक्शन सीक कर रहा हूं। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जाये . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): On a point of Order, Sir,

श्री अध्यक्ष: Point of Order, पहले ही चल रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह तो स्पीच चालू हो गयी।

श्री अध्यक्ष: Point of order! के बारे में कह सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी: आपको थोडा सा सन्तोष रखना चाहिये।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order please !

श्री मानसिंह महार (आमेर): माननीय अध्यक्ष, पांच, पांच मिनट एक्सप्लेनेशन के लिये ले लें, यह तो गलत बात है।

श्री हरिदेव जोशी: माननीय अध्यक्ष-

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: देखिये, ...

(शोरगुल एवं व्यवधान)

Oraer, Please.

श्री मानसिंह महार: हमको बोलने न दिया गया, यह कहां का न्याय है ? गृह मन्त्री जी नें कहा X X X X। मैं X X X को कहना चाहता हूं कि वे गृह मन्त्री हैं राजस्थान के, इसलिये X X X X X X X X।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य . . .

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी: मुझे ऐसा लगता हैं कि पार्टी लीडर के बल्ले को उछालकर दूसरों पर उछालना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय . . . . .

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order Please !

श्री मानसिंह महार: यह नहीं हो सकता कि हम गालियां सुनें उधर वाले गालियां दें। हम नहीं सुन सकते . . . . .

श्री अध्यक्ष: Order Please !

श्री मानसिंह महार: यह सरासर अन्याय है।

श्री हरिदेव जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा अभी विरोधी दल के नेता ने कहा मैंने उनके बाबत में जो कुछ कहा सदन में कुछ नहीं कहा। दूसरा, चीप-बोर्ड फैक्टरी है, उसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। मैं इसको चैलेंज करता हूं और चुनौती देता हूं

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री मानसिंह महार: उसमें अन्याय हुआ है, घोटाला हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं। मैं चुनौती देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: What is point of order ?

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order please

X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री मानसिंह महार: चिप बोर्ड फैक्टरी में घोटाला हुआ है। मैं यह चुनौती देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य तो केवल...

श्री मानसिंह महार: कांग्रेस बैंचेज की तरफ से घोटाले हो रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप चैलेंज देते हैं, तो ठीक ढंग से दें। एक माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी आक्षेप लगाये थे, उनका उत्तर दिया।

श्री हरिदेव जोशी: मुझे अफसोस है, माननीय सदस्य को एतराज हुआ .....

श्री मानसिंह महार: गलत परम्पराएं हैं।

श्री अध्यक्ष: Order Please।

श्री मानसिंह महार: घोटाले हुए हैं....

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: Order Please। माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य ने एक बार नहीं अनेक बार बहुत आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किया है।

श्री मथुरादास माथुर :माननीय सदस्य ने सदन के बाहर या चुनाव के दौरान में कोई बात कही है तो पब्लिक इसका जवाब देने के लिये है लेकिन सदन में कोई बात कही गई माननीय सदस्य को कहने का अधिकार है और हरिदेवजी जोशी उसी अधिकार को ले रहे थे। बीच में माननीय सदस्य जो आमेर से आये हैं उन्होंने गलत बातें रख कर जो कुछ कहा मुझे आपत्ति है। वे जो बातें करते हैं मैं सीरियस नहीं लेता हूं।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय.. ....

श्री अध्यक्ष: Order Please!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं कानून बता रहा हूं। कानूनी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वह कानूनी बात क्या है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आपके अधिकार से बोल सकते हैं। परसनल एक्सप्लेनेशन का उनको अधिकार है। अध्यक्ष महोदय इजाजत दे दें.........

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं.......

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष को क्या पता कि मैं क्या कह रहा हूं।

(१. म. प.)

मुझे यह निवेदन करना है कि मेरी अदम मौजूदगी में यह कहा गया कि बन रही चिप बोर्ड फैक्टरी में मेरे कई हिस्से हैं। जहां तक घोटाले के बारे में कहा गया उसके लिये मुझे कोई लेन-देन नहीं। मेरे संबन्ध में और मेरे प्रति जो कुछ कहा गया उसके बाबत मुख्य रूप से मुझे यह शिकायत है कि अगर उन्हें कुछ कहना था तो मुझसे कहते। अगर व मुझसे नहीं कहना चाहते तो रूल्स ऑफ बिजीनेस की धारा २७३ के अनुसार उस चीज को सदन में उठाते। फिर भी मैं इस समय उसका उत्तर देने की स्थिति में हूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

अब रही यह बात कि मैंने डूंगरपुर में मकान बनाया जमीन ली। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन लेना कोई गुनाह नहीं, उसमें बेईमानी की गई हो, या अनुचित तरीके से ली गई हो तो निश्चित रूप से उसके लिये मैं सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। मैं इस संबंध में स्वयं इस बात के लिये तैयार हूं कि इसके लिये सदन के मेम्बरों की एक कमेटी बना करके इसकी जांच की जाय? इसके लिये माननीय अध्यक्ष को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाय, यह निवेदन करूंगा और उसके सदस्य आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जनसंघ दल के नेता श्री भैरोंसिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता स्वामी कुमारानन्द और जो मेरे बोलने का विरोध कर रहे हैं श्री मानसिंह महार को भी उसका सदस्य बनाया जाय।

श्री परसराम मदेरना (उप मंत्री, सामान्य प्रशासन) : इनको मत बनाइये।

श्री मानसिंह महार : मुझे तो मत बनाइये, नहीं तो मैं परसरामजी की पोल खोल दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे यह निवेदन करना है, ये सब माननीय सदस्य इन तथ्यों की जांच करके अगर सेटिसफाइड हो जाते हैं कि मैंने डूंगरपुर में और जयपुर में जो जमीन या मकान बनवाये हैं या चिप बोर्ड में मैंने बदनियती की है या मैंने अपने पद का या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो जो कुछ सजा या ब्रीच ऑफ प्रीविलेज जो कुछ भी आप तय करेंगे, उस सजा को मैं भुगतने के लिये तैयार हूं।

ये सारी चीजें जिस प्रकार माननीय सदस्य ने रखीं उस संबंध में मैं निश्चित मत का हूं कि माननीय सदस्य एक लम्बे अर्से से मेरे से दुर्भावना रखते चले आ रहे हैं और यह स्टेटमेंट भी उन्होंने दुर्भावनावश दिया है। यह एक प्रकार से सदन के सदस्य का अपमान है और नियमों का उल्लंघन है और एक प्रकार से सदन का अपमान है।। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें जो उपयुक्त समझे वह कार्यवाही करेंगे। मैं सदन का प्रोटेक्शन सीक करता हूं आज तो यह मेरे लिये कहा है हो सकता है कल इसी प्रकार दूसरों के लिये भी कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय सदस्यों को विदित ही है कि जब भी कभी ऐसी बात उनके द्वारा कही जाती है और वह निर्मूल होती है तो मुस्कुराते हुए उनके द्वारा कहा जाता है "मुझे अफसोस है कि मैं उनको वापिस लेता हूं", यह क्रम उनका रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह एलीगशन नहीं है?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस चीज को सीरियसली लिया जाय। मैं आपसे अपील करूंगा कि माननीय सदस्य मेरे खिलाफ मनगढ़त आक्षेप लगा कर मुझे काउ डाउन किया जाकर अपना राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैं अपने विचार रखता हूं मैं हमेशा उनसे लड़ता आ रहा हूं और लड़ूंगा। आखिर मैं भी उसी धरती पर पैदा हुआ हूं और वहीं रहूंगा मैं इस बारे में चेयर का प्रोटेक्शन चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपसे और सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ न्याय किया जाय।

Page No 56

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के चीफ व्हीप ने जो कुछ फरमाया उसके बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि यह मामला प्रीविलेज कमेटी को सौंपा जाय तो बेटर रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : I accept it Sir.

श्री मानसिंह महार : लेकिन मैं इस गलत परम्परा का विरोध करूंगा क्योंकि जब हमारे पर किसी प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं तो हमें उसको साफ करने के लिये मौका नहीं दिया जाता। कल ही मेरे बारे में माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा कि उसके बारे में स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया गया जब सरकार की तरफ से हमारे पर इस प्रकार के एक्सप्रेसन कास्ट किये जायं और उसके लिये समय न दिया जाय यह अन्याय है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir. He cannot criticise the discretion of the Chair. I will request the Hon'ble Member not to raise such things.

चेयर से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की जो बातें चल रही है यदि वे इसी प्रकार चलती रहीं तो यह एक गलत परम्परा पड़ती जा रही है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने चेयर से प्रोटेक्शन सीक किया है इसमें गलत परम्परा का सवाल नहीं है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी चेयर का प्रोटेक्शन सीक करता हूं कल माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा था मेरे लिये उसके स्पष्टीकरण के लिये मौका दिया जाय। कल जो कुछ कहा था वह इतना नागवार था कि मुझे स्पष्टीकरण के लिये मौका दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही। रेकार्ड मौजूद है मैंने तो सिर्फ इतना कहा था वह भी मजाकिया तौर पर कि-अामेर से आने वाले माननीय सदस्य एक पिस्तोल हैं जो उनके सामने आ जाता है उसी को मार देते हैं।

श्री मानसिंह महार: X X X लगेगी।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने यह एक वतीरा बना लिया है कि गलत तरीके से किसी बात को रख कर X से किसी को डराया जाय।

श्री मानसिंह महार : मैं नहीं, आप करते हैं। गृह मंत्री X है X हैं। मैं आपको X बताऊंगा इसका जवाब दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XX शब्द अनपार्लियामेण्टरी है।

श्री अध्यक्ष ! Man Singh Mahar Order please !!

श्री अध्यक्ष : बहुत खेद की बात है कि इस तरह का वातावरण बना और खेद ज्यादा इसलिये है कि श्री मानसिंह महार जो कि सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के सचेतक हैं, उन्होंने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इस स्थिति को ठीक करने के बजाय उसको बिगाड़ने में प्रोत्साहन दिया। उनके द्वारा एक दफा नहीं कई दफा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको सारे माननीय सदस्य उचित नहीं मानेंगे। इसलिए मैं इस

X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गय

(श्री अध्यक्ष)

वक्त इस बारे में ज्यादा न कह कर जो खास बात है जिस स्थिति के बारे में चर्चा हुई उस विषय में कहना चाहूंगा ।

माननीय विरोधी पक्ष के नेता सामान्य तौर पर संयम से बोलते हैं जिनका भाषण सदन आदरपूर्ण तरीके से सुनता है । यथा संभव जैसा स्वाभाविक तौर से होना चाहिए उनको आदर की दृष्टि से भी देखते हैं । उनके द्वारा कुछ आक्षेप लगाये गये व्यक्तिगत तौर पर श्री हरिदेव जोशी पर । उसके बारे में कुछ तथ्य श्री जोशी ने सदन के सामने रखे । उस दौरान में उप-मंत्री महोदय ने आपत्ति उपस्थित की और उस आपत्ति को माननीय विरोधी दल के नेता ने भी स्वीकार किया । जिस ढंग से ये बातें रख रहे थे और जिस तौर पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का काम शुरू किया था उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, उस स्थिति में यह सारी चीज खतम हो जाती ।

श्री हरिदेव जोशी : ने इस चीज पर आपत्ति प्रस्तुत की जिसका उनको हक है आपत्ति करने का । जिस किसी को दोषी ठहराया जाता है ऐसी बातें सदन में आनी नहीं चाहिये उसका निराकरण होना चाहिए । उन्होंने जो सुझाव दिया और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा कि यह मामला प्रीविलेज कमेटी के सामने भेजा जाय । मैं नहीं समझता कि यह प्रीविलेज कमेटी का प्रश्न है प्रश्न तो केवल यह है कि हमारी सामान्य परम्परा किस प्रकार की हो । हर एक बात को प्रीविलेज कमेटी में भेजना, प्रीविलेज कमेटी के सामने किस स्थिति म बहस करते हैं तो इसका निराकरण कभी नहीं हो सकता । और सदन की बहस का स्तर ऊंचा तभी उठ सकता है जब कि सदन के सारे माननीय सदन के सदस्य और विशेष तौर से विभिन्न दलों के प्रमुख सदस्य इसके लिये पूर्ण रूप से कटिबद्ध हों कि वे वाद-विवाद का स्तर ऊंचा रखेंगे और सभी तरह से ऊंचे स्तर से काम करते हुए, व्यक्तिगत आक्षेप न लगाते हुए सदन की परम्पराओं को कायम रखते हुए सुचारु ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे । पर खेद है कि सभी तरफ से इस बारे में विशेष विचार नहीं रखा गया ।

इसलिये इस चीज को तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय, लेकिन मैं आप सबकी सहमति से यह अवश्य चाहूंगा कि जो भी अपशब्द इस दौरान प्रयोग में लाये गये हैं, उन सब को सदन की कार्यवाही का रिकार्ड देख कर रिकार्ड से हटाये जाने की आपकी अनुमति हो ।

साथ ही मैं सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा, विशेष तौर से विरोधी पक्ष के नेता से, जो अपने पक्ष के ही नेता नहीं हैं, बल्कि जो सभी विरोधी पार्टियों के नेता माने जाते हैं, और इसके अलावा भी उनका ऊंचा स्थान है सदन में, जैसा सदन के नेता का होता है, उनका पद किसी विशेष पार्टी से संबंध नहीं रहता, वे सदन के नेता होते हैं, उसी तरह उनका पद भी विशेष पार्टी से नहीं रहता, विरोधी पक्ष के नेता का पद वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिसको हम और भी ज्यादा महत्व देना चाहते हैं क्योंकि मेरी निश्चित मान्यता है कि जब तक इस तरह से विरोधी पक्ष के नेता को सदन के समस्त सदस्यों द्वारा आदर की दृष्टि से

(श्री अध्यक्ष)

नहीं देखा जावेगा, तब तक सदन के वाद-विवाद के स्तर को जो हम सब ऊंचा उठा हुआ देखना चाहते हैं वह कभी नहीं देख सकते, तो मैं उनसे और सदन के समस्त सदस्यों से यह नम्र निवेदन करूंगा कि वे आपस में एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं। सदन के बाहर किसने क्या कहा, क्या किया उसके प्रकट करने के और निराकरण के और भी रास्ते हैं, कानून के बहुत से रास्ते हैं, और भी दूसरे सार्वजनिक रास्ते हैं जिनसे उन बातों को जनता के सामने रखा जा सकता है, अखबारों के द्वारा आप उन्हें रख सकते हैं, उनका प्रतिवाद कर सकते हैं। इसलिये बाहर की जो आपकी धारणाएं हैं, भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, उनका यहां पर न तो उल्लेख होना चाहिए, न उनसे प्रेरित होकर इस सदन की बहस को आगे बढ़ाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समझता हूं, कि यहां अभी जो कुछ हुआ है उसको एक तरह से आप भूल जावेंगे और यहां एक तरह से आप लोग अपना एक मन बनावेंगे, दिल में संकल्प करेंगे कि इस तरह की चीजें आगे से नहीं दोहराई जावेंगी। मैं आशा करता हूं कि अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए सदन के सभी माननीय सदस्य इस तरह की स्थिति कभी भविष्य में नहीं लायेंगे कि जिससे हमें इस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ें और उसका निराकरण करने की जरूरत पड़े।

अपना कथन, पुनः यह दोहराते हुए कि अभी की कार्यवाही को देख कर उनमें जिनको उपयुक्त समझूंगा उन अंशों को हटाने की आपकी अनुमति है, उनको वहां से हटा दिया जावेगा, समाप्त करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश मुझे शिरोधार्य हैं इस स्थिति में। अगर मैं प्रजातन्त्र में विश्वास करता हूं तो आपके आदेश, चाहे मुझे संतोष देते हों, अथवा न देते हों, मुझे उसे शिरोधार्य करना चाहिए।

किन्तु अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रति न्याय तभी होता जब कि आप, मैं सही हूं अथवा गलत हूं, इसका उचित फैसला करवाते। मैंने ऐसा अनुभव किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके माने यह है कि आपका अनुचित फैसला हुआ है।

श्री हरदेव जोशी : ये मेरे फीलिंग्स हैं।....

श्री मुकटविहारीलाल गोयल : इस पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री हरिदेव जोशी : कि इन शब्दों को कार्यवाही में से एक्सपन्ज करने के बदले में आप माननीय सदस्य से कहते कि वे अपने शब्द वापिस लेते। पर इसके एवज में आपने एक्सपन्ज करना ही ठीक समझा है तो उचित है। मैं इसको शिरोधार्य करता हूं।

श्री मुकटविहारीलाल गोयल : ये गाइडेन्स देना चाहते हैं चेयर को।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मात्र दो शब्द कहूंगा कि आप का निर्णय मुझे शिरोधार्य है।

जो चर्चा यहां हुई उससे रोष उत्पन्न हुआ। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
निवेदन करूंगा कि मेरे पर व्यक्तिगत आक्षेप जब से मैं यहां पर आया हूं गत साल से, तब से ही होने प्रारंभ हुए हैं ।

मैं भी आखिरकार मनुष्य हूं । मैंने अपनी भावनाओं को सरल रूप से सदन में रक्खा और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की आज तक, एक वर्ष के अन्दर, कि जिसके द्वारा किसी को व्यक्तिगत रूप से आक्षेप या ठेस पहुंचे ।

परन्तु एक सीमा के उपरान्त जब बार बार इस तरह के आक्षेप एक व्यक्ति के ऊपर निरन्तर हों और अवांछनीय और ऐसे आक्षेप हों कि जिनका इस सदन से संबंध नहीं हो, तो आखिरकार मैं भी मनुष्य हूं और मनुष्य होने के नाते मैंने भी अपने विचार और भावनाएं थोड़े रोष के साथ प्रगट कीं । यह मेरे ख्याल से स्वाभाविक है ।

आपका जो कुछ भी इस संबंध में निर्णय होगा, मुझे शिरोधार्य है और मैं तो हमेशा से इस सिद्धांत का मानने वाला हूं कि सदन की स्वस्थ्य परम्पराओं को ध्यान में रखा जावे और सदन में कोई ऐसी बात नहीं की जावे या कही जावे कि जिसके द्वारा इस सदन की डिग्निटी में कमी हो और इस संबंध में मैं पहले से भी पूरा अपना ध्यान रखता आया हूं और भविष्य में भी रक्खूंगा ।

श्री मानसिंह महार: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले यहां क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मेरे मुंह से शायद ऐसे शब्द निकल गये हों · · · · · ·

श्री अध्यक्ष: शायद, क्या, यह तो कहिये, निकल गये ।

श्री मानसिंह महार : उनके लिये मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए निवेदन करूंगा कि कल जो यहां मैंने बातें कही, उनके जवाब में जो माननीय गृह मंत्री ने अपने जवाब में जिस टोन के अन्दर उनका जवाब दिया वह आप देखिये और जो मैंने कहा वह भी आप देखिये । हम दोनों की स्पीचों को आप देखिये । मंगवा कर और फिर न्याय करिये । मैंने कोई गलत बात कही हो तो मुझे आप ताड़ना दीजिये, इस सदन में खड़े करवा कर माफी मंगवाइये और गृह मंत्रीजी ने कोई बात ऐसी कही हो तो उनको भी वही दंड दीजिये, तब मुझे संतोष होगा । और मैंने जो अपशब्द कहे हैं, उनके लिये मैं माफी मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष: इस संबंध में थोड़ी बहुत आपत्ति हो सकती है, पर उनकी भावना नहीं थी कोई इस तरह की ।

श्री मानसिंह महार: मैं तो पहले ऐसा कुछ मानता था, पर आज की बात को देखते हुए मैं तो इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं ।

श्री अध्यक्ष: जो शब्द कार्यवाही में से एक्सपन्ज किये जावेंगे जो कि कई लोगों ने इस्तेमाल किये हैं, उनको ऐसा माना जावेगा कि माननीय संबंधित सदस्य ने उनको स्वयं ने विथड्रा कर लिया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा कहने का अधिकार नहीं है । पर थोड़ा निवेदन कर देना उचित समझता हूं कि आपने जो आज के इस अवांछनीय वाद-विवाद के संबंध में जो रूलिंग दी है उस रूलिंग के संबंध में आपकी यह व्यवस्था चाहूंगा कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हो । क्योंकि इस प्रकार की रूलिंग जो विधान सभा में ताड़ना के रूप में मिली है, समाचार पत्रों में जावेगी तो राज्य विधान सभा के नाम पर बट्टा लगेगा ।

श्री अध्यक्ष: मैं तो यह नहीं कह सकता कि इस बात पर कैसे व्यवस्था दी जा सकती है, पर यह अवश्य आशा की जा सकती है, कि जिस तरह की भी रिपोर्ट प्रकाशित की जावे, माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए की जावे।

(विराम)

श्री कुमारानन्द।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष अपने कटौती प्रस्ताव १८ से ३४ प्रस्तुत करते हुए उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की गरमा-गरम बहस के बाद जो बात सामने आई उससे मालूम हुआ कि हमारी असेम्बली में भी ऐसा वाद-विवाद होता है जो कि सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

अभी ऐसी गरमा-गरम बहस के बाद शायद हमको भी कुछ गरमा-गरम बहस करनी पड़े पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वे गरमा गरम शब्द सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं होंगे।

आज मैं आप से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो सरकार हमारी है अभी, और जो श्रम और मजदूर की भलाई का दम भरती है, मैं साफ शब्दों में चेलेञ्ज के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार मजदूरों की, श्रमिकों की भलाई करने वाली नहीं है, बल्कि मजदूरों की विरोधी सरकार है और मालिकों की हिमायती सरकार है। मैं इस सरकार पर एक एक करके चार्ज लगाऊंगा

(१.२० म०प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

और एक एक चार्ज का जवाब श्रम मंत्री से चाहूंगा।

पहले मैंने इस सदन में कई बार कहा और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी गवर्नमेंन्ट को जानने के लिये उसका क्लास-करेक्टर क्या है यह जानना चाहिये। हमारी सरकार का क्लास करेक्टर कपेटीलिस्टक क्लास करेक्टर है सोशियेलिस्टिक क्लास करेक्टर नहीं है। सभापति महोदय, माननीय श्रममंत्री जी ने कहा मैं इसका जवाब दे चुका हूं, मैं उसका फिर जबाब देता हूं।

वह जवाब यहीं है माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा था कि मैं ऐसी क्लास से आता हूं, हमारे वर्ग से मालूम होता है कि वह क्या है अर्थात् आपने डिफेण्ड किया है कि कांग्रेस का क्लास करेक्टर डिमोक्रेटिक है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस के लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा इज्जत है। मैं २५ वर्ष कांग्रेस में रहा हूं लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमारे श्रममंत्री ने जवाब में कहा था कि मैं ऐसे वर्ग से आता हूं। मैं कहता हूं, कि वह ठीक है लेकिन एक ही बात है There is one common thing in between me and Shram Mantri.

श्रम मंत्री जी भी यहीं है कि he has betrayed his own cause and I have betrayed my own cause. That means मैं एक एरीस्ट्रोक्रट फेमिली से आता हुआ मजदूरों का और समाजवाद का हिमायती हूं और हमारे श्रम मंत्रीजी ऐसी क्लास से आ रहे हैं जिससे मालूम होगा कि उन्होंने कैपीटेलिस्ट को ज्वाइन किया है। आपने अपने वर्ग से विट्रेड किया है। इसलिये मैं इसका ठीक

Page No 61

(श्री कुमारानन्द)

जवाब यही देना चाहता हूं कि अगर सरकार कहती है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने ने बजट पेश करते हुए कहा था कि We are wedded to Socialism हम यह कहना चाहते हैं कि अगर यह बात कहते हैं वित्त मंत्री जी कि We are wedded to capitalism तो ज्यादा ठीक होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापति, जी कि मैं कुछ चार्जेज लगाऊंगा जैसा मैंने कहा मुझे कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है ।

It has its glorious record its past. It has glorious history of its past sacrifices for the motherland. And its future should have been a burning tourch. But unfortunately it is not so. Once most disciplined and biggest organisation of the world has become a sinking boat today.

इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, माननीय सभापति, जी पाली से शुरू करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं मैंने इंगलिश में बोल दिया· ·

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बात बड़ी महत्वपूर्ण है सब जानना चाहते हैं।

श्री कुमारानन्द : मैं कहता हूं कि कांग्रेस किसी जमाने में बिगेस्ट आर्गेनाइजेशन था। दुनियां में सबसे बड़ा आरगेनाइजेशन और बड़ा डिसीप्लीण्ड आर्गेनाइजेशन था। मैं भी कांग्रेस का सैनिक था। उसका गर्व था मुझे लेकिन कांग्रेस जो है, वह जलती हुई मशाल थी लेकिन अब डूबती नाव के बराबर है।

तो पाली का ही उदाहरण लीजिये। मैं एक चार्ज लगाता हूं पाली के बारे में और वहां की बोनस के बारे में। पाली के मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया था। मैं पिछले अक्टूबर में सदन में मौजूद था। मैं क्योंकि राजस्थान में इन्टक का मेम्बर हूं। मेरे पास भी खबर आई कि पाली के मजदूर हड़ताल में जाने वाले हैं। मैंने उस समय हड़ताल में जाना उचित नहीं समझा। उस समय चीन का हमला भी जोरों से तेजी पकड रहा था। मैंने कहा कि यह मूर्खता होगी इस समय हडताल में जाना तो मैंने श्रममंत्री जी को एप्रोच किया और वह और मैं मिलकर पाली में यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव को और मालिक को बुलाया। समझौता हुआ वह क्या हुआ कि मोहन पुनमिया को सरकार ने जेल में डाल दिया। उसने पहली शर्त रखी की एक दिन मजदूर काम करेंगे और मालिक उतना ही पैसा देंगे। दूसरी शर्त यह थी कि पाली में बोनस के लिए कोई झगड़ा नहीं है और मैंने मेरे मोहन पुनमिया को समझाया कि मैं कम्यूनिस्ट हूं लेकिन सबसे पहले हिन्दुस्तानी हूं। उन्होंने हमारी बात को माना। उसी ने सबसे पहले रखा कि एक दिन मजदूर काम करके जितना पैसा देंगे उतना ही मालिक देंगे। फिर दूसरी बात उसमें यही थी कि हाईकोर्ट का जज अपाइन्ट होगा पाली के मजदूरों के बोनस के निपटारे के लिये। २३ अक्टूबर को लिखा पढी हुई, हमारे सामने, और श्रम मंत्री जी और मैं, मोहन पुनमिया, सेक्रेटरी हमारी यूनियन के और पाली मिल के मजदूर और इन्टक के सेक्रेटरी श्री भंवरलाल बिजोरा यह एग्रीमैन्ट हुआ था सभापति जी कि हाई कोर्ट का जज अपाइन्ट होगा। निपटारा हुआ और हड़ताल वापिस ली गई। मैंने कई बार

(श्री कुमारानन्द)

श्रम मंत्रीजी से पूछा कि हाई कोर्ट का जज अपाइन्ट हुआ या नहीं कई बार श्रम मन्त्री जी से मैंने पूछा कि हाईकोर्ट का जज क्यों नहीं अपाइन्ट हुआ। वह हमेशा टालते रहे और कहा कि हाईकोर्ट का जज अपाइंट हो रहा है, कोई अच्छा जज मिलेगा तो हम अपाइंट करेंगे, यह विश्वास दिलाते रहे। सभापति जी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो समझौता हुआ वह समझौते के खिलाफ अब लेबर कमिश्नर की चिट्ठी पाली यूनियन के पास जाती है कि हमने हाईकोर्ट के जज को अपाइंट नहीं किया। जो सरकार अपने समझौते को तोड़ती है, अपने ही एग्रीमेन्ट को तोड़ती है, सभापतिजी, वह मजदूरों की दुश्मन है या मजदूरों की हिमायती है? वह मालिकों की हिमायती है।

मैं दूसरा आपके सामने एक चार्ज और लगाता हूं वह यही है कि पहले ट्रिब्यूनल के जज मिस्टर कौल थे एक रिटायर्ड जज। उसके बाद आज तक ट्रिब्यूनल का जज अपाइंट नहीं हुआ। क्या कारण है कि ट्रिब्यूनल का कोई जज अपाइन्ट नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन ट्रिब्यूनल का जज है? यह मेरा दूसरा चार्ज है।

तीसरा चार्ज मेरा है कि मई, १९६० में आबू में एक मीटिंग हुई थी। वह मीटिंग किसने की थी। इन्टक के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और मालिकों के प्रतिनिधि। हमारे सोशियेलिस्ट्स के प्रतिनिधि को किसी ने नहीं बुलाया। इन्टक के प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि और आपकी सरकार, इन तीनों की मीटिंगें आपके आबू में हुईं। उसमें क्या तय हुआ वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं तो आपको मालूम होगा कि सरकार ने मिल मालिकों की मदद करके करीब १० लाख रुपये मिल मालिकों के पॉकेट में दिये हैं। मिल मालिकों का फायदा किया है और मजदूरों का गला घोटा है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने श्रम डिपार्टमेन्ट से कहा कि आपको इन्डेक्स नंबर सही नहीं निकालना आता हो तो हम मदद कर सकते हैं, हम जानते हैं, इन्डेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। सभापति महोदय, अभी थोड़े दिन हुए वहां पर क्या तय हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर यह तय हुआ था कि सेन्ट्रल वेज बोर्ड के मुताबिक १९६० के महीने में तय हुआ था कि ब्यावर का इन्डेक्स नंबर १०५ बेस मानकर वहां पर मजदूरों को को इन्डेक्स नंबर सिस्टम से उनको तनख्वाह दिया जायेगा। माननीय सभापति जी, अभी थोड़े दिनों में क्या हुआ है कि एक चिट्ठी ४ फरवरी को आपके मिल मालिकों को लिखी गई है श्रम डिपार्टमेन्ट की तरफ से कि तुमने जो एग्रीमेन्ट किया था उसको पूरा नहीं किया है इसलिये तुम उस एग्रीमेन्ट को पूरा करो।

माननीय सभापतिजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आज उनको लिया जाय तो १९६२ के सितम्बर तक करीब १६० पीछे करेंगे। यदि इस प्रकार करते हैं तो मैं आपको फिगर देता हूं। आपके सामने जनवरी से अब तक के एक एक माह के इन्डेक्स फिगर सुनाता हूं:–

जनवरी में १०६ फरवरी में १०६ मार्च में १०६
अप्रेल में १०८ मई में १०९ जून में १०८
जुलाई में ११० अगस्त में ११२ सितम्बर में ११६

और अब हो गया ११९ सभापति महोदय। तो इस तरह से ब्यावर के इन्डेक्स को बेस मानकर यदि यह हो जाय तो हरेक मजदूर को जनवरी में ३४ नये पैसे, फरवरी में ३४ नये पैसे, मार्च में ३४ नये पैसे और

(श्री कुमारानन्द)

अप्रेल में १ रु० २ आ. मई में ३६ नये पैसे पडते हैं। जून में फिर १) रु० बढता है जुलाई में १ रु० ७ आ० बढते हैं, अगस्त में २ रु० ३८ नये पैसे बढते हैं, सितम्बर में २ रु० ७२ नये पैसे बढते हैं और अक्टूबर में ३) रु० ५ नये पैसे बढते हैं। एवरेज में यदि मान लिया जाय तो २) रु० हर मजदूर के बढ जाते हैं। हर महीने में। तो मैं पूछता हूं इस २ साल में समापति महोदय, हमने हिसाब लगाकर देखा तो ४ लाख २० हजार रुपये इस मिल के मजदूरों के बकाया हैं। ४ लाख २० हजार रुपये अब तक बकाया पडे हैं। मालिकों के खाते हैं मजदूरों के। उनका गला घोंट कर क्यों मारना चाहते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं? श्रम मंत्रीजी से मैं यह जनना चाहता हूं कि आपने इसके लिये क्या कदम उठाया? फरवरी में आपने चिट्ठी लिखकर भेजी उसका क्या हुआ? उसके बाद आपने क्या किया?

मैं फिर एक चार्ज लगाना चाहता हूं। ट्रीब्यूनल ने डिसीजन दिया था ब्यावर के एडवर्ड मिल के मालिकों और मजदूरों के मामले में। मिल मालिक हाई कोर्ट में जाते हैं, पर वहां भी हार गये। लेकिन हमने जब त्रिपारटाइट एग्रीमेन्ट किया है कि आपसी भेद-भाव समझौते से मिटा लेंगे। ट्रीब्यूनल में इसके लिये नहीं जायेंगे फिर भी त्रिपारटाइट एग्रीमेन्ट को तोड कर हाई कोर्ट में क्यों जाते हैं?

मैं और भी कहना चाहता हूं। आपके लेबर डिपार्टमेन्ट में एक जोशी जी हैं, हालां कि और भी हैं एक मिस्टर ओंकारनाथ हैं, एक मिस्टर टी. सी. जैन हैं लेकिन आपके जोशीजी ने सारे लेबर डिपार्टमेन्ट को केपचर कर रखा है। जितना लेबर डिपार्टमेन्ट का काम है सब जोशी जी के अंडर में कर देना चाहिये। लेबर वेलफेयर उनके हाथ में है, रजिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, रेफरेन्स उनके हाथ में है, इन्सपेक्टर्स हैं, वे भी उनके हाथ में हैं, सारा का सारा उनके हाथ में है...

श्री **भीखाभाई** (श्रम मन्त्री): जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं मेरा ऐसा ख्याल है कि जो अधिकारी यहां पर हाउस में प्रस्तुत नहीं है उनको चार्ज लगाना उचित नहीं है।

श्री **कुमारानन्द** : करेप्ट अधिकारी है, मजदूरों का नुक्सान कर रखा है

He should be brought before this House. I pray to the President (Chairman) Mr. Joshi should be called in this house and.............

मैं पूछना चाहता हूं कि यदि जोशीजी के हाथ में श्रम विभाग है तो उनको छुट्टी दीजिये। क्यों आप सरकार का पैसा बरबाद कर रहे हैं। और भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेस के डाइरेक्टर बीकानेर गये थे वहां उन्होंने प्रेस एम्पलोईज यूनियन के वही खाते देखे। जब उनसे पूछा कि कैसे देखते हो तो कहा कि लेबर डिपार्टमेन्ट की पर्मीशन लेकर आये हैं। क्या यह सच है, कि आपने मि० शिवहरे को पर्मीशन दी थी कि वे लेबर यूनियन का वही खाता देख सकते हैं? मैं लेबर मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी यूनियन का रेकार्ड वही खाता देखा गया है? क्या राइट है कि वह उनको डराये, धमकाये और कहे कि लेबर डिपार्टमेन्ट की पर्मीशन लेकर आया हूं, मैं आपसे जबाब चाहता हूं फिर मैं एक बात और कहता हूं हमारी त्रिपारटाइट कान्फ्रेन्स हुई.....

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) मैं निवेदन करदूं कि आपकी पार्टी के ५ मिनिट और हैं ।

श्री कुमारानन्द : मैं तो बोलना चाहता हूं ।

श्री भीखा भाई श्री रामानन्द जी नहीं : बोलेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर):Let him speak.

श्री सभापति : Please continue.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) केवल पांच मिन्ट बचे हैं ।

श्री कुमारानन्द : तीस मिनट में से ५ मिनट वचे हैं । २५ मिनट बोल चुका हूं ।

श्री सभापति : Yes please.

श्री कुमारानन्द : मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं दो चार मिनट ज्यादा ले लूं तो देंगे । यह तो आपके हाथ में है.....

श्री सभापति : ज्यादा समय देना मुश्किल है ।

श्री कुमारानन्द : मेरा कहने का मतलब यह है कि माननीय सभापति जी, हमारे यहां पर त्रिपारटाइट एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक यह हुआ था कि स्टेंडिंग लेबर कमेटी की मीटिंग बुलायें । जब तक रिट्रेंचमेंट नहीं होगा और आपस में मिल कर हम फैसला करेंगे सब बातों पर । लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. में रिट्रेंचमेंट हुआ है । आपके रतनगढ़ पावर हाउस में दस आदमियों का रिट्रेंचमेंट हुआ है । और शायद लेबर डिपार्टमेंट में इसके बारे में खबर आई है लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं है ।

क्योंकि टाइम नहीं है, मैं और बहुत कुछ बोलना चाहता था, एक बात और कहना चाहता हूं । आपके ब्यावर में एडवर्ड मिल में, और ब्यावर में नहीं भीलवाड़ा और सब जगह मिल मालिक ऐसा करते हैं— मजदूरों से प्रोवीडेंट फंड का पैसा ले लेते हैं, एल. आई. एस. का पैसा ले लेते हैं और उसको अपने अकाउण्ट में डाल देते हैं । उससे मजदूरों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है और न उसका वे हिसाब देते हैं । एडवर्ड मिल में यह सब चलता है । इसके अलावा ब्यावर में कृष्णा मिल में थर्ड शिफ्ट चलती है, वैसे सरकार से पर्मीशन लेनी पड़ती है थर्ड शिफ्ट के लिए, लेकिन वहां गैरकानूनी ढंग से मजदूर काम करने जाते हैं उसने सरकार से पर्मीशन नहीं ली है ।

एक बात और कि कानून के मुताबिक हर काम करने वाले मजदूर को तीसरी साल परमानेन्ट कर दिया जाता है, लेकिन चार-चार, पांच-पांच वर्ष बीत गये लेकिन मजदूर आज भी टेम्प्रेरी हैं । यह आपकी सरकार की हालत है ।

अब मैं टेक्सटाइल्स के बारे में ज्यादा नहीं कहता हुआ सिर्फ आपके सामने, माननीय सभापति महोदय, मोटर ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं । वह यह है कि मोटर ट्रांसपोर्ट का नेशनेलाइजेशन पहली मार्च १६६२ को एन्फोर्स हुआ, और मोटर ट्रांसपोर्ट रूल्स जुलाई १६६२, में एन्फोर्स हुए थे । सभापति महोदय, इसमें प्रोवीजन है कि यूनीफार्म और उसकी वाशिंग के लिए दो रुपये उनको देंगे । लेकिन आज

(श्री कुमारानन्द)
तक नहीं दिये हैं। आपके ट्रांसपोर्ट वर्क्स के रूल्स हैं वे जुलाई में बने, इसलिए मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत इसे एन्फोर्स में नहीं ला सके, इसलिए इसमें जो कम से कम पन्द्रह हजार मजदूर काम करते हैं राजस्थान में, तो दो रुपये के हिसाब से कम से कम तीस हजार रुपये का मजदूरों का नुकसान हुआ है हर महिने में, और इस तरह से कम से कम तीन लाख का नुकसान हुआ है मजदूरों को । इसी के साथ साथ उसमें दिया हुआ है कि यूनीफार्म दिया करेगी मोटर ट्रांसपोर्ट । एक यूनीफार्म कम से कम चालीस रुपये की होती है । वह यूनीफार्म उनको आज तक नहीं दी गई है । और उसमें भी कम से कम मजदूरों का छः लाख रुपया मालिकों की पाकिट में है । यह हमारी सरकार की हालत है, जो यह कहती है कि हम आजाद हुए हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, हम आजाद हिन्दुस्तान म रहते हैं और आजाद देश में हमारे मंत्री हैं, आजाद देश में भारत के प्रेसीडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, इस देश की आजादी के लिए, माननीय सभापतिजी, मैंने १९०५ में काम करना शुरू किया । आज ५८ वर्ष हुए, हमने तब से राजनैतिक जीवन को देखा है ।

१९०५ की एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । १९०५ में मैं गांवों में गया, जब मैं सौलह साल का बच्चा था । गांवों में जाकर लोगों से कहा, देश की आजादी के लिए तुम लोगों को अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए । उस वक्त मैं क्रांतिकारी पार्टी म था । तो एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था, उसने पूछा—तुम्हारी आजादी में हमारे लिए क्या होगा ? आज यही बात मेरे दिल में भी है । हिन्दुस्तान आजाद हुआ, भारत, हमारा देश आजाद हुआ, फिर भी हमारे देश में हमारा लेबर डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट पैसे वालों का हिमायती है, मालिकों का हिमायती है । हमारा जो शासन है, इसके जो वर्क्स हैं, वे सोशियलिज्म के हिमायती नहीं हैं । उसमें केपिटलिस्ट्स हैं और वे केपिटलिस्ट्स के हिमायती हैं । इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, जैसा आपने कहा कि टाइम हो चुका है, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा मान कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति, मैं एक व्यवस्था चाहूंगा·····

श्री सभापति : Order please !

एक माननीय सदस्य : आज पांच दिन हो गये हैं, मेरा नम्बर नहीं आता है । मैं रोजाना कट मोशन देता हूं । लेकिन मुझे मौका न देकर जान पहचान के सदस्यों...

श्री सभापति : I will bear that in mind. आप स्थान ग्रहण करें। श्री हरिप्रसाद ।

एक माननीय सदस्य : को मौका दे दिया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं । आपका नम्बर लगा दिया गया है ।

श्री हरिप्रसाद (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, श्रम के संबंध में मैंने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में देश के अन्दर अगर कोई देश की बुनियाद है तो वह श्रमिक है। देश में किसी प्रकार की योजनाएं बनें, उद्योग बनें, बांध बनाये जायं, किसी प्रकार भी व्यवस्था में परिवर्तन करें, उस सबका उत्तरदायित्व श्रमिकों पर रहता है। राजस्थान में जो श्रम नीति है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार वास्तव में मजदूरों की हित-चिन्तक नहीं है। अव्वल तो जो कानून बने हैं वे पूर्ण नहीं हैं। अगर पूर्ण भी हों तो उनका किसी प्रकार पालन नहीं होता है। अभी भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के बारे में एक वेज बोर्ड की स्थापना की। कई उसके सदस्यों ने आन्तरिक स्थिति जानने की कोशिश की और उसके बाद उस वेज बोर्ड ने वेजेज कायम करके दिये। लेकिन राजस्थान में जो दो सीमेंट उद्योग हैं—एक लाखेरी का है और दूसरा सवाई माधोपुर का है। सवाई माधोपुर के अन्दर इतने वर्षों के बाद भी वह अवार्ड लागू नहीं हो सका है। हमारे श्रम मंत्री ने उन पर दया करके उस अवार्ड को लागू कराने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, जो वेज बोर्ड के अवार्ड को लागू किया गया है, उसके अन्दर अनियमिततायें की गई हैं और धांधलियां हैं। हमारे श्रम विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। अवार्ड में खास करक छोटे मजदूरों को प्राथमिकता मिली है और उनके पैसे में वृद्धि हुई है, किन्तु ग्रेडेशन के आधार पर और अन्य तरीकों से वास्तव में मजदूरों का गला घोंटा गया है। जहां वेज बोर्ड ने इस बात को कहा है कि मजदूरों का फायदा हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि राजस्थान में फैक्ट्री में जिस प्रकार का ग्रेडेशन कायम है, उसको नहीं बदला जा रहा है। जो सी ग्रेड का आदमी है, उससे ए ग्रेड में काम लिया जाता है। उनसे काम लिया जाता है लेकिन उनके ग्रेडेशन में फर्क नहीं है। इसके अलावा मजदूरों में असमानता है। आपने संकटकाल के जमाने में एक औद्योगिक समझौता कायम किया है, उसका तात्पर्य यह है कि श्रमिक ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायें और ज्यादा से ज्यादा देश की सेवाएं करें। एक तरफ तो आप यह उनसे चाहते हैं और दूसरी तरफ आप मजदूरों की इस तरह से उपेक्षा करते हैं।

मजदूरों ने जिन्होंने बडे बडे महल बनाये, बंगले बनाये, नहरें और बांध बनाये लेकिन आज आप मजदूरों की हालत को देखेंगे तो आपको यह कहूंगा कि आपकी आंखों से आंसू उनकी हालत को देखकर जरूर निकल पडेंगे। एक दफा लाखेरी में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मंत्री श्री गुलजारीलालजी और अन्य मिनिस्टर सब वहां पर गये थे उन्होंने वहां जा कर उन मजदूरों की हालत देखी तो उनको मालूम हुआ कि उनकी बहुत हालत खराब है। वे मजदूर जो सीमेन्ट के लिये पत्थर पीसते हैं और जिस सीमेन्ट के कारण आज हम बडे बडे महल और बंगले बने हुए देखते हैं, उनके लिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके लिये रहने का अच्छा प्रबन्ध नहीं है। वे लोग ५ फीट की

(श्री हरिप्रसाद)

झोपड़ी में रहते हैं। ४० वर्षों के बाद आपने इनको झोंपडे दिये हैं और यह भी सुना है कि आपने उसका किराया ४॥) रुपये काटना शुरू कर दिया है। यह हमारे लिये बडे शर्म की बात है। आपने ठेकेदारी की प्रथा कायम की है। मैं यह कहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने वाली है इसलिये इस प्रथा को बन्द कर दिया जावे। और बीमा योजना लागू की जावे। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि लाखेरी में एक कोल गैंग नाम का महकमा है वहां ५९८ मजदूर काम करते हैं पहले उनके यहां प्राविडेन्ट फन्ड की व्यवस्था थी। ८१ आदमियों का प्राविडेन्ट करीब १॥ साल तक कटा भी था। लेकिन अब यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है कि ये मजदूर ठेकेदार के मजदूर हैं। इसलिये उनका प्रॉविडेन्ट फन्ड काटना बन्द कर दिया है। मैं यह कहूंगा कि इससे सारे वेजेज एक्ट उन पर लागू नहीं होते क्योंकि वे ठेकेदार के आदमी हैं इसलिये इसके लिये ठेकेदारी प्रथा को बन्द की जाए।

इसी प्रकार जीवन बीमा योजना का फायदा उनको नहीं मिलता। क्योंकि ठेकेदार इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। इसके १५ लाख रुपये आज भी मालिकों के पास पड़े हैं और ब्याज कमाते हैं। आपने बीमा योजना के आधार पर हास्पिटल खोल कर एक ढोंग किया है। लाखेरी के अस्पताल में लेडी डाक्टर नहीं है। सिर्फ १२ बैड रखे हैं। सरकार को चाहिये कि जब सब मजदूरों के पैसे कटते हैं तो उनको ठीक तरह से दवाइयें उपलब्ध होनी चाहिये। मगर उनको दवाइयें उपलब्ध नहीं होती। हालत यह है कि वहां आज लेडी डाक्टर नहीं है।

अब सीमेन्ट पेकिंग प्लान के संबन्ध में कहना चाहूंगा। वहां पर रात और दिन मजदूरों को सीमेन्ट के बीच में रहना पडता है। वहां लोडिंग का काम होता है। हजारों मजदूरों को पेट की बीमारी होती है क्योंकि सीमेन्ट उड उड कर उनके पेट में चली जाती है। इसलिये उनको कुछ राहत मिलनी चाहिये जो आज नहीं मिल रही है। मैं यह कहूंगा कि यह काम भी ठेकेदारों के मारफत कराया जाता है। वे लोग उनको सहूलियतें नहीं देते और उनका शोषण करते हैं। अतः ठेकेदारी प्रथा को बन्द करके मजदूरों का शोषण होता है उसको रोका जाए। मजदूरों को फैक्ट्री के बाहर निकाल देते हैं ताकि एक्ट उन पर लागू नहीं हों। आपने इस बात को माना है कि मजदूर और मालिक मिल कर अपने झगडों को निपटाएं और इसके लिये आपने एक लेबर ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके मारफत कहना चाहता हूं कि आपके यहां एक ही ट्रिब्यूनल है जिसके जज भी ठेके पर आए हुए हैं। इस कारण हजारों मजदूरों के केसेज कई समय से पैन्डिग पडे हुए हैं। कई मजदूर डिस मिस कर दिये जाते हैं और उनकी अपीलों का फैसला भी नहीं हो पाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं समय का ध्यान रखूंगा इस प्रकार मजदूरों की बुरी दशा है। यह न्याय देनेवालों को उदार चित्त होकर सोचना चाहिये कि उनको कानून के द्वारा राहत मिले।

(श्री हरिप्रसाद)

संकट के समय आप यह कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो, मगर आपको चाहिये कि जो उनके अधिकार हैं और उन पर जुल्म होते हैं मेनेजमेंट द्वारा उससे तो उनको बचाया जाए। पेकिंग प्लान के अन्दर काम करने वाले मजदूर १५ वर्ष से ज्यादा काम नहीं कर सकता। उसको १५ वर्षों के बाद घर बैठना पडता है क्योंकि उनके पेट में सीमेन्ट चला जाता है और वह उनके पेट में चिपक जाता है। कई मजदूरों को इस प्रकार की शिकायत है और जब डाक्टर किसी मजदूर को लिख देते हैं कि हल्के काम करो तो मेनेजमेंट कहता है कि हमको हल्के काम करने वालों की जरूरत नहीं है या तो पूरा काम करो वरना चले जाओ ?

अब मैं दो शब्द रोडवेज के बारे में कहूंगा। कई रोडवेज के मजदूरों को सरकार ने मोअत्तिल कर रखा है और साल साल भर से वे लोग मोअत्तिल हैं लेकिन उनका फैसला नहीं हो पाया है। उनका फैसला होना चाहिये कि किन कारणों से उन्हें मोअत्तिल कर रखा है। इसके अलावा उनको वर्दी नहीं मिली है। कई ड्राईवरों को टूलबोक्स नहीं मिले हैं। सरकार की इस प्रकार की अव्यवस्था की वजह से उन पर जुर्माना होता है तो वह उन मजदूरों पर लादा जाता है। यह स कार की अव्यवस्था के कारण ही है।

अब मैं श्रम के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं·····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने ३० मिनट हमारी पार्टी को बोलने के लिये दिए हैं। उसमें से हमारी पार्टी ने १५ मिनट मेरे लिए दिए हैं।

आपने जोइण्ट कौंसिल बनाई जाने का निर्णय लिया कि मजदूर व मालिकों को मिलाकर एक कौंसिल बनाई जावे। जो मजदूरों व उद्योगों के बीच में समझौता आदि करावे। मगर जिन लोगों को मजदूरों ने खड़ा किया उनको अलग कर दिया और जब उनकी पूरी संख्या नहीं हुई तो उनको बुलाया गया। इस प्रकार आप वर्किंग कमेटी का ढोंग क्यों करते हैं। आज आप देखते हैं कि फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा होते हैं। आपके बोइलर इन्सपेक्टर आदि जाते हैं लेकिन वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं।

श्री भीखा भाई : (वन मंत्री) : मशीनें कब से लगाई हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ४० वर्ष पुरानी है। एक्सिडेंट नोट नहीं किये जाते हैं और अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते।

श्री भीखाभाई : आप लाइनोन के बारे में बता रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसके अलावा मैं थोड़ी बातें वन के संबंध में कहूंगा।

लाखों रुपया वन सुरक्षा के लिये हम खर्च करते हैं। हमने इस बात को ध्यान में रख कर कि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, वह मजदूरों को मिले, इसलिये मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई। लेकिन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जाता है और मजदूरों को नहीं। आज भी हम बूंदी में देखते हैं कि वहां क डी. एफ. ओ. ठेकेदारों को माल बोली पर छोड़ता है। सोसाइटीज को ठेका नहीं मिलता है। ठेकेदारों को मिलने से मजदूरों को पैसा

(श्री हरिप्रसाद)

नहीं मिलता। मजदूरों की सोसाइटीज को यह ठेका समय पर दे दिया जाता है तो ठीक वरना मजदूरों को पेमेण्ट नहीं हो सकता। आज यही कारण है कि हमको लकड़ी जलाने के लिये नहीं मिलती। आप वन-करण योजना बनाते हैं लेकिन आपको यह देख कर परेशानी होगी कि उसके अनुसार लकड़ी के लिये जिस प्रकार की सहूलियतें हम देना चाहते हैं वह लोगों को नहीं मिलेगी।

जो लोग जंगल के बीच में रहते हैं यदि आप उनको कहें कि १० मील का चक्कर काट कर लकड़ी लाओ तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एक भारी लकड़ी लेने के लिए १० मील का चक्कर लगाएगा। यह योजना जो आप बना रहे हैं बिल्कुल निकम्मी योजना है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे अनियमितताएं और ज्यादा बढ़ेंगी। पहले भी जनलेखा समिति के सामने कई इस विभाग की अनियमितताएं आई हैं।

जन लेखा समिति की रिपोर्ट १९६१-६२ में, अलवर में कत्था के ठेके की रकम की वसूली अभी तक नहीं की है। कमेटी ने साफ लिखा है कि अभी तक उसके हजारों रुपये बाकी हैं। वसूली नहीं कर पाये हैं।

इसके अलावा १९५४ में एक लाख ३९ हजार के औजार खरीदें। टेण्डर १५ फरवरी को, १७ फरवरी को छपा। २२ फरवरी आखिरी तारीख थी। टेण्डर का समय बहुत कम था इसलिए टेण्डर न आ सके और बाजार भाव से खरीदे गये। १३ मार्च को इसकी स्वीकृति आई। आज उसमें से ४३ हजार के औजार काम में नहीं आ सके हैं।

इसी प्रकार सन् ५४ में १७,९३२ रु० का ट्रेसिंग पेपर खरीदा। उसमें से १६ मई, १९५९ तक ६ हजार ६०० रु० का काम में आया। बाकी का ११ हजार ३०० रु० का काम में नहीं आने से बेकार हुआ और जिसे फेंकना पड़ा। ५ हजार का नीलाम किया जाना चाहिए था किन्तु अभी तक वह नीलाम नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि जनता की खून और पसीने की कमाई यों ही बेकार जाती है। सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया।

एमर्जेन्सी के जमाने में एक एक पैसे की जरूरत होती है। यदि अधिकारी इस प्रकार से अन्धाधुन्ध कार्य करेंगे तो जनता का पैसा फिजूल बरबाद होगा।

वन-करण योजना के संबंध में, मैं यह निवेदन करूंगा कि कूप काफी दूर पर बनाए गए हैं जिससे लकड़ियां नहीं मिलतीं और किसान जाते हैं तो झगड़े होते हैं। मुर्दों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती। यह राजस्थान का कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन हमारे अधिकारी पेपर पर बहुत कुछ बता देते हैं। उनका कहना है कि वन-करण योजना के बनने के बाद यह लकड़ी की समस्या हल हो जावेगी। उनका यह कहना इस प्रकार से है कि किसी को आप ११ महीने खाने को दें और एक महीने नहीं दें। यदि ऐसा करेंगे तो वह आदमी मर जाएगा। यह सरकार की दिवालियापन की नीति चल रही है। मैं यह कहूंगा कि आपको इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा उदार होना चाहिए।

Page No 70

(श्री हरिप्रसाद)

श्रमिकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके प्रति आपको उदार होना चाहिए, देश हमारा है किसी की ठेकेदारी नहीं है। श्रमिकों और उनके बाल बच्चों के लिये आपने क्या किया है? उनके रहने की जगह सेनिटेशन की क्या व्यवस्था है, उनके रहने के मकानों की क्या व्यवस्था है, समय पर उनको मुआवजा मिलता है या नहीं, इन सब बातों को देखना आपका परम कर्तव्य हो जाता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यही सारी बातें कह कर मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में पेश कर रहा हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, मेरे वन विभाग पर ४ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव इस प्रकार है: "Demand No. XXXIV, Major Head 70-to discuss administrative inefficiency of the department.

सभापति महोदय, जैसा कि अभी विरोधी पक्ष के नेता महोदय, ने बताया था कि सन् ५०-५१ से आज तक फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की इनकम और एक्स्पेन्डीचर के आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं आया है और यदि हम यह मान लें कि यह विभाग रेवेन्यू अनिंग डिपार्टमेन्ट नहीं है, बल्कि लोगों को सुविधा देने, लकड़ी वगैरह की सहूलियतें देने के लिये मोस्टली रन किया जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा प्रस्ताव है, यह इसलिये है कि जब लाखों रुपया इसलिये लगाया जाता है कि लोगों को जलाने के लिये लकड़ी मिले, मकानों के लिये लकड़ी मिले और लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी राजस्थान में वन विभाग की ओर से लकड़ी समस्या बनी रहती है। तो यह वन विभाग की सबसे बड़ी इन-एफिसियेन्सी है। मैं वन विभाग की सबसे बड़ी इन-एफिसियेन्सी बताऊंगा। सबसे पहले फोरेस्ट सेटलमेंट डिपार्टमेंट पर मेरी आपत्ति है। जब तक Forest Settlement नहीं हो जाता, हर गांव में, हर जंगल में, अनिश्चितता बनी रहती है, कि कौनसा जंगल इसमें ले लिया जायगा और लोगों को क्या असुविधा होगी। उनको पता नहीं चलता तब तक सस्पेन्स और इन्सीक्योरिटी सब जगह बनी रहती है।

जहां जंगलात की बहुतायत है, हर जगह फोरेस्ट सेटलमेंट के झगड़े चले हुए हैं। आज से वर्षों पहले भारत सरकार की तरफ से फोरेस्ट सेटलमेंट के लिये सेंट-पर्सेन्ट सब्सिडी मिलती थी। जब भारत सरकार की तरफ से सेंट-पर्सेन्ट सब्सिडी मिलती थी तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिये था और उसी समय में फोरेस्ट का सेटलमेंट कर लेना चाहिये था। उस समय फोरेस्ट सेटलमेंट नहीं करने, देरी करने के कारण, राजस्थान सरकार पर बड़ा भारी खर्चा पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी इन-एफिसियेन्सी का नमूना है कि हमको मिलने वाली सब्सिडी का हम पूरा फायदा नहीं उठा सके। कुछ साल पहले एक फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी, उसने गांव गांव जाकर लोगों की आपत्तियों को सुना और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें ऐसे सुझाव दिये गये जिनसे गांव वालों को दिक्कत नहीं हो। मुझे खेद के साथ कहना

(श्री जुझारसिंह)

पड़ता है कि फोरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट हालांकि प्रकाशित हो चुकी है, उसको राजस्थान सरकार ने स्वीकार भी किया है, पर उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है। हाउस की इन्फार्मेशन के लिये उस फोरेस्ट सेटलमेंट एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों की एक दो बातें मैं यहां पेश करना चाहूंगा एक बड़ी बात इसमें कही गई थी :

Association of the local staff and villagers with the demarcation of forests. यह बहुत बड़ी बात है, इसके बाबत फोरेस्ट सेटलमेंट कमेटी ने साफ बताया है:—

The Committee, therefore, recommends that at the time of demarcation of forests, the revenue staff and the village panchayat should invariably be associated with it. Instructions to this effect should be issued by the Forest Department, if not already done.

इतनी क्लीयर इन्सट्रक्शन होने के बाद भी (यह रिपोर्ट १९५९ में पब्लिश हो चुकी है) आज गांव गांव में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि लोकल रिप्रेजेन्टेटिव व रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किये बिना फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट अपनी ओर से सेटलमेंट कराते आ रहे हैं और वे इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खयाल नहीं रखते, लोगों की असुविधा का खयाल नहीं रखते।

मेरे इलाके की सामोद तहसील का डाबरी गांव है जिसमें से ३७० बीघा जमीन पर, रेवेन्यू की जमीन थी, उसमें ३५-३६ परिवारों को बसा दिया था। उन्होंने दो साल फसल की थी। पर उनको फोरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वहां से हटा दिया है और उन लोगों को काश्त से वंचित कर दिया है। फोरेस्ट सेटलमेंट कमेटी की इन्स्ट्रक्शन्स के माफिक सब को कान्फीडेन्स में लेकर काम करते तो डाबरी गांव के हरिजनों को यह दिक्कत नहीं आती। लोकल पंचायत, लोकल वर्कर्स और रेवेन्यू स्टाफ की कम्प्लेन्ट की यह नौबत नहीं आती। इसी तरह के झगड़े मोतीपुरा (झालरापाटन) व महेशपुरा (बकाना) आदि गांवों में भी बराबर चालू हैं, जो बिना सुलझाये चल रहे हैं।

दूसरी सेटलमेंट कमेटी की इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिंग है, उसके बारे में निवेदन करूं : Facility for obtaining permit

इसमें इन्होंने लिखा है : "In certain States, the practice is for the village headman to inform the Village Range Officer concerned in the month of July the quantity of Timber required by the village in the following season and, by the end of August, the Range Officer informs the headman the quantity, which will be open for the exercise of this concession."

बड़ा लम्बा चौड़ा लिखा है, फिर अन्त में लिखा है:

"The committee recommends that this system may be introduced in Rajasthan also."

तो परमिट के बारे में साफ इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि विलेज हैड-मैन जुलाई महीने तक उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स फोरेस्ट डिपार्टमेंट को गांव वालों की ओर से दे दे और फोरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अपने पास लेकर गांव

(श्रीजुझार सिंह)

के हेड-मैन को सूचना दे दे कि इतनी क्वान्टिटी में लकडी उपलब्ध है । पर आज इसको भी फोलो नहीं किया जाता, यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट की इन-एफिसियेन्सी का दूसरा नमूना है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मेरे ४ कट मोशन्स हैं ।

श्री सभापति : Two more minutes.

श्री जुझारसिंह : I think, I have been given 15 minutes by my party, so far as I have been informed.

श्री सभापति : It pays only out I will give you 12 minutes.

श्री जुझारसिंह : अब निवेदन वर्किंग प्लान के बारे में है । वर्किंग प्लान का काम जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक मुश्किल है ।

गांवों के लोगों को जलाने की लकडी व इमारती लकडी देने के लिये बहुत से कूप्स रिजर्व किये जाते हैं । गत साल झालावाड व कोटा में यह इन्तजाम किया था कि सरकार अपने खर्चे से कूप्स कटवायेगी और जो फोरेस्ट की रेट है (लकडी की) उससे ३ रुपया एक्स्ट्रा लेबर का फी गाडी के हिसाब से चार्ज करके उस नाके पर, जहां कटाई है, लकडी उपलब्ध कर दी जायगी ।

यह प्रेक्टिस दूसरे इलाकों में भी प्रारम्भ करदी जाय ताकि लोगों को जो परमिट के लिये नाकेदार रेन्जर के पास आना पडता है उसको दुविधा नहीं रहेगी । इस तरह से वे लोग एक जगह पर ही लकडी उपलब्ध कर सकेंगे । इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं जल्दी ही दो चार इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स रख रहा हूं ।

श्री सभापति: दो मिनिट और हैं ।

श्री जुझारसिंह: दूसरा जो कट मोशन है वह यह है कि मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी में रामगन्ज मंडी है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है । मध्य प्रदेश का बहुत सा जंगल वहां उपलब्ध है जिसने बडी तादाद में लकडी मिलती है । पांच, चार वर्ष पहले वहां के जंगल से अपने इलाके में आमद-रसीद देने के बाद लकडी लाने की इजाजत मिल जाया करती थी । गांधी सागर बांध बन जाने से मध्य प्रदेश के २१२ गांव डूब में आ गये । इस तरह से मध्य प्रदेश का जो इलाका है वह मध्य प्रदेश से कट-आफ हो गया है । सिर्फ वहां की लकडी रामगंज मंडी को ही उपलब्ध हो सकती है । इस ओर मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि वह लकडी उपलब्ध होने में जो कठिनाई आती है उसके लिये हम नैगोशियेट करके इस तरह का इन्तजाम करलें जिससे मध्य-प्रदेश सरकार भी राजी हो जाय और हमारा काम भी निकल आये और फालतू लकडी को काम में लिया जा सके । मध्य प्रदेश में आज हमारी तरह शिकायत नहीं रहती है ।

इसी तरह से नर्सरीज इत्यादि हैं उसके लिये मेरी प्रार्थना है और मैं समझता

(श्री जुझारसिंह)
हूं कि राज्य सरकार जो हर जिले में व हर तहसील में नर्सरीज का इन्तजाम करती है वह मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सुपरफ्लुअस है। इसके बजाय जो nclosures हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। जो है उसको प्रोपरली प्रोटेक्ट किया जाय। हम हजारों रुपया खर्च करके एनक्लोजर्स कर देते हैं तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और आसानी से जंगल खडे किये जा सकते हैं। एनक्लोजर्स लगाये जाते हैं Principle का पूरी तरह से पालन नहीं होने से कई जगह अडचनें पैदा हो जाती हैं। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में दरा व भोरू (जिला कोटा) में एन्क्लोजर्स लगाये हुए हैं उन पर हजारों रुपया खर्च किया है लेकिन वहां की जो मवेशी हैं पास के तालाब में पानी पीने के लिए जाने का रास्ता नहीं रहा है। इस वजह से उन लोगों की तरफ से शिकायतें रहती हैं। और लोगों को दूसरी जगह पानी पीने के लिये ले जाना पडता है एनक्लोजर्स और अफोरेस्टेशन की जो पोलिसी है वह प्रेक्टिकल होनी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): सभापति महोदय, मांग संख्या ३४ पै देवगढ रा इलाका में ऊंटा रे चरवा सारू जंगल नीं है इण कमी पै कट मोशन नजर कर री हूं। देवगढ रो ऊंटा री नसल हमेसां सूं मशहूर रही है। एडी उम्दा नसल आखा उदेपुर डिवीजन में और कठेई नीं है। जिणरो नाम ऊंचो रहियो है दाम आच्छा रहिया है और दक्षिण राजस्थान में इणारी घणी कदर री है। पुस्कर रा मेला मायने यां ऊंटा री हजारां रिपिया रा खरीद फरोख्त व्हेती री है। देवगढ तैसील में रेबारियां रा तीन चार गाम है। वां रेबारियां रो धंधो ऊंटा ने पालणो है ब्रीड करणो है इण धंधा सूं ई यं आपरो पेट पालता रिया है। रेबारियां री पीढियां बीतगी है उठे बसतां। ऊंटा री पीढियां बीतगी देवगढ रा जंगला में चरतां। अबारूं पनरा बीस बरस व्हिया राज हुकम कांड ऊंटा रो वठे चरणो बंद कर दीधो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अब मंत्रियां री नई पी आ रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: रेबारियां रे आगे इ हुक्म सूं मोटी समस्या आयगी। आस पास कोई जंगल नीं। ऊंटा ने चरावा ने ठेठ मालवे लेजावणो पडे। आप गौर फरमावो कठे मेवाड और मारवाड रा कांठा पै बसियोडो देवगढ और कठे मालवो। सैंकडां हजारा मील दूरा लेजावणो पडे ऊंटा ने चरावाने। इणरो फल यो मिलियो आज सूं पनरा बीस बरसां पैलां रेबारियां रा घरा में खुसहाली ही, धाया धापता हा उणां रा घरां में अबे भूख वलगी। वा उम्दा नसल ऊंटा री खोण व्हती जाय री है। ऊंट गिणती में आधा रेगिया। अरज म्हारी या है कि ऊंटा रे वास्ते देवगढ रो जंगल खुलणो चावे।

सरकार री इणबारा में कोई नीति है म्हारे समझ में नीं आवे। सादडी और देसूरी रा जंगल जो अरावली में है वे ऊंटा सारू खुल गिया जो रियासत रे वगत कदेई नीं खुलिया। वे अबारूं १९५५ में खोल दीवा गिया मुमकिन है कोई जोरदार आदमी जोर लगायो व्हेला। वजनदार आदमी काम ने हाथ में लीधो व्हेला खटाक देणी रा जंगल खुल गिया। म्हूं यानी केवूं के या जंगला ने क्यूं खोलिया। राज जरूरत समझी व्हेला, जनता रो फायदो देखियो व्हेला ज्यूं खोलिया व्हेला। म्हारी दलील या है कि जो जंगल

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कदेई रियासत रा वगत में ई नीं खुलिया जरूरत समझी तो उणां ने खोल दीधा तो देवगढ रा जंगल जां में सदा सूं ऊंट चरता ग्राय रिया हवि अबे क्यूं नीं खोलिया जावे ? वां ने बन्द क्यूं कीधा ?

वन विभाग में राम रासो चाल रियो है। एक नजीर अरज करूं। चित्तौड मायने जो जंगल है जिणरो एक मोटो हिस्सो रखत वार राखियो है। बमगजा में तो रखत है पण वठे खुला जंगल बीचै चौगण बता जिनावर चरे। ऊंट, मवेशी भटियारे उण रखत रा जंगल में। आप कदेई जांच करायलो। इणरो मोटो सबूत यो है के रखत रा जंगल में ऊंटां री मींगणियां रा ढिगला पडिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, वन) : ये तो देवगढ के ऊंटों की है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक कानी तो आप जंगलां में रखत रखो दूजी कानी रखत रा जंगला में जिनावरा ने चरवा दो। वन विभाग रा उप-मन्त्री जी आपरे दौड रारो रिकॉर्ड कायम कर राखियो है। सरप्राइज विजिट्स, फ्लाइंग विजिटस आप करता फिरे। म्हूं पूछणो चावूं हूं आप आपरी फ्लाइंग विजिट मायने कदेई चित्तौडरा जगल में जाय झांकियाई हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : देवगढ के ऊंटों की मुश्किल हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : देवगढ के ऊंटों से कांकरोली के ऊंट नहीं डरते हैं।

श्री निरञ्जननाथ ग्राचार्य : कांकरोली में इन्सान होते हैं ऊंट नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कांकरोली के ऊंट यहां आगये हैं। बात या है के रिश्वत देय ऊंटा ने चरावे चोरी सूं चरावे। इण नाम तो आच्छी बात या है के आप या जंगला ने खोल दो तो चोखो। नाम रखत रो क्यूं राखो। राजरी आमदनी में घाटो क्यूं पटको। यो तो एक तेरैं सूं चोरी करणो सीखावणो है लोगां ने।

सभापति महोदय म्हूं, तो या समझवा लागी हूं शिक्षा विभाग में शिक्षा के स्तर दिन दिन नीचे पडतो रियो है उण ने ऊंचो करवाने उप-शिक्षा मन्त्री जी घणी कोसिस की धीं पण कांई कारी लागी नीं जद थाका ने वठीलो कसर उठी ने काढरिया है। शिक्षा विभाग री कमी ने वन विभाग में पूरी कर रिया है, वन विभाग में चोरी रो स्तर ऊंचो उठाय वा कसर काढ रिया है।

म्हारी अरज या है के देवगढ में ऊंटा सारू जंगल खुलावणां बहुत जरूरी है। इण बारे में एक दाणनीं हजार दांण अरज कर चुकी हूं सरकार सूं। पर आज ताई सुणबाई नीं वही। वन विभाग सूं यो जुवाब मिले कि ऊंटा ने मारवाड का जंगल में भेजवा रो परबन्ध कर सकां पण म्हूं बताऊं आप तो वाकप नीं हो, रेबारी मारवाड रा जंगला में जावणो नीणो चावे क्यूं के वठा वाला दूजा इलाका वाला ने आपरा जंगलां में आवा देणे पसन्द नीं करै। गैर इलाका रा लोगां ने वलवा नीं दे। ले लाठियां ऊभा रै। मारै ठोके। लाठिया मार पाछा काढ दे। म्हैं वां रैबारियां ने कहियो थां मारवाड चरावा ने परा जावो। उप मन्त्री जी फरमायो है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं ने तो कभी नहीं कहा इस तरह आपको। न मैं ने इस तरह की कोई बातचीत की आप से।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत : तो वे रेबारी म्हने केवां लागिया म्हाने ठोके उप-मन्त्री जी ने कुकाऊ जावां तो वे लाई सरदार म्हाने झेलीदे। पुलिस तो उणां रे ताबे नीं। फुल फुलेज्ड मिनिस्टर व्हे तोई कोई बात ही। कोशिश घणी कीधीं पण एमर्जेन्सी रेतां कोई व्हेता दीखेनीं। और कांई नीं डिप्टी होम मिनस्टर ई वे व्हेतो म्होको जीव धाप जावे। सभापति महोदय, वा उमेद ई म्हने पूरी व्हेती दीखेनीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके लिये मैं कोशिश कर रहा हूं सभापति महोदय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : म्हारी आखिर में याई अरज है के देवगढ में जंगल दीधा जावे जो ऊंटा री समस्या परी हल व्हे।इण माथे पूरी तरे गौर कीधो जावे।

श्री सभापति: श्री सांवलिया राम ।

देखिये मैं आपको पांच मिनिट का समय देता हूं । और ज्यादा से ज्यादा सात मिनिट दूंगा ? यथा सम्भव इस समय में पूरा करलें ?

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०): सभापति महोदय, मेरा समाज कल्याण पर बहस करने के लिये एक कट मोशन है । वह मैं प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण का नाम लेते ही हमारे मन में बडी खुशी उत्पन्न होती है। इस विभाग ने हमारा कल्याण तो वास्तव में एक रुपये में दस आना कर दिया है, छः आना करना बाकी है । इसके लिये मैं निवेदन करूं कि पहले के देशी राज्यों के समय को देखते हुए यह महसूस करते हैं कि हमारा कल्याण वास्तव में रुपये में दस आना तो हो गया है । जो छूत-छात का भेद-भाव पहले बरता जाता था वह खतम हो गया है ।

इसके बावजूद भी निवेदन करूंगा कि जो सरकार ने बजट में इस विभाग के लिये प्रावधान रखा है अनुसूचित जन जातियों और जातियों के लिये उसको भी पूरा करने के लिये कोशिश नहीं करते । जो हमारे लिये वजीफे के लिये प्रावधान रखा था वह भी लैप्स हो गया । गई साल ६३-६४ के बजट में प्रावधान रखा है जिसमें छः हजार अनुसूचित जाति और ८ हजार जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जावेगी । इसे आप पूरा करने की कोशिश इस साल जरूर करें ।

अब यह अनुदान आप पूरा क्यों नहीं कर पाते ? इसका कारण यह है कि आपने पंचायतों के सिपुर्द हमारी प्राइमरी स्कूलों को कर दिया है । इससे गडबडी हुई है । तो इसके लिये या तो माननीय मन्त्री महोदय इन पंचायतों को सतर्क करें या उन स्कूलों को उनके अण्डर से अलग किया जावे ताकि ये छात्रवृत्तियां अच्छी तरह से छात्रों को मिल सकें ।

हरिजनों के मकानों के लिये जो प्रावधान रखा गया है । आशा करता हूं कि आगे आने वाले वर्ष में यह रुपया पूरा काम में ले लिया जावेगा ।

अब छात्रावास में भी भ्रष्टाचार है । भरतपुर में भी एक छात्रावास चलाया

(श्री सांवलियाराम)

जाता है । समाज कल्याण विभाग द्वारा । तो उसमें जो सुपरिन्टेन्डेन्ट था वह लडका मेरे पडौस में रहता था उसने करीब चार महीने इस पोस्ट पर काम किया । उसने बताया कि वैसे मेरी तनख्वाह ११०) रु० है, पर शुक्र है भगवान का कि १५० रुपयों के करीब मुझे और आमदनी ऊपर से हो जाती है । मैंने पूछा यह कैसे ? तो उसने कहा कि कुछ तो आटा आ जाता है, कुछ दाल चीनी और घी वगैरह आ जाता है, इससे इतना हो जाता है । मैंने कहा यह तो ठीक नहीं है, आप लोग हमारे बच्चों का हक छीनते हो । मैंने सोचा एक दिन मेरा चक्कर उधर क्यों न हो जावे । जाकर देखा तो वास्तव में यही स्थिति पाई । छात्रों के लिये सोने को लकडी के पट्टे थे न बिछाने को था न ओढने के लिये । केवल पट्टा था । सवेरे उनको १५ पैसे ब्रैक फास्ट कलेवे के लिये मिलते थे । तो इस तरह की व्यवस्था देखी, तो वास्तव में बडा दुख हुआ । और इसके अलावा भी क्या हुआ ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो समय नहीं हुआ सभापति महोदय,

श्री सभापति: दो मिनिट और हैं ।

श्री सांवलियाराम: वह तो मैं जानता हूं । मैंने बाद में यह देखा कि वहां के इस विभाग के किसी अधिकारी ने अपने भतीजे का वहां ट्रांसफर करा दिया । उस लडके को त्याग-पत्र देना पडा । उसकी अकेली मां थी । उसका कहीं और ट्रान्सफर कर दिया इस कारण । उसने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया तो इस तरह का यह रवैया उचित नहीं है । मैं माननीय मन्त्रीजी से कहूंगा कि इस रवैये को दूर करें और जिस तरह कौल साहब टैक्स की बढोत्तरी कर लेते हैं उसी तरह से हमारे मन्त्री महोदय को भी इन अनुसूचित जन जातियों और जातियों के लिये इनकी बढोत्तरी के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलाने की कोशिश करें तो अच्छा होगा ।

क्योंकि अधिक समय नहीं है, इसलिये इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री छत्रसिंह ।

श्री छत्रसिंह (आहोर) : मेरा कट मोशन डिमान्ड नम्बर ३४ पर है । आहोर तहसील के भादरुण गांव में चराई की रेट के बारे में बहस करने के बारे में है ।

जागीर रिजम्पशन के पहले, वहां के अडोस-पडोस के लोगों को वहां के पहाड पर जाने और अपने मवेशियों को चराने की बिना सूचना दिये ही इजाजत थी । पर न मालूम क्यों, इलेक्शन के थोडे दिन पहले घोषणा कर दी गई कि इसे फॉरेस्ट में ले लिया गया है। यहां जानवरों को चराने की इजाजत नहीं दी जावेगी । न इससे पहले कोई फॉरेस्ट सैटलमेन्ट हुआ न डिमार्केशन किया गया । ऐसे ही कह दिया । पर जब इलेक्शन नजदीक आया तो कह दिया कि पहाड खुला है चरा सकते हो । पर ज्यों ही इलेक्शन खत्म हुआ तो कह दिया फिर कि यह फॉरेस्ट में है और इसमें चराई की रेट्स ये ये हैं ।

(श्री छत्रसिंह)

जो रेट्स लगाई वे किस आधार पर लगाई यह मालूम नहीं होता। राजस्थान में हर जिले में अलग अलग रेट्स हैं। आखिर कारण तो होना चाहिए कि अमुक जिले का कम क्यों है, और अमुक का ज्यादा क्यों है। खास तौर से बांसवाडा और डूंगरपुर, जहां से वन मंत्री आते हैं वहां की ग्रेजिंग रेट्स कम हैं, जब कि वहां अधिक जंगल हैं इसलिये रेट ज्यादा होनी चाहियें और जालौर, जहां रेगिस्तानी इलाका है, पहाड बहुत ही कम हैं वहां कम होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह पौलिटीकल कन्सीडरेशन से रेट तै होती हैं या कोई स्टेटिस्टिकल एप्रोच है।

तो सभापति महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि भादरा जोन के जंगलों की रेट्स को वापिस स्टैंडी किया जाये और उसको रेशनेलाइज करके कम की जाय। वहां के लोगों को इतनी दिक्कत है कि वह लोग नहीं दे सकते। वहां के लोगों में इसके लिए बहुत असन्तोष है, इसलिये मैं, मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि जो भी वह काम करें पोलिटीकल कन्सीडरेशन्स से न करें, बल्कि साइन्टिफिक एप्रोच को लेकर चलें तो हमें भी संतोष होगा।

दूसरी बात सभापति महोदय, भरतपुर की सेंक्चुरी के बारे में है। भरतपुर में डक शूटिंग की एक सेंक्चुरी है। पहले वहां राज्य परिवार के लोग डक शूटिंग किया करते थे और यह उन्हीं के लिये था, या वह लोग कर सकते थे, जो कि उनसे परमीशन ले लते थे। लेकिन १९५४ में राजस्थान गवर्नमेन्ट ने उसको सेंक्चुरी करार दे दिया। अभी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड ने राज्यों को सिफारिश की थी कि इस तरह की छूट वहां बन्द कर दी जाये लेकिन मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार ने उस पर गौर किया है। पिछले दिनों की बात है कि भारत सरकार के बडे ऑफिसर के लडके ने आकर एक हिरन का शिकार किया जब कि वह एक्ट के अनुसार नहीं कर सकते थे · · · · · ·

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उस लडके का क्या नाम था?

श्री छत्रसिंह: विश्वनाथन के लडके, होम सेक्रेटरी।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि फॉरेस्ट गवर्नमेन्ट में जो चीफ कन्जरवेटर-ऑफ-फॉरेस्ट्स भी बाहर से लाये गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कि क्या राजस्थान सरकार के ध्यान में कोई ऐसा आदमी राजस्थान में नजर नहीं आया जो कि चीफ कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स बन सके और वह भी आप एक रिटायर्ड आदमी को लाये। आप नये आदमियों को चान्स नहीं देना चाहते। इस लिए मैं सरकार को आगाह करूंगा कि राजस्थानी को प्रथम स्थान दें तो बडी कृपा होगी · · · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, वन): आप नाम सजेस्ट कर दें; ताकि ठीक रहे।

श्री छत्रसिंह: मुझे मिनिस्टर बना दें तो मैं सजेस्ट कर दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप सजेस्ट कर दें तो हमें सहूलियत होगी।

श्री दलपतसिंह (आबू): आप कांग्रेस में मिलना चाहते हैं क्या?

श्री छत्रसिंह : अभी इरादा नहीं है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से खास तौर से अर्ज करूंगा कि आहोर की जंगल की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां की रेट्स कम करने की घोषणा करें ताकि मुझे संतोष हो और आपको भी संतोष होगा कि उन्होंने यह पौलीटिकल कन्सीड्रेशन से नहीं किया है बल्कि साइन्टिफिक बेसिस पर किया है।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय सभापतिजी, मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा किसानों के साथ होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए विवाद हेतु)........

श्री सभापति : १० मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री हीराभाई : माननीय सभापतिजी, जो हमारे जंगल हैं वह यहां की जनता का अपना पोषण का जरिया है। हमारे यहां जंगल और कृषि के अलावा और कोई धंधा नहीं है। अगर है तो भी वह पूंजीपतियों के हाथ में है। तो माननीय चेयरमैन महोदय, आज हमारे राजस्थान में चुनी हुई सरकार है और यहां रेवेन्यू विभाग और फॉरेस्ट विभाग में इतना मतभेद है कि उनके मतभेदों की वजह से किसान हमेशा चक्की के बीच में जैसे आटा पिसता है उसी तरह से पिसा जा रहा है। जो डिमारकेशन लाइन डाली जाती है उसके लिए वन विभाग वाले कहते हैं कि यह हमारी जमीन है और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। इस बात को लेकर झगडा होता है। उस हालत में किसान रेवेन्यू विभाग की बात मान कर काश्त कर लेते हैं तो उनके ऊपर कई गुना जुर्माना होता है। तो वह काश्तकार राजस्थान में रहना ही नहीं चाहता और समुद्र में डूब कर मरने जाये, ऐसी स्थिति उसके सामने पैदा हो जाती है। यह तो खेती के बारे में होता है। दूसरे, मैं आपको बताऊं कि सन् ५० और ५५ में जो सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी उसमें किसानों के लिए बहुत सारी सुविधायें दी थीं, लेकिन वह सुविधायें पता नहीं या तो मंत्रिमण्डल बनने में शायद उनकी टोकरियों में गल गयी या कहीं और जला दी गयी......

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : सुविधायें क्या थीं ?

श्री हीराभाई : सुविधाओं से मतलब यही था कि जो वहां के स्थानीय किसान हैं उनको खेती के बारे में पूरे साधन उपलब्ध होने चाहिए, वह देने जरूरी हैं। खास तौर से अगर महसूल लिया जाता है तो वह राज के मुताबिक लिया जाये। लेकिन आज की परिस्थिति वन विभाग की ऐसी है कि लोग मारे मारे फिरते हैं। विज्ञप्ति तो जाने कहां चली गयी, पैसे देकर लोग पास लेते हैं और किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं लकड़ी काट लेता है तो उसके ऊपर कई गुना जुर्माना होता है। इसके लिए फिर अपीलें करने में और कार्यवाहियां करने में जिला स्तर पर और डिपार्टमेन्ट में जाकर बर्बाद होना पड रहा है। तो इस तरह से खेती और जंगल में मतभेद रहता है। किसानों को जो सुविधायें देने का वायदा करके वोट लिया उनको खेती के साधनों के लिए लकडी

(श्री हीराभाई)

नहीं दी जाये तो राजस्थान सरकार को किसी समुद्र में डूब जाना चाहिए; क्योंकि किसानों को खाने के लिये अनाज पैदा करना होता है और वहां के किसानों को लकडी नहीं दी जाती है। उसको टाइम पर पास नहीं दिया जाता है। तो मैं कहता हूं कि उसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल नाकाबिल रही है। तो इस तरह से माननीय सभापतिजी, दूसरी बात यह है कि जब हमारी सरकार को यह मालूम है कि वहां के जंगल प्रति दिन खत्म होते जा रहे हैं और आबादी बढती जा रही है। तो फिर जंगल को एक निर्धारित टाइम तक देने का क्या कारण है ?

अभी एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था, मैं भी इस बात का आरोप लगाता हूं कि जब हमारे बांसवाडा में ८० या ९० पर्सेन्ट किसान हैं और जंगल वही है बांसवाडा का, थोडा सा पहाडी एरिया और थोडा सा कुशलगढ और प्रतापगढ के आसपास का एरिया है और उसी पर निर्भर वहां की जनता है। लेकिन उसका ३० साल का ठेका दे दिया गया है। यह लोगों के हित की शर्त नहीं है। जब ठेका दिया गया और चौथा हिस्सा उसी जंगल में से ठेकेदार किसानों को लकडी देगा और यह ठेका इसलिये दिया जा रहा है अभी पहले बात हुई थी और फिर भी मैं कहूंगा कि जोशीजी ने हमें कहा था और हमने साफ कह दिया था कि यह जंगल नहीं दिया जाये, क्योंकि जंगल यहां खत्म हो गये हैं। इसलिये जंगल में ही खेती होगी तब जाकर उन्होंने कहा, चीफ कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स भी बांसवाडा आये थे और जोशीजी भी आये थे उन्होंने कहा कि यह जो चिप कार्ड बोर्ड फैक्टरी खुल रही है उसमें हजार मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। यह २।। या ३ साल पहले की बात है और आज वहां पर कोई चिप कार्ड बोर्ड फैक्टरी नहीं खुली और वही ठेकेदार अच्छी अच्छी लकडियां काट कर बाहर ले जा रहा है और किसान अगर जंगल में जाते हैं तो डंडों से उनको पास किया जाता है, पास देना तो दूर रहा उनको डंडों से पास किया जाता है।

यह हमारे राजस्थान सरकार की क्रिया और कार्य हैं और फिर किसानों की दुहाई देते हैं। तो इस तरह सभापति महोदय, यह जो जिला बांसवाडा में चिप कार्ड बोर्ड फैक्ट्री बनाई है उसके बारे में मेरा घोर विरोध है। या तो ठेका हटा दिया जाय या हमको बिल्कुल छुट्टी दी जाय। हम तीन दिन में उसको वहां से भगा देंगे, वह राजस्थान छोड कर चला जायेगा। यह हमारे यहां के लोगों के रोटी-रोजी का सवाल है। ३०-३० साल के लिए ठेकेदारी दे दी गई है। यह ठेकेदार जंगल की लकडी को बाहर ले जाता है (शेम-शेम), मीठी गोली देकर मारने वाला साबित हो रहा है। क्या आप किसानों के हित को हडप करना चाहते हैं और भाई-भतीजों को पनपाना चाहते हैं ? किसानों का पैसा खाना चाहते हैं ? इस ठेके का फैसला किया जाय। सरकार ने उससे पैसा ले लिया है तो उसको वापिस कितना देना है ? हम गांव गांव से चंदा करके देने को तैयार है। पहले उसने जिन मिनिस्टरों को पसा दिया है, उनके दौडे होते हैं जितना उनको दिया है वह वसूल कर लिया जाय, बाकी हम चंदा करके देने की कोशिश करेंगे। इस बारे में मैं फिर आपको चुनौती देता कि या तो लोगों को राहत देने की व्यवस्था करो या ठेकेदारी को खत्म करो....

श्री सभापति : आपका १ मिनिट और है।

श्री हीराभाई : दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो सन् ४७ के पहले नारे लगाते थ, लेकिन आज जो हमारे यहां डिमार्केशन का काम छेड़ा है वहां लोगों से बेगार ली जा रही है, किसानों से बेगार लेते हैं। वन विभाग वाले किसानों से पांच-पांच दिन तक बेगार लेते हैं और जो नहीं देते हैं उनके खिलाफ ३७९ का मुकदमा दायर करते हैं (शेम-शेम) मुन्सफी में मुकदमे चल रहे हैं। वन मंत्रीजी के पास शिकायत पेश कर दी गई, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की। राजस्थान सरकार का रवैया क्या है कि जो आदमी बेईमानी, बदमाशी और डकैती करते हैं, जुर्म करते हैं उनको ही जांच के लिये मुकर्रर करते हैं। बांसवाडा के डी. एफ. ग्रो. को मुकर्रर किया। वह उनका आदमी है, उन्हीं को बचायेगा। उसने गावों के चार मुखिया लोगों को इकट्ठा किया, चार और शराब की बाटलियां पिलाई और प्रस्ताव बनाया (शेम-शेम) और लोगों से कहा कि यह सोशलिस्टों की बकवास है आप इस पर दस्तखत करदो। वहां के लोग अनपढ़ हैं, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। उन लोगों से दस्तखत करा लिये, न मालूम क्या लिखा। इस तरह से लोगों के साथ अन्याय किया, महिलाओं पर छुरी चलाई। गांधीजी का नाम जपने वाली सरकार का यह रवैया है, चेयरमेन महोदय। वहां के किसानों को आप हर तरह के साधन दे दीजिये। अभी उन किसानों की हालत नये तरह का हल जोतने की नहीं है। जो पुराने तरह का हल काम में लेते आये हैं वही लेते रहेंगे और उसके लिये उनको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और इस लिये वे लकड़ी काटेंगे, काटेंगे और फिर काटेंगे। आप क्या करेंगे? आपकी कमजोरी से जो लोग सदियों से खेती करते आये हैं और लकड़ी काटते आये हैं उन पर आप १७५) रु०, जुर्माना करते हैं। डिकवा में डूंगरेज में . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में खत्म कर देता हूं।

श्री सभापति : मैं तीसरी घंटी बजाऊं जब बैठ जाना।

श्री हीराभाई: सब जगह किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जब डी.एफ.ओ. के पास जाकर शिकायत की गई तो वह रेन्जर कहने लगा शिकायत करो, डी.एफ.ओ. के पास करो, कंजरवेटर के पास करो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हाथ बहुत बड़े हैं। मैंने पूछा कौन है जिसके हाथ बहुत बड़े हैं तो कहने लगा जोशी जी हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं जो घाटोल से चुन कर आये हैं। तो मैंने कहा उनके तो हाथ एक ही हैं और वह भी लम्बा हो सकता (करतल ध्वनि) . . . .

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री): जिस प्रकार के आरोप माननीय सदस्य लगा रहे हैं उस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री सभापति : Order please! Continue your speech.

श्री हीराभाई : माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे दूसरी बात लकड़ी के लिये कहनी है। आपने एक विज्ञप्ति निकाली है जलाने की लकड़ी के लिये, जलाने के लिये लकड़ी कहां से ला सकते हैं। लेकिन आज

(श्री हीराभाई)

६-६ आने जलाने की लकड़ी पर टैक्स लगा दिया। आज जो भारी बांध कर गरीब लोग लकड़ी लाते हैं वे गिरी हुई लकड़ी लाते हैं और चार आने में भारी बेच कर पेट भरते हैं या जलाने के काम में लेते हैं उनकी भारियां छीन ली जाती हैं। इस तरह का अत्याचार उनके साथ होता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : श्रीमान, इससे पहले कि मैं राजस्थान सरकार की श्रम पॉलिसी पर बोलूं उससे पहले यह बताना अपना फर्ज समझता हूं कि आज लेबर एम्पलॉयमेन्ट की डिमान्ड है उस वक्त लेबर कॉम्युनिटी के बारे में हमारा क्या फर्ज है। हमारे हिन्दुस्तान में जागृति लाने में, नेशनल मूवमेन्ट को सफल बनाने में, देश में योजनाओं को सफल करने में और आज की इमर्जेन्सी में लेबर की शानदार कार्यवाही रही है। राजस्थान में हालांकि लेबर बहुत कम है, २ परसेन्ट करीब है, फिर भी राजस्थान ने, मैं समझता हूं बहुत बडी लडाई अपने हक हकूकों के लिये लडी है। गंगानगर की टैक्सटाइल मिल के मजदूरों ने अपनी बुनियादी मांगों के लिये ५५ दिन की हडताल, शुगर फैक्ट्री और पाली मिल के मजदूरों ने बोनस के लिये मिल मालिकों के खिलाफ लडाइयां लडी हैं। वे हिन्दुस्तान की अच्छी लडाइयों में शामिल हैं।

मैं समझता हूं मुझे वे दोस्त याद आते हैं जिन्होंने राजस्थान के मजदूर आन्दोलनों को बहुत बडी देन दी और उन मजदूरों के बारे में, उनके एम्पलॉयमेन्ट के बारे में और हक हकूकों के बारे में होल टाइम वर्कर के रूप में यूनियन में काम करते थे और अब भी हमारे मूवमेन्ट को डाइरेक्ट करने में उनका सबसे बडा हाथ है, जैसे मिस्टर पूनमिया। इमर्जेन्सी डिक्लेयर हुई उस दिन से गिरफ्तार नहीं हुए उस दिन तक मजदूर सेन्टर्स में जाकर मजदूरों को प्रोडेक्शन बढाने के लिये उन्होंने प्रेरणा दी और सक्रिय सहयोग देने के लिये प्रोत्साहन देने में सबसे बडा हाथ अगर किसी का है तो वह मिस्टर पूनमिया का है।

मुझे ५, ७ साल से लेबर मूवमेन्ट में काम करने का एक्सपीरियेन्स होगा। जितना लेबर मूवमेन्ट को टेक्निकल डाइरेक्शन देने में, पोजिटिव डाइरेक्शन और दूसरी तरह की सहायता के लिये जितना मिस्टर पूनमिया का हाथ है उतना दूसरे का नहीं है। इसलिये आज मेरा दोस्त जेल के सीखचों में बंद है। मैं समझता था कि उनके एक्सपीरियेन्स का इमर्जेन्सी के टाइम में फायदा उठाया जायगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैक्सटाइल सेन्टर्स पर टैक्सटाइल क्राइसिस के बाद जिन्होंने लोगों को विक्टेमाइज किया, सस्पेन्ड किया, तब्दीलियां की उनमें से कोई भी जेल के सीखचों के पीछे नहीं गया। लेकिन ट्रेड यूनियन के वे कार्यकर्ता जिन्होंने मजदूरों की सेवा की आज वे जेल के सीखचों के पीछे बंद हैं। (शेम-शेम) मैं समझता हूं लेबर और एम्पलॉयर्स का समझौता सिवाय दो स्टेट्स के एक मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र जहां के लेबर मिनिस्टर्स ने सेन्टर के फंडामेन्ट्स से कुछ डिपार्चर किया है क्योंकि लेबर मूवमेन्ट्स से उनका कुछ न कुछ संबंध

(श्री केदारनाथ)
रहा है, और कहीं नहीं हुआ । मुझे आशा थी कि भीखाभाईजी की मिनिस्टरी में जो करेक्टर और टेम्प्रामेन्ट से ऐसी कॉम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो रिवोल्यूशन में विश्वास करती है ।

जो पुराने तरीके हैं, जो पुरानी थिंकिंग है हमारे लेबर डिपार्टमेन्ट की लेबर प्रोब्लम के बारे में मैं समझता हूं उनमें री-ओरियेन्टेशन आयगा, और मैं समझता हूं कि सेन्टर के फंडामेन्ट्स में डिपार्चर आया है वह नहीं आयगा । मैं आशा करूं, जो सुझाव मैं रख रहा हूं, अपने निजी अनुभव से आप लाजिमी गौर करके इस सदन में एश्योरेन्स देंगे और आज दिन करने की हालत में नहीं हों तो ट्री पार्टाइट कॉन्फरेन्स करके गम्भीरता से विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में सुधार करेंगे ।

हम यह देखें कि आज राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल रिलेशनशिप क्या है ? हमारे माननीय गृह मंत्री का भाषण हमने सुना और यह एश्योरेन्स आज से पहले भी इस सदन में मिला था कि पुलिस लेबर और एम्पलॉयर के झगडों में कभी किसी की साइड नहीं लेगी । लेकिन मैं निजी अनुभव से कहता हूं कि कभी इन्डस्ट्रीयल सेन्टर्स में लेबर-एम्प्लॉयर के झगडे पैदा होते हैं तो एक इन्स्टिंक्टिव री-एक्शन पैदा होता है, क्योंकि समाज व्यवस्था, कायदे-कानून की व्यवस्था से जो मनोवृत्ति पैदा हुई है उसमें लाजिमी हमारे डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स एम्प्लॉयर की तरफ जाते हैं । जिसे मैं इन्स्टिंक्टिव री-एक्शन कह रहा हूं, वह पुराने रीति-रिवाज, परम्परा और कायदे कानून से लाजिमी एम्प्लॉयर्स के हित में जाता है और लॉ एण्ड ऑर्डर एलाइन करते हैं एम्प्लॉयर और मालिकों के साथ । कहीं १०७ और १५१ के झगडे होना मामूली बात है । फर्जी झगड पैदा करते हैं, कोमोपलेजिंग के तहत ऐसी हालत पैदा कर देते हैं । वहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होती है, जब आन्दोलन होते हैं तो वे बाउन्ड डाउन जमानत पर होते हैं, क्योंकि पांच हजार की जमानत कहां से गरीब दे सकते हैं । इसलिए आन्दोलन के दौरान पचीस, तीस बाउन्ड डाउन कर दिये जाते हैं, और क्योंकि जमानत पांच हजार की वे दे नहीं सकते इसलिये सींखचों के पीछे जाते हैं । इस तरह आन्दोलन फैल हुआ करते हैं । मैं नहीं कहता कि यह ऑफिसर्स की मन्शा से होता है, ऊपर के लोग हैं उनसे डाइरेक्शन जाते हैं लेकिन आज का जो सेट-अप है उसमें जब भी आन्दोलन हुए हैं तो उसका अफ्क्ट यही देखा गया है कि जो लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने वाले ऑफिसर्स होते हैं वे मालिकों के साथ में गये हैं, लेबर के साथ में नहीं गये हैं ।

इसके अलावा राजस्थान में पंचायत राज शुरु हुआ । मैं यह समझता था कि यह पंचायत राज गांवों तक ही सीमित नहीं रहेगा । जो फैक्ट्री में काम करते हैं, मिलों में काम कर रहे हैं, उनकी यूनियन में जो काम करते हैं, प्रतिष्ठा के नाम से, कायदे कानून के नाम से उनकी ज्यादा प्रतिष्ठा हुआ करती ह । पंचायती राज का पर्पज यह था कि हर एक ग्रामीण को जब हम मौका देते हैं सरपंच और पंच का चुनाव करने का, तो मैं समझता था कि इन इन्डस्ट्रीज में, इन संस्थाओं के अन्तर्गत जो मजदूर अपनी यूनियन का चुनाव करते हैं और चुनाव में जो

Page No 83

(श्री केदारनाथ)

यूनियन में जिसको बहुमत मिलता है, वह यूनियन में शक्ति हासिल करता है मालिक की तरफ से। लेकिन वहां डैमोक्रेटिक सेट-अप क्यों नहीं इन्ट्रोड्यूस हो सका है, डैमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स इन्फ्यूज क्यों नहीं हो सके हैं—यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह ठीक है कि राजस्थान सरकार ने इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट में अमेंड किया है, उसमें रजिस्टर करने के कायदे हैं और कायदे-कानून से यूनियन को वेरीफिकेशन ऑफ मेम्बरशिप के आधार पर रिकॉग्निशन मिलता है। उसका प्रोसीजर काफी लम्बा है और उसमें मालिक का डिस्क्रिमिनेशन काफी काम करता है

(२.५२ म. प.)

(श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं दर्ख्वास्त करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि इस सदन फ्लोर पर यह एश्योरेन्स माननीय मंत्री देंगे कि राजस्थान में शुरुआत में मौका दिया है और डैमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के प्रिन्सिपल्स से काम करते वैसे ही we are wedded to the principle of socialist pattern of society. मैं समझता हूं कि यह एश्योरेन्स टाइमली होगा, हिस्टोरिक होगा हमारे राजस्थान प्रान्त के लिये।

तीसरी जो चीज मैंने देखी, वेज पैटर्न के बारे में, यह ठीक है कि यह आपके हाथ में नहीं है, आप गाइडेंस दिल्ली से लेते हैं, भारत सरकार के फण्डामेन्ट्स लेबर पॉलिसी के बारे में लागू है। उसमें यह था कि १९५७ में हिन्दुस्तान में महंगाई बढी तो हिन्दुस्तान के मजदूरों ने डिमान्स्ट्रेशन किये, टोकन स्ट्राइक की, भूख हडताल की, लोगों में इस तरह का वातावरण पैदा हुआ जिससे राजस्थान सरकार ही नहीं; भारत सरकार को मजबूर होना पडा और एक वेज बोर्ड का अनाउन्समेंट टैक्सटाइल, शुगर फैक्ट्री और सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए किया और उस वेज बोर्ड ने इन्क्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें एक ही कमी रही कि जब वेज बोर्ड की सिफारिशों का एलान किया जाता है और पार्लियामेंट की उस पर एप्रूवल मिल जाती है लेकिन उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है।

मैं आपको राजस्थान की एक मिसाल देता हूं। १९५९ में सेन्ट्रल टैक्सटाइल वेज बोर्ड की रिपोर्ट हो गई और पार्लियामेंट से पास होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट न उसको एप्रूव कर दिया। वह एक साल के बाद में लागू हुई और हेस्टिंग-वे में लागू हुई। उसके सम्बन्ध में मजदूरों को आन्दोलन करने पडे। मैं समझता हूं कि ऐसे वेज बोर्ड को लीगल सेंक्शन दी जाय कायदे-कानून की रूह में और वह तत्काल लागू हो, तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि आयन्दा इस चीज को लागू कर सकेंगे।

चौथी चीज शुगर वेज बोर्ड के बारे में अर्ज करूंगा, कि गंगानगर शुगर इन्डस्ट्री है, वह आज पब्लिक सेक्टर में है। मगर अफसोस के साथ कहना पडता है कि जिस स्टेट को अच्छे एम्प्लॉयर की तरह काम करना चाहिये और मजदूरों की वाजिब मांगों को पूरा करना चाहिए, वहां जो रिकमन्डेशन शुगर वेज बोर्ड की हैं वे रिकमन्डेशन लागू नहीं हुई। उनको डीअरनेस अलाउन्स नही

(श्री केदारनाथ)

मिला है, न उनकी यूनियन को रिकॉग्निशन मिला है, ग्रेड्स के अन्दर फिक्सेशन नहीं हुआ है और जिन लोगों को निकाल दिया है, फिल्मसी ग्राउन्ड्स पर बिना कारण के निकाल दिया है उनको राहत नहीं मिली है। मिस्टर जोशी, डिप्टी कमिश्नर, लेबर ने इसका फैसला दिया। उन्होंने जस्ट फीलिंग का परिचय दिया, लेकिन वहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, जो इन्चार्ज हैं, उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैं समझता हूं कि यह बड़े अफसोस की बात है। माननीय लेबर मिनिस्टर इसके बारे में लाजिमी जवाब देंगे।

मान्यवर, हमारे राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल लेबर के लिए एक मिनिमम वेजेज एक्ट है, उसके अनुसार ४५) रुपया एक मजदूर को मिलता है। सरकार ने रिवीजन के लिए सोचा और पे रिवीजन के लिए एक कमेटी बनाई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके काम में कोई प्रोग्रेस हुई है। जब कि हमारा पड़ौसी देश है पंजाब वहां ६०) रुपये मिल रहे हैं फी वर्कर को। आज की स्थिति को देखते हुए, जब कि इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्डाइरेक्ट टैक्सेज का बोझ बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं और रिक्वायरमेंट्स का खर्चा बढ़ता जा रहा है और मजदूरों पर बर्डन है, फिर भी पुरानी मिनिमम वेजेज हैं, उनको बढ़ाने में उनकी उपेक्षा की गई है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो मजदूरों की पॉवरटी की लाइफ है, वे यह नहीं कह सकते, कि इस वेज के साथ जिन्दगी की पूरी रिक्वायरमेंट का खर्चा वे किसी न किसी तरह से निभा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें लाजिमी रिवीजन हो और यह नहीं हो, जैसा कि एग्रीकल्चर में जो रिवीजन हुआ वह आज तक लागू नहीं हुआ है, मालूम नहीं किस मेज पर पड़ा है या किस अलमारी में बंद है। इसलिये जो आपने कमेटी बनाई है उसकी रिकमन्डेशन आ जाय तो उसको जल्दी और पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिये।

क्योंकि समय मेरा बीस मिनट का है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक और दर्ख्वास्त करता हूं कि हमारे गंगानगर में जो टैक्सटाइल यूनिट है उसकी हालत राजस्थान सरकार से छिपी नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय लेबर मंत्री और लेबर डिपार्टमेन्ट से छिपी नहीं है। इसमें तीन, चार साल हुए जब से मुनाफा शुरू हुआ है, पर वहां के मजदूरों की क्या हालत है? कुछ अर्से से वहां पर एक मजदूर यूनियन काम करती है, शुगर यूनियन और यह यूनियन काम करती है। इन सारे लोगों ने यूनियन बनाई है। आज तक एम्प्लॉयर की हिम्मत नहीं हुई कि एक यूनियन बना कर उसके पेरेलल खड़ी कर दें। फिर भी मजदूरों की जायज मांग–बोनस के बारे में, डीअरनेस अलाउन्स के बारे में, रोजमर्रा की दिक्कतों के बारे में जो समस्यायें हैं वे दूर नहीं हुई हैं, हालांकि हमारे लेबर कमिश्नर ने इन्स्ट्रेक्शन दे दिये हैं। सिर्फ पेपर पर फैसला हुआ है लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। एक और बुनियादी तौर पर झगड़ा है, जो इस यूनियन में काम करते हैं, वे कभी एम्प्लाई थे। किसी कारण वे यूनियन में काम करने लगे। यूनियन के नेताओं को एम्प्लॉयर ने विक्टीमाइज करने की कोशिश की और वे एम्प्लायर के शिकार भी हुए। लेकिन क्योंकि वे ऑनेस्ट हैं इसलिये एम्प्लॉयर

Page No 85

(श्री केदारनाथ)

उन्हें खरीद नहीं सके। इस कारण कई तरह के झूठे मुकदमे बना बना कर उन्हें लॉ एण्ड आर्डर में, मुकदमों में फंसा दिया। मैं समझता हूं कि मजदूरों की हालत खराब है। इसमें सबसे बडी चीज यह है, लेबर मिनिस्टर साहब कि एक्ट के तहत मजदूरों को राइट टू ऑर्गेनाइज है, राइट ऑफ रिप्रेजेन्टेशन है, इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि जो यूनियन का एक सेक्रेटरी है वह मजदूरों की कॉलोनी में प्रवेश नहीं कर सकता। आज के युग में यह बात कहते हुए मुझे शर्म आती है, मजदूरों का सेक्रेटरी, जो मजदूरों के इन्ट्रेस्ट में यूनियन में काम करता है, उस सेक्रेटरी का ऑफिस मजदूरों की कॉलोनी में रहता है, वह कॉलोनी में मकान का किराया देता है, लेकिन अपने क्वार्टर में जाने की उस पर पाबन्दी हो। उसने इस पाबन्दी को तोडने की कोशिश की और लेजिटिमेट डिमान्ड के लिए भूख हडताल की। लेकिन उसको तंग किया गया, वह गिरफ्तार हुआ और तीन महीने की सजा काट कर आया। उसके क्वार्टर में जो सामान था उसको मैनेजमेंट ने पुलिस से मिल कर गायब कर दिया। उस लेबर सेक्रेटरी का क्वार्टर उससे छीन लिया जाता है, उसका सामान गायब कर दिया जाता है और उस पर भी अगर वह पश्चाताप जाहिर करता ह तो उसके खिलाफ १८२ का मुकदमा चलाया जाता है। आज यहां होम मिनिस्टर नहीं हैं, यदि वे यहां होते तो वे देखते कि उनकी पुलिस किस तरह से लेबर के साथ व्यवहार करती है और उस समय किस प्रकार मजदूरों और मालिकों के बीच में डिस्प्यूट पैदा होता है तो पुलिस मजदूरों का पार्ट नहीं लेकर मालिकों का पार्ट लेती है। यह सब बातें हमारे सामने हैं।

(३ म. प.)

श्रीमान् १२ वर्ष की आजादी की लाइफ में इन्डस्ट्रियलाइजेशन बहुत होना चाहिय था, मगर हमारे यहां देश में इन्डस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ है, फिर भी जो बढा है और लेबर पाइन्ट में राइज हुआ ह, उसमें मजदूरों का ही हिस्सा रहा है। मैं आपको आंकडे पेश करके बताऊंगा और आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इससे मजदूरों के रीयल वेजेज में कोई फर्क नहीं पडा। जब कि हिन्दुस्तान में इन्डस्ट्रियल, प्रोडेक्ट बढा और ४३ पर्सेंट, (अश्रव्य) ३० पर्सेन्ट बढने के बाद वेजेज में इन्वेस्ट होगा उसकी कोई इन्डेक्स नहीं निकाली कि कितना प्राइस इन्डैक्स में इंक्रीज हुआ और उस वजह से वेजेज में क्या इन्क्रीज हुआ। मंहगाई बढी है। तो इस तरह जब सरकार इन्डस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने जा रही है, तो उनका यही इन्टेन्शन है कि देश की हालत सुधरे। अगर इस समय राजस्थान की सरकार यह भली-भांति जानती है कि इसमें Mazdoor Industrial Truce बडी कीमत रखते हैं। आज के युग में वे मजदूरों की बातों को सुना कर मजदूरों के ग्रीवेन्सेज और उनकी डिमान्ड को मालिकों से पूरा कराने के लिये कोई न कोई चीज पैदा करनी होगी, ताकि मजदूरों में डिसकोन्टेन्ट न हो। मजदूर प्रोडक्शन बढ़ावें और अपनी कोई ग्रीवेन्सेज हों तो कानून से, वैधानिक ढंग से, मनवायेंगे और मैं समझता हूं कि आपकी यह इन्डस्ट्रियलाइजेशन की पालिसी सक्सेसफुल हो सकती है। इसलिये मैंने जो कमियें पोइन्ट आउट की हैं उस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप इस पर लाजमी तौर से गौर करेंगे और आश्वासन देंगे।

(श्री केदारनाथ)

जब कोई dispute पैदा होता है और उस पर conciliation, या arbitration पैदा होती है, परन्तु यह प्रोसेस इतना लम्बा है कि कई केसेज में रेफरेन्स होने में कई साल लग जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि मालिकों के पास रिसोर्सेज होते हैं और मजदूरों के पास पैसा नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि मजदूर adjudication में लंबे लिटिगेशन में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि ऐसे केसेज में जो बहुत लंबे चलते हैं उनमें आप मजदूरों को प्रापर subsistance allowance दीजिये चाहे तीन साल का अर्सा लगे चाहे ४ साल का...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लम्बा लिटिगेशन हो तो मजदूर उनका बगैर सोर्सेज आफ इन्कम के मुकाबला नहीं कर सकता और जब तक मजदूर लिटिगेशन में इक्वल पुटिंग में नहीं लगेगा तो उसको इन्साफ नहीं मिल सकेगा।

इन शब्दों के साथ में आखिरी बात याद दिलाता हूं कि हमारे Taxes जिस तरीके से हमारी सरकार और सेन्टर ने लगाये हैं उसका असर मजदूरों पर पडता है, क्योंकि प्राइसेज बढती हैं। मैं आज यह कहूंगा कि मजदूरों की हालत खराब है। आपने एमर्जेन्सी के नाम से मजदूरों से ज्यादा काम लिया और प्रोडक्शन बढा। सन्डज चलाये, ओवर टाइम काम किया, और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक दिन की तनख्वाह भी अपनी कटाई है। लेकिन आज तक एक भी एम्प्लॉयर की ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि उसने नैट प्राफिट दिया हो।

मजदूरों में मैं समझता हूं कि असंतोष बढेगा, क्योंकि एक तरफ तो वे टैक्सेज देते हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से उनको राहत की कोई व्यवस्था नहीं। इन बातों के साथ मजदूरों में असंतोष बढता जा रहा है। जैसा श्री नन्दा का स्टेटमेंट था उससे मालूम होता है कि पहले तीन महीनों तक इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक रहा। अब ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स के हाथ में रहता है और कोई भी बात वह करनी चाहते हैं करते हैं, जो आज के युग में ठीक नहीं। इसके लिये आपको कुछ न कुछ करना होगा। आज मजदूरों में डिसकोन्टेन्टमेंट है। स्ट्राइक्स होते हैं। एम्प्लॉयर की टीरेनी है। इससे मजदूरों में असंतोष है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को वार्निंग देते हुए कहूंगा कि आप अपनी नीति को बदलें और जो बातें मैंने कहीं उसके लिये एश्योरेन्स दें। आखिर एम्प्लॉयर की आमदनी में हर एक आदमी का हिस्सा है।

(विद्युत्-प्रकाश-अदृश्य)

इन्डस्ट्रियल माइन्स में काम करनेवाले मजदूरों को आप वोट देने के बाद जिस यूनियन को ज्यादा बहुमत दें उसको मैनेजमेंट में हिस्सा दें ताकि मजदूरों का डिस्कोन्टेन्टमेंट किसी हद तक कम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रम कानूनों का ताल्लुक है और जो श्रम कानून राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य विधान सभा और अभी भारत सरकार की तरफ से हमारे देश में प्रचलित हैं और जिनके द्वारा मजदूरों

(श्री गिरधारी लाल)

को राहत मिली है, वह तो वाकई में सराहनीय बात है। कानून के द्वारा मजदूरों को अधिकार मिले हैं। उनको किस तरह से अधिकार दिया गया है और किस तरह से रात-दिन वाद-विवाद चलते हैं, उनको हल करने का तरीका है वह समाजवाद में जिस प्रकार से अधिकार मिलने चाहिये मिला है। मगर साथ ही साथ जिनको यह अधिकार सरकार द्वारा दिये गये हैं, विभाग के द्वारा उनकी जो मनोनीति है वह एक टेकनिक का विषय है। यह विभाग जिसमें कोई कानून मजदूरों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये हैं उनका कहां तक प्रतिपालन होता है, उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून और जिन कानून के द्वारा मजदूरों को राहत दिलाई जाती है उसका कहां तक पालन होता है उसकी तरफ खास तौर से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि मजदूरों और मालिकों के निपटारे के लिये जो प्रोसेस रखा है वह बहुत लम्बा है और मजदूरों को उससे ज्यादा से ज्यादा राहत मिलनी चाहिये थी पर नहीं मिलती। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और कम से कम खर्चा हो, इस प्रकार का काम होना चाहिये। यदि कोई मामला आर्बिट्रेशन और आपसी समझौते से न निबट सके तो उसके बाद न्यायालय में रेफर होता है। मगर जिस समय न्यायालय में रेफरेन्स होता है तो उसमें कई कमियें रह जाती हैं। खास तौर से कमियें रेफरेन्स की जाती हैं उसमें रह जाती हैं और मामला इन्डस्ट्रीयल ट्रीब्यूनल में फेल हो जाता है और मजदूरों को जो लाभ पहुंचना चाहिये नहीं पहुंचता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे सेक्रेटेरियट में लेबर लॉज के एक्सपर्ट नहीं हैं और जिस तरह से रेफरेन्स होना चाहिये नहीं हो पाता है। रेफरेन्स करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे की कोई कानूनी कमी न रहे। उस रेफरेन्स पर ही मजदूर का फैसला हो। इस प्रकार बहुत बडी कमी हमारे सेक्रेटेरियट में है। हालांकि बहुत से आफिसर्स हमारे सेक्रेटेरियट में हैं लेकिन लेबर के सम्बन्ध में कोई अच्छी राय दे सकता हो, उसके लिये लेबर के कानून से वाकफियत रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये, ताकि मजदूरों को ज्यादा फायदा हो। अक्सर गलत रेफरेन्स हो जाते हैं। इससे मजदूरों को नुकसान होता है। अतः रेफरेन्स में कोई कमियें न रहें ताकि मजदूरों को किसी तरह का नुकसान न हो सके।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भीलवाडा टैक्स्टाइल मिल जब से गवर्नमेंट के हाथ में आया है उससे पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी, उसमें तो सुधार हुआ है, पर पिछले साल और इस साल के प्रोफिट का मिलान करते हैं, कम्पेरिजन करते हैं, तो पिछले साल बहुत प्रोफिट था। साढे बारह लाख प्रोफिट मिला। पर इस साल के आंकडों को मिलायें तो वन फोर्थ प्रोफिट रहा है। इसका कारण वहां की अव्यवस्था है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी इन्डस्ट्री जिसने पिछले साल दस बारह लाख का प्रोफिट दिया वह इतना कम प्रोफिट दे इसका कारण होना चाहिये। उस कारण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह इन्डस्ट्री जो अच्छी तरह से चल रही है, उसमें गडबड हो जायगी।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

श्रम विभाग का यह कर्तव्य है कि मजदूरों के जो रोज मर्रा के केसेज आते हैं उनको निबटायें, पर इसमें बडी देर लगती है। टेक्सटाइल मजदूरों के रोजमर्रा के झगडे आते हैं, उनको रोज का रोज निवटा दिया जाय या जल्दी से जल्दी मिटा दिया जाय तो इससे मजदूरों में संतोष होगा और प्रोडक्शन बढने में इम्दाद मिलती है। इस प्रकार की अव्यवस्था से प्रोडक्शन घटता है, मजदूरों में असंतोष बढता है और इन्डस्ट्री को नुकसान होता है। मेवाड टेक्स्टाइल मिल भीलवाडा है, उसमें कई मजदूरों के डिस्प्यूट्स पेंडिंग हैं, जिनका निबटारा नहीं हो रहा है। बातें करते हैं, पर फैसले नहीं करते, श्रम विभाग द्वारा उन पर जोर नहीं डाला जाता।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जज की पोस्ट खाली पडी है, जिसके कारण मुकदमों का निबटारा नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस खाली पोस्ट पर जज की नियक्ति की जाय जिससे कि झगड जल्दी से निबट जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ई.एस.आई, की स्कीम टेक्स्टाइल लेबर में लागू की है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत सी दफा उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं बहुत समय एम्प्लॉयर अपने हिस्से के पैसे जमा नहीं कराता है, इससे मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिलता।

प्रोविडेन्ट फण्ड के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मजदूरों के हिस्से का पैसा काट कर अपने पास रख लेते हैं और अपने हिस्से का भी जमा नहीं करते, जिससे लोगों को प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम मिलने में बडी दिक्कत होती है। जो मजदूर नौकरी छोड कर अलग हो जाते हैं, उनको दो-दो तीन-तीन साल तक प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम नहीं मिलती है। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया, आठ, दस मजदूरों की लिस्ट तो मेरे पास इस समय भी है, चार, पांच साल हो गये उनको प्रोविडेन्ट फण्ट की रकम नहीं मिली है, इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण बडी गडबडी होती है। जब कि मजदूरों को राहत मिलनी चाहिये, उनका खुद का काटा हुआ पैसा भी समय पर नहीं मिलता है, इससे उनको बडा नुकसान और निराशा होती है।

श्रम विभाग के बारे में निवेदन करना है कि जो लेबर कॉलोनी बनाई जाती है वहां पर पानी, बिजली, और उनको दूसरी सहूलियतों के साधन स्कूल, अस्पताल वगैरह हैं, इनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है। यह लेबर कॉलोनी सरकार की तरफ से लाखों रुपया खर्च करके बनाई जाती है और यह कहा जाता है कि मजदूरों को सुविधा देने के लिये बनाई गई है, वहां इस प्रकार की सुविधाएं न देने से कोई मतलब हल नहीं होता। हालांकि बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं पर इस प्रकार की सुविधाएं अगर नहीं दी जाती हैं तो वे बेकार हैं। इसी तरह ब्यावर में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम बनी पर न वहां पानी मिला, न बिजली मिली, म्युनिसिपल बोर्ड को अप्रोच करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता। जब यह स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से की है तो उनको सुविधा मिलनी चाहिये जो हर नागरिक को अपने मकान में मिलती है। इस सम्बन्ध में श्रम

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
मंत्रीजी जल्दी से जल्दी उनको राहत पहुंचाने की कार्यवाही करेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने देखा है कि सरकारी कारखानों में हमारी यूनियन के लोग काम करते हैं, उनमें जो अगुवा होते हैं उनको विक्टीमाइज किया जाता है । स्टेट गेस्ट हाउस की यूनियन बनी उसके मंत्री को इस तरह विक्टीमाइज किया गया। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये। कानून में प्रावधान है, ऐसे रिप्रेजेन्टेटिव जो कि यूनियन के अध्यक्ष या सेक्रेटरी हैं, उनको कानून के द्वारा प्रोटेक्शन है तो उनको विक्टीमाइज न किया जाय।

मैं फारेस्ट के सम्बन्ध में भी निवेदन कर दूं, फारेस्ट के पास में गांव हैं वहां फारेस्ट की सीमा गांव से बिलकुल अड गई है, मेरे क्षेत्र में फारेस्ट की सीमा गांव के मकानों के बिलकुल पास में आ गई है, जिसके कारण घरों से निकलते ही जानवर फोरेस्ट में घुस जाते हैं और इसके लिये उन जानवरों के मालिकों पर डबल, ट्रिबल पैनल्टी लगाई जाती हैं और उनसे वसूल की जाती है। मुझे तो यह भी शक होता है कि यह पैसा सरकार में जमा भी होता है या नहीं । जो गांव फारेस्ट के पास हैं उनकी सीमा गांव से एक दो मील दूर होनी चाहिये।

दूसरे मेरा यह निवेदन है कि गांव वाले जंगलों से लकडी, घास वर्षों से लाते आये हैं, घर के काम के लिये; बेचने के लिये नहीं अपने घर के काम के लिये लकडियां कदीम से लाते आये हैं, उन सुविधाओं को बन्द नहीं कर के सहूलियतें देनी चाहिये।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऊंटों की चराई का भी बडा झगडा है। उन लोगों से चराई के पैसे एक दफा भीलवाडा जिले में ले लिये जाते हैं और फिर वे चित्तौड जिले में ले जायं तो वहां उनसे दुबारा चराई वसूल की जाती है। राजस्थान सरकार में चराई एक ही बार वसूल होनी चाहिये, अलग अलग जिलों में अलग अलग नहीं होनी चाहिये।

मांग संख्या २४ और ३९ के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुओं के लिये, बैलों के लिये और हाउसिंग पर्पज के लिये सब्सिडी दी जाती है, उनमें पूरी रकम नहीं मिलती है, इससे यह होता है कि जिस काम के लिये यह रकम दी जाती है वह काम पूरा नहीं होता। हर पंचायत समिति में बैलों की जोडी के लिये १ हजार रुपया और मकान के लिये साढे सात सौ रुपया दिया जाता है, इससे कोई उपयोग नहीं होता है। इन लोगों को यदि आप समान स्तर पर लाना चाहते हैं तो उन्हें बराबर पैसा दीजिये ताकि उस पैसे का भी पूरा उपयोग हो सके और वे लोग जिस पर्पज के लिये लेते हैं, वह पर्पज भी उनका हल हो जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बाबेल (वेगूं): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-

(श्री चौथरसिंह बाबेल)

वन में मेरे ८ कटौती के प्रस्ताव हैं। उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो जंगल किसानों के कब्जे में है उन पर उनका पूरा अधिकार होना चाहिये। इसके अलावा घास, लकडी हल, धवाली वगैरह की चिटि्ठयों के लिये किसानों को गांव से दस-दस मील की दूरी पर जाना पडता है। इस तरह से आठ आने की चिट्ठी के लिये तीन-तीन दिन तक खराब हो जाते हैं और इस तरह से काश्त के काम से महरूम रह जाते हैं। इस तरह से किसान रेन्जर के पीछे, गार्ड के पीछे मारा मारा फिरता है कई दफा, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह से उनको चिटि्ठयां नहीं मिलती और चिटि्ठयां मिलती भी हैं तो वह कम मियाद की जिससे लकडी लाने में ही मियाद गुजर जाती है और मियाद गुजर जाने पर पांच गुना फीस वसूल की जाती है।

ठेकेदार वगैरह जो लोग होते हैं वे बिना परमिट लिये ही काट लाते हैं उनसे पांच गुना वसूल नहीं करके डेढ गुना वसूल करते हैं। आसानी से ठेकेदार से ३०० की लकडी के लिये ५८० व अमरपुरा में जो ठेकेदार है उसकी मियाद खत्म होने पर ७॥ गुना वसूल किया गया। आज किसान को अपने घर के काम के लिये लकडी नहीं मिलती। इसके लिये भी कोई सुनने वाला नहीं। वे बेचारे भोले भाले लोग हैं। उनको जितनी भी सुविधा हम दे सकते हैं देनी चाहिये। दो रुपये ठेकेदार को दिये, आठ रुपये की लकडी ले आते हैं, उनको कोई मना करने वाला नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि फॉरेस्टर या रेन्जर गांव गांव जाकर चिटि्ठयां तकसीम करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, वन) : यह कहां का जिक्र है।

श्री चौथरसिंह बाबेल : बेगूं तहसील का है। आप मुझे भी पहिचानते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था एक किसान को मामूली चिटि्ठयों के लिये पांच-पांच, सात-सात कोस दूर गांव जाना पडता है।

इसी तरह से घास, लकडी, हल, धवाली की चिटि्ठयों के लिये भी तकलीफ है। इसी तरह से घास जब काटा जाता है जब कि वह पूरी तरह से सूख जाता है उससे किसानों को भारी नुकसान होता है और किसानों को पूरा घास भी नहीं मिलता, रेन्जर, फारेस्टर कोई नहीं सुनता।

बस्सी के पास जो बडा जंगल है वह बिना इजाजत के काट दिया गया। शिकायत की कार्यवाही हुई। उसमें हजारों का नुकसान साबित हुआ। ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फॉरेस्टर, गार्ड को सजा दी गई। क्या बडे बडे अफसरों की निगाह में यह नहीं था? लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

इसी तरह से हमारे यहां पर बांस होते हुए भी हरिजनों को बांस नहीं दिये जाते हैं। उसके लिये कारण यह बताते हैं कि वे मध्य भारत में जाकर बेच देते हैं। इसका खतरा है तो आपको पकडना चाहिये। मध्य भारत में कोई बेचता हुआ पाया जाय तो उसको पकडना चाहिये। लेकिन जो हरिजनों के एक प्रकार के इस धन्धे को बन्द

(श्री चौसरसिंह बावेल)
नहीं किया जाना चाहिये। इन बातों पर आप विचार करें और उसके लिये उचित व्यवस्था करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की श्रम नीति के सम्बन्ध में, श्रम विभाग के सम्बन्ध में यह कह दिया जाय कि राजस्थान में न कोई श्रम नीति है, न कोई श्रम विभाग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आखिर जो श्रम नीति एक योजना के आधार पर चलती है और उसी योजना के आधार पर काम होता है। आप हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में चले जाइये। हमारा प्रान्त औद्योगिक क्षेत्र में वैसे ही बड़ा हुआ नहीं है। आप अन्य किसी भी प्रदेश में चले जाइये। जितने भी इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स होते हैं, कितने मामले रेफरेंस के लिये गये हुए हैं, कितने पेन्डिंग हैं, इन सब की जानकारी होती है। इस दृष्टिकोण से राजस्थान को देखा जाय तो इस मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक दृष्टिकोण से हालांकि यहां उद्योगों की संख्या मामूली है, हजारों मामले पेन्डिंग पड़े रहते हैं। राजस्थान का श्रम विभाग इस मामले में सोया हुआ है। मैं श्रम मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यहां कोई श्रम मंत्री बैठा हुआ नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: नहीं है तो बुला लीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): Point of Order Sir, श्रम मंत्री को बुला लिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, वन): सभी मिनिस्टरों की सम्मिलित जिम्मेवारी है। We are representing the Department, Sir.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपस में मिलकर पोइन्ट-ऑफ-ऑर्डर रेज करना उचित नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय Labour Department is not represented.

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जिम्मेवारी होती है।

श्री मुरलीधर व्यास: खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्री को अपने उद्योग मंत्री से लड़ना पड़ेगा और विभाग के मंत्रियों से लड़ना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बात यह हो रही है दूसरे विभाग से आपस में संघर्ष होता है और संघर्ष में एक दूसरे विभाग से मिल कर मजदूरों को दबाने की कोशिश करते हैं। श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि मजदूरों का जो भी मामला आये उस पर गम्भीरता से वे विचार करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर श्रमिकों के लिये एक व्यवस्था की गई कि जब श्रमिकों के किसी बुनियादी अधिकारों को लेकर श्रमिक लड़ते हैं, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो समझौते के रास्ते को अपनाते हैं। जब समझौता नहीं होता है, बातचीत फेल हो जाती है तो उस मामले को रेफरेंस के लिए भेजा जाता है, सरकार के पास भेजा जाता है। उसके लिये न्याय के दरवाजे आखिरी होते हैं। मालिक और मजदूर आपस में जब किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते तो आखिर उनके सामने न्याय के दरवाजे होते हैं, जहां जाकर वे न्याय प्राप्त

(श्री मुरलीधर व्यास)

करें। लेकिन आज आपके श्रम विभाग को पूछ लीजिये, राजस्थान के कितने श्रमिकों के मामले न्यायालय में गये। न्याय के दरवाजे उनके लिये बन्द हैं, न्यायालय में कोई न्यायाधीश ही नहीं है।

जिस न्यायालय में न्यायाधीश आप नहीं रख सकते तो यह श्रम विभाग आपने किसलिये रख छोड़ा है? इस पर व्यर्थ जो खर्चा कर रहे हैं उससे क्या फायदा? मजदूरों को जहां न्याय मिलना चाहिये वे न्याय के दरवाजे जब उनके लिये बन्द हैं तो मैं मांग करूंगा कि यह श्रम विभाग बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। श्रम मंत्री आवश्यक नहीं। हमारा यह विभाग जहां मजदूरों की भलाई के लिये होना चाहिये ताकि उससे सम्बन्धी कागजात, फाइलें आदि समय पर पहुंच सकें इससे ही मजदूरों का सबसे बडा काम हो जायेगा। इस श्रम विभाग को यदि कायम रखना ही है तो सबसे पहले उसके द्वारा काम यह होना चाहिये।

भीलवाडा टैक्सटाइल मिल, सिन्दरी फर्टीलाइजर फैक्ट्री के रेफरेन्स के दृष्टिकोण से हजारों मामले पडे हुए हैं। इतने हिन्दुस्तान के किसी अन्य प्रदेश में आपको नहीं मिलेंगे।

इसके बाद में अगर आपकी सरकार श्रमिक के प्रति जागरूक है और अपने को समाजवादी सरकार कहती है तो इस सरकार का काम ऐसा कानून बनाने का है कि जिससे मजदूर को उसका हक मिले आप मिनिमम वेजेज एक्ट में संशोधन करिये ताकि मजदूर आज की मंहगाई का मुकाबला कर सके और उसको अधिक वेतन मिल सके। अगर यह नहीं कर सकते तो इन्डैक्स के लिये कमेटी बैठाएं। इसके लिये प्राक्कलन समिति ने भी पूछा था। इन्डैक्स बराबर मंहगाई का बढता जा रहा है। अगर आप यह बना लेते तो राजस्थान में इसके आधार पर लाखों रुपया मजदूरों की जेब में जाता और वे सुखी होते। पर इसके न बनाने से वह रुपया आज किसकी जेब में गया? लाखों रुपया मालिकों के पास, पूंजीपतियों के पास रहा। तो आप मजदूरों के हित के कानून बनाने में भी आज असमर्थ रहे।

श्री गुलजारीलालजी नन्दा कहते हैं कि नया परिवर्तन आना चाहिये। हमारे मामले मालिक मजदूर के मामले आर्बिट्रेरी तरीके से हल होने चाहिये। कमेटी इसके लिये बनानी चाहिये। कौनसी बैठाई आपने? आखिर जाकर थर्ड प्लान में तो यहां तक कह दिया कि हमारी राज्य सरकार सारे मामलों को निपटाने के लिये जोइन्ट मैनेजमेन्ट कौन्सिल बनावे। आज आपके यहां कौनसी जगह यह जोइन्ट मैनेजमेन्ट कौन्सिल है? यह सबसे बडी चीज है, जो होनी चाहिये। जहां मजदूर मालिक के मैनेजमेन्ट को उसके खर्च खाते को, उसके मुनाफे को, उसकी कमाई को देख सके, उसकी निगरानी रख सके। आप यह करते तो मालूम होता कि आप समाजवाद के रास्ते पर हैं। पर आपने वह रास्ता छोड दिया है। कदम उस रास्ते पर आपका एक भी नहीं पडता है; बल्कि आपका हर कदम उससे उल्टा जाता है। मजदूरों को ही दबाया जाता है। मालिक से आपका डिपार्टमेन्ट मिल जाता है, मिनिस्टर मिल जाते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मजदूरों की मांगों के कन्सीलियेशन के सम्बन्ध में आपका डिपार्टमेन्ट मालिकों से मिलकर गडबडी करता है। आपका एक कन्सीलियेशन मजदूर बीकानेर आया और बाकायदा मजदूर यूनियन के लोगों को कहा मजदूरों को कहा कि अगर अपने मामलों का फैसला जल्दी चाहते हो तो इन्टक में चले जाओ। शर्म आनी चाहिये ऐसी बातें करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। जो भी आपका एम्लॉयी इस विभाग का या अफसर इस तरह की बात करता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। (शेम-शेम की आवाज) ये बातें वे अधिकारी करते हैं जिनमें योग्यता नहीं है और केवल सरकार के सामने उनके गुर्गे बताने के लिये यह काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं अनेकों मजदूरों को यहां तक कहा जाता है कि इन्टक में रहो तो ठीक बात है, नहीं तो तुम्हारा ट्रान्सफर कर दिया जावेगा। नजीर मैं दूं इसकी। बीकानेर प्रेस कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी का ट्रान्सफर कर दिया गया। इसी तरह से; जबकि कोड ऑफ कन्डक्ट में इस तरह के ट्रान्सफर की मनाई है। पर यह सोचकर कि यह चला जावेगा तो यहां की यूनियन इन्टक के हाथ में आजावेगी उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। मैं निवेदन करूं कि आपको इस नीति से लाभ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ऐसे लोग आपको इन्टक में आ जावेंगे जिनको आपसे अपना मतलब हल करना है, हम तो इन्टक के हैं, हमारा प्रमोशन कर दीजिये। यह जरूर वे करेंगे, पर आपकी इन्टक को, संस्था को मजबूत कभी नहीं करेंगे।

इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर लेबर की पॉलिसी में आपको समाजवादी दृष्टिकोण लाना है तो बुनियादी परिवर्तन आपको अपनी आज की पॉलिसी में करना होगा; नहीं तो मजदूरों के लाभ का दावा आप का करना व्यर्थ है। मैंने कोई बार कहा है, फिर कहना चाहता हूं कि आप पहली मांग पर यह बता दीजिये कि आपके इस विभाग के सामने मजदूरों के कितने मामले कितने समय से पेन्डिग में पड़े हैं, रेफरेन्स करने के लिये? हजारों की तादाद में ये होंगे। बराबर यहां पर न्यायाधीश होना चाहिये और यह तय कर देना चाहिये कि छ: महीनों में जितने भी रेफरेन्स के केस पेन्डिग में पड़े हुए हैं वे सब हल हो जावेंगे और ट्रिब्यूनल को वे रेफर कर दिये जावेंगे तो मैं समझूंगा कि हमारी सरकार ने मजदूरों के हितों की नीति अख्तियार की है। अगर नहीं करते हैं तो यह सरकार समाजवाद के रास्ते पर नहीं है।

फारेस्ट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी वन-सम्पदा की रक्षा करनी चाहिये। आज आप दुनियां के किसी भी प्रगतिशील देश में चले जाइये आपको काफी लहलहाते हुए फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत अधिक मिलेंगे। हमने भी यहां खर्चा करने के लिये इस काम में काफी पैसा रखा है; पर उसका ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता। बीकानेर, बाडमेर, जोधपुर के एरिया में पौधों, पेडों का वन लगाने के लिये हमारी समितियों की भी

Page No 94

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्पष्ट रिपोर्ट है; इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने भी करोडों रुपये दिये हैं। केन्द्रीय सरकार से एक सदस्य ने पूछा, ३२१६ नम्बर है कि २॥। करोड रुपया केन्द्रीय सरकार का लगा पर उसका क्या उपयोग हुआ वह इसमें नहीं है।

हमारी वन सम्पदा ठेकेदारी प्रथा के कारण नष्ट हो रही है। ठेकेदार इतना ही सोचता है कि जो क्षेत्र मिला है उसमें से जितना अधिक लाभ उठाया जाय उठा लिया जाय, जितने पेड अधिक से अधिक काट सकें काट लिये जायं। इतना ही नहीं; बल्कि उसके बाहर भी जितने अधिक पेड थोडे से समय में काटे जा सकें काट लिये जांय। जितना जंगल को नष्ट कर सकें करलें। तो इस कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम को जिसे आप अपना आधार समझते हैं उसको वन विभाग से एबोलिश करना चाहिये।

आपको समाजवाद लाना है तो कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करने वाले श्रमिकों की, मजदूरों की कोऑपरेटिव बना कर उनसे काम करवाना चाहिये, ताकि वन भी सुरक्षित रहें, उनको नष्ट नहीं किया जा सके और पूंजीवाद का भी सफाया हो। तो नीति के इन दृष्टिकोणों से सरकार को काम करना चाहिये। जो कहते हैं उसे जीवन में भी उतारना चाहिये। नहीं तो आपकी नीति इस मामले में फेल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फिर ठेके में आपका विभाग क्या करता है कि कागजों में बताया तो जाता है थोडा और बेच दिया जाता है उससे कहीं अधिक। पांच हजार की बात लिखी जाती है और बीस हजार की लकडी दे दी जाती है। इस बात के सुबूत है मेरे पास। सलूम्बर का केस प्रमाणित है। मन्त्रीजी जाकर देख लें। बडे घोटाले इस तरह के चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हमारी पार्टी के एक ही को टाइम मिला है।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : हमारी तरफ के एक सदस्य और रह गये हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैंने लेबर और फारेस्ट की मांगों पर कुछ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

जहां तक फारेस्ट का सवाल है आपके सामने सम्मानित सदस्यों ने काफी विचार रक्खे। मुझे तो एक बात कहनी है कि जितनी यह समस्या सुलझाई जाती है उतनी ही यह उलझ जाती है। इस समस्या को किसी ऐसी कमेटी के जरिये सोल्व करना चाहिये कि वह एक मर्तबा हमेशा के लिये राजस्थान से खत्म करदी जावे। इस तरह का कोई प्रयत्न होना आवश्यक है; क्योंकि आज इस सदन में पांच, सात सालों से इसी तरह की समस्याएं कभी इधर से, कभी उधर से पेश की जाती रही हैं। इसलिये इससे अधिक कुछ न कह कर लेबर पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं।

आज हमारे देश के अन्दर जो लेबर की स्थिति हो रही है वह ऐसी है कि आज लेबर बंटा हुआ है। हमारी जो राजनैतिक और सामाजिक स्थिति है उसकी वजह से वह आज बंटा हुआ है। इसलिये सरकार को भी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अधिक जिम्मेवारी हो जाती है कि वह उसकी रक्षा करे। यह सिद्धान्त कि मजदूर तभी जिन्दा रहेगा जब कि देश के सारे मजदूर एक हो जायं। 'दुनियां के मजदूरों एक हो जाओ' का नारा लगाने वाले लोग आज एक डिफेन्ट पार्टी में जो हमारी इसकी एम्बी-गुएटी पड़ी है जो कि हमारी डेमोक्रेसी है उसमें तरह तरह की पार्टियों को आने की आजादी है—क्या टेक्सटाइल लेबर और क्या रेल्वे लेबर हमारी इस सामाजिक एम्बीगुएटी की वजह से आपस में वह बंटे हुए हैं। यह मौलिक सिद्धान्त है मजदूरों का कि 'दुनियां के मजदूरों एक हो जाओं'? आज हमारे समाज और जमतन्त्र की जो परिपाटी है उसके मातहत 'दुनियां के मजदूरों एक हो जाओ' मजदूरों से निकल गया। मैं सिद्धान्त रूप से कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि आज इस समस्या की तरफ सब मजदूरों का भला चाहने वाले लोगों की निगाह इस तरफ खींचना चाहता हूं कि मजदूर चाहे छोटी जगह के हों या बड़ी जगह के हों पहली समस्या मजदूरों की यह है कि उनको किस तरह से चलना है। मैं चाहता हूं कि मजदूर ट्रेड यूनियन की तरह चलें। पहले तीन तरह की यूनयनें होती थी। मैं भी स्टेट यूनियन के बहुत काम करता था, मैं भी मजदूरों का कार्य-कर्ता था। पुलिस यूनियन हुआ करती थी, स्टेट यूनियन और मजदूरों की यूनियन हुआ करती थी। मजदूरों की यूनियन जब कोई काम करती थी तो पुलिस यूनियन उसके कामों को बिगाड़ा करती थी। आज यह काम इस सरकार के लिये बहुत सस्ता हो गया है क्योंकि मजदूर टुकड़ों-टुकड़ों में बंटा हुआ है और कोई किसी पार्टी का आर्गेनाइजर है, कोई जनसंघ का आँर्गेनाइजर है, स्वतन्त्र पार्टी ने तो शुरू ही नहीं किया है लेकिन और भी मजदूरों में काम करने वाले और दूसरे लोग उनको आपस में खींचते हैं और यही सबब है कि वह मजदूर एक नहीं हो पाते। सिद्धान्त की बात तो यह है कि मजदूरों को एक होकर जीने दो। लेकिन उनको जीने नहीं देते; यहां की सामाजिक व्यवस्था और स्वार्थ उन लोगों को एक होने में मिसगाइड करते हैं। ट्रेड यूनियनें स्वस्थ परम्परा के मातहत चल सकें, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। वह मजदूर गरीबी में पलता है और भूख से तड़फड़ाता है तो उनको बांटना मैं महापाप समझता हूं। इन्ही सब बातों में पड़ने के बाद मैंने ट्रेड यूनियन का काम छोड़ दिया, क्योंकि इसमें आज ईमानदारी से काम करने के लिये कोई जगह नहीं छोड़ी है। क्या रेल्वे, क्या मिल और क्या दूसरी जगह हर जगह चाहे कम्युनिस्ट यूनियन कोई सही बात को उठाये तो दूसरी यूनियनें तैयार हो जाती हैं उसको सेबोटेज करने के लिये। अगर कांग्रेस पार्टी कोई सही बात की मांग रखती है तो कम्यूनिस्ट पार्टी उसको सेबोटेज करने के लिये तैयार हो जाती है। मेरी मांग है कि अगर हम हमारे राजस्थान के मजदूरों में से इस चीज को निकाल देते हैं तो हम सही तौर से लेबर को मजबूत रख सकते हैं। तो जो जनतन्त्र में बुराई हो सकती है वह मैंने आपको बताई। लेकिन अच्छाइयां भी पैदा होती हैं। मैं इसका दावा करता हूं कि पहले ट्रेड यूनियनों में अंग्रेजों के जमाने में रेल्वे लेबर ने जिस तरह का पार्ट अदा किया और अंग्रेजों को भी मजबूर किया, वहां कोई पार्टी नहीं थी। जवाहरलालजी उसके सेक्रेटरी होते थे और मजदूर टक्कर लेते थे और उसका असर सारे देश के ऊपर होता था उस रेल्वे यूनियन का मजदूरों का पेट भरने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
की समस्या को हल करने में सबसे बडा हाथ था।

जनतन्त्र के अन्दर सरकार का कर्त्तव्य है और सरकार एक न्याय की कुर्सी पर बैठती है और न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद जो कानून हम बनाते हैं हमारी यह मन्शा होती है कि हमारे सामने लेबर और मालिक एक बराबर हों। हम जो कानून बनायेंगे, जो कानून आज तक बने हुए हैं उन कानूनों की एक ही स्थिति है और वह यह है कि वह दोनों की निगाहों में एक है। एक के पास तिजोरी में रुपया भरा हुआ है, एक के पास शेयर्स हैं वह मालिक कहलाता है और उसके पास मजदूर हैं। उन मजदूरों में एक स्थिति मैंने बता दी, लीडरशिप के लिए, उस मजदूर की सही मांग के लिये किस तरह डिस्टार्ट होता है। यहां कई यूनियनें हैं और तरह तरह से मजदूर आज डिवाइडेड हैं। मैं यह भी समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून बनाये हैं न्यायपूर्ण ढंग से मजदूर और मालिक के रिलेशन्स अच्छे रहें और अच्छी तरह से काम चले—आज जो एमर्जेन्सी की वजह से स्थिति आई है हम उसके अन्दर स्मूथली और सही तौर से देशभक्ति कर सकें, एक मजदूर का कर्त्तव्य है कि ८ घन्टे में जितना काम करता था बिना इसकी परवाह किये कि उसको क्या तनख्वाह मिलती है, यह सोचकर कि देश उसका है मालिक तो यहां नमक के बराबर है मालिक की गिनती ही क्या है, मालिक की बिना परवाह किये हुए हर मजदूर मजबूती के साथ, जो स्थिति आई है, उसमें पूरी तरह से काम करके उसको आगे बढायें। लेकिन इसके साथ ही साथ मालिक की बगैर परवाह किये, मालिक एक आदमी होता है और उसका मुकाबिला होता है, तो आपका कानून एप्लाई किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सही तौर से दोनों के साथ न्याय करते हैं। लेकिन न्याय लेने वाला जो है उसकी स्थिति यह है कि वह बहुत ताकतवर है और दूसरे सब डिवाइडेड हैं। ऐसी हालत में हम सरकार के कानूनों के लगाने के ऊपर जोर देते हैं कि जिस स्प्रिट से यह विधान सभा और लोक सभा और कानून बनाने वाले लोग हैं वह जिस स्प्रिट से उन कानूनों को बनाते हैं, उन अच्छे कानूनों को बनाते हैं उनके लागू करने में भी उसी स्प्रिट से काम लिया जाये तो बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस राजस्थान सरकार के अन्दर मैंने भी कई दफा हमारे मजदूर मन्त्री नहीं—मन्त्री तो मजदूर नहीं हैं लेबर मिनिस्टर तो अभी यहां नहीं हैं लेकिन फिर भी जो लेबर मिनिस्टर साहब के लिए कलम चला रहे हैं, उनकी एबसेन्स में उनसे कहना चाहता हूं कि आपके यहां मुझे भी कई बार यह बात कहनी पडती है कि जो हमारे कानून हैं कि वेजेज पहली से १० तारीख तक बांट दी जानी चाहिये, यदि मालिक नहीं बांटता है तो उस मालिक का चालान हो सकता है। मैं पूछता हूं वह उनको तनख्वाह नहीं देते हैं और आप बैठे रहते हैं। जहां तक मालिक का ताल्लुक है आपके डिपार्टमेन्ट की हिम्मत नहीं होती है कि उस कानून को उसके ऊपर लगा दें, उसको सजा करा दे। मैं और उदाहरण दूं। आपको अधिकार दिया है मजदूर और मालिक दोनों की रक्षा के लिए। लेकिन मालिक कोई कानून तोडता है तो वह बच जाता है और मजदूर हडताल कर देता है तो उसके ऊपर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वह कानून लग जाता है। इस स्थिति को आपको निकालना चाहिए और डिपार्टमेन्ट को इस प्रकार से काम करना चाहिये कि मजदूरों और मालिकों में से जो भी कानून तोडे उसको ठीक तरह से दबा कर काम लें।

मैं और भी कहना चाहता हूं कि कुछ हंगामें होते हैं, जनता के एजीटेशन होते हैं, सारे आप के कान तक पहुंचते हैं : आप कमेटियां बैठाते हैं, उनकी रिपोर्टें आती हैं लेकिन होता क्या है उनका ? इस बारे में मैं कुछ मिसालें देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं साधारण मजदूरों की तो बात छोडिये। साधारण मजदूरों में शिक्षा की भी कमी है। मैं उन मजदूरों से कहता हूं कि तुम संगठित हो जाओ, नेताओं और पार्टियों का पीछा छोड दो और हिन्दुस्तान और राजस्थान के मजदूरो एक हो जाओ, यह नारा लगाता हूं। लेकिन उनकी तकदीर ही खराब है, हमने खराब कर रखी है, जनता के लोगों ने खराब कर रखी है जिसके कारण वे संगठित नहीं हो सकते। लेकिन मैं एक मजदूर ऐसा बताता हूं जो पढा-लिखा है, नेतृत्व करता है देश की हालत हमको दिखाने में, ऐसे इम्पोर्टेन्ट वर्ग की आपने क्या हालत कर रखी है ? यह ऐसा वर्ग है जो देश को उठाने में, शिक्षा देने में हमको निर्देश देता है, जो हमारी सामाजिक दशा को बताता है, सारी दुनियां का जो जर्नलिस्ट, पत्रकार तबका है उसके साथ हमारी यह सरकार किस तरह से व्यवहार करती है, यह मैं बताना चाहता हूं। सन् १९५८ के एक्ट के मातहत वर्किंग जर्नलिस्ट वेजेज कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया और आज सन् ६३ है। आपने उसको लागू करने में क्या किया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि वेजेज कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो रिकमन्डेशन्स हैं उनको लागू करने में आपने अब तक क्या किया ? जर्नलिस्ट्स के लिये ये रिकमन्डेशन्स एक्ट के मातहत हैं लेकिन आप ऐसे तबके के लिये कुछ नहीं कर सके। आप हमारे जर्नलिस्ट्स को नहीं उठा सके, जिनकी शिकायत है कि आप हर काम में रुकावट करते हैं, । आपने उनको क्या लाभ दिया; मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश की आवाज के अनुसार एक्ट बना, सरकार ने उसको पास किया, आपने उसमें कौनसा कदम उठाया ? वह तबका आज भी उसी तरह से परेशान है जिस तरह से ६ वर्ष पहले था। वेजेज कमीशन की रिकमन्डेशन आ गई लेकिन आप उस पर क्या कहते हैं ? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो पुराना किस्सा है। एक फकीर अजमेर में दरगाह में एक कालीन के पुराने टुकडे पर बैठा करता था। वह कालीन का टुकडा इतना पुराना था कि उसका टाट निकल गया। फकीर चिलम पिया करता था। एक दिन उस कालीन के टुकडे पर चिलम रखने से वह जल गया। उसके बाद उस फकीर ने देखा कि इस जले टाट का क्या करें। मैल से भरा हुआ था। उतनी राख की उसने पुडियां बांधी और कुष्टाओं कालीन के नाम से उन पुडियों को बेचने लगा। दरगाह में मेला भरा हुआ था। कुष्टाएं कालीन की पुडियों से उस फकीर को बहुत ज्यादा कीमत मिल गई। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिये जो रिकमन्डेशन्स उस कमेटी ने की उनका फायदा आप कुष्टाएं कालीन बना कर तो नहीं उठाना चाह रहे हैं ? उसके उपयोग के बारे में आपका क्या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जवाब है? वर्किंग जर्नेलिस्ट्स आज भूखे हैं, उनकी परेशानियां वहीं हैं राजस्थान में जो आज से १० साल पहले थीं। इन परेशानियों को कम करने के लिये आपसे उम्मीद थीं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने उनको मान लिया, इसलिये आप भी जल्दी ही उनकी हालत पर रहम फरमावेंगे, यह आशा थी लेकिन आपने रहम फरमाने के बजाय मालूम नहीं किस दराज में बन्द कर रखा है? आपका डिपार्टमेन्ट क्या कर रहा है? आप इस तरह का एटीट्यूड रख सकते हैं लेबर, के साथ तो उनका क्या हाल होगा, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं कहता हूं कि उसके मुताबिक उनको रिलीफ मिलती, अच्छी तरह से सुविधा मिलती तो वे सही तरीके से राजस्थान की सेवा कर सकते थे, उसको योग्य बनाते।

इसके अलावा वर्किंग जर्नेलिस्ट कानून अब तक पूरा लागू नहीं किया आपने। इसके मातहत स्टेंडिंग ऑर्डर बनाना जरूरी है। जो अखबार स्टेंडिंग आर्डर नहीं बनावें उनका आप चालान कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बारे में भी अब तक कुछ नहीं किया और वर्किंग जर्नेलिस्ट उसी तरह से मालिकों के मातहत कुचले जा रहे हैं। जब सारे हिन्दुस्तान में लागू होगया तो राजस्थान में आप रोकने वाले कौन हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं? क्या आप यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और राजस्थान का वह तबका जो दिमाग कहलाता है उसी तरह से मालिकों की गुलामी में पड़ा रहे? उनकी वेजेज चार-चार साल हो गये तय नहीं की हैं, कानून लागू नहीं किया। जब देश ने उसको मन्जूर कर लिया तो आप नोटिफिकेशन निकालने में देरी क्यों करते हैं? सफाई पेश करें कि क्यों नहीं इसको पूरी तरह लागू किया? आज इन वर्किंग जर्नेलिस्टों की बड़ी खराब स्थिति है। आप उनकी अवस्था पर कोई रहम नहीं ला रहे हैं। वे आत्म-सम्मान वाले लोग हैं, उनकी कैसी हालत हो रही है, उन पर बनियों का कर्जा है, दूकानदारों का कर्जा है, तनख्वाह नहीं मिलती है—उसके लिये उनका क्लेम नहीं चलता है। ऐसी हालत में आपने उस सिफारिश को रोक रखा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्सानियत के नाम से इस तबके के साथ आप न्याय करें। इसके प्रति जो एंटिपैथिक भावना है वह हिन्दुस्तान में नहीं रहने दी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो तीन मांगों पर बहस हो रही है उसमें मांग संख्या २४ मिसलेनियस के बारे में मेरे ११ कटौती के प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं।

हमारी सरकार इस डिपार्टमेन्ट के ऊपर १ करोड़ ३२ लाख रुपये खर्च करती है। इस १ करोड़ ३२ लाख रुपयों में से ६ लाख ४० हजार रुपये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होते हैं। जो यहां पर जयपुर में आफिस है समाज कल्याण विभाग का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है ६ लाख ४० हजार रुपये, यह केवल आफिस का खर्चा है। यह डिपार्टमेन्ट करता क्या है? इस डिपार्टमेन्ट का सबसे बड़ा काम है वह यह है कि जो कुछ इस डिपार्टमेन्ट के रुपये हैं वे संस्थाओं को ज्यादा बांटे जाते हैं और वे रुपये करीब

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
१८ लाख है। और मैं इनकी तफसील भी एक एक आइटमवार आपके सामने रखने को तैयार हूं। अनुसूचित जातियों पर २ लाख २५ हजार रुपये संस्थाओं द्वारा खर्च किये जाते हैं। शिक्षा के लिये ५ लाख ५० हजार रुपये संस्थाओं द्वारा खर्च किये जाते हैं। अनुसूचित जन-जातियों के लिये १ लाख ७५ हजार रुपये संस्थाओं के द्वारा खर्च किये जाते हैं। इसी तरह से पुनर्वास का जो खर्चा है २ लाख २५ हजार वह भी संस्थाओं के द्वारा खर्च किया जाता है और जो विमुक्त जातियां हैं उनके लिये८०,०००) रुपया संस्थाओं के जरिये खर्च किये जाते हैं। घुमक्कड़ जातियों के लिये १० हजार रुपये हैं वह भी संस्थाओं के द्वारा खर्च किये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member ! There is must rumbling in the House. It would be better if there is a quieter House.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कल्याण विस्तार योजनाओं के लिये ९०,०००) रुपये हैं, वे भी संस्थाओं के द्वारा खर्च किये जाते हैं। इसी तरह से शर्णार्थियों की सहायता के लिये १ लाख ९२ हजार रुपये हैं वे भी संस्थाओं के द्वारा खर्च किये जाते हैं। और केन्द्र से सहायता मिलती है ७५,०००) रु. वे भी संस्थाओं के द्वारा खर्च किये जाते हैं। डिपार्टमेन्ट कंसन्र्ड पर जो ६ लाख ४० हजार रुपये खर्च किये जाते हैं उसका काम यह है कि इस डिपार्टमेन्ट के १८ लाख रुपये इन संस्थाओं को बांटे। मैं जहां तक समझ पाया हूं राजस्थान प्रान्त के घोषित बजट की हालत यह है कि वह डेफिसिट में जा रहा है। फिर जरूरत नहीं कि इस जैसे डिपार्टमेन्ट को रखा जाय, जिसका काम सिर्फ रुपये बांटना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर ६ लाख ४० हजार रुपये खर्च क्यों किये जावें। बहुत अच्छा हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट को अगर विकास विभाग के साथ मिला दिया जाय और उसके द्वारा यह पैसा खर्च किया जाय तो ६ लाख ४० हजार रुपया या जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है वह बचाया जा सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि जयपुर के अन्दर एक डिपार्टमेन्ट इस तरह का रख कर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सिर्फ रुपया बांटने के लिए खर्चा किया जाय। इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन संस्थाओं को यह पैसा हमारी सरकार हर साल देती है लाखों करोड़ों की तादाद में, मैं पूछना चाहता हूं कि उन सारी संस्थाओं ने इस पैसे को किस तरह यूटीलाइज किया है, उसकी कोई रिपोर्ट कभी सरकार ने इस हाउस के सामने रखने की कोशिश की है? आज दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं रखी है। जो इस विभाग के एडमनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है, इसके द्वारा यह रुपया जिन संस्थाओं को दिया जाता है, उन सारी की सारी संस्थाओं को यह जिस काम के लिए दिया जाता है, उस पर यह खर्च नहीं किया जाता। वहां भी एडमिनि-स्ट्रेशन है उन संस्थाओं को चलाने के लिए, उन पर ही लाखों रुपया खर्च होता है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह बताना चाहता हूं कि हरिजन सेवक संघ है, आदिवासी सेवक संघ है, मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी इसका जवाब दें कि इनकी जो वर्किंग कमेटी है उसमें मेजोरिटी

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)
किन लोगों की है। उसमें मेजोरिटी सवर्णों की है। उसमें आदिवासी नहीं हैं, हरिजन नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह किस कानून की बात कह रहे हैं। उनकी सेवा करने का हक सबको है। उसमें हरिजन ही हों यह जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी यह है कि दूसरे लोगों को भी उनकी सेवा करने का मौका मिले।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : ठीक है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे लोगों को उनकी सेवा करने का हक है। मैं भी यही कहता हूं लेकिन जब वे खुद अपनी सेवा करने के लिए तैयार हैं, और जैसा कि हाउस में आपने देखा यहां आदिवासी लोग, जो यहां चुन कर आये हैं, अपने हकों के लिए किस जोरदार तरीके से मांग करते हैं परन्तु उनको वे हक नहीं मिलते और इसलिए नहीं मिलते कि आप जैसे लोग उस सारे के सारे पैसे को अपने काम में लेकर अपना काम चलाने में खर्च करते हैं और उन तक नहीं पहुंचाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आज आप हरिजन सेवक संघ में जाकर या किसी भी जगह जाकर देखिये जो उसकी अलग अलग यूनियन हैं, उनमें कौन सेक्रेटरी हैं और कौन प्रेसीडेंट का काम करते हैं। हरिजनों के लिए इतने हजार रुपये मकान बनाने के लिए विभाग द्वारा मिलते हैं, लेकिन आप मुझे बताने की कोशिश करें कि कितनी जगह हरिजनों के लिए मकान बनाये गये हैं उस पैसे में से। इसके अलावा, मैं पूछना चाहता हूं कि १९६२-६३ की साल में १ लाख ८९ हजार रुपया राजस्थान समाज कल्याण संघ को अनुदान के रूप में सरकार ने दिया था, वह १ लाख ८९ हजार रुपया उस राजस्थान समाज कल्याण संघ ने किस काम में और किस तरह से खर्च किया। इसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है।

इसी मिसलेनियस डिपार्टमेन्ट के अन्दर एक बहुत बड़ी रकम है जो हमारे प्रकाशनों के ऊपर खर्च की जाती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां इतनी रकम प्रकाशनों के ऊपर खर्च की जाती है, वहां राजस्थान सरकार के जितने विभाग हैं वे अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते हैं वर्ष की कि उन्होंने क्या किया। आज वन विभाग की एक रिपोर्ट हमारे सामने है। मैं इस रिपोर्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि १९६० से आज तक इस डिपार्टमेन्ट ने हर साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया और उससे कितना प्रोफिट हुआ। इसमें कुछ नहीं बताया गया है, इस तरह की रिपोर्ट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पैसा इस सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, उस पैसे के सम्बन्ध में हर विभाग, सालाना अपनी रिपोर्ट पेश करे और वह इस हाउस के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए, जिससे हम लोगों को यह मालूम हो सके कि हमारे खून का पैसा, हमारी महनत का पैसा, जो टैक्सों के द्वारा सरकार वसूल करती है, उसको सही तरीके से खर्च किया है या नहीं इसके बारे में हमें जानकारी हो।

इसी तरह से, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और आपके द्वारा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
इस डिपार्टमेन्ट के कन्सर्न्ड मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट के आफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर रहते हैं। स्टेटिसटिक्स आफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हैं, पर कोई डिपार्टमेन्ट किसी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर किसी वर्ष की रिपोर्ट वहां के स्टेटिसटिक्स के बारे में प्रकाशित नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर वहां के विभाग क्या काम करते हैं, कितनी प्रोग्रेस होती है, इसके लिए अपने विभाग के लिए अलग अलग यह रिपोर्ट प्रकाशित करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के बारे में मैं दो तीन बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि कोटडा रेंज के अन्दर लालन नाम के जंगल का ठेका १९६१-६२ के अन्दर एक अजीज भाई नाम के व्यक्ति को दिया गया था। आज तक उस बांस के ठेके में से उसको एक बांस नहीं काटने दिया बल्कि बीस हजार रुपया, जो सरकार के पास डिपोजिट है, वह वापिस नहीं लौटाया। उसी जंगल का एक टुकड़े का नया ठेका १९६२-६३ के लिए एक दूसरे व्यक्ति को, जिसका नाम चम्पा लाल है, ३५ हजार में दे दिया है। उसने जंगल को काट दिया जब कि एक मामला एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर चौदह महीने तक पड़ा हुआ है और उसका फैसला नहीं किया है।

इसी तरह से ठेका देने की जो प्रथा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं दो मिनिट में अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि एक रेंज का ठेका देते हैं तो दूसरी जगह के लोग आकर के उस ठेके को ले लेते हैं और वहां से वे जो लकड़ी काटते हैं उसे शहर में ले जाकर बेच देते हैं। और जो जंगल की लकड़ी जलाने के काम के लिए आवश्यक होती है वह वहां के लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि इस शर्त को ठेके में नहीं रखा जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को ठेका दिया जाय, उनके साथ यह शर्त हो कि जिस जंगल से, जिस जगह से लकड़ी काटते हैं उस जगह के जंगल की लकड़ी उसी जगह बेचनी पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां होनी चाहिए जिससे जो जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है वह मिल सके और जो लोगों से नाजायज तरीके से जुर्माना वसूल किया जाता है वह बन्द हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल (बयाना): मेरे लिए कहा है ?

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज वाद-विवाद चल रहा है, उसमें कई माननीय सदस्यों के विचार सुन कर यह सार निकाला है······

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : गवर्नमेंट रिप्लाई कब से शुरू किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : ४.३० से।

श्री अब्दुल जब्बार : कि विभाग की ढिलाई के कारण कई बातें होती हैं। ऐसी सूरत में आम तौर पर यह बात सोचने की हो जाती है कि क्या कारण है कि सरकार दोषी लोगों को दंड देने में फेल होती है। लाजिमी चीज है, यह तथ्य सामने आता है कि सरकार ऐसे लोगों को शरण देना चाहती है पार्टी

(श्री अब्दुल जब्बार)

बेसिस पर, पार्टी पालिटिक्स और पार्टीबाजी से इन्फ्लूएन्स्ड होकर। मेरे प्रश्न का माननीय उप-मंत्री जी ने रिप्लाई दिया कि उस केस में फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है जिसमें एक व्यक्ति ने नाम बदल कर सर्विस की है और जिसका चन्दन के पेड कटाने में हाथ है, उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो रुख गरीब इन्सानों के साथ है, उससे गरीब इन्सान खून के आंसू बहा रहे हैं, अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गरीब इन्सान महनत करता है, उसको बद से बदतर टैक्सों के जरिये सताया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, जो सोर्स आफ इन्कम हैं। हमारे वन हैं, उनको किस तरह काट डालते हैं और सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। चन्दन के पेडों के बारे में किसी तथ्य की आवश्यकता हो, तो मेरे पास फाइल मौजूद है और मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वे मेरे से बातचीत कर सकते हैं।

मैं एक दूसरा तथ्य रखूंगा कि किस तरह हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाया जाता है और जो खजाने में जमा हुआ पैसा है, जो टैक्सों के रूप में आता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हमारे वन अधिकारी, और मैं डाइरेक्टली सरकार को दोषी ठहराऊं, ने ढिलाई बरती है। एक ठेका गोंद बानसी मेवाड जिला में होता है, उसमें इस ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९६२ के बाद उसको दुबारा नीलाम किया जाता है। और इस प्रकार सरकार को एक हजार का लाभ होता है। वह इसलिये होता है कि जिस आदमी ने ठेका लेकर जो रकम जमा करा दी, ठेका उसके नाम न करके एक दूसरे व्यक्ति से दरख्वास्त लेकर किया गया। माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि सही तथ्य लाये जायं, और बताये जायं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं, और वे इस बात को क्लीअर समझाने की कोशिश करेंगे– यह ठेका ६,३०,८९२ रु० में डी. एफ. ओ. उदयपुर द्वारा दिया गया चिरंजीत नाम के व्यक्ति को, और ५,१०० उससे चौथाई के जमा करवा लिये। लेकिन चौथाई जमा करने के बाद भी वह ठेका नहीं मिलता है इस केस के आधार पर मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमारा यह वन विभाग इस प्रकार ज्यादतियां करता है। ठेकेदारी के लिए नियम बने हुए हैं। इसलिये जब ठेका दिया जाय तो उन नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए और उन्हीं नियमों के अनुसार ठेके नीलाम किये जाने चाहिएं। ताकि हमारे यहां ऊंट, बकरियां, भेड आदि चराने का भी प्रबन्ध हो।

डिमार्केशन के बारे में चर्चा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इसमें भी बढती हुई आबादी को नजर अन्दाज किया जाता है। डिमार्केशन लाइन शहरों से दूर रहनी चाहिये मगर इसका यह हाल है कि वह लाइन दिनों दिन शहरों में घुसती चली जा रही है। यह उल्टा असर हो रहा है। बजाय इसके कि इसको दूर हटाया जाये गांवों में आ रही है। यह चित्तौड जिले की बात मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर डिमार्केशन लाइन गांवों के अन्दर चली आ रही है। इससे यह होता है कि यदि किसी किसान का जानवर छूट कर चला जाता है तो उसको पकड लिया जाता है और जंगलात

(श्री अब्दुल जब्बार)

वाले स आदमी के साथ, पुलिस भी क्या ज्यादती करती है, उससे भी ज्यादा ज्यादती करते हैं यहां के लोगों को य महसूस हो ा है कि यह जंगलात का हकमा नहीं है यह पुलिस का महकमा है। जंगलायत महकमे के कर्मचारी इस प्रकार का जंगलीपन उन गरीब लोगों के साथ करते हैं कि जिससे म यह कह सकते है कि जंगल का जंगलीपन वास्तव में उन्ही जंगल के विभाग के लोगों में आ गया है और वे इन्सान को इन्सान नहीं समझते हैं। वे लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। इसलिये मैंने एक पर्सनल लैटर डी. एफ. ओ. चित्तौड को भेजा था उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। उसमें मैंने उनसे इसकी जांच करने के लिये लिखा था और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार अगर वन विभाग की उन्नति करना चाहती है तो इस प्रकार की हरकतों को जल्दी से जल्दी रोके। हमारे यहां जंगलात से लकडी लेने की किसानों को जरूरत हो तो राहत पहुंचाना और उनके लिये आराम की बात करना वे नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से यह हमारे यहां रिवाज चला आता है कि एक छोटी सी चिट्ठी लेकर फर नाम की लकडी आम तौर से जंगलों से लाई जाती है जिसको जंगल के रहने वाले लोग काम में लेते हैं। मगर आज यह हाल हो रहा है कि लोगों को चिट्ठी नहीं मिल रही है। चिट्ठी के लिये लोगों को बार बार चक्कर लगाने पडते हैं। मैं आपको एक रेफरेन्स देता हूं, कि घटियावली नामक जंगल से ठीक चुनावों के समय बहुत सी चिट्ठियां लोगों को दी गई थीं और वे चिट्ठिया उन्ही को दी गई थीं जिनको वोट देने का अधिकार था ताकि वे वहां पर जाकर अपने वोट दे सकें। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लोगों को किस तरह से तंग किया जाता है और उनके राइट्स को कम किया जाता है। मगर जिस समय वोट का प्रश्न आता है उस समय उनको वोट देने के लिये चिट्ठियां दे दी जाती हैं ताकि वे लोग वोट जा कर आसानी से दे सकें और वापिस आते समय लकडी भी ले आएं।

इतना ही नहीं किसानों को हल वगैर बनाने के लिये लकडी की जरूरत होती है, वह लकडी तो वह जगल से ला सकता है, मगर वह लकडी भी उसको नहीं दी जाती है और वह बांस वगैरह की लकडी से हल आदि बनाता है और काम चलाता है। उसको हल के लिये भी लकडी नहीं मिलती। माननीय वन मंत्रीजी, जो स्वयं उन्हीं कम्युनिटी से ताल्लुक रखते ह जो जगलों में पैदा होते हैं और जगलों में मरते हैं, उनको इन सारी बातों को जानना आवश्यक है, वे और उन लोगों को सहूलियत दिलावें। मैं यह कहूंगा कि वे इसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देंगे। जिस प्रकार की लकडी का संबंध उन लोगों की खेती से है वह लकडी उनको सहूलियत से प्राप्त हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा जिस समय मजदूर-पालिसी पर बातचीत की जाती है, उस समय सरकार कुछ ध्यान नहीं देती और जहां हमारे सामने एमर्जेन्सी का सवाल आता है तो एकदम हमारा ध्यान उन मजदूरों की तरफ जाता है और कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढाई जाय। अधिक अन्न उपजाओ। ताकि सब आबादी के लोगों को खिला-पिला कर मोटा ताजा रखा जावे और उनका दिमाग का संतुलन ठीक २ रखा जावे, ताकि देश के लिए वे अपने दिमाग को काम में ले

(श्री अब्दुल जब्बार)

सकें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उन मजदूरों के हितों के लिये वेजेज एक्ट लागू किया है? कल्याणकारी राज्य में सबसे पहला कार्य यह है कि वह इस बात को खेदे कि मालिक मजदूर को क्या मजदूरी देता है और जो मजदूर उसको कमा कर पैसा देता है वह कितना है और मालिक उस हिसाब से मजदूर को पैसा देता है या नहीं? केवल कानून बनाने और कार्यालय के सुपुर्द करने के सरकार कोई कार्य नहीं करेगी, तो मैं यह कहूंगा, माननीय मंत्री भले ही इसको नहीं मानें, कि केवल कानून पास करने से कोई बात होने वाली नहीं है। आपको चाहिए कि उन कानूनों को अमल में लावें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि समय को निमंत्रण दे रहे हैं, जब कि एक प्रकार की बगावत मजदूरों में होगी और वह हमारे नेताओं के बताए हुए रास्ते पर ही हो सकती है। आप यह समझते हैं कि मजदूर बगावत नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथी उसका साथ नहीं देते हैं। मगर जिस समय वह अपने चारों तरफ मुसीबतों के पहाड देखता है तो वह उनकी परवाह नहीं करता है और बगावत के लिये कूद पडता है और उस समय बगावत करने के लिये उसके दूसरे साथी भी उसका साथ देते हैं। उस समय वह किसी की परवाह नहीं करता चाहे कितनी ही मुसीबतों का सामना उसको क्यों न करना पडे, क्योंकि वह यह समझता है कि वह परेशान तो है ही। जिस समय वह परेशान ज्यादा होता है उस समय वह रात भर परेशानी में यों ही अपने हाथ पैर मसलता रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आजादी को १५ वर्ष हुए हैं अगर कोई बच्चा भी उस समय ५ या सात साल का होता, वह भी १५ साल में आज बालिग हो जाता और बालिगा होती तो वह कभी की मां बन जाती। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पडता है कि हमारे मजदूरों के हितों के लिये कानून वे ही पुराने हैं और वे ही नाबालिग हैं। जब इस नये युग में पुराने कानूनों द्वारा मजदूरों पर कुठाराघात होते हैं और मजदूरों को उन कानूनों द्वारा उनकी छाती पर मोटे पत्थर रख कर कुचला जाता है तो उन्हें बडा दुःख होता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि गरीब मजदूरों के लिये आपने कुछ नहीं किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग के संबंध में भी कुछ कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि यह समाज कल्याण विभाग किसका कल्याण कर रहा है, यह समझ में नहीं आता? कांग्रेस का कर रहा है या किसी दूसरों का? मैं तो कहूंगा कि यह समाज कल्याण कांग्रेस के नाम पर एक कलंक है-जो कांग्रेस के नाम पर मोटे-मोटे काले दाग लगा रहा है जिनको अगर बडे से बडे सफेदे से भी पोता जाय तो भी वह ठीक नहीं हो सकता। समाज कल्याण के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, सामान खरीदे जाते हैं, मकान किराये पर लिये जाते हैं-ये सब फिजूल खर्चे बढाये जाते हैं, और इससे किसी का भला नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान की खरीद में भी इस विभाग में बडी गडबडी होती है। अजमेर की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर जीप के मीटर खरीदे गये। पहले २८) रु० में खरीदे गये, वे ही मीटर बाद में ३२), ३२) रुपयों में खरीदे जाते हैं। मीटर सब एक ही

(श्री अब्दुल जब्बार)
मोडल के होते हैं फिर उनके पैसों में अन्तर क्यों ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज आप किस प्रकार से हकूमत करते हैं। आपके राज्य में इन्सान बेचे जाते हैं और दूसरे मजदूरों की हालत आपसे छुपी नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपके यहां क्या हो रहा है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप ईश्वर के लिये गरीबों पर रहम कीजिये और इस प्रकार की बेजा हरकतें हो रही हैं उनको रोकिये, वरना समय का फेर आपको तो नहीं बख्शेगा, लेकिन उसके साथ साथ भले इन्सान को भी नहीं बख्शेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का समय समाप्त हो चुका था।

श्री उपाध्यक्ष : Exactly the Congress has taken 53 minutes.

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०, वन म एक रुपये की कटौती की जाय। (बांसवाडा जिला में जंगलों की सुरक्षा एवं चिप बोर्ड फैक्ट्री लगाने के लिये सेहरिया कम्पनी को तीस वर्ष का जो ठेका दिया गया है उस पर बहस करने के लिये)।

बांसवाडा अरावली पहाडियों के पास है। पहले पहल यहां पर बहुत पहाडी जंगल थे। जब ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई तो ठेकेदारों ने इन जंगलों को खत्म कर दिया। जब गांवों में जंगल बहुत थे तो वर्षा भी बहुत होती थी, वहां बहुत पानी बरसता था तो अनाज भी बहुत पैदा होता था। जब से जंगल समाप्त हुए हैं, तो हर तीसरे साल कैतशाली होती है। ठेकेदारी प्रथा राजस्थान सरकार ने चलाई उस समय हमने मांग की थी कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इस बात को तय करे। जिस ठेकेदार को कूप का ठेका दिया जाता है वह तमाम लकडी काट कर बाहर भेज देता है और इससे यह होता है कि वह लकडी, जो हमारे यहां बाजार में आनी चाहिये, नहीं आती और बाहर मध्य-प्रदेश में चली जाती है। इसके लिये हमने मांग की कि जो आदिवासी लोग वहां के रहने वाले हैं उन्हीं को वहां पर ट्रेनिंग दे कर गार्ड रखा जावे। जंगलों की रक्षा आदिवासी अच्छी तरह से कर सकेंगे। जो लोग वहां के नहीं हैं उनका ट्रान्सफर कर दिया जावे। मैंने गत वर्ष भी यही निवेदन किया था कि भले ही बजट में कुछ खर्चा ज्यादा हो जावे तो किया जावे; लेकिन यदि वनों की रक्षा नहीं होगी तो चाहे आप बडे बडे तालाब बनावें, चाहे नदियां बनावें, कोई फायदा नहीं हो सकता। जब तक जंगलों की रक्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि फोरेस्ट की रक्षा की जावे।

इसके अलावा फोरेस्ट सोसाइटी की मांग है वह भी अभी तक नहीं बनी है। लेकिन आप फोरेस्ट सोसाइटी बना देते हैं तो फोरेस्ट इस तरह से बरबाद नहीं होगा। मेरा यह

(श्री नाथूराम)
निवेदन है कि फोरेस्ट विभाग की तरफ से अच्छी तरह से निगरानी रहे ताकि कोई गडबडी नहीं हो ।

हमारे यहां सागवान और बांसों के हरे भरे जंगल थे, वे आज वीरान हो रहे हैं । चिप बोर्ड फैक्ट्री के लिये विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने भी कहा, मेरा भी निवेदन है कि चिप बोर्ड फैक्ट्री के लिये ३० साल के लिये शेरिया कम्पनी को ठेका दे दिया गया है । मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से शेरिया फेक्ट्री को जो ३० वर्ष के लिये ठेका दे दिया गया है वह उचित नहीं है । गवर्नमेन्ट तो नहीं चाहती थी, किसी स्वार्थी नेता या किसी अधिकारी की राय से हुआ । गवर्नमेंट ने तो हित ही सोचा था कि आदिवासियों को इससे फायदा मिले । चिप बोर्ड फैक्ट्री के लिये मशीनें भी नहीं आ रही हैं । आरा मशीन से हजारों लकडियां चीरी जाकर राजस्थान के बाहर कलकत्ता वगैरह में जा रही हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो शेरिया कम्पनी को ठेका दिया है, वहां जल्दी से जल्दी मशीनें आ जायं तो आदिवासियों को फायदा हो सकता है, वरना ठेका केन्सिल कर देना चाहिये । मैं यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाचन्द ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि हमारे यहां के काश्तकार लकड़ी के लिये रेंजर के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं, तो रेंजर साहब उनको लकड़ी लाने के लिये पास नहीं देते, सरपंच के पास भेजते हैं कि सरपंच से तस्दीक करा कर लाओ । उनके फेवर के जो लोग होते हैं उनकी तस्दीक करते हैं और रेंजर साहब के पास जाते हैं तो किसानों को सरपंच की तस्दीक के बिना लकड़ी लाने का पास नहीं देते हैं । इस तरह से वहां के किसानों को खेती के काम की लकड़ी, और दूसरे घर के काम की लकड़ी के लिये बडा परेशान होना पड़ता है । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के काश्तकारों को इस बारे में सुविधा मिले ।

इसी तरह घास काटने के दिन आते हैं तो निश्चित समय मुकर्रर कर देते हैं कि इतने दिनों में घास काट लेओ । कभी मावटा हो जाय तो बरसात की वजह से किसान घास नहीं ला सकते, फिर टाइम निकल जाता है तो घास नहीं ला सकते । इससे गरीब काश्तकारों को नुकसान हो जाता है ।

तीसरी बात यह है कि पंचायत कोयला, भेड़, बकरी की चराई लगाती है, उन लोगों से फोरेस्ट वाले भी वसूली करते हैं और इस प्रकार इन लोगों से पंचायत और फोरेस्ट दोनों ही वसूली करते हैं और इन लोगों को डबल चराई देनी पड़ती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे क्षेत्र के आस पास ऐसे दो तीन रेंज हैं जहां काफी लकड़ी है । पहले लोग वहां से सूखी लकडी ला कर गुजर-बसर करते थे, पर आज उन्हें कोई नहीं लाने देता । वहां हजारों मन सूखी लकड़ियां पड़ी हैं पर लाने की इजाजत

(श्री दयाचन्द सौन)

नहीं है। घास की वजह से कुछ लकड़ी में आग लग जाती है, तो वैसे ही नष्ट हो जाती है पर लोगों को उसे लाने की इजाजत नहीं दी जाती। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को इस सूखी लकडी के लाने की इजाजत दे दें तो सरकार को हजारों का फायदा होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल। You have at your disposal only five minutes.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार प्रगतिशील होन का दावा करती है, बड़े बड़ कानून कायदे पास करती है पर वास्तव में सब ढकोसला साबित होता है। उदाहरण के तौर पर मैं सदन का ध्यान प्रोबेशनर आफिसर्स एक्ट की तरफ आकर्षित करूंगा, यह एक्ट १९६२ की जनवरी में लागू हुआ। जनवरी, ६२ में कानून लागू होता है, जब कि प्रोबेशन आफिसर की नियुक्ति जनवरी, ६१ से कर देते हैं। एक्ट साल भर बाद लागू होता है और नियुक्ति उसके एक साल पहले हो जाती है, अक्टूबर में नियम लागू होते हैं, फिर भी उन्हें कोठरी में डाल दिया जाता है, उन पर किसी किस्म का अमल नहीं किया जाता। जो इस विभाग को चलाते हैं ऐसे वर्ग के लोग हैं जो इसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पैरोल रूल्स बने हुए हैं प्रिजनर्स को पैरोल पर रिलीज करने के सम्बन्ध में। ये रूल्स ५८ में बने, पर दुख की बात है कि किसी एक भी कैदी को इन रूल्स के अनुसार पैरोल पर रिलीज नहीं मिल सकी। यह इन कानूनों की खामी है और लाल फीताशाही का बुरे से बुरा उदाहरण है।

अब मैं वन विभाग के मंत्री का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा, वन मंत्री इस ओर ध्यान दें, भरतपुर में घाना बर्डस सेन्चुअरी है, चिड़ियों का शरणगृह। वहां हर साल लाखों की तादाद में साइबेरिया, अफ्रीका के जंगलों से चिड़ियां उड़ कर उत्तर भारत में आती हैं। भरतपुर ही ऐसा स्थान है जहां हजारों किस्म की बतखें, लाखों की तादाद में शरण ग्रहण करती हैं। वहां लिख तो दिया है सेन्चुअरी, पर प्रतिदिन राज्य परिवार के लोगों द्वारा मारी जाती हैं। यह खुद में एक कलंक है। दूसरी गेम सेंचुअरी सवाई माधोपुर में है, वहां लाखों रुपया खर्च कर के पेड़ वगैरह पैदा कर जंगली जानवरों को सुरक्षित करने का घोषित किया जाता है, प्रोटेक्शन देते हैं, अभयदान दे दिया है, पर जयपुर के राज्य परिवार के लोग वहां जानवरों को दिन-रात मारते हैं, वहां कानून का दुरुपयोग इस तरह से होता है। कोई विदेशी इनके होटल में ठहरता है तो उससे शिकार के लिये बड़ी लम्बी-चौड़ी रकम ले ली जाती है और कह देते हैं कि हमारा गेस्ट है और इस तरह रात-दिन उन वन्य जानवरों को मारा जाता है। मैं उन मूक निरीह प्राणियों की तरफ से निवेदन करूंगा कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय?

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

अब मैं इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व वक्ताओं ने इस विभाग की धांधलियां के बारे में बहुत काफी बताया है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि यह विभाग किस तरह निष्क्रिय और अमीरों का गुलाम है। अब तक मानते थे कि इससे मजदूरों का एक प्रतिशत भी भला हो सकता है या नहीं, एक शिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर का उदाहरण मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कायम हो गया तो मैनेजर ने १७२ आदमियों को निकाल दिया। मामला पेन्डिग रहते हुए मजदूरों को हटाया नहीं जा सकता, बगैर सरकार की इजाजत के। सर्विस कन्डीशन्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह अक्षम्य अपराध है। उनके पेट पर लात मारने के लिए यह सब किया गया, किन्तु सरकार ने मैनेजर के खिलाफ, लखपतराय के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया कि इनके खिलाफ प्रासीक्यूशन स्टार्ट किया जाय। केन्द्र के जहाज रानी मंत्री, x x x x भागकर भरतपुर आ जाते हैं। भाग कर आते हैं और राजस्थान के उप उद्योग मंत्री भी वहां आते हैं····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,वन): Point of order, Sir. A reference has been made for a Minister of the Centre and it has been expressed in very contemptuous words. "केन्द्र के जहाजरानी मंत्री x x x x भाग कर भरतपुर आ जाते हैं।" This expression is un-called for and defamatory by nature.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैंने नाम नहीं लिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है वे विथड्रा करें।

सरकार भी तो x x x x है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये शब्द विथड्रा करें।

एक माननीय सदस्य : गवर्नमेंट के मंत्री भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा, जो मेम्बर अन-डिफेन्डेड हो उसके बारे में कोई बात नहीं कही जानी चाहिए।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : १७२ व्यक्ति दाने-दाने के लिये भूखे मरें।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : एक मिनिट में ही खत्म कर देता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सरकार भी तो x x x x है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir. He is again repeating it.

श्री उपाध्यक्ष : It is an expression of opinion.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि १७२ परिवारों को दाने-दाने के लिये पूंजीपतियों के इशारे पर मुहताज किया जाता है, जिसमें हमारे सुयोग्य

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)
परम आदरणीय उप उद्योग मन्त्री भी वहां भाग कर जाते हैं और साजिश करके हमारे यहां के लेबर मन्त्री के साथ साठ-गांठ करके और जहाजरानी मन्त्रीजी के जो भाई हैं मुरारीलालजी जो उस वैगन फैक्ट्री में नौकर हैं उनसे रिप्रेजेन्टेशन लिखाया जाता है इससे ज्यादा xxxx होने का क्या सबूत है, यह कितने शर्म की बात है xxxx ऐसी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष।

श्री भीखाभाई (श्रम एवं वन मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये एक बात कठिन हो गई है कि समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग और उसके साथ साथ वन विभागों के जितने कट मोशन हैं उनका जवाब मैं दूं। मेरे पास इतना समय नहीं कि सब कटौती प्रस्तावों पर मैं माननीय सदस्यों को सन्तोष दे सकूं। मुझे यह भी लगता है जब इस सम्बन्ध में २५० कटौती के प्रस्ताव आये, इस थोडे समय के अन्दर सबका जवाब नहीं दे सकता। इसलिये जितने भी कट मोशन्स का उत्तर संभव हो सकेगा मैं देने का प्रयत्न करूंगा और बाकी के बचे हुए कट मोशन्स रहेंगे, उनका माननीय सदस्य चाहेंगे तो लिखित में उत्तर भेज दिया जायगा।

चर्चा के दौरान में जैसा कि मैंने निवेदन किया २५० कटौती के प्रस्ताव आये अलग अलग मुद्दों पर। आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो विरोधी दल के नेता भी हैं जिन्होंने वहस के दौरान में कुछ रचनात्मक बातें भी कहीं। उसके बाद वे ऐसी कन्ट्रोवर्सी में पड गये जिससे जाकर के सदन में एक कटुता का वातावरण पैदा हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं वे सदा से उच्च विचार के रहे हैं और अब भी हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्तिगत बात सदन के सामने रखीं, लान्छन प्रति लान्छन की जो बात रखीं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): लान्छन तो नहीं, बाध्य रूप से कुछ दूसरा चारा नहीं था। बाध्य रूप से स्वाभिमान का रक्षण करना था, कुछ न कुछ कहना था। मैं कटुता उत्पन्न करना नहीं चाहता था।

श्री भीखाभाई : वे स्वाभिमान की रक्षा के लिये, जिनको मैं और सदन आदर की दृष्टि से देखता है, लान्छन प्रति लान्छन की बात करें वह उचित नहीं मानता। उन्होंने उस दौरान में यह भी कहा था कि मैंने यह बात सुनी, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं फिर भी उन्होंने लांछन प्रति लान्छन की बात कही।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): इस सम्बन्ध में आसन की ओर से व्यवस्था दी जा चुकी है फिर भी मन्त्री महोदय उसी प्रश्न को ला रहे हैं यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

एक माननीय सदस्य : सरकारी पक्ष की ओर से वातावरण बिगाडा जा रहा है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह विवाद का विषय बनाया नहीं जा सकता।

श्री राधाकिशन गोयल (टौंक): उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में गरमा-गरम बहस के बाद व्यवस्था दी जा चुकी है।

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री राधाकिशन गोयल)
उस व्यवस्था के बावजूद माननीय मन्त्री इस प्रश्न को उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री उस तरफ केवल इशारा मात्र कर रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह आपत्तिजनक बात है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो वर्डिग्ज एक्सपन्ज कर दिये गये उनके बारे में फिर वाद-विवाद करना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वे निर्णय को चेलेन्ज नहीं कर रहे हैं वे केवल पासिंग रिमार्क्स दे रहे हैं कि जो बात कही गई थी वह ठीक नहीं थी।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

मैं आपका ध्यान रूल २७६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रूल नम्बर २७६ आंग्ल भाषा में जिसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं उसका हिन्दी में मतलब यह होता है कि कोई भी मेम्बर स्पीकर की बगैर इजाजत के उसके खिलाफ पर्सनल रिमार्क किया गया हो उसका विश्लेषण या सफाई के लिये सदन में खड़ा हो सकता है अध्यक्ष महोदय इजाजत दें तो, सफाई कर सकता है लेकिन उसको डिबेट का विषय नहीं बनाया जा सकता।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि माननीय मन्त्री महोदय जो बात उठा रहे हैं वह विवाद का विषय बनाया नहीं जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट का विषय नहीं बना रहे हैं केवल रेफरेन्स दे रहे हैं इसमें कोई आपत्ति २७६ के तहत नहीं हो सकती।

श्री भीखाभाई : मैं तो इस बात के लिये स्पष्टीकरण कर रहा था। गवर्नमेन्ट के खिलाफ या मुख्य मन्त्री के खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं तो गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि उसके बारे में स्पष्टीकरण कर दे। इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था।

पुनरवा जंगल के बारे में भी बातें कही गई। जो इस सदन के पहले भी सदस्य रहे हैं वे इस बात को जानते हैं कि इस बारे में मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा और वन मन्त्रीजी ने भी कहा इस सदन में।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir. यहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुसार एक ही मामले को बारबार नहीं उठाया जा सकता। रिपीटिशन में जो हमारा समय बरबाद कर रहे हैं उसका टैक्स मिलना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप श्रम मन्त्री हैं मजदूरों के बारे में, श्रम नीति के बारे में, बातें रखिये।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने पोइन्ट-ऑफ-आर्डर के जरिये सुझाव बड़ा सुन्दर दिया है। लोक-सभा में भी यही परम्परा है। एक सवाल जो एक बार पूछा जाता है, एक बार जिस पर डिबेट हो चुकी होती है, उसको फिर दोहराया नहीं जाता। यहां की परम्परा के अनुसार जिस बात का जिक्र आगया है उसके प्रत्युत्तर में निवेदन करना आवश्यक समझता हूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आपको जवाब देने के लिये बाध्य किया जाय तो।

श्री भीखाभाई : पुनरवा जंगल १९४५ में एक जगीरदार द्वारा दिया था, उसने एक साल के लिये दिया था, फिर पांच साल के लिये दिया था और मियाद उसके अनुसार ५४ तक रहती थी। ५७ के अन्दर फिर मियाद के लिये दरख्वास्त दी और उसको कह दिया, कि तुमको ठेका दिया जावेगा। इसके बाद में · ·

श्री भैरोंसिंह (किशनगोल, जयपुर): कितने साल के लिये ?

श्री भीखाभाई :पांच साल के लिये। पुनर्विचार किया गया कि ठके को केंसिल किया जाय। इस पर वह पार्टी कोर्ट में गई। कोर्ट के निर्णय के अनुसार सरकार ने अपने ऑर्डर रिवाइज किये। पर उसके सामने कुछ शर्तें और रखीं और उन शर्तों के अनुसार ठेका मन्जूर किया। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार प्रश्न को वार वार सदन में नहीं उठाया जावे। इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी कई वार सदन में किया हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण और कर दीजिये। ६२ में हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो उसे आपने विथड्रा क्यों किया ?

श्री भीखाभाई : लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन के कारण ।

श्री भैरोंसिंह : उसी की ओपीनियन से मामला हाई कोर्ट में गया और उसी की ओपीनियन लेकर आपने विथड्रा कर लिया। तो गलती किसकी हुई? यह सारा मैनिप्युलेशन है।

श्री भीखाभाई : Expert opinion sometimes changes between two persons. यह तो ओपीनियन दो एक्सपर्टों की भी डिफर कर जाती हैं। हाई कोर्ट तक से दो-दो रुलिंग एक जैसे ही केसों में हो जाती हैं। तो इसी तरह लॉ डिपार्टमेन्ट में भी दो आदमियों की भिन्न भिन्न राय हो सकती हैं। इसलिये यह निवेदन करना उचित ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification, Sir. जब लॉ विभाग से भिन्न भिन्न ओपीनियन मिलीं तो विथड्रा क्यों किया, चलने देते। जब सरकार का नुकसान ही हो रहा था और हुआ तो इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं था।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका। अब मैं चिप बोर्ड फैक्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि इसमें घोटालें हुए हैं। इसमें किसी माननीय सदस्य का नाम भी जोडा। पर ठेका देने के कारण कुछ और हैं और वे वाजिब हैं। यह मैं बताना चाहता हूं।

बांसवाडा में इतने जंगल हैं, पर वह डिग्रेडेड फोरेस्ट थे। उनको रिहेबिलिटेट करना जरूरी था। एक्सपर्टों की लेटेस्ट साइन्स के हवस पार्टी की यह राय थी कि इसका कल्चरल आपरेशन कराया जाने के लिये इसको कटवाया जाना जरूरी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मैटर ऑफ ओपीनियन है। अब इसकी स्थिति

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
डिग्रेडेड है या डेस्ट्रायड है। यह मैटर आफ ओपीनियन की बात है।

श्री भीखाभाई : यह जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह लेटेस्ट साइन्टिफिक टैक्निकल ओपीनियन है। यह नहीं कि पुराने एक्सपर्टों की ओपीनियन हो, नई फोरेस्ट्री की ओपीनियन है। अभी भी उदयपुर बांसवाडा के सागवान की क्वालिटी ऊंची नहीं है।

अब या तो सरकार यह करती कि इसे स्वयं अपने पास से खर्चा करके और चालीस सालों में प्लाट बना बना कर कटवाती और इसमें सरकार का काफी खर्चा होता ; या अपने इस खर्चे को बचाने के लिये और कुछ आमदनी भी करने के लिये, और लोगों को रोजगार दिलाने के लिये और राजस्थान में एक इन्डस्ट्री को पनपाने के लिये वह ठेका देती, एक इन्डस्ट्री की पर्मिशन देती। अब इसमें सरकार ने इन्डस्ट्री को पनपाने के लिये उसे ठेका दे दिया तो इसमें सरकार ने क्या गलती की है। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो एग्रीमेन्ट किया गया है। उसमें आदिवासियों के हकों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। उनको जो कन्सेशन मिलने चाहिये और जो मिलते रहे हैं वे इसमें भी बराबर मिलते रहने की गारन्टी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब केवल कागजों में सुरक्षित है। वास्तविक रूप से नहीं है। यह गलत कहना है कि है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिये कि पार्टी ने उस एग्रीमेन्ट की शर्तों को पूरा किया या नहीं, नया बीज लगाया या नहीं?

श्री भीखाभाई : मुझे बोलने का मौका तो दें आप।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : आपने शर्तों की बात तो कही, पर उनके माफिक काम भी हो रहा है या नहीं? मशीनें लगाई जा रही हैं या नहीं? किसानों को कितना दिया?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक संकेत कर दूं कि संयम से सुनाना और संयम से सुनना यह यहां की स्वस्थ्य परम्परा की चीज है और इसकी रक्षा करना आपके ही हाथों में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, गलत बातों को सुनकर अगर चुप रहते हैं तो उसमें फिर हमारी भी कन्सेन्ट हो जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : संयम तो टूट जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कई बातों को सुनकर।

श्री भीखाभाई : संयम इधर से भी टूटता है। मैंने बताया कि इस फैक्ट्री को बिठाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य था। हमने आदिवासियों के एम्प्लायमेन्ट की बात सोची, सरकार की रायल्टी की बात भी सोची, और जो खर्चा उसका कल्चरल आपरेशन करने में सरकार का होता उसको बचाकर इतना मुनाफा करने की बात सोची इसके पीछे।

श्री हीरा भाई : Point of order, Sir. मैं जानना चाहूंगा कि यह जो आपने फरमाया तो मैं पूछूंगा कि कितना एरिया आपने उस ठेकेदार को दिया और उस एरिया में उसने क्या किया, कितनी मशीनें लगाई?

(राज्य पक्ष की ओर से व्यवधान एवं शोरगुल, तालियां और मेजों का थपथपाना)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order please!!

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अगर सरकारी पक्ष का यही रवैया रहा तो गडबड बढेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : These technical.......

श्री भीखाभाई : Let me continue please......

(श्री रामानन्द अग्रवाल खडे हुए)

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : If they treat us like this, we will refuse to hear them.

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वे संयम रक्खें और on the point of order कोई कुछ पूछे तो वह पूछ सकता है। अपनी बात रख सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह परम्परा है कि पोइन्ट-ऑफ-आर्डर रेज करें और बोलें, तो उस पर अगर ताली बजने लगे, मेजें बजने लगे तो यह तो इधर वाले भी बजा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं गलत समझता हूं इसको।

श्री हीरा भाई : जो जमीन गैर मनफूला का ठेका दिया गया, लेकिन वह कितना ऐसा एरिया आपने दिया है और उसके आसपास किसानों को सहूलियत मिलती रहे इसके लिये आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इसमें क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : This is not a point of order. This is a speech.

(शोरगुल)

Order please!

(विराम)

आप सन्तोष रक्खें। मन्त्री महोदय, शायद इस ओर इस पाइन्ट पर आ रहे हैं। नहीं आवें तो फिर कह सकते हैं कुछ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं आते देखा उनको फिर ही तो यह हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार उतावले बनेंगे तो कैसे चलेगा काम।

श्री भीखाभाई : वे मेरे को पूरा सुन लेते तो हल्ला करने में उनको उत्साह नहीं मिलता। तो उन्होंने जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में थोडा कह दूं कि यह जो एग्रीमेन्ट है उसमें सभी प्रकार की पाबन्दियां उसमें हैं। आदिवासियों के सारे हक और सारी सहूलियतें इसमें बरकरार रखी हुई हैं। फिर जिस आदिवासी क्षेत्र से वे आते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं उससे ज्यादा मैं भी उनके हितों के लिये प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हूं। मैं भी उसी क्षेत्र से आया हूं इसलिये मैं समझ सकता हूं कि आदिवासियों की कौनसी कठिनाइयां हैं, कौनसी बात में उनका हित है और कौनसी में अहित।

(श्री भीखाभाई)

इसमें आदिवासियों के हितों का पूरा, पूरा संरक्षण किया गया है। जैसे मैं बताऊं :—

"Subject to the terms and conditions of the agreement, all rights and concessions already granted or which may be granted in future shall be fully recognised and maintained by the licencee for the area allotted to him. Provided that such rights and concessions shall in no way interfere with the rights and privileges granted to the licencees under the agreement. Local Adivasies of the villages adjoining the licenced area will be supplied only timber," firewood and fencing material from the area against which permits should be issued by the Forest Department."

इस तरह से जहां उनके हितों का सवाल है हमने पूरा संरक्षण उनको दिया है। जहां तक मैं समझता हूं यहां पर कई प्रकार की बातें कही गयीं उनके बारे में अध्यक्ष महोदय न निर्णय दे दिया, उसके बीच में मैं इस समय नहीं पडना चाहता। हमारे यहां विरोधी दल के नेता ने जो आसपुर से आते हैं उन्होंने कुछ फैक्ट्स एण्ड फिगर्स देकर यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि राजस्थान के अन्दर जो वन हैं उनकी वन-सम्पदा नष्ट हो रही है....

श्री भैरोंसिह : On a point of information, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, जिस पोइन्ट को छोड कर माननीय मंत्री महोदय जा रहे हैं उसमें सबसे बडी मुद्दे की बात यह है कि चिप हार्ड बोर्ड फैक्ट्री के साथ जो आपने एग्रीमेन्ट किया है वह फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं और वहां पर वे-ब्रिज लगा है या नहीं? बाकी के क्लाजेज हैं वह फुल्ली एग्जीक्यूट कराये या नहीं? यह पाइन्ट है इसका आप जवाब दें।

श्री भीखाभाई : वे-ब्रिज लगाने का है, वह डिस्क्रिशनरी है और उसमें कोई पाबन्दी नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो एग्रीमेन्ट में देख लें....

श्री भैरोंसिह : जहां उसकी फैक्ट्री होगी वे-ब्रिज लगाने का है। इसलिए यह एग्रीमेन्ट के माफिक नहीं है। वह अगर माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं एग्रीमेन्ट की कापी दिखा सकता हूं, वह सारा पढ लें तो उनको मालूम हो जायेगा।

श्री भीखाभाई : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री भैरोंसिह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो पोइन्ट है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां माननीय सदस्य जो विरोधी दल के नेता हैं और आसपुर से आते हैं जिनके प्रति हमारी बहुत ही श्रद्धा और आदर है मैं निवेदन करूंगा कि जब वह राजा थे....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अपनी आशंका को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं और मुझे यह आशंका है कि यह चिप हार्ड बोर्ड फैक्ट्री सारे बांसवाडा, डूंगरपुर और प्रतापगढ के जंगल को ख़त्म कर देगी। यह सब जंगल हैं, यह बाहर जायेंगे और जो सेफ गार्ड्स यहां पर रखी गयी हैं, आदि-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वासियों के विषय में कि आदिवासियों को यह दिया जायेगा वह दिया जायेगा जब कि चिप हार्ड बोर्ड फैक्ट्री अभी स्थापित ही हुई है तब ही से आदिवासियों के सांसे पड रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में तो दो, तीन वर्षों बाद तो पता नहीं क्या होगा। यह मेरी इनफार्मेशन है और यह हो सकता है सरकार की इनफार्मेशन से भिन्न हो।

श्री भीखाभाई : आपकी इनफॉर्मेशन के खिलाफ सरकार की इनफार्मेशन है और वह यह है कि जैसा मैंने निवेदन किया। जो मैंने एक्सट्रेक्ट पढा उसमें साफ प्रोवाइड किया गया था कि जो लीज दी गयी है उसमें आदिवासियों के हितों का संरक्षण किया गया है। साथ ही साथ····

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ३० वर्ष की लीज भी कोई प्राडक्टिव लीज है। यह तो एक तरह से मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी है प्योर एण्ड सिम्पल (pure and simple)।

श्री भीखाभाई : यह तो माननीय सदस्य ने पहले ही अपने भाषण में बताया है कि यह मोनोपोलिस्टिक है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सारा का सारा फारेस्ट जो बांसवाडा का है वह नहीं दिया गया है। जो दिया गया है उसके बारे में निवेदन किया कि उसमें कन्सेशन्स दिये गये हैं। उसमें सब छूट है। आदिवासियों को जो कन्सेशन्स हैं उस प्रकार के कन्सेशन्स उनको मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे और मैं यह कहना चाहता था कि हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की कि जो फोरेस्ट है राजस्थान में उनकी आमदनी कम हो रही है और खर्चा ज्यादा बढ रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत उनका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् १९५१-५२ में जो रेवेन्यू हुई है वह ३८.६० लाख है और उसके अगेन्स्ट एक्सपेन्डीचर ३०.४३ लाख है, और १९५२-५३ में जो रेवेन्यू है वह ३९.३५ लाख है और इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल करीब करीब इनकम बढी है। एक जगह पर जो आपने बताया··

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को चेलेन्ज किया जा रहा है।

श्री भीखाभाई : Let me say. I am explaining to you.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वह हाउस की बडी इम्पार्टेन्ट रिपोर्ट है उसके खिलाफ आप कह रहे हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि उसके ऊपर काला पर्दा डाल रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मुझे अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खर्च बढ़ रहा है और आमदनी भी ज्यादा बढ रही है तो जब आमदनी की बढ़ोतरी खर्चे में न्यूट्रेलाइज हो गयी तो फिर आमदनी क्या बढ़ी ? It is a bankrupt Department. Totally bankrupt financing.

श्री भीखाभाई : अगर मेरी बात सुन ली जाती तो इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने निवेदन किया कि मैंने ५१ से लेकर ६२ तक के आंकडे इकट्ठे किये हैं और

(श्री भीखाभाई)
उससे यह प्रमाणित करूंगा कि खर्चा नहीं बढ़ा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप ६२ की आमदनी और खर्चा बताइये ।

श्री भीखाभाई : रेवेन्यू ६५ लाख और एक्सपेन्डीचर ८५ लाख ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : १९६०, ६१ और ६२ की आमदनी और खर्चा क्या है ?

श्री भीखाभाई : १९६० में इनकम तो है ७६.८१ और एक्सपेन्डीचर ८१.१८ लाख है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका मतलब आमदनी घटी है ।

श्री भीखाभाई : ४। लाख हमने प्लान के अगेन्स्ट में खर्च किया है । मैं प्लान और नान-प्लान के एक्सपेन्डीचर के आंकड़े बता रहा हूं ।

(विराम)

मेरी बात तो सुनते नहीं आप। हमने जो कंपीटल एक्सपेन्डीचर किया है जिसका रिजल्ट १५ साल के बाद मिलने वाला है जिसमें हमने कल्चरल ऑपरेशन करके और अफोर्सेटेशन करके हमने सागवान के जंगल खड़े किये हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसका लाभ मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी लोगों को क्या राहत मिल रही है ?

श्री मुरलीधर व्यास : एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है १९५९-६० में ३ लाख १९ हजार का घाटा है । यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है और १९५८-५९ में १ लाख १७ हजार ६३१ रु० का घाटा बताया गया है और आप कहते हैं कि गत वर्ष में घाटा नहीं है । चलो उसको मान लेते हैं तो इस प्रकार से गलत इनफार्मेशन हाउस को देना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और माननीय मंत्री महोदय इसको सुधारेंगे ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिकार है कि गवर्नमेन्ट का जो व्यू है उसको एक्सप्लेन करूं । जहां घाटा हुआ है उसको मैंने बताया है परन्तु यह भी तो देखिये कि उसका कारण क्या है । आप दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं मैं दूसरा दृष्टिकोण रखता हूं · · · · ·

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन आप अपने मनमाने ढंग से नहीं कह सकते । यह तो एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है क्या आप इसको सही नहीं मानते ?

श्री भीखाभाई : मैं फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूं । आप जो कह रहे हैं वह भी सही है और जो मैंने कहा वह भी सही है, लेकिन आपके दृष्टिकोण में फर्क है · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चाचा भी सही है और चाची भी सही है ।

श्री भीखाभाई : तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन कर रहा था कि हमने अफोर्सेटेशन करके और कल्चर ऑपरेशन करके और सडकें बनाकर जितनी भी जंगलात की योजनायें हैं, माडर्न फारेस्ट्री जिसे कहते हैं इनसे प्लान का एक्सपेन्डीचर बढ़ जाता है और यहां रेवेन्यू में फाल दिखता है और आपको दिखता है कि नुकसान हो रहा है । यही मैंने निवेदन किया । इसमें न तो कोई

(श्री भीखाभाई)
क्वेश्चन ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज का बनता है ग्रौर न कुछ बनता है·····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : फॉरेस्ट विभाग में टोटल असेट्स क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है। क्या सदन की मंशा है कि मांग जब तक पास न हो जाये उस समय तक का समय बढाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक प्रस्तुत मांग पारित न हो जाये बढ़ाया जाता है।

श्री भीखाभाई : यहां तीसरी मुद्दा जो ग्राम तौर पर उठाया गया वह यह था जो डिमार्केशन किया जाता है·····

श्री मानिकचन्द सुराणा: ग्राप तो पहले यह बतायें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के असेट्स क्या हैं ? ग्राप कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेन्डीचर किया है इसलिए यह बता दें कि फॉरेस्ट विभाग के कैपिटल असेट्स क्या हैं ?

(५ म० प०)

श्री भीखाभाई : जितने मेरे पास थे उतने तो······

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रापको कुछ याद नहीं है। ग्राप वन विभाग का पिंड छोड दीजिये। मुख्य मंत्रीजी को चाहिये कि इस विभाग को किसी काम्पिटेन्ट मिनिस्टर को दें।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था·······

श्री मुरलीधर व्यास : सैटलमेन्ट के बारे में, डिमार्केशन के बारे में उन्होंने कहा था (बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से गडबडी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भीखाभाई : जो डिमार्केशन बाउन्डरी है वह गांवों के नजदीक ग्रा गई है, खेतों के नजदीक ग्रा गई है। जो माननीय सदस्य झालावाड से ग्राते हैं, जो माननीय सदस्य कुशलगढ़ से ग्राते हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि डिमार्केशन बाउन्डरी उनके पास ग्रा गई है। म निवेदन करना चाहता हूं कि डिमार्केशन का जो सैटलमेन्ट होता है उसके संबंध में राज्य सरकार ने ग्रादेश दे दिया है कि रेवन्यू ग्रॉफिसर को साथ लिया जाय, पटवारियों को साथ लिया जाय, पंच, सरपंच ग्रौर पंचायत समितियों के सदस्यों को साथ लिया जाय। डिमार्केशन बनने के बाद, मैं निवेदन करूं, यदि डिमार्केशन बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उसमें कोई जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता, इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, तो काम नहीं चलता। कोई एडमिनिस्ट्रेशन से गल्ती हो सकती है, हो सकता है कि नीचे के ग्रधिकारी गडबड करते हों·····

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : नीचे के ग्रधिकारी गलती करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

जंगल ग्रधिक हुग्रा है या कम हुग्रा है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है।

(शेम शेम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वन मंत्री को जानकारी नहीं है कि जंगल बढा है या काम हुआ है तो सदन का समय क्यों नष्ट किया जा रहा है ।

श्री भीखाभाई : जो समस्या है उसको निपटाने के लिये राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी किये जा चुके हैं । इसके सिवाय भी·······

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्टिकुलर·······

श्री मोहनलाल सुखाडिया: जब माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं तो बीच बीच में उनको ओब्स्ट्रेक्ट करने से वे अपनी बात पूरी नहीं कह सकते फिर माननीय सदस्यों के सामने सवाल खड़ा होगा कि पूरा जवाब नहीं देते हैं, इसलिये उनको पूरा जवाब देन का मौका होना चाहिये ।

श्री योगन्द्रनाथ हांडा: उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वन बढा या घटा··

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, वन) : Point of order, Sir.....

श्री उपाध्यक्ष :There is a point of order.

श्री निरन्जननाथ आचार्य: मेरा पोइन्ट-आफ-आर्डर यह है कि हमारे सदन की परंपरा, व्यवस्था है वह एक नहीं कई मर्तबा दी जा चुकी है कि कोई माननीय सदस्य यदि बोल रहे हों तो informations at the conclusion of the speech can be sought and not before.

इसलिए मेरा निवेदन है हमारी जो व्यवस्था है information can be sought at the conclusion of the debate and not by interrupting the speeches that has been our practice and, I think, that practice should be followed.

(कुछ मानीय सदस्यों के खडे होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यहां की स्वस्थ्य परंपराओं को सुरक्षित रखना स्वयं माननीय सदस्यों के हाथ में है और यदि आपने जो कुछ कहा है उसको सरकारी पक्ष ने सुना है तो आपको भी सरकारी पक्ष को पूरी तरह से सुनने का अवकाश मिलना चाहिये और जब तक वे अपनी बात न कह लें, तब तक बाधा डालते हैं तो वे अपनी बात नहीं कह सकते । बात यह हो जाती है कि वे कहना चाहते हैं उस तरफ से आप किवाड बंद कर देते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं । इसलिये सदन के लिये स्वस्थ्य परंपरा यह हो सकती है कि पहले आप सुन लें उसके पश्चात् कोई आपत्ति या जानकारी करनी हो तो पूछ सकते हैं । यदि वे कहीं भूल गये हों और आपके लिये जानना लाजमी हो जाय तो भी आप उनसे बाद में पूछ सकते हैं ।

श्री मानसिंह महार: फालतू बातों में समय तो नष्ट न करें ?

श्री उपाध्यक्ष: समय तो आप ले रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप यह व्यवस्था दे दीजिये कि रिप्लाई के बाद में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
माननीय सदस्यों को पूछने का समय दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष: यदि आप अत्यन्त आवश्यक समझें कि माननीय मंत्री कोई पॉइन्ट भूल रहे हैं तो आप उनको याद दिला सकते हैं और अंत में भी एक सीमा होगी तब तक ही स्पष्टीकरण कर सकेंगे वरना कोई अंत नहीं होगा ।

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेडा): जो कट मोशन्स दिये हैं उनका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): हर एक को रिप्लाई का अधिकार होता है । आप इसको स्वीकार करें तो जवाब देंगे । कट मोशन्स दिये हैं उनकी रिप्लाई करने का पार्टीज को थोडा मौका देंगे, वरना रोंग फेक्ट्स को रख कर जवाब देंगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा ।

श्री उपाध्यक्ष: अभी जो व्यवस्था दी गई है वह इस प्रकार की है कि सभी कट मोशन्स एक साथ मूव किये जावें, वाद-विवाद के बाद सरकारी पक्ष जवाब दें और जो कुछ दृष्टिकोण हो, जायज तौर पर आप मान लें । यदि आप किसी पॉइन्ट को डिसक्शन पर ले जाना चाहते हैं तो रूल्स में व्यवस्था है उसके अनुसार आप नोटिस दे सकते हैं, अलग से हॉफ एन ऑवर डिस्कशन कर सकते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि यहीं पर लिया जाय । यहां जो स्पष्टीकरण की बात रह गई वह पूछ सकते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मनी बिल है । इसमें यदि इन्वेस्टमेन्ट की व्यवस्था की जाती है यदि वह डेड इन्वेस्टमेन्ट है, नॉन प्रॉडक्टिव है तो माननीय सदस्यों को उस पर विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये । जैसा कि मैंने निवेदन किया पूर्व वक्त, मैटर ऑफ ओपीनियन है, कोन्फिलक्टेड है, जो गवर्नमेन्ट लाइन ले रही है वह अन-साउन्ड है, जो इन्वेस्टमेन्ट किया जा रहा है, वह अनसाउन्ड है, उसके उपरान्त भी गवर्नमेन्ट अपनी नीति को हठ-धर्मी से ले जाना चाहती है तो बहुमत से अवश्य ले जा सकती है, लेकिन जनमत का अस्तित्व परंपरागत है ।

श्री भीखाभाई: जैसा कि मैंने निवेदन किया, रेवेन्यू विभाग के लोगों को सम्मिलित किया जाय । झालावाड से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि····

श्री मानसिंह महार: On a point of order, Sir, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुद्दे की बात तो कही नहीं जाती है···

श्री उपाध्यक्ष: This is not a point of order,

श्री मानसिंह महार: मैं समझता हूं, मंत्री महोदय को जब यह भी नहीं मालूम कि फोरेस्ट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, बेकार रिपीटिशन हो तो मैं क्लोजर मूव करता हूं । I want to move closure of the debate.

श्री उपाध्यक्ष: मैं केवल माननीय सदस्यों की अनुमति के लिये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से क्लोजर मूव करना अपनी बात कह कर दूसरों की बात न सुनने की अनुदारता है और सदन की व्यवस्था के बिलकुल प्रतिकूल है । मैं निवेदन करूंगा कि उनको आप सुनें और फिर भी कोई बात रह जाय, डिस्कशन उठाना हो तो हॉफ एन ओवर का नोटिस दे सकते हैं

(श्री उपाध्यक्ष)

और भी कई व्यवस्था है जिनका उपयोग कर सकते हैं, पोइन्ट ला सकते है। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है वह चलने दें। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे मुद्दे की बात कहें।

(विराम)

वे स्वयं मुद्दे की बात कह रहे हैं, मैं केवल आपकी जानकारी के लिये व्यवस्था कर रहा हूं वे मुद्दे की बात पर और आ जायेंगे।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जहां फोरेस्ट की बात कही, डिमार्केशन के बारे में निवेदन किया कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उसके साथ कलेक्टर को अधिकार है—

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोशन मूव कर चुका हूं उसका फैसला करें। क्लोजर मूव होने के बाद हाउस फैसला करे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने केवल माननीय सदस्य को निवेदन किया है कि इस प्रकार का एटीट्यूड ठीक नहीं है, केवल निवेदन किया है।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक मोशन है हाउस के सामने कि जब माननीय मंत्री इस बात से वाकिफ नहीं है कि राजस्थान में जंगल बढे हैं या घटे हैं, ऐसी सूरत म भाषण देनें का क्या महत्व है इसलिये मेरा निवेदन है कि क्लोजर मूव करके हम लोगों को जाने दिया जाय।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : There is a procedure. The procedure is that it depends upon the Speaker, Sir, to allow the motion, and when it appears to the Speaker that it is a misuse of this rule or an infringement of the rights of reasonable, d bate he may not allow it.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Mr. Deputy Speaker, it is hardly necessary that the Hon'ble Member should remind you on this issue. The Chair is fully cognizant of its rights and the privileges of the Hon'ble Members and the House.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं और जिन माननीय सदस्य ने क्लोजर मोशन मूव करा है, वे— जो मैं निवेदन कर चुका हूं उस भूमिका में, मैं समझता हूं—क्लोजर मूव नहीं करेंगे और डिबेट प्रारंभ रहेगी।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा था कि·····

श्री मानसिंह महार : मैंने क्लोजर मव कर दिया है, उस पर हाउस की कन्सेन्ट होनी चाहिये। अगर कन्सेन्ट नहीं होती है तो यह गलत परम्परा हो जायेगी। यह परम्परा का सवाल है, मैं समझता हूं।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए ठेकेदारी प्रथा के बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर बांसवाडा के आदिवासी एरिया का सवाल है, सहकारी समितियों का सवाल आता है, मैं निवेदन करूं कि डूंगरपुर, बांसवाडा में इस प्रथा को हमने समाप्त कर दिया है और राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जहां तक हो सके, इसका क्रमिक विकास करके सहकारी समिति के थ्रू काम कराया जाय या डिपार्टमेन्टल काम कराया जाय। यह निर्णय लिया है, मैं समझता हूं इसमें यह सवाल आ सकता है कि जो जंगल प्राइवेट हैण्ड्स में हैं उनको धीरे धीरे हम किस प्रकार से ले सकते हैं, हम इस बात पर विचार कर सकते हैं····

श्री हीराभाई : कॉपरेटिव सोसायटी को ठेका नहीं दिया गया है। कॉपरेटिव सोसायटी ने ठेका मांगा है लेकिन उनको नहीं दिया गया है।

श्री भीखाभाई : कुछ माननीय सदस्यों ने चन्दन के वृक्ष काट देने की बात कही। मैं इस बात की इन्क्वायरी कर रहा हूं और उनके संतोष के लिए जिस प्रकार की बात होगी, वह हम करने के लिये तैयार होंगे बशर्ते कि वह प्रमाणित कर सकेंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात भी कही गई कि बांसवाड़ा में सलूमगढ़ के इलाके में जो मध्य प्रदेश से मिली हुई जगह है, वहां पर चोरी होती है। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां हमने पेट्रोलिंग पार्टी नियुक्त कर दी है। मैं समझता हूं कि उससे कई प्रकार की प्रिवेण्टिव चीजें हो सकती हैं।

पीपलकोट जंगल के बारे में कहा गया कि वहां के जंगल की लकड़ी बाहर जा रही है, मैं समझता हूं कि दोनों ओर के माननीय सदस्य इस बात में इन्ट्रेस्टेड हैं, इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि वन-संपदा, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, वह सुरक्षित रहे। इस दृष्टि से में निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में प्रयत्न किये जायेंगे।

इस प्रकार माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं जिनका उत्तर इसमें नहीं मिला है, क्योंकि मुझे श्रम के बारे में कहना है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसके बारे में मैं जानकारी दे सकूंगा अगर वे लिखित में उत्तर चाहेंगे ?

अभी १९६१-६२ के आंकड़ों के बारे में चर्चा हो रही थी। उन आंकड़ों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू एक्स-पेण्डीचर १९६०–६१ का ७६,८१,१९८ हुआ है वहां पर उसके अगेन्स्ट नान-प्लान एक्सपेण्डीचर ३९,५८,५६० किया था··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कौनसी साल ?

श्री भीखाभाई : १९६०–६१।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: फिर से देख लीजिये।

श्री भीखाभाई: देख लिया है १९६०–६१ की जानकारी मैंने दी उसके अगेन्स्ट १९५०–५१ में १२ लाख का खर्च किया था। मैंने निवेदन किया था कि जो खर्च हम करते हैं आज प्लान में खर्च करते हैं तो वह प्लान का खर्च आखिर में जाकर रिजल्ट देता है। जब वह असेट बनता है तब उसके जरिये रिटर्न मिलता है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उससे कितना मिला है ?

श्री भीखाभाई : अभी रिटर्न मिलेगा तब पता लगेगा। मैं निवेदन करूं कि रिटर्न तत्कालित मिलेगा, यह पता नहीं लगता है। माननीय सदस्य रेगिस्तानी इलाके से आते हैं, वे जंगलों को देखते नहीं हैं। वे देखते तो उन्हें पता लगता कि दस-पन्द्रह साल में जाकर जंगल पकता है। कई जंगलों का क्लीयरेन्स आपरेशन्स किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोटेक्शन होता है, उसमें पांच साल तक मवेशियों को नहीं जाने दिया जाता····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: हम जंगली नहीं हैं।

श्री भीखाभाई: इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: वाकई जंगली नहीं हैं।

श्री भीखाभाई: कि यह मैंने जंगलात के बारे में निवेदन किया।

एक यहां पर ग्रेडेशन के बारे में कहा कि सरकार युनीफार्मिटी किस तरह कर रही है। उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि एक कमेटी बनी हुई है।

श्री हीराभाई: मैं कहना चाहता हूं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order Please

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को सही जानकारी देनी चाहिए। आपने जंगलों के बारे में यह सारी रिपोर्ट बताई, वह आपके विभाग की है, ये विचार न करने की हालत में हैं, उसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे। पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, इसकी मनाही होती है लेकिन फिर भी जंगल के जंगल काटे जाते हैं। आपकी क्या मंशा है, उसके बारे में क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं। आप सुनिये।

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार और भारत सरकार कानून बना सकती हैं। राजस्थान सरकार के दो-तीन कानून बने हैं और भारत सरकार के सारे के सारे कानून लागू हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम नीति के अनुसार जो कि हमारी राष्ट्रीय श्रम नीति है, उसके अनुसार हमारी श्रम नीति आधारित है, श्रम नीति के अनुसार जो फैसला ट्रीपार्टाइट कान्फ्रेंस में होता है, उसी के आधार पर नीति का निर्माण होता है। उसमें लेबर के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि होते हैं, व्यापारी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि होते हैं, और उसके बाद सरकारी प्रतिनिधि हुआ करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये हमारे जो माननीय सदस्य श्रमिकों के अन्दर दिलचस्पी रखने वाले हैं, उनको और उनके अतिरिक्त दूसरे माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के श्रमिक वर्ग ने इस संकट-काल में बहुत कुर्बानी करने के साथ साथ बहुत बडा उदाहरण पेश किया है। उसके लिए, मैं आपकी मार्फत उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस आपत्तिकालीन स्थिति में जिस प्रकार अपनी गाढी कमाई को दे दिया, डिफेंस फंड में दी, जो उन्होंने योग-दान किया, प्रोडक्शन में योगदान दिया, उसके लिए यह कहना पडेगा कि उन्होंने सब प्रकार का सहयोग दिया है—चाहे वे किसी पार्टी के हों, कम्युनिस्ट हों, चाहे हिन्दु महासभा के हों, आपत्तिकालीन स्थिति में अगर किसी वर्ग ने सबसे बडी कुर्बानी की बात की तो वह मजदूर वर्ग है। (हिअर, हिअर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने क्या किया उनके साथ?

श्री केशरराय (गंगानगर) : उनके नेताओं को पकड कर जेल में रखा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने जो नहीं किया वह इन्होंने किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके साथ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) आप उनके नेता हैं, आपने क्या ठेकेदारी ले रखी है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां।

श्री भीखाभाई: मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य इसका श्रेय लेना चाहते हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जिस श्रेय की बात करते हैं उसमें आप भागी बन सकते हैं। हम और आप साथ रहते हैं साथ बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो श्रम के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, उन सारी चीजों के बारे में तो मैं जवाब नही दे सकूंगा। मैं मुख्य २ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात यह कही गई इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के जज के बारे में। इसमें देरी हुई है; मैं यह कबूल करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड थीं, रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो, रिटायर हुए दो साल हो गये हों, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का एक्सपीरियन्स हो। इसलिए इसमें दिक्कत हुई। हमने इसमें कई प्रकार के नेगोसियेशन्स किये कि इधर-उधर से कहीं से आदमी अवेलेबल हो। अब के० के० शर्मा की नियुक्ति हो गई है और २५ को वे जोइन करेंगे। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जज के बारे में मैंने निवेदन किया कि उनकी नियुक्ति हो गई है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब से काम आरम्भ करेंगे ?

श्री भीखाभाई: २५ से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नियुक्ति तो बहुत अर्से से हो गई थी।

श्री भीखा भाई : अब वे चार्ज ले रहे हैं। आप कह रहे हैं वह सही है लेकिन वे कम्पनी एक्ट में काम कर रहे हैं वहां से रिलीव होने के बाद यहां आने वाले हैं।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत): पिछले छः महीनों में व्यवस्था क्यों नहीं हुई ?

श्री भीखा भाई: एक बात पाली मिल के बोनस के बारे में कही गई।

(विराम)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य इसमें बडे इन्ट्रेस्टेड हैं और जो बार बार कहते रहे हैं। मैं बहुत सी बातों का समय समय पर समाधान किया करता रहा हूं और इसी कारण हम सबने मिल कर बोनस के प्रश्न पर विचार किया है और बोनस के प्रश्न पर विचार करने के बाद १ लाख रुपये को एडहॉक ग्रान्ट दी थी। और बाकी क्या किया जाय, उसके लिए इसे ट्रिब्यूनल में रेफर करेंगे। अभी जज मिलने में देरी हुई, क्योंकि उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पर्मीशन लेनी पडेगी। और पैनल में जो एक आध नाम थे, उन नामों को मैं समझता हूं, लेबर वाले पसन्द नहीं करते हैं। और जब तक हाई कोर्ट से कन्फर्म होकर नाम नहीं आता तब तक नियुक्ति नहीं हो सकती। अब देरी नहीं करेंगे क्योंकि अब वह स्थिति आ गई है। एक बात और निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर किस प्रकार औद्योगिक शांति को बढाया जा सकता है और किस प्रकार वह पैदा की जा सकती है। औद्योगिक शांति पैदा करने की दृष्टि से ट्रीपार्टाइट कान्फ्रेन्स बुलायें, ३ नवम्बर को दिल्ली में और ५, ९ को राजस्थान में। मैं

Page No 124

(श्री भीखाभाई)

निवेदन करूंगा और मैं समझता हूं कि उस कान्फ्रेन्स का बहुत अच्छा रेस्पोन्स मिला। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप कितने ही मामले जो अदालतों में पड़े थे उनके फैसले आपसी बातचीत से हम कर सके हैं। १०६ में से ९० केसेज बातचीत करके फैसले हो गये।

आज लाखेरी और सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री की बातें हो रही हैं। सवाई माधोपुर फैक्ट्री में हजारों मामलों के आउट साइड कोर्ट फैसले किये। अब ऐसे इन्डस्ट्रियल मामले पड़े हैं जिनका कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, या जो आपसी एवार्ड पेश नहीं कर सकते। और कानूनन उनका एवार्ड द्वारा फैसला या कम्प्रोमाईज नहीं हो सकता।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

वर्किंग जर्नेलिस्ट के बारे में हम निरीक्षक कायम कर रहे हैं और वे जल्दी ही वहां जाकर उनकी कठिनाइयां होंगी उनको देखेंगे और लगभग १५ दिनों के अन्दर-अन्दर वे अपना कार्य शुरू कर देंगे। इसको मैं व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर करूंगा।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): Ona point of order, Sir. एक बात आप बतावें कि पाली में आपका एग्रीमेंट हुआ था। आपने उसको नल एन्ड वोइड करके हमको लिख दिया है क्या ?

आपके लेबर कमिश्नर ने लिखा है कि यह हाई कोर्ट का जज नहीं होगा।

श्री भीखाभाई: इस संबंध में मैं आज कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह भारत सरकार की नीति है कि तीन तरह से फैसले किये जा सकते हैं: Conoiliation, arbitration and adjudication. अगर फर्स्ट स्टेज में फैसला करना चाहे तो कर सकते हैं और वह एक बहुत अच्छी बात है। एग्रीमेंट के बारे में बताऊं कि वे इस मामले में अपनी चर्चा करते हैं। रहा यह कि कांम्युनिस्ट पार्टी से वे एग्रीमेंट करते हैं या उनको कोई आपत्ति है।

श्री कुमारानन्द: आपके हमारे (कम्युनिस्टों) सब को मिला कर एग्रीमेंट हुआ था उसको आपने नल एन्ड वोइड कर दिया है।

श्री भीखाभाई: पहले आपत्ति सुनी जावेगी और जिस प्रकार.......

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपको उसको बगैर यूनियन को बुलाए नल एन्ड वोइड करने का क्या अधिकार था ? जब २३ को इन्क्वायरी हो चुकी थी और यह तय हो गया था कि आपस में फैसला नहीं होगा तब यह एग्रीमेंट हुआ था। ऐसी हालत में आपने बगैर यूनियन से बात किये ऐसा क्यों किया। यदि आप इस तरह से करेंगे तो गवर्नमेंट और एम्प्लायर्स के बीच में मजदूरों का ट्रस्ट है या कानफीडेन्स है वह नहीं रहेगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे रेड कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

श्री भीखाभाई: गवर्नमेंट तो पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट होता है, उसको देखने वाली है। दोनों पार्टीज. जिस समय गवर्नमेंट को कहती है कि हम फैसला करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनके फैसले कराने के लिये कोशिश करेगी और उनको भी पूछा जावेगा।

श्री कुमारानन्द: आपके लेबर कमिश्नर ने यह लिख दिया है "That agreement stands null and void" यह ठीक है क्या ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से कटौती के प्रस्ताव आये हैं और इस थोड़े से समय में उन सब बातों को बताना पोसिवल नहीं हो सकता है......

श्री कुमारानन्द : On a point of information, Sir. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि १९६० में इन्टक और गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई थी Central Wage Board recommendations implement करने के लिये। उसके बाद उसका फेज़ बना था। इण्डेक्स नम्बर जैसा मैंने अभी पढ़ कर सुनाया कि आज इण्डेक्स नम्बर १२६ होता है। अगर इस दिशा से बेसी तनख्वाह मिलती है तो कम से कम मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके ४० हजार रु० मजदूरों के गबन हुए हैं और मालिकों की जेब में गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इण्डेक्स नम्बर के बारे में कमेटी बनी तो इसके लिये क्यों नहीं लागू कराया ?

श्री भीखाभाई : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। बोनस के बारे में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है मजदूरों के बारे में अभी माननीय मंत्री महोदय, ने कहा कि मजदूरों ने बहुत काण्ट्रीब्यूट किया है। आप बता सकते हैं कि वह इण्डेक्स कितना बढ़ा ? आप इतने बड़े लेबर डिपार्टमेंट को लिए हुए हैं यह भी नहीं बता सकते। लेबर के साथ एग्रीमेंट किया उसको भी आप कहते हैं कि नल एण्ड वोइड है। आखिर मंत्री महोदय कर क्या रहे हैं ? मंत्रालय चला रहे हैं किस बात का चला रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसा मैंने कहा x x x रहे हैं।

श्री कुमारानन्द : ४–३ का यह लेटर आया था......

श्री भीखाभाई : मैं जांच कर रहा हूं। इस बीच में मुझे बोलने तो दिया जावे।

उन्होंने इण्डेक्स नम्बर की बात कही कि कास्ट आफ लिविंग बढ़ गई है। मैं यह कहना चाहता हूं और आपको यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि इसके लिये मंहगाई भत्ता सिवाय दो मिलों के (१) पाली, और (२) स्पिनिंग मिल्स जयपुर के अलावा सन् १९६२ की जनवरी के अनुपात से जिस प्रकार से कास्ट आफ लिविंग बढ़ा है उसके अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कौनसी तारीख से दिलाया जावेगा।

श्री भीखाभाई : आपने बताया जिस तारीख से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह निर्णय ले लिया गया है ?

श्री भीखाभाई : पाली और स्पिनिंग मिल जयपुर को छोड़ कर यह निर्णय हो गया है। यह कहा गया है कि कुछ यूनियनों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १९५८ में यह तय हुआ था कि हिन्दुस्तान में Need based Minimum Wages लेबरों के लिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि आधार रखा जावे। इसके लिये आपने क्या किया ? आपने मिनिमम वेजेज कमेटी बनाई है क्या। Need based Minimum Wages के आधार पर मिनिमम वेजेज के लिये आपने

x x x अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोई डाइरेक्शन्स दिये हैं ? जो कमेटी बनाई है वह इन सिद्धांतों को नहीं मनाकर कार्य कर रही है और मिनिमम वेजेज तय कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है ?

श्री भीखाभाई : यहां यह बताया गया कि कुछ यूनियन्स हैं उनके बारे में सोफ्ट कोर्नर गवर्नमेन्ट की तरफ से · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिनिमम वेजेज के बारे में कहिये।

श्री भीखाभाई : ४५ रुपया मिनिमम वेजेज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे हिन्दुस्तान में ६० रुपया है, राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जिसमें ४५ रुपया है। लेबर्स की सभी यूनियन्स ने मिल कर आवाज उठाई कि मंहगाई बढ़ गई है इस वजह से हमारे वेजेज बढ़ाये जायें। पर अभी तक कुछ नहीं किया गया।

श्री भीखाभाई : रिविजन कमेटी की रिकमण्डेशन्स सरकार के विचाराधीन हैं, इसका जल्दी ही फैसला कर दिया जायगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि · · ·

५९-६० में	१७,६३५
६०-६१ में	१३,४८५
६१-६२ में	१९,३८३

ए. टी. सी. के

५९-६० में	८,८८९
६०-६१ में	५,६४७
६१-६२ में	१२,३९८

एच. एम. एस. के

५९-६० में	१,१७८
६०-६१ में	१,६२०
६१-६२ में	८५३

यू. टी. यू. सी.

५९-६० में	५७७
६०-६१ में	२२
६१-६२ में	३६०

श्री मुरलीधर व्यास : किस आधार पर है ?

श्री भीखाभाई : लेबर कमिश्नर के वैरीफिकेशन पर है। आपको इनमें से किसी के बारे में एतराज हो तो जांच करवाई जा सकती है।

यह कहा गया कि यू. पी. में ३० रुपया माहवार और बढ़ गई है, इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, और भी कटौती प्रस्ताव रह गये हों तो उनके संबंध में और मौकों पर संतोष दिलाने की कोशिश करूंगा।

समाज कल्याण के बारे में कहना चाहूंगा सबसे पहले मैं यह कहना उचित समझता हूं कि इस संबंध में कोई राजनैतिक स्तर पर बात करना उचित नहीं। पिछडी, विमुक्त जातियों के उत्थान की समस्या एक मानवता की समस्या है। एकलव्य और द्रोणाचार्य शबरी, भील और राम, भरत और गुह की बातें देखें तो वहां भी इस प्रकार की चीजें चलती थीं। समाज कल्याण की योजना हमारे देश की, हमारी संस्कृति की द्योतक है। पहले दया, की दृष्टि से करते रहे, लोगों के दिलों में दया पैदा होती थी कि गिरे हुए हैं, गरीब आदमी हैं, इसलिये इन्हें उठावें।

स्वामी सरस्वती · · · क्या नाम ?

एक माननीय सदस्य : दयानन्द ।

(हंसी)

श्री भीखाभाई : दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, राजा राम मोहनराय—जितने भी समाज-सुधारक हुए हैं उन्होंने सबसे पहले इसी काम को प्रारम्भ किया। आजादी मिलने से पूर्व हमारे देश के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपिता गांधीजी और बाद में ठक्कर बापा ने इस दिशा में कदम उठाये। आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, ३४–३५ में यह काम शुरू किया गया....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान में सबसे पहले यह काम हमारे यहां आरम्भ हुआ।

श्री भीखाभाई : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण का बहुत उपयोगी काम रहा है। पिछड़ी जाति, घुमक्कड जाति, आदिवासी, हरिजन, विमुक्त जाति की समस्या, महिलाओं की समस्या, बच्चों की समस्या ये समस्याएं इस विभाग के सामने हैं·····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ठक्कर बापा, राजेश्वरी नेहरू आदि आया करते थे।

श्री भीखाभाई : एक माननीय सदस्य ने कहा कि समाज कल्याण विभाग है, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं कि जब तक पिछड़ी हुई जातियां रहेंगी, इसकी आवश्यकता रहेगी। एक माननीय सदस्य ने कहा प्राबेशन आफिसर को सोशियल वैलफेयर आफिसर कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं जब इस विभाग की स्थापना हुई थी तो ५ लाख का इसका बजट था। २५०) रु० स्कालरशिप दी जाती थी। आज राजस्थान में लाखों रुपयों का बजट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ९४.३३ का बजट था इसका, द्वितीय में ३८.७०० और तृतीय में ४.७६ था, और इसमें हमारा टार्गेट दूसरी और तीसरी पंच-वर्षीय योजनाएं थीं। उनमें उद्योग पर पहली में ९५ दूसरी में ९५ और तीसरी में ९५, बुनियादी पाठशालाओं पर पहली में २० दूसरी में २६ और तीसरी में २६ था। इसी प्रकार उद्योग केन्द्र और छात्र वृत्तियों में वृद्धि की। पहली पंचवर्षीय योजना में ३३,४०९ छात्रवृत्तियां दीं। दूसरी में १५० हजार छात्रवृत्ति दी····

श्री मुरलीधर व्यास : प्रशासन का खर्चा बहुत बढ़ गया।

श्री भीखाभाई : प्रशासन के खर्चे का भी बताता हूं·····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : On a Point of order, Sir मैंने प्रश्न उठाया था कि इस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में ६४० हजार रु० खर्च होता है, वह बिल्कुल व्यर्थ है। इसको बचाने के लिये आपके पास कोई स्कीम है क्या? मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिये पंचायत समितियों और विकास विभाग द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। जो रुपया आप बांटना चाहते हैं वह इनके द्वारा बांटा जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था कर के ६४० हजार रु० की बचत कीजिये। यह रुपया वास्तव में जो बैकवर्ड हैं उनको दीजिये, कांग्रेस के लोगों को पालने के लिये यह रुपया क्यों देते हैं? हरिजन सेवक संघ है उसमें ढोंगी लगाये हुए हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!

श्री उमरावसिंह ढावरिया : वे लोग हरिजनों का कैसे भला कर सकते हं । ऐसे आदमी हरिजन सेवक संघ में रखे हुए हें ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!! पाइण्ट ऑफ आर्डर पर होट (Hot) डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : Point of order, Sir. I rise on a point of order:

श्री उपाध्यक्ष : There is already a point of explanation pending.

श्री दुर्गालाल बाढदार : On a point of order, Sir किसी बिल पर, डिमाण्ड पर, डिस्कशन करने के लिये, एक तरीका, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस में दिया हुआ है । अगर उनकी अवहेलना करते हुए चला जाता है तो चेअर का कर्तव्य हो जाता है कि पाइण्ट ऑफ ऑर्डर आना चाहिए । जितनी डिमाण्ड्स पेश की गई हैं, पारित होने से पहले मेम्बर डिस्कशन करें या न करें पारित हुई समझी जायंगी । और जवाब देने का प्रश्न आयगा तो मंत्री महोदय स्टेटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ों को सही समझते हुए जवाब देंगे । मंत्री महोदय उत्तर देने लगें तो समस्या आई, ऐसी सूरत में समस्या आये तो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर रिमूव करता है । रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनेस की क्लॉज़ २८२ है : "Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protracted...."

as is going on at this stage in this House,

"...the Speaker may, after taking the sense of the House, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the bill or the motion, as the case may be."

अब में माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मंत्री महोदय से ५० प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर में या तो यह कह देते हैं कि इन्फार्मेशन नहीं मिली, या उनकी तरफ से कहा जाता है कि इन्फार्मेशन बाद में दी जायगी । तो मेरा पाइण्ट है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ इस रूल का हवाला देता हूं । इससे पहले रूल है कि किसी डिमांड पर डिस्कशन करने के लिये टाइम लिमिट कर दी जाती है । यह ओवर राइडिंग रूल है । तो उपाध्यक्ष महोदय को देखना होगा कि इसके डिस्कशन को कण्टिन्यू करने के आदेश देने चाहिये । सदन के माननीय सदस्यों की डिमाण्ड है कि सही जवाब नहीं आ रहे हैं इसलिये इस डिस्कशन को जारी रखना चाहिये, सदन की इच्छा को देखते हुए । शब्द जो प्रयोग किये हुए हैं, इसमें दिया है : "after taking the sense of the House".

मैं समझता हूं मेजोरिटी ऑफ माननीय सदस्य हर बार प्रश्न करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि सेंन्स ऑफ दी हाउस इस बात पर है कि इस डिस्कशन को कण्टिन्यू करने के लिये समय और बढ़ाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया उस विषय में उनकी भावनाओं का आदर करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जो रूल २८२ का हवाला दे रहे थे उसको आप पूरी तरह से पढेंगे तो मालूम होगा कि किसी बात के संदर्भ में है और इस समय जो कार्यवाही चल रही है वह डिमान्ड्स पर चल रही है । एप्रोप्रियेशन बिल अब आने वाला है, ऐसे समय जबकि एक एक डिमाण्ड के विषय में सारा वाद-विवाद करते हैं तो सरकारी पक्ष का दायित्व हो जाता

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं कि जहां तक हो सके, जिस प्रकार हो सके, वे उसका पूरा जवाब देने का प्रयत्न करें। अब इस समय जब कि सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है इससे विभिन्न सदस्य गण संतुष्ट हैं या असंतुष्ट। असंतोष को व्यक्त करने के लिये और भी रूल्स के अन्दर प्रावधान हैं उसका सहारा लिया जा सकता है अन्य समय लेकिन इस समय तो केवल सदन इतना ही सहयोग चाहता है कि सरकारी पक्ष से जो भी उत्तर मिले उसको नोट कर लें। आवश्यक तथ्य की जानकारी के लिये पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन इत्यादि उठा कर जानकारी की जा सकती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार से सदन में किसी बात को लाने का प्रयत्न करना इस डिबेट को प्रोटेक्ट करना है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: मैं एक सजेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order !!

श्री दुर्गालाल बाढवार: The wording, Sir, is······

श्री भीखाभाई: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री दुर्गालाल बाढवार: When I am addressing the Chair, I think none of the hon. Members of the House whether he may be a Minister or otherwise has a right to interrupt me. The procedure and the rules are very clear about it.

श्री उपाध्यक्ष: You please see the phraseology of the rule "Whenever the debate on any motion in connection with a Bill... ..." It is about the Bills.

श्री दुर्गालाल बाढवार: No, Sir. It further reads, "or any other motion". The words used are, "or any other motion".

मैं मानता हूं कि दूसरे मोशन का जिक्र है इस विषय में······

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Listen to me.

इस विषय में पहले भी कह चुका हूं जिस संदर्भ के अन्दर वाद विवाद हो रहा है उसको देखते हुए जो सरकारी पक्ष से जवाब हो रहा है उसके अन्दर अधिक से अधिक बाधा उपस्थित करने के बजाय सुनना आवश्यक है ताकि डिबेट प्रोट्रेक्टेड न हो। कोई शंक और संदेह रह जाता है तो वह दूसरी प्रकार से उठाया जा सकता है।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वे अपने भाषण को थोडा संक्षेप में करें।

श्री भीखा भाई: बनेडा से आये हुए माननीय सदस्य ने ऐतराज उठाया है कि समाज कल्याण विभाग का एक्सपेन्डीचर बढता जा रहा है। कई प्रकार की योजनायें विभाग के अन्दर हैं, एक प्रकार की योजना नहीं। उसका संक्षिप्त चाहें तो मैं आपको बाद में दे सकता हूं। इसमें सेन्टर द्वारा स्पोन्सर्ड स्कीम हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: माननीय सदस्य को ऐतराज नहीं था। आपने एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को देखा है, जो २५ प्रतिशत से खर्चा बढ कर ४६ प्रतिशत तक हो गया है। यह उनका ऐतराज नहीं है, एस्टीमेट कमेटी ने ऐतराज उठाया है। आपने क्या उसे देख लिया है ?

Page No 130

श्री भीखाभाई: मैं आपको निवेदन कर रहा हूं सुनिये;

६०-६१ में ४.००

६१-६२ में ७.३२

६२-६३ में ५.७७

श्री मुरलीधर व्यास : यह आंकड़े कहां से प्राप्त हुए हैं ?

श्री भीखाभाई: उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करूंगा, जगह जगह जिला स्तर पर जो अधिकारी रहते हैं यह काम जिला अधिकारियों को बांट रखा है जो अस्पृश्यता निवारण कानून है उसका पालन हो, सोसियो-इकानामिक एक्टीविटीज पर ध्यान रखा जावे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ३३ लाख जन-संख्या हरिजनों की है और २३ लाख आदिवासियों की है, १.४ से ज्यादा है उनके लिये इतना खर्च किया जाता है तो कोई अधिक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनके लिये ज्यादा खर्च किया जाता है और उनको राहत मिलती है तो किसी को एतराज नहीं । लेकिन अफसोस यह है कि आपने राहत देने के कार्यों को काट दिया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा इस तरह का बढ़ा दिया है जो इसके अनुपात से कई गुना है। इसलिये अगर राहत देने के लिये उनको तकावी दी जाती, उनको और मदद दी जाती, तो हमें खुशी होती । लेकिन यह तो काट दिया गया और आफिसर और स्टाफ वैसा का वैसा है ।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : Point of information, Sir......

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of information, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Hon. Member is trying to reply on one point of information and if he is confused like that he will not be able to reply to any point.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी जानकारी चाहता हूं । सेन्टर द्वारा समाज कल्याण की रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उस पर वाद-विवाद होता है, लेकिन हमारे यहां समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को आदिवासियों को क्या क्या सुविधायें दी गई, इसकी रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुई । इसके बारे में हम चाहते हैं कि सदन में रिपोर्ट आनी चाहिये और उस पर वाद-विवाद होना चाहिये ।

श्री भीखाभाई: आपने जो सुझाव दिया है उस संबंध में मैं निवेदन कर दूं, राजस्थान सरकार ने भी इस बारे में एक्शन ले लिया है कि डिपार्टमेन्ट की जो एक्टीविटीज हैं उनका हर साल रिव्यू होना चाहिये और वह असेम्बली में बांटा जाना चाहिये । इसके अलावा इस साल जो समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रगति हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की है। आदिवासियों के संबंध में जो रिपोर्ट गवर्नर महोदय के मार्फत आती है वह सदन की टेबल पर रखी जावेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We agree for a discussion on that.

श्री उमरावसिंह डाबरिया: उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order !! क्योंकि यह डिबेट प्रॉट्रेक्टेड हो रही है और माननीय सदस्यों को यह उतावली है कि यह डिबेट खत्म हो। अब मैं ऑन ए पॉइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन या इनफारमेंशन रेज करने की इजाजत नहीं दूंगा। कोई माननीय सदस्य चाहें तो वे अपना वोट अलग से दायर करवा सकते हैं और दूसरी विधि अख्त्यार कर सकते हैं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों का सुझाव एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कम करने का है, तो जांच इसकी सरकार जरूर कर सकती है। पर इस प्रकार की बीच में जाकर बातें कहें और दौराने चर्चा बात करके हस्तक्षेप करें तो आदमी का दिमाग सन्तुलित नहीं रह सकता।

यह राजस्थान की इतनी बडी जनसंख्या है जिसके कारण आज हाउस में २५ आदमी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के २० रिप्रेजेन्टेटिव आये हैं (शोरगुल) उपाध्यक्ष महोदय, ये सब डिस्टर्ब करते हैं··

श्री उपाध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जितना संक्षेप में कह सकें कह दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें से अधिकांश खर्चा इन जातियों के कल्याण के लिये होना चाहिये, पर अधिकांश एडमिनिस्ट्रेशन पर ही खर्च हो जाता है।

श्री भीखाभाई : मैं बताना चाहता हूं कि आज जो सामाजिक स्थिति में अन्तर आया है वह इस प्रकार की संस्थाओं के कार्य के कारण आया है। लगभग २०० छात्रालय राजस्थान भर में चल रहे हैं। सैंकडों विद्यार्थी इनसे लाभ उठा रहे हैं उनको छात्रवृत्तियां मिल रही हैं। २५० रुपया सालाना से हमने शुरू किया था वह आज हजारों तक पहुंच गया है।

(विराम)
(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री भीखाभाई : इसलिये यह समाज कल्याण का ····

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : I again move closure, Sir. The house is not in a mood to hear the hon. Minister.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भीखाभाई : इसलिये यह समाज कल्याण का कार्य सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

I have concluded Sir.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक स्पष्टीकरण तो और करा दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

आपने कहा छात्रवृत्तियां काफी दी हैं। आपके समाज कल्याण बोर्ड में इन छात्रवृत्तियों के लिये नियम हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स में जो इन्कम टैक्स पे करते हैं और जिनके इन्कम के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके बनिस्बत जिनके कम हैं उनके बच्चों को ये छात्रवृत्तियां दी जावें तो जिस परिवार की काफी आमदनी है और उसी परिवार के तीन तीन बच्चों को सेन्ट जेवीयर में पढने के लिये छात्रवृत्तियां दी जावें तो क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है ?

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री) : यह आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो बता सकता हूं,

(श्री भीखाभाई)

पर छात्रवृत्तियों के लिये हमारे यहां जनरल रूल्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : यही मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के परिवार के तीन तीन बच्चों को सेन्ट जेवियर में पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां देना आपके उन नियमों के अन्तर्गत आता है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग सवाल है। पर रूल्स में आता है, तभी छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके नियम हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसकी आपको जानकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order !! इस बारे में मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अब प्रश्न यह है कि इन मांगों पर जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव आये हैं क्या वे उनको वापिस लेने की कृपा करेंगे ?

("हां" और "ना" की ध्वनियां)

सब वापिस लिये गये मान लिये जावें ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मेरे कटौती के प्रस्ताव इस विभाग के फिजूल खर्च किये जाने पर हैं उनको स्टेन्ड करूंगा जब तक कि सैटिसफेक्ट्री जवाब नहीं मिल जावे। यह गलत खर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि करीब करीब सारे कट मोशन्स वापिस लिये गये, ऐसा समझा जाय।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया।)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह कैसे हुआ साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक रहा है।

श्री मानसिंह महार : मैं समझ रहा हूं कि अपोजीशन वालों ने तो हां कहा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने हां कहा है, वह रिकार्ड हुआ है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८४,७२ हजार तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या २३

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६१,५० हजार तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसका जवाब नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब आ चुका है।

मांग संख्या २३ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या २४

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३१,६१ हजार तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की बैठक सोमवार के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.५६ बजे, दिनांक २५ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

संक्षिप्त विवरण

शुक्रवार, दिनांक २२ मार्च, १९६३

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	३९५५

हरिजनों के कार्य करने की पद्धति में सुधार।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति को राज्य सेवाओं में संरक्षण।

होम्योपेथी स्वास्थ्य विज्ञान को मान्यता।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल पूर्ति सम्बन्धी समस्याओं का प्रतिवेदन।

विभागीय नियम।

खानपुर ग्राम में चारागाह।

न्याय पंचायत के सदस्यों को किराया तथा भत्ता।

सूरतगढ फार्म के कारण बेदखल किसान।

सोजत तहसील में काश्त की भूमि में खानें।

इकोनोमी कट से प्रभावित अधिकारी।

औषधालय को दी गई औषधियां।

लेबर यूनियन्स।

गंगानगर लैण्ड मोर्टगेज बैंक में दरख्वास्तें।

विजयपुर रेंज के जंगलात का सर्वे।

स्तम्भ

प्राइमरी हैल्थ सैन्टर-मालाखेडा पंचायत।

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत नागौर जिले में धनराशि।

मावली तहसील में बांध के अधूरे कार्य की पूर्ति।

रायपुर बांध, तहसील नीम-का-थाना।

ग्राम मवासा तहसील लाडपुरा का नाला।

रतनगढ के अस्पताल।

राजगढ, जिला चूरू के बाजार में साप्ताहिक छुट्टी।

प्रतिकर (कम्पेन्सेशन) की दरें।

डामटी के पास बांध।

ग्राम ठठोरा, तहसील हिन्डौन में डिस्पेन्सरी।

बस्ती सीतारामपुरा में भूमि अवाप्ति और प्लॉट्स का आवंटन।

नगरपालिका नीम-का-थाना को आबादी भूमि का कब्जा।

कार्यालय के लिये भवन-गंगापुर।

संवत् २०१२ के बजाय संवत् २०१३ के आधार पर खातेदारी।

नमागा बांध और मुआवजे का भुगतान।

तहसील कुशलगढ़ के क्षेत्र में बांध।

गाडोलिया लोहार व हरिजनों को मकान बनाने के लिये सहायता-जिला बीकानेर ।

आय-व्ययक, १९६३-६४

द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन । ४०२१

(२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८--श्रम और नियोजन ।

(३) मांग संख्या-२४, मुख्य शीर्षक-३९ विविध-सामाजिक तथा विकासीय संगठन ।

मांग संख्या ३४ व २३ श्री भीखाभाई, मन्त्री, वन विभाग तथा मांग संख्या २४ श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त मांगों पर कुल ११३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

सरकार की ओर से श्री भीखाभाई, वन मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया ।

कटौती-प्रस्ताव वापस लिये जाकर मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक ५ बजकर ५६ मिनट पर सोमवार, दिनांक २५ मार्च, ६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

सोमवार, दिनांक २५ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची ४२२०

(१) वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव ।

(२) मांग संख्या २०, १८, ४१ व १९ कृषि सहकारिता, कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत एवं पशुपालन।

४२१५]

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६३ का उत्तर देखिये)

विभिन्न नगरपालिकाओं को हरिजनों
के कार्यपद्धति में सुधार हेतु
स्वीकृत धनराशि की सूची।

१६६१-६२

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	धनराशि
१.	अजमेर ..	८५०० रु०
२.	जयपुर ..	६७००० ,,
३.	बीकानेर ..	१५००० ,,
४.	उदयपुर ..	८५०० ,,
५.	जोधपुर ..	२६००० ,,
	योग ..	१५६००० ,,

१६६२-६३

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	धनराशि
१.	तारनगर ..	७०० रु०
२.	मेड़ता ..	४६०० ,,
३.	पोकरन ..	३७५ ,,
४.	डूंगरगढ़ ..	२००० ,,
५.	डीडवाना ..	४६०० ,,
६.	देवली ..	७५० ,,
७.	कुचामन ..	१००० ,,
८.	झालावाड़ ..	३७५ ,,
	योग ..	१५,००० ,,

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ का उत्तर देखिए)

ANNEXURE I

Recommendations of the Committee formed to study the problem of water supply in details.

1. It is recommended that in the Third Plan an attempt should be made to Cover all the towns having a population of 10,000 and above under Urban Water Supply Schemes. This can be achieved if a provision of 260.00 lacs is made for new schemes.

2. We are further informed that the Department also requires a sum of about Rs. 150 lacs for completing The scheme that are already in progress and which will be carried over from the Second Plan to the Third Plan. Thus a total provision of about Rs. 410 lacs will be necessary.

3. While making selections of works, it is also recommended that we may not strictly adhere to the figure of 10,000 populations and that priority may be given as follows:

(1) All District Headquarters having already been covered under the current Plan, priority may be given to towns with Sub-Divisional Headquarters.

(2) Block Headquarters may be given preference which may fall under the category of Urban Areas as it is expected that most of these places will be covered under Rural Areas, their population being less than 8,000.

(3) Places of pilgrimages and fairs of either all India or All-Rajasthan importance should be given priority over other places.

(4) Municipal towns where Local Bodies are prepared for piped water supply schemes and are further prepared to find part of the funds out of their own resources may be given preference over other areas, where entire funds have to be advanced as a loan.

(5) Towns, where the development is held up for want of water supply facilities and there are definite potentialities for further development, if this facility is provided, may be given priority irrespective of the population criteria.

४२९७]

परिशिष्ट २

ANNEXURE II

List of the Rural Water Supply Scheme expected to be completed in Third Five Year Plan.

1. Kishangarh (Alwar)
2. Tatarpur
3. Tijara
4. Basni
5. Pachpadra
6. Sathin
7. Shergarh
8. Khinchin
9. Umedabad
10. Samdari
11. Mandawals
12. Dundra
13. Ahore
14. Bhinder
15. Gulabpura
16. Cheench
17. Barod
18. Paliatha
19. Manoharthana
20. Gadwana
21. Behror
22. Bansur
23. Laxmangarh
24. Mandhan
25. Jaswantpura
26. Sanchore
27. Kalandri
28. Khandap
29. Chotan
30. Chandarwal
31. Jasol
32. Jaswantgarh
33. Mundara
34. Godra Road
35. Rawatra
36. Jalana
37. Kelwa
38. Gogunda
39. Pur
40. Mangrol
41. Atroo
42. Tawaja
43. Berasar
44. Sarunda
45. Panchoo
46. Jaisrar
47. Ganeri
48. Manuda Khurd
49. Deorala
50. Nand Khurd
51. Pandusar
52. Merasarchachera
53. Kakra
54. Chhatargarh
55. Bhankrota
56. Kaladera
57. Malsisar
58. Wazirpur

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ का उत्तर देखिए)

List of Rules promulgated. 1	First published in Rajasthan Rajpatra. 2
1. The Raj. Labour & Welfare Service Rules, 1958.	8-5-58, Pt. IV (C).
2. The Raj. Secretariat Service Rules, 1954 ..	10-1-55.
3. The Raj. Police Service Rules, 1954 ..	30-9-54 (Ext.) Pt. I-B.
4. The Raj. Accounts Service Rules, 1954 ..	-do-
5. The Raj. Administrative Service Rules, 1954	9-7-54, Vol. VI.
6. The Raj. Statistical Service Rules, 1958 ..	8-11-58, Pt. IV (C).
7. The Raj. Motor Garage Service Rules, 1958	7-8-58, Pt. IV (C).
8. The Raj. Inspectors of Registration and Stamps Service Rules, 1954	28-5-59, Pt. IV (C).
9. The Raj. Service of Engineers (E. & M.) Br. Rules, 1954	10-12-54 (Ext.) Pt. IV (C).
10. The Raj. Service of Engineers (B.&R.) Br. Rules, 1954	10-12-54 (Ext.) Pt. IV.
11. The Raj. Service of Inspectors of Factories & Boilers Service Rules, 1958 ..	20-11-58, Pt. IV (C).
12. The Raj. Educational Service (C.B.) Rules, 1959	9-4-59, Pt. IV (C).
13. The Raj. Jails Service Rules, 1959 ..	19-2-59, Pt. IV (C).
14. The Raj. Civil Services (Departmental Examination,' Rules, 1959	1-7-61, Pt. IV (C).
15. The Raj. Ayurvedic Service Rules, 1959	3-9-59, Pt. IV (C).
16. The Raj. Junior Accounts Service Rules, 1959	24-9-59, Pt. IV (C).
17. The Raj. Co-operative Service Rules, 1954	10-1-55.
18. The Raj. State Insurance Service Rules, 1959	10-12-59, Pt. IV (C).
19. The Raj. Circuit Houses Service Rules, 1959	31-12-59.
20. The Raj. Higher Judicial Service Rules, 1955	12-5-55 (Ext.) Pt. IV (C).
21. The Raj. Judicial Service Rules, 1955 ..	12-5-55 (Ext.) Pt. IV (C).
22. The Raj. Service of Engineers (Irri. Br.) Rules, 1954	10-12-54, Pt. IV (C).
23. The Raj. Govt. Presses Services Rules, 1960	24-3-60, Pt. IV (C).
24. The Raj. Mines & Geological Service Rules, 1960	4-8-60 Pt. IV (C).
25. The Raj. Employment Exchanges Service Rules, 1960	4-8-60, Pt. IV (C).
26. The Raj. Service Rules, 1960	27-10-60, Pt. IV (C).

1	2
27. The Raj. Panchayat Service Rules, 1955 ..	2-2-55, Pt. IV (C).
28. The Raj. Agriculture Service Rules, 1960 ..	29-12-60, Pt. IV (C).
29. The Raj. Archaeological & Museums Service Rules, 1960	30-8-61, Pt. IV (C).
30. The Rajasthan Industries Service Rules, 1960	2-3-61, Pt. IV (C).
31. The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962	22-5-62, Pt. IV(C).
32. The Rajasthan Forest Service Rules, 1962 ..	5-11-62, Pt. IV (C).
33. The Rajasthan Medical Service (C.B) Rules, 1962	5-11-62, Pt.IV (C).
34. The Rajasthan State Subordinate Services (Combined Competitive Examinations) Rules, 1962	13-9-62, Pt.IV (C).
35. The Rajasthan Subordinate Panchayat Service Rules, 1955	2-2-55, Pt. IV (C).
36. The Rajasthan Subordinate Devasthan Service (Class I) Rules, 1954	10-1-55.
37. The Rajasthan Subordinate Registrars' Service Rules, 1954	10-1-55, Pt. IV (C).
38. The Rajasthan Subordinate Civil Courts Ministerial Establishment Rules, 1958 ..	27-3-58, Pt. IV (C).
39. The Rajasthan Sub-Offices Ministerial Staff Rules, 1957	20-6-57, Pt. IV (C).
40. The Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-Service Personnel), Rules, 1959 ..	3-9-59, Pt. IV (C).
41. The Rajasthan Secretariat Ministerial Staff Rules, 1956	20-6-56, Pt. I (B).
42. The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956	12-9-59 Pt. IV (C).
43. The Rajasthan Subordinate Devasthan Service (Class II) Rules, 1954	10-1-55, Pt. IV (C)
44. The Rajasthan Subordinate Co-operative Service (Class I) Rules, 1955	18-2-56, Pt. IV (C)
45. The Rajasthan Subordinate Co-operative service (Class II) Rules, 1955	18-2-56, Pt. IV (C).

1	2
46. The Rajasthan Panchayat & Zila Parishad Service Rules, 1959 ..	1-10-59, (Ext.)
47. The Rajasthan Panchayat & Zila Parishad Service (Class IV) Rules, 1959	1-10-59.
48. The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1959	21-1-60, Pt. IV(C).
49. The Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1960	4-8-60, Pt. IV (C).
50. The Rajasthan Mines ond Geological Subordinate Service Rules, 1960	-do-
51. The Rajasthan Panchayat Samitis (Terms and Conditions of deputation of Vikas Adhikaris, Extension Officers and other Officer) Rules, 1959	10-12-59, Pt. IV (C).
52. The Rajasthan Award of Cash Prizes to Govt. Servants Rules, 1960	19-1-61, Pt. IV (C).
53. The Rajasthan Civil Services (Grant of Merit Pay) Rules, 1961	8-4-61, Pt. IV (C).
54. The Rajasthan Subordinate Election Service Rules, 1958 (Repealed)	12-12-58, Pt. IV (C).

Appendix B.

Service Rules drafted but are in process of examination.

State Service Rules.

1. The Rajasthan Medical & Health Service Rules.
2. The Rajasthan Social Welfare Service Rules.
3. The Rajasthan Public Relations Service Rules.
4. The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules.
5. The Rajasthan Archives Department Service Rules.
6. The Rajasthan Archives Department Service Rules.
7. The Rajasthan Excise & Taxation Service Rules.
8. The Rajasthan Transport Service Rules.
9. The Rajasthan Evaluation Department Service Rules.
10. The Rajasthan Consolidation of Holdings Service Rules.

परिशिष्ट १

Subordinate Service Rules.

11. The Rajasthan Medical & Health Service Rules.
12. The Rajasthan Social Welfare Service Rules.
13. The Rajasthan Excise & Taxation Service Rules.
14. The Rajasthan Police Service Rules.
15. The Rajasthan Engineering, P.W.D. Service Rules.
16. The Rajasthan Horticulture Service Rules.
17. The Rajasthan Accountants Service Rules.
18. The Rajasthan Agriculture Service Rules.
19. The Rajasthan Forest Service Rules.
20. The Rajasthan Education Service Rules.
21. The Rajasthan Local Fund Audit & Panchayat Samiti Accounts Clerk's Service Rules.
22. The Rajasthan Evaluation Department Service Rules.
23. The Rajasthan Class IV Service Rules.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ का उत्तर देखिये)

सेन्ट्रल मैकनाइज्ड फार्म के स्थापित होने के फलस्वरूप जिन कृषकों को बेदखल किया गया व पुनः भूमि दी गई उनकी सूचना इस प्रकार है :—

क्रमांक	श्रेणी कृषक	कृषक सं	किस वर्ष में अवाप्ति की गई	पुनः इस विभाग द्वारा भूमि कब दी गई।
१	२	३	४	५
१.	माफीदार	५७७	१९५६	१९५६
	मोरूसीदार	३	१९५८-५९	
२.	पुख्ता अलाटीन	७१४	१९५६	१९५६
३.	माफीदार	४	१९५६	१९५६
४.	रिफ्यूजीज	१०७	१९५६	इन आसामियान का रकबा महकमा कस्टोडियन को सन् १९५६ में इकजाही तौर पर दिया गया। इस भूमि के वितरण की व्यवस्था उपरोक्त विभाग ने की।
५.	भूमिहीन			भूमिहीन कृषकों को अलाटमेंट से पूर्व ही यह फार्म स्थापित हो चुका था। इसलिये भूमिहीन कृषकों की भूमि समाप्त करने व बेदखल करने का सवाल पैदा नहीं होता।

४२११]

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ का उत्तर देखिए)

निम्न गजेटेड आफिसेर्स जो इकोनामिक कट के कारण सरप्लस किये गए थे, एबजोर्शन कमेटी ने उन्हें निम्न पदों पर एबजोर्ब किया है:—

	अल्प बचत विभाग	पद पर एबजोर्ब किया
१.	श्री नवलसिंह, बचत अधिकारी	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
२.	श्री बी० पी० भार्गव, बचत अधिकारी	सहायक संचालक, बीमा विभाग।
	पशु-पालन विभाग	
३.	श्री एन० एस० माथुर ..	प्रोजेक्ट अधिकारी, दूध वितरण स्कीम (नया पद)।
४.	श्री बी० एल० छाबरा, गौशाला प्रसार अधिकारी	मंत्री, गौसंवर्धन पशुपालन विभाग।
	लोकल बोडीज विभाग	
५.	श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, खंड निरीक्षक ..	सहायक बिक्री-कर अधिकारी, एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग।
६.	श्री ताराचन्द, खंड निरीक्षक ..	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
७.	श्री आर० एन० भार्गव, खण्ड निरीक्षक	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
८.	श्री रघुवीर सिंह, खंड निरीक्षक ..	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
	शिक्षा विभाग	
९.	श्री गोपालकृष्ण, संचालक वोकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो	उप संचालक, शिक्षा विभाग।
१०.	मिस संतोष चड्ढा, कान्सीलर (मनोवैज्ञानिक असिस्टेंट)	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, मैण्टल हॉस्पीटल।
	सामाजिक शिक्षा विभाग	
११.	श्री प्रेमप्रकाश प्रलाया, उप-सामाजिक शिक्षा अधिकारी	मंत्री, जिला परिषद्, उदयपुर।
१२.	श्री सुरेन्द्र सिंह अरोरा ,,	मंत्री, जिला परिषद्, जालौर।

सामाजिक शिक्षा विभाग		पद पर एबजोर्ब किया
१३.	श्री बृजबल्लभ गुप्ता उप सामाजिक शिक्षा अधिकारी	मंत्री, जिला परिषद्, नागौर।
१४.	श्री हरिशंकर भावन ,,	मंत्री, जिला परिषद्, अजमेर।
१५.	श्री मोहन नारायण भटनागर ,,	विकास अधिकारी, टोडाराय सिंह ॥
१६.	श्री सोमदत्त जोशी ,,	विकास अधिकारी, सराड़ा।

डिप्टी डायरेक्टर:--एबजोर्शन कमेटी ने किसी भी डिप्टी डाइरेक्टर का एबजोर्शन नहीं किया है। विभागों से इसकी सूचना मांगी जा रही है।

कॉसिलर्स ऑफ स्टेट ब्यूरो

(१) एबजोर्ष्शन कमेटी ने मिस संतोष चड्ढा कॉसिलर (मनोवैज्ञानिक असिस्टेंट) का क्लीनिक मनोवैज्ञानिक मेण्टल हास्पीटल के पद पर समावेश किया है। विभागों से अन्य सूचना मांगी जा रही है।

२. श्री मुकन्द पाठक, स्टेटिस्टिशियन — स्टेटिस्टिकल असिस्टेन्ट, राजस्थान सचिवालय पद पर एबजोर्ब किया।

श्री पी० डी० हस्तक, जनरल असिस्टेंट — पब्लीसिटी असिस्टेन्ट, मेडीकल व हैल्थ विभाग।

श्री बलराम शर्मा, जनरल असिस्टेन्ट .. — पब्लीसिटी असिस्टेन्ट, मेडिकल व हैल्थ विभाग।

स्टेट ब्यूरो ऑफ एजूकेशनल और वोकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो पुनः स्थापित हो रहा है और उसमें वहां के सरप्लस कर्मचारियों को फिर से समावेश करने की तजवीज है।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८६ का उत्तर देखिए)

राजस्थान में कहां कहां साप्ताहिक छुट्टी रखी जाती है उसकी सूची निम्न प्रकार है:—

१. जोधपुर
२. अजमेर
३. उदयपुर
४. किशनगढ़
५. कोटा
६. फतेहपुर
७. चूरू
८. अलवर
९. सुजानगढ़
१०. सरदारशहर
११. पाली
१२. बीकानेर
१३. श्री गंगानगर
१४. रतनगढ़
१५. सीकर
१६. टोंक
१७. भरतपुर
१८. धोलपुर
१९. बूंदी
२०. भीलवाड़ा
२१. ब्यावर
२२. बाड़मेर
२३. जयपुर

राजस्थान में जहां जहां साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान लागू करने का सरकार का विचार है उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	करबे का नाम	जिले का नाम
१	२	३
१.	लाडनूं	नागौर
२.	लछमनगढ़	सीकर
३.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
४.	फालोदी	जोधपुर
५.	राजगढ़	चूरू
६.	हिण्डोन	सवाई माधोपुर
७.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
८.	सोजत	पाली
९.	सांभर	जयपुर
१०.	गंगापुर	सवाई माधोपुर
११.	मकराना	नागौर
१२.	कुचामन	नागौर
१३.	डीग	भरतपुर
१४.	रामगढ़	सीकर
१५.	चौमूं	जयपुर
१६.	नाथद्वारा	उदयपुर
१७.	झालावाड़	झालावाड़
१८.	बारी	भरतपुर
१९.	डीडवाना	नागौर
२०.	डूंगरगढ़	चूरू
२१.	सिरोही	सिरोही
२२.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
२३.	चिड़ावा	झुंझुनूं
२४.	शाहपुरा	भीलवाड़ा
२५.	पीपर	जोधपुर
२६.	पिलानी	झुंझुनूं
२७.	सादड़ी	पाली
२८.	दौसा	जयपुर
२९.	नोहर	श्री गंगानगर
३०.	नीम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
३१.	बिलारा	जोधपुर
३२.	कोटपूतली	जयपुर
३३.	तारानगर	चूरू
३४.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
३५.	केकड़ी	अजमेर
३६.	देवली	टोंक
३७.	विजयनगर	अजमेर
३८.	जालोर	जालोर

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ का उत्तर देखिए)

List of residents of village Bassi Sitarampura whose land and huts etc. were accquired in connection with Bassi Sita Rampura improvement Scheme and the plots allotted to them as recommended by the Land Acquisition Office.

S.No. 1	Name of allottee 2	Father's Name 3	Compensation paid. 4	Plot allotted 5
1.	Shri Ghisi Lal ..	.. Shri Moti Lal	2695/-	No plot allotted.
2.	Shri Bhonri Lal	.. Shri Chhoti Lal	323/-	A-65
3.	Shri Raju ..	.. W/o Shri Shyam Lal	385/-	A-64
4.	Shri Ghasi Ram	.. Shri Ram Deo	478/-	
5.	Shri Ram Chandra	.. Shri Ram Deo	343/-	A-56
6.	Shri Mangi Lal	.. Shri Kana	271/-	B.161
7.	Shri Moti Lal ..	.. Shri Shyam Lal	355/-	A-66
8.	Shri Fakir Chand	.. Shri Ganga Ram	333/-	A-103
9.	Shri Pratap ..	.. Shri Kana	375/-	B-159
10.	Shri Majid Khan	.. Shri Abdullah	274/-	B-105
11.	Shri Kana ..	.. Shri Narain	338/-	No plot allotted
12.	Shri Bajrang Lal	.. Shri Durga Prasad	158/-	B-232
13.	Shri Mangi Lal	.. Shri Birdha	438/-	A-78
14.	Shri Ramji Lal	.. Shri Bhonri Lal	110/-	No plot allotted.
15.	Shrimati Chhotta	.. Shri Ganesh	41/-	..
16.	Shri Ram Prasad	.. Shri Chandra	155/-	B-144
17.	Shri Panchu ..	.. Shri Chandra	105/-	B-211
18.	Shri Ganesh ..	.. Shri Chaturoo	378/-	B-207
19.	Shri Bhoora ..	.. Shir Mangoo	144/-	B-141
20.	Shri Narain ..	.. Shri Bala Bux	320/-	No plot allotted.

1	2	3	4	5
21.	Shri Abdul Rehman ..	Shri Abdulla Khan	128/-	B-123
22.	Shri Abdul Razak ..	Shri Abdulla Khan	110/-	B-173
23.	Shri Abdul Gaffar ..	Shri Abdulla Khan	142/-	B-125
24.	Shri Abdul Wahid ..	Shri Razak	120/-	B-98
25.	Shri Chunnu	Shri Abdulla	120/-	B-94
26.	Shri Nazir Ahmed ..	Shri Saddiq Hussain	64/-	B-95
27.	Shri Godhoo	Shri Ganesh	217/-	B-181
28.	Shri Hanuman	Shri Jawara	185/-	A-76
29.	Shri Sedu ..	Shri Ramu	198/-	No plot allotted.
30.	Shri Ram Chandra ..	Shri Joga Ram	167/-	B-150
31.	Shri Chhitar Mal ..	Shri Ram Kumar	418/-	A-106
32.	Shri Bood Mal ..	Shri Ram Nath	152/-	B-133
33.	Shri Shyam Bux ..	Shri Raghunath	178/-	B-205
34.	Shri Mangi Lal ..	Shri Sedu Ram	232/-	B-132
35.	Shri Ladu Ram ..	Shri Ganesh	361/-	A-68
36.	Shri Bargi	W/o Ganesh	196/-	B-162
37.	Shri Chhotho	Shri Jelaram	321/-	A-93
38.	Shri Kana Ram ..	Shri Choth Ram	168/-	B-130
39.	Shri Jagan Lal ..	Shri Deva Ram	99/-	B-122
40.	Shri Narain	Shri Chotho	348/-	B-153
41.	Shri Sonia	Shri Sedu	150/-	B-155
42.	Shri Jamel Khan ..	Shri Chand Khan	29/-	B-104
43.	Shri Dule Khan ..	Shri	149/-	B-103
44.	Shrimati Dapa ..	W/o Shri Bala	257/-	B-154
45.	Shri Chunni Lal ..	Shri Sedu Ram	196/-	B-157
46.	Shri Mahadeo	Shri Bhora	308/-	A-86

1	2		3	4	5
47.	Shri Bhormal ..	..	Shri Ram Karan	286/-	No plot allotted.
48.	Shri Mool Chand	..	Shri Bal Chand	238/-	A-67
49.	Shri Mangi Lal	..	Shri Bal Chand	512/-	A-69
50.	Shri Ram Das ..	..	Shri Ram Chandra	223/-	A-74
51.	Shri Idu ..	..	Shri Dhanna Khan	90/-	B-89
52.	Shri Hanuman Singh	..	Shri Bhora	259/-	B-160
53.	Shri Govind Singh	..	Shri Nand Singh	255/-	B-129
54.	Shri Dwarka Pd.	..		306/-	No plot allotted.
55.	Shri Dulan Khan	..	Shri Mola Bux	215/-	B-135
56.	Shri Hussain Khan	..	Shri Mola Bux	347/-	B-88
57.	Shri Basanta ..	..	Shri Bharta	82/-	B-99
58.	Shri Gaffar ..	..	Shri Bhoora Khan	255/-	B-91
59.	Shri Sultana ..	..	Shri Bharta	19/-	B-100
60.	Shri Sultana ..	..	Shri Devi Sahai	144/-	No plot allotted.
61.	Shri Pratap ..	..	Shri Mala	341/-	A-88
62.	Shrimati Singhari	..	W/o Bhoora	160/-	B-139
63.	Shri Chhoto ..	..	Shri Narayan	123/-	B-156
64.	Shri Kana ..	..	Shri Narayan	119/-	B-152
65.	Shri Gulab ..	..	Shri Suwa Lal	187/-	A-80
66.	Shri Baljit ..	..	Shri Narain	320/-	No plot allotted.
67.	Shri Ramzan ..	..	Shri Ghasi Khan	42/-	B-101
68.	Shri Suwa Lal ..	..	Shri Kishan	345/-	
69.	Shri Ramjan ..	..	Shri Lachhi Khan	89/-	B-102
70.	Shri Mangi Lal	..	Shri Ram Kumar	262/-	A-83

1	2	3	4	5
71.	Shri Ganga Ram ..	Shri Ladu Ram	291/-	A-81
72.	Shri Ram Narain ..	Shri Ladu Ram	312/-	A-82
73.	Shri Jagdish	Shri Ladu Ram	115/-	A-158
74.	Shri Gangaram ..	Shri Chunni Lal	121/-	B-109
75.	Shri Bhonri Lal ..	Shri Chunni Lal	81/-	No plot allotted.
76.	Shri Suwa Lal	Shri Shiv Nath	525/-	A-91
77.	Shrimati Dapa ..	Shri Narain	315/-	B-146
78.	Shri Hanuman	Shri Dalla Ram	122/-	B-137
79.	Shri Suresh Kumar ...		84/-	A-87
80.	Shri Laxmi Narain ..	Shri Dalla Ram	112/-	A-89
81.	Shri Ladu Ram ..	Shri Sedu Ram	200/-	No plot allotted.
82.	Shri Manna Ram ..	Shri Ramu	92/-	B-128
83.	Shri Ram Chandra ..	Shri Ramu	103/-	B-124
84.	Shri Bhonri Lal ..	Shri Mangi Lal	187/-	No plot allotted
85.	Shri Nanag Ram	Shri Chhitar	148/-	B-218
86.	Shri Krishan	Deva	302/-	A-167
87.	Shri Gopi	Shri Mangi Lal	107/-	B-217
88.	Shri Dhanna Ram ..	Shri Mangha	373/-	B-219
89.	Shri Ram Chandra ..	Shri Bhagwan Sahai	308/-	No plot allotted.
90.	Shri Gyarsi Lal ..	Shri Bhagwan Sahai	151/-	No plot allotted.
91.	Shri Mangi Lal ..	Shri Bhagwan Sahai	124/-	A-79
92.	Shri Boodha	Shri Bhuwan	185/-	B-213
93.	Shri Kalyan	Shri Bhagwan	91/-	No plot allotted.

1	2	3	4	5
94.	Shri Sarwan ..	.. Shri Ganesh	81/-	B-206
95.	Shri Gopi Lal ..	.. Shri Ganesh	138/-	B-120
96.	Shri Ram Pal ..	.. Shri Chandra	176/-	B-148
97.	Shrimati Sundari	.. W/o Shri Chandra	71/-	B-140
98.	Shri Kana ..	.. Shri Chandra	206/-	B-147
99.	Shri Kana ..	.. Shri Bhonri Lal	130/-	B-110
100.	Shri Kalyan ..	.. Shri Deva	278/-	Amount refunded (B-216)
101.	Shrimati Dapa	.. W/o Shri Teja	262/-	B-142
102.	Shri Mohri ..	.. Shri Birda	157/-	No plot allotted.
103.	Shri Narain ..	.. Shri Chhotu	110/-	No plot allotted.
104.	Shri Bhairon ..	.. Shri Chhotu	129/-	,,
105.	Shri Kanji ..	.. Shri Lalu Ram	191/-	,,
106.	Shri Mohri Lal	.. Shri Kana	257/-	A-62
107.	Shri Ram Sahai	.. Shri Mohri Lal	129/-	
108.	Shri Ram Sahai	.. Shri Ganga Ram	260/-	No plot allotted.
109.	Shri Jodha Ram	.. Shri Chandra	132/-	B-136
110.	Shri Sirya ..	.. Shri Chhotu	139/-	B-134
111.	Shri Umaid Khan	.. Shri Mohammed Khan	344/-	B-97
112.	Shri Baljit ...	.. Shri Ramadeo	270/-	B-166
113.	Shri Madan ..	.. Shri Bal	75/-	B-229
114.	Shri Prabhat ..	.. Shri Amboo Ram	175/-	A-84
115.	Shri Bhonri Lal	.. Shri Ladu	269/-	A-115
116.	Shri Lalu	.. Shri Raghhu	241/-	A-75
117.	Shri Pooran ...	.. Shri Bhairon	79/-	A-114

1	2	3	4	5
118.	Shri Abdulla Khan ..	Shri Ajmer Khan	197/-	A-117
119.	Shri Ajmeri Khan ..	Shri Khuda Bux	552/-	A-116
120.	Shri Bhanji	Shri Sukhaji	293/-	B-111
121.	Shri Mohammed Sharif	Shri Shafi ..	140/-	B-175
122.	Shri Majeedan ..	W/o Shri Mohammed Shafi	170/-	B-106
123.	Shri Salimuddin ..	Shri Rahmat Khan	123/-	B-93
124.	Shri Mohd. Rafiq ..	Shri Mohammed Shafi	96/-	B-107
125.	Shri Fakhruddin ..	Shri Mohd. Shafi	98/-	B-95
126.	Shri Qamruddin ..	Shri Mohammed Shafi	196/-	B-96
127.	Shri Durga Lal ..	Shri Nathu Lal	310/-	B-227
128.	Shri Badri Narain ..	Shri Durga Lal	110/-	B-228
129.	Shri Bhonri Lal ..	Shri Mangu	146/-	A-53
130.	Shri Laxminarain ..	Shri Durga Lal	164/-	B-121
131.	Shri Bhoora	Shri Ghasi	181/-	No plot allotted.
132.	Shri Gangoo	Shri Mangi Lal	94/-	,,
133.	Shri Bhonri Lal ..	Shri Mangi Lal	100/-	B-108
134.	Shri Bhairon Singh ..	Shri Bhanwar Singh	253/-	B-143
135.	Shri Rood Ram ..	Shri Nirdha Ram	26/-	B-145
136.	Shri Jai Narain ..	Shri Kishan	130/-	B-131
137.	Shri Hira	Shri Dhanna	307/-	No plot allotted.
138.	Shri Bhoora	Shri Mangla	278/-	,,
139.	Shri Nathu	Shri Mangla	134/-	,,
140.	Shrimati Para	W/o Shri Shiv Nath	155/-	,,
141.	Shri Ladu	Shri Mahadeo	68/-	B-233
142.	Shri Ram Pat Atre ..	Shri Nand Kishore	102/-	A-105

1	2	3	4	5
143.	Shri Ghanshyam ..	Shri Ram Pat Atre	118/-	A-156
144.	Shri Jamna	Shri Kanta	267/-	No plot allotted.
145.	Shri Bhonri Lal ..	Shri Jaggu	59/-	B-220
146.	Shri Jagan	Shri Gyarsi Ram	113/-	B-225
147.	Shri Birdhi Chand ..	Shri Gyarsi Ram	109/-	B-226
148.	Shri Kana	Shri Gattu	52/-	Not plot allotted.
149.	Shri Gyarsi Ram ..	Shri Bhairon Lal	115/-	B-231
150.	Shri Panchu	Shri Gyarsi Ram	109/-	B-223
151.	Shri Nanag Ram ..	Shri Narain	131/-	B-224
152.	Shri Govind Ram ..	Shri Mangi Ram	87/-	B-221
15 .	Shri Ram Chandra ..	Shri Mool Singh	395/-	B-126
154.	Shri Narsingh ..	Shri Govind Singh	300/-	A-163
155.	Shri Rajendra Singh ..	Shri Ujam Singh	59/-	No plot allotted.
156.	Shri Guman Singh ..	Shri Chhotu Singh	317/-	A-160
157.	Shri Chimman Singh ..	Shri Chhotu Singh	322/-	A-162
158.	Shri Prakash Das ..	Shri Ganga Das	344/-	A-122
159.	Shri Bhonri Lal ..	Shri Prakash Das	334/-	B-209
160.	Shri Pooran	Shri Prakash Das	188/-	B-210
161.	Shri Mool Chand ..	Shri Prakash Das	68/-	No plot allotted.
162.	Shri Bhairon Singh	..	148/-	No plot allotted.
163.	Shri Kana	Shri Chotu	40/-	B-222
164.	Shri Mahadeo ..	Shri Ram Singh	347/-	B-127
165.	Shri Chhaju Lal .	Shri Hukam Chand	975/-	A-104

1	2	3	4	5
166.	Shri Narain ..	.. Shri Ganesh	584/-	No plot allotted.
167.	Shri Azizuodin	.. Shri Harfuddin	190 -	,,
168.	Shri Khaliluddin	.. Shri Harfuddin	182/-	,,
169.	Shri Moti Lal ..	.. Shri Laxmi Narain	907/-	(Electric and water fitting 3 taps 5 lights points).
170.	Shri Abdul Gani	.. Shri Goru Khan	128/-	B-20
171.	Shri Madan Lal	.. ..	500/-	(Dry pacca wall of cement depth 50 ft.
172.	Shri Ghisilal and Suwalal	..	25578/-	No plot allotted.
173.	Shri Madan Lal	..	6159/-	A-211
174.	Shri Siwai Chak ..	..	..	..

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६७ का उत्तर देखिए)

सूची जो प्रार्थना-पत्र बीकानेर जिले से हरिजन व गाडिया लौहारों से प्राप्त हुए

क्रमांक	जगह का नाम	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
१.	रैगर वस्ती शिवबाडी	२९	यह पंचायत क्षेत्र में होने की वजह से सहायक संचालक बीकानेर के कार्यालय के पत्र संख्या ८०२४, दिनांक ९-८-६२ के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर को भेजे जा चुके हैं ।
२.	नायक बस्ती, गोगागेट, बीकानेर	१२	१२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनको ऐतराजों की पूर्ति के लिये वापिस श्री चुन्नीलाल नायक को लौटा दिये गये हैं और उनको समझा दिया है कि पूर्ति करके शीघ्र भेजें । लकिन फिर भी प्राप्त न होने पर पत्र संख्या ६२३१, दिनांक १-१-६३ को स्मरण कराया गया है फिर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।
३.	मेहतर बस्ती, गंगाशहर	२४	इन प्रार्थना-पत्रों पर ७५०) रु० प्रति परिवार के हिसाब से १८,००० रु० की स्वीकृति हो चुकी है । २८-२-६३
४.	नायक बस्ती, बीकानेर	२६	इन प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है ।
५.	गाड़िया लौहार, बीकानेर २४-७-६२	१२	यह प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए थे जिनको पूर्ण न होने से वापिस लौटाये गये हैं । अभी जो बीकानेर कार्यालय में पहुंच गये हैं और अभी तक एंतराजों की पूर्ति होकर वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं ।

शुद्धी-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २२ मार्च, १९६३)

स्कम्भ सं. १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३९६१	९	इक्ट्ठे	इकट्ठे
३९६२	२७	अगवाल	अग्रवाल
३९६३-६४	६	years	year
३९६५	१६ वीं पंक्ति के पश्चात्	—	(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)
३९६७	१५	साया	आया
,,	२०	है	हैं
३९७३	१९	एसे	ऐसे
३९७८	२३	है	हैं
३९७९	१०	कांसिलसं	कौंसिलसं
,,	२३	कासिलसं	कौंसिलसं
३९८२	२५	श्री बालूराम चोधरी	श्री बालूराम चौधरी
३९८३	२	दख्वास्तें	दर्ख्वास्तें
,,	६	मांटगेज	मोर्टगेज
,,	८	आई	आई
३९८४	३	प्राविजन	प्रोविजन
९९८७	२१	स्केटंड	स्केटर्ड
३९८९	१२	प्रशन	प्रश्न
४००१	२६	है	हैं
४००२	१७	श्री हरदत्तसिह	श्री हरदत्तसिंह ।
४००६	१३	आडंरस	आर्डर्स
४००७	शीर्ष	दुर्गालाल बाढदार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
४००९	,,	चेटट	चेचट
४०११	,,	गरदावरी	गिरदावरी
४०१४	३	मुआवज	मुआवजे
४०१७	३१	मने	मैंने
,,	३२	खद	खुद
४०१९	२१	मैने	मैंने
,,	२९	मै	में
४०२० व ४०२१	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	सीमा की परिस्थितियों विषयक
४०२२	शीर्षक	,,	मांगें
४०३१	१	मानिकचन्द	श्री मानिकचन्द
,,	२३	वन श्रम	वन, श्रम
४०२७	१५	employ	employer
,,	,,	tripar ite	tripartite

१	२	३	४
४०२८	३	बपरवाही	बेपरवाही
,,	२६	मे	में
४०२९	१८	(Tribunal)	Trbunal
४०३३	१६	वाबेल	बाबेल
४०३४	११	म	में
,,	१४	चीठीये	चिट्ठियें
,,	१९	हेल	हेल,
,,	१९	चीठीयें	चिटिठयें
,,	२०	बारे	बारे
४०३५	११	Dispute	Disputes
४०३७	१८	रिपोर्टों	रिपोर्टों
४०३७	१२	जटकसटाईल	टैक्सटाइल
४०४०	८	संख्य	संख्या
,,	११	बांसवाडा	बांसवाड़ा
४०४४	६	फॉरिस्ट	फॉरेस्ट
४०४५	१६	ठी	की
,,	२१	गार्डूस	गाडस
४०४६	१८	में	में
,,	३३	Infallibility	(infallibil.ty)
४०४७	१०	चाहती हें	चाहती
४०४८	११	सके	सकें
,,	१३	सकें,	सकें।
,,		हें।	हें,
,,	३३	मंने:	मंने
४०५०	२	सेक्सेशर	सक्सेसर
,,	५	पसन्ट	पर्सेन्ट
,,		हास	ह्रास
,,	१५	लड	लड़
,,	२१	तोडा	तोड़ा
४०५२	१४	सोसियलिस्टिक	सोशियलिस्टिक
४०५४	२२	स्पोटंसमैन	स्पोर्टसमैन
४०५५	३१	maladministration	maladministration है
,,	१६	करे	करें
४०५६	२१	On point a of Order	On a point of order
४०५८	३१	कई	कोई
	२३		
४०६०	२०	चीप	चिप
४०६४	१०	हूं	हूं।
,,	२१	एलीगशन	एलीगेशन,
४०६५	६	it r	it Sir

१	२	३	४
४०६७	२६	है	है ।
,,	३२	म	में
४०६७	२७	संबंध	संबंधित
४०७०	१५	हरदेव	हरिदेव
४०७१	नीचे से ४	शायद, क्या,	शायद क्या ?
४०७४	६	कपेटीलिस्टक	केपिटलिस्टिक
,,	अन्तिम	बिट्रेड	बिट्रे
४०७५	४	We	we
,,	६	सभापति, जी	सभापतिजी,
,,	१२	record its	record of
,,	१४	mother land, And	motherland and
,,	२२	सभापति, जी	सभापति जी,
४०७६	३१	बिजोरा	बिजोरा थे ।
४०८१	५	भीखा भाई श्री	भीखाभाई : श्री
,,	,,	नहीं:	नहीं
,,	११	मिन्ट	मिनट
४०८३	२१	म	में
४०८४	१	म	में
४०८६	२२	कहूंगा	कहूंगा
,,	३२	हं	हूं
४०८७	१	हरिप्रसाद	हरिप्रसाद शर्मा
,,	२	झोंपड़ी	झोंपड़ी
४०८८	१३	ह	हैं
४०९२	२३	है ।	है ?
४०९४	७	एर्फासियेन्सी	एफिशियेन्सी
,,	८	,,	,,
,,	२८	एर्फासियेनसी	एफिशियेन्सी
४०९६	११	बकाना	(बकानी)
४०९६	१५	permit	permit.
,,	२३	n	in
४०९७	५	एफिसियेन्सी	एफिशियेन्सी
,,	१४	out I	out. I
४०९९	५	nelosures	enclosures
४०९९	२२	अफोर्सेशन	एफोरेस्टेशन
४१००	५	कांड	काढ़
,,	८	पी	पीढी
,,	१८	वलंगी	वलगी
,,	२५	जी	जो
,,	३२	क्यू	क्यू
४१०१	६	क्यू	क्यू
,,	१०	बमगजा	बा जगा
,,	२२	दौडा रारी	दौड़ा रो
४१०२	१०	तेरैं	तरैं

१	२	३	४
४१०२	१६	है,	है।
,,	२६	वही	व्ही
,,	२८	पणम्हूं	पण म्हूं
,,	३०	क्यू	क्यू
,,	३१	देणे	देणो
४१०३	४	चण्डावत	चूण्डावत
,,	६	कुकाऊ	कूकवा
,,	११	म्होको	म्हांको
४११६	८	प्रोडेक्शन	प्रोडक्शन
,,	६	बढान	बढाने
४११७	१४	देंग	देंगे
४११८	१८	अपकट	एफेक्ट
,,	२६	ह	हैं
४११६	१६	सदन फ्लोर	सेदन के फ्लोर
४१२०	१	डिमान्स्ट्रेश	डिमोंन्स्ट्रेशन
४१२२	२७	इन्स्ट्रेक्शन	इन्स्ट्रक्शन
४१२४	२	चाहिय	चाहिये
,,	,,	ह	है
,,	१०	प्रोडेक्ट	प्रोडक्ट
४१२५	२६	सन्डज	सन्डेज़
,,	२४	प्राफिट	प्रोफिट
४१३१	३२	सकडियां	लकडियां
४१३१	अन्तिम	सके	सकें
४१३६	५	मजदूर	ऑफिसर
४१४४	६	यूनियने	यूनियनें
४१४५	अन्तिम से ३	बढाये	बढ़ायें
४१४८	३४	कीं	की
४१४६	२१,२२	स्टेंडिग	स्टेन्डिग
४१५०	३	बढी	बड़ी
४१५१	१४	संरथाओं	संस्थाओं
,,	१८	श्री उपाअध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	१६	must	much
४१५२	अंतिम	ह	है
४१५६	६	जंगलायत	जंगलात
,,	अंतिम	व ट	वोट
४१६०	१६	ह	हैं
४१६१	शीर्षक	१४६१	४१६१
,,	६	खेंदे	देखें
,,	११	सरकार	सिवा
४१६२	४	बडे	बड़े
४१६३-६४	शीर्षक	व	वन
४१६३	नीचे से दूसरी	कपा	कम्पनी
४१६४	१३, १५	लकडी	लकड़ी

१	२	३	४
४१६६	२८	b	it
४१७०	५	सरकार भी तो xxx	एक माननीय सदस्य : सरकार भी तो xxx
,,	१६	न्जिरंजननाथ	निरंजन नाथ
,,	२०	agin	again
४१७३	२६	दंतो,	दं, तो
४१७४	२६	डिबेटे	डिबेट
४१७६	१४	thy	they
४१८०	२	सहूलियस	सहूलियत
,,	१२	पाइन्ट	पॉइन्ट
,,	२४	है	हैं
४१८३	१८	प्राडक्टिव	प्रोडक्टिव
४१८४	अन्तिम	है	हैं
४१८५	२३	अफोर्सेंटेशन	एफॉरिस्टेशन
४१८६	५	है	हैं
,,	२६	अफोर्सेंटेशन	एफोरेस्टेशन
४१८८	१३	डिमाकशन	डिमार्कशन
४१८९	१४	ओब्स्ट्रेक्ट	ऑब्स्ट्रक्ट
,,	२५	आर्य	आचार्य
४१९२	५	कोपन्फलक्टेड	कोन्फ्लिक्टेड
,,	१२	भ ई	भाई
४१९३	२६	म	में
,,	२६	निरंन्न नाथ	निरंजन नाथ
,,	३५	dbate	debate
४१९४	५	cogniz..t	cognizant
४२००	१७	को	की
,,	२६	बढाथा	बढ़ाया
४२०१	२४	Ona	On a
४२०४	३१	क्या ।	क्या!
४२०६	३१	B.ll	Bill
४२१३	१३	सोसियो-इकानामिक	सोशियो-इकॉनॉमिक
४२१४	१५	गई	गईं
४२१५	५	इनफारमेशन	इन्फोर्मेशन
४२१६	१६	concluded Sir.	concluded, Sir
४२२१	२	पद्धति	पद्धत्ति
४२२५	२	कार्यपद्धत्ति	कार्यपद्धत्ति
४२२६	६	The Soheme	the scheme
४२३१	११	Rajas-han	Rajasthan
४२३४	११	कॉसिलर	कौन्सिलर
४२४२	परिशिष्ट ७, क्रमांक १४८ कालम ५	Not	No

१	२	३	४
४२४२	परिशिष्ट ७,क्रमांक १६१, कालम ५	No	No
४२४४	१	२६७	३६७
,,	परिशिष्ट ८ कालम ४, पंक्ति ९	लकिम	लेकिन